खण्ड-444, अंक-1
शुक्रवार, 15 भाद्रपद, शक संवत् 1924
(6 सितम्बर, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2002)

खण्ड 444 में 2 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	क-ञ
उपस्थित सदस्य	ट
प्रश्नोत्तर	1-92
कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–5 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	92
कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या–182 का सुसंगत उत्तर न आने पर व्यवस्था का प्रश्न	92-93
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	93
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	93-94
बांदा नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निदान करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद लखनऊ के तेलीबाग स्थित बलदेव बिहार मोहल्ला में जल निकासी हेतु नाली एवं आवश्यक खड़ंजा/सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत त्रिपुरारिपुर को पूर्व की भांति पुरवा तहसील से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	95
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत डोहा से मेहनगर जाने वाली सड़क पर एवं जमुआ–मिर्जापुर मार्ग पर मंगई नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95
दिनांक 1-1-86 के पश्चात सी टी संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को एल०टी० संवर्ग में मानते हुए पंचम वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
जनपद आगरा के कागारोल से जैगारा ग्राम तक नई विद्युत लाईन बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96
निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कर शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	96-97
जनपद बरेली में औसवाल ओवर सीज चीनी मिल के श्रमिकों को मानक के अनुसार वेतन देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	97
मेरठ के जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल में सुविधा संसाधनों की वृद्धि के सम्बन्ध में नियम –301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड–आसपुर देवसरा में राजकीय डिग्री कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत बिल्थरा रोड नगर पंचायत में सुचारु विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	98
जनपद हरदोई में राम गंगा नदी पर श्री मऊ व भदार गांवों के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत जरौली पम्प कैनाल में एवं गरौला पम्प कैनाल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये की हेरा-फेरी करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बांदा के जसपुरा ब्लाक स्थित प्राथमिक पाठशाला झंझरी पुरवा की जमीन बाबत उत्पन्न झगड़े की स्थिति को समाप्त कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	99-100
लखनऊ स्थित चौपटियां से चौक हजरतगंज कैसरबाग चारबाग मार्गों पर बस अथवा मैक्सी कैब चलवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	100
आकस्मिकता निधि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100-106
विधायकों द्वारा मा० मंत्रियों को दिये जाने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	107
उत्तर प्रदेश अमोद और प्रणकर दसवां संशोधन नियमावली, 1999 ..(सदन के पटल पर रखी गयी)	107
उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 (सदन के पटल पर रखी गयी)...	107
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का 43वो स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, वर्ष 2000–2001 (सदन के पटल पर रखा गया)...	107-108
यू०पी० प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	108
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं) ...	108
जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम मुखलिसपुर से महादेवा तक सड़क का बन्धा तथा कठिनाइयां नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम अशीष यादव आदि निवासीगण संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)...	108
जनपद सन्त कबीर नगर के हैसर बाजार के अन्तर्गत दुढवा ताल से बरबरवा नाले तक नाले की खुदाई कराये जाने विषयक श्री राम रतन निषाद आदि निवासीगण संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	109
जनपद सन्त कबीर नगर में जिगना ताल से बरबरवा ड्रेन तक नाला सफाई/खुदाई कराये जाने विषयक श्री भाल चन्द्र यादव आदि निवासीगण संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ... .(उपस्थित) ...	109

विषय पृष्ठ-संख्या

जनपद गोण्डा के कस्बा बालपुर में इन्टर कालेज खुलवाये जाने विषयक श्री राम कुमार शुक्ल आदि निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 109

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र 146 कटरा बाजार के गोण्डा कचेहरी से कटरा बाजार मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश मिश्रा आदि निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ...(उपस्थित की गई) 109

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के सोहावली आदि कतिपय मोहल्लों के लिए नलकूप व एक ओवर हेड टैंक की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कृष्ण पाल आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... 110

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के मटियाना आदि क्षेत्रों हेतु, विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत स्टेशनों की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राम औतार सिंह आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 110

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम झंडा मुरशदपुर आदि ग्रामों हेतु कटराबाद नाले पर पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री परवेज आलम आदि निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 110

जनपद बांदा चिल्ला के पास यमुना नदी पर पैन्टून पुल की जगह पक्का पुल तथा इछावर-बिन्दौर के बीच पैन्टून पुल बनवाये जाने विषयक डा० सरवत अली फारुकी आदि निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 110

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत मोजापुर पोखरा–भैंसही नदी तक ड्रेन बनवाये जाने विषयक श्री रामवीर राम आदि निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 111

जनपद जालौन में कालपी क्षेत्र के महेवा ब्लाक में भगरौल से पड़री के बीच रपटा तथा सफाई मार्ग बनाए जाने विषयक श्री सर्वेश विद्यार्थी आदि निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... 111

जनपद आगरा में रुनकता से किरावली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री रघुनाथ सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 111

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी के ग्राम मुरेन्डा तथा लोत करेटा के बीच से सिकन्दरा रजबहा नई माइनर बनवाकर जऊपुरा पोखर तक बढ़ाये जाने विषयक श्री महावीर सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 111

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला में बासू झरने पर चेक डैम बनाये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... 111-112

जनपद महराज गंज के अन्तर्गत फरेन्दा लेड्डा-दुर्गा मन्दिर राजपुर बुजुर्ग की सड़क व पुल ठीक कराये जाने विषयक श्री बालक दास आदि निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ... 112

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महराजगंज के अन्तर्गत फरेन्दा में छानी खडैरवहिया में राप्ती नदी पर पुल बनाये जाने विषयक श्री कुंवर पाल सिंह आदि निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	112
दिनांक 15 मई 2000 को श्री राम औतार शाक्य के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 44(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यम मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य... ...	112-113
दिनांक 25 मई 2001 को श्री राम विशुन आजाद के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 44(1) के अन्तर्गत संसदीय कार्य, वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री का शोधन वक्तव्य...	113
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 2002 (पुरःस्थापित)...	114
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)...	114-129
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (जारी)	129
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं...	129-133
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) स्वीकृत...	133-169
वित्तीय वर्ष 2002–2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान–84, सामान्य प्रशासन विभाग.. ... ... (जारी)	169-181
प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–52 में दी गयी सूचना पर चर्चा... ... (जारी)	181
बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर डा० राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–52 में दी गयी सूचना पर चर्चा..	181-187
लखनऊ गोमतीनगर में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम आवंटित भूमि को अम्बेडकर पार्क में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम–56 में दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	187-188
विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–56 के अन्तर्गत सर्वश्री रमानरेश यादव व प्रमोद कुमार, मा० सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 05-09-2002 को दी गयी सूचना पर दिनांक 06-09-2002 के लिए निर्धारित मा० आवास एवं नगर विकास मंत्री जी का वक्तव्य	188-192
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं...	192-196

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नियमों को अनदेखी कर विद्यालयों में छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षकों की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य ...	197-198
जनपद बलिया के रसड़ा क्षेत्र में कतिपय सड़कों पर लेपन कार्य तथा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री घूरा राम द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	198-199
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजूकेशन प्रशिक्षित अध्यापकों को समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रभू नारायण द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	199-200
तत्कालीन उप निदेशक, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन एवं मत्स्य मंत्री का वक्तव्य...	200
समाज कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा दो उप निदेशकों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर निलम्बित किये जाने की संस्तुति के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य ...	201
गोरखपुर बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में विवाद होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	201-202
उत्तर प्रदेश आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम –51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	202-203
जनपद आगरा की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुये पूर्व घोषित पोइयाघाट पर बैराज बनाये जाने के संबंध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य	203-204
प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण निदेशालय द्वारा न किये जाने के संबंध में श्री संजय गर्ग आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य	204-206
जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज में लोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अतर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	206-207
जनपद बाराबंकी के बदोसरांय चौराहे पर दलित महिला व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	207-208

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के हिलौली करदहा व चन्दा खेड़ा मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य...	208
जनपद महामायानगर(हाथरस) में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी न रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य ...	208-210
जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया अन्तर्गत ग्राम पटखनियां में सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर दबंगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	210
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में रुनकता में 33/11 के०वी० सब स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चौधरी बाबूलाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य	211
जनपद आगरा की खैरागढ़ नगर पंचायत व जगनेर में बिजली आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रमेश कान्त लवानिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	211
जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा नन्द अंचल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य	212
जनपद कानपुर के घाटमपुर नगर पालिका में प्रस्तावित ओवर हेड टैंक के निर्माण के सम्बन्ध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	212-213
जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित माधव सेवा आश्रम के पास दुकानदारों को पुनः बसाये जाने हेतु श्री कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	213-214
विधान सभा सदस्यों को आवास विकास विभाग द्वारा एक-एक लाख रुपया जमा कराने के बाद भी भवन निर्माण हेतु जमीन न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इकबाल महमूद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	214-215
जनपद आजमगढ़ की बीसवीं वाहिनी पी०ए०सी द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा करने एवं उसका मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	216

विषय

जनपद गोण्डा के मनकापुर में विधायक निधि द्वारा स्वीकृत कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा० मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोनी सिंह द्वारा नियम -51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

सांसद निधि एवं विधायक निधि द्वारा स्वीकृत जनपद गाजियाबाद के मोदी नगर विधान सभा क्षेत्र का कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा न कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... ...

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं की ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर में पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य 218-219

जनपद उन्नाव की नगरपालिका परिषद सफीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित न होने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य 219

जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र पंचायत कोयलसा के दुहनपुर में स्वीकृत 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य 220

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु दयाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य 221

परिवार कल्याण विभाग द्वारा नसबन्दी आपरेशन कैम्प ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने से पूर्व आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य 221-222

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर नियुक्ति परीक्षा लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य ... 222

जनपद आगरा के थाना चन्दवा के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य 222-223

विषय

पृष्ठ-संख्या

प्रदेश में स्व० चौधरी चरण सिंह की स्मृति में "चरण सिंह ग्राम विकास योजना" चलाये जाने विषयक दि० 2 सितम्बर,02 को तारांकित प्रश्न सं० 6 नत्थी(ग) के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा ... ... (स्थगित) 224

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
4–अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5–अजय कुमार, श्री — बागपत
6–अजय राय, श्री — वाराणसी
7–अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — बदायूं
8–अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
9–अताउल रहमान, श्री — बरेली
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
12–अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
13–अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
15–अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
16–अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
17–अनिल कुमार वर्मा, श्री — हरदोई
18–अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
19–अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
20–अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
21–अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
22–अनुराधा चौधरी, सुश्री — मुजफ्फरनगर
23–अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
24–अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
25–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
26–अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
27–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
28–अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
29–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
30–अमरमणि, श्री — महराजगंज
31–अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
32–अमिता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
33–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
34–अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
35–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
36–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
37–अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा० — जालौन
38–अरुण कुमारी, सुश्री — कानपुर देहात
39–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
40–अरुणा तोमर, सुश्री — कानपुर नगर
41–अली बहादुर, श्री — बहराइच
42–अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
43–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
44–अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
45–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
46–अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
47–आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
48–आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
49–आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
50–आर०एस० कुशवाहा, श्री — खीरी
51–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
52–आर०के० सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
53–आलम बदी, श्री — आजमगढ़

54–आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
55–आशा किशोर, सुश्री — रायबरेली
56–आशीष यादव, श्री — बदायूं
57–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
58–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
59–इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
60–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
61–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
62–उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
63–उदयभान सिंह, श्री — वाराणसी
64–उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
65–उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
66–उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
67–ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
68–ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
69–ओमकार सिंह यादव, श्री — बदायूं
70–ओम प्रकाश गाजीपुर, श्री — गाजीपुर
71–ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
72–ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री — सुल्तानपुर
73–ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
74–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
75–ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
76–कपिल देव यादव, श्री — मऊ
77–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
78–कमलेश कुमार पासवान, श्री — गोरखपुर
79–कमलेश कुमार पाठक, श्री — कानपुर देहात
80–कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
81–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
82–कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
83–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब — रामपुर
84–कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
85–कालीचरन राजभर, श्री — गाजीपुर
86–काशी राम, श्री — रामपुर
87–किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
88–किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
89–किशन लाल दधेल, सेठ — आगरा
90–कुतुबुद्दीन, श्री — बिजनौर
91–कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
92–कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतोश वर्मा, श्री — हरदोई
93–कृष्णानन्द, श्री — गाजीपुर
94–कृष्णा पासवान, सुश्री — फतेहपुर
95–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
96–कैलाश, श्री — गाजीपुर
97–कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
98–कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
99–कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
100–कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
101–कौशल किशोर, श्री — खीरी
102–कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
103–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
104–गंगा बक्श सिंह, श्री — उन्नाव
105–गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
106–गया चरन दिनकर, श्री — बांदा
107–गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
108–गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
109–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
110–घूरा राम, श्री — बलिया
111–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
112–चन्द्रदेव राम यादव कैरली, श्री — आजमगढ़
113–चन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
114–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
115–चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
116–चौधरी बाबू लाल, श्री — आगरा
117–छेदी राम, श्री — गाजीपुर
118–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी

119–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
120–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
121–जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
122–जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर/पडरौना
123–जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
124–जगदीश सोनकर, श्री — जौनपुर
125–जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
126–जगराम, श्री — मुरादाबाद
127–जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
128–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
129–जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
130–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
131–जयराम विमल, श्री — अम्बेडकर नगर
132–जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
133–जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
134–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
135–जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
136–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
137–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
138–ददूू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
139–दयाराम, श्री — कौशाम्बी
140–दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
141–दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
142–दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
143–दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर,भदोही
144–दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
145–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
146–देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
147–देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री — गोरखपुर
148–देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
149–देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
150–देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
151–द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
152–धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
153–धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
154–धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
155–धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
156–धर्म सिंह सैनी, डा० — सहारनपुर
157–धर्मेन्द्र कुमार, श्री — बरेली
158–धू राम, श्री — हमीरपुर
159–नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
160–नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
161–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
162–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
163–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
164–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
165–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
166–नवाद सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
167–नारद राय, श्री — बलिया
168–नूर मोहम्मद, श्री — सुल्तानपुर
169–पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
170–परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
171–पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
172–पी० के० राय, डा० — कुशीनगर/पडरौना
173–पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
174–पीतम राम, श्री — पीलीभीत
175–पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
176–पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर/पडरौना
177–प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
178–प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
179–प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
180–प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
181–प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
182–प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़

183–परागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
184–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
185–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
186–प्रेम सिंह, श्री मथुरा
187–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
188–फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती देवरिया
189–फागू, श्री मऊ
190–बंशीधर राज, श्री खीरी
191–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
192–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
193–बाबू राम, एम०काम०, श्री जालौन
194–बाबू लाल, श्री गोण्डा
195–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
196–बिजय सिंह, श्री फर्रुखाबाद
197–बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
198–बीना भारद्वाज, श्रीमती रामपुर
199–बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री झांसी
200–बृजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री, एडवोकेट जालौन
201–बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
202–बैजनाथ दुबे, श्री गोण्डा
203–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
204–भगवत शरन गंगवार, श्री बरेली
205–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
206–भरत सिंह, श्री बलिया
207–भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
208–भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
209–मुंशी लाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
210–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री कौशाम्बी
211–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
212–मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
213–मदन भैया, श्री बागपत
214–मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री इटावा
215–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
216–मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
217–मशहूद खां, श्री बलरामपुर
218–मस्तराम श्री, एडवोकेट उन्नाव
219–महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
220–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
221–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री सीतापुर
222–महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
223–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
224–महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
225–महेश चन्द्र, श्री कानपुर देहात
226–महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
227–माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
228–मान पाल सिंह, श्री एटा
22–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
230–मायावती, सुश्री सहारनपुर
231–मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
232–मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
233–मुश्ताक सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
234–मूलचन्द्र, श्री बिजनौर
235–मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
236–मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
237–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
238–मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
239–मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
240—मोहम्मद बशीर, श्री आगरा
241—मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
242—मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
243—मो० शफीर, श्री फतेहपुर
244–यशपाल चौधरी, श्री खीरी

245–यशवन्त सिंह, डा० मुजफ्फरनगर
246–याकूब, हाजी मेरठ
247–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
248–योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
249–रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री प्रतापगढ़
250–रणवीर राणा, श्री मेरठ
251–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर/पडरौना
252–रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
253–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर/पडरौना
254–रमेश कान्त लवानिया, श्री आगरा
255–रमेश कुमार शर्मा, श्री झांसी
256–रमेश चन्द बिन्द, डा० मिर्जापुर
257–रविन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
258–राकेश कुमार वर्मा, श्री बाराबंकी
259–राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
260–राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
261–राज किशोर सिंह, श्री बस्ती
262–राजनाथ सिंह, श्री बाराबंकी
263–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
264–राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
265–राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
266–राजरानी, सुश्री बाराबंकी
267–राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
268–राजवीर सिंह, श्री बुलन्दशहर
269–राजा राम, श्री प्रतापगढ़
270–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
271–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
272–राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
273–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री एटा
274–राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
275–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
276–राजेश कुमार, श्री खीरी
277–राधा मोहन दास अग्रवाल, डा० गोरखपुर
278–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
279–राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर/पडरौना
280–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
281–राम इकबाल सिंह, श्री बलिया
282–राम करन आर्य, श्री बस्ती
283–राम किशुन, श्री वाराणसी
284–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
285–राम कृष्ण, श्री सीतापुर
286–राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
287–रामजीत राजभर, श्री वाराणसी
288–रामजी शुक्ला, श्री औरैया
289–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
290–रामनाथ, श्री प्रतापगढ़
291–रामपाल यादव, श्री सीतापुर
292–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
293–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
294–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
295–राम बाबू हरित, डा० आगरा
296–राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
297–राम भुआल निषाद, श्री गोरखपुर
298–राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
299–रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
300–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
301–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
302–राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
303–राम स्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
304–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
305–रामहेत, श्री सीतापुर
306–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा

307–रिजवान अहमद खां, श्री ज्योतिबा फूले नगर
308–रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
309–रेवती रमण सिंह, कुं० इलाहाबाद
310–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
311–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
312–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
313–लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
314–लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
315–लुईस खुर्शीद, श्रीमती फर्रुखाबाद
316–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
317–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
318–विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
319–विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
320–विजय बहादुर पाल, श्री फर्रुखाबाद
321–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
322–विजेन्द्र सिंह, श्री हाथरस
323–विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
324–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
325–विनय शाक्य, श्री औरैया
326–विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327–विनोद कुमार यादव कक्का, श्री इटावा
328–विनोद कुमार सिंह, श्री जौनपुर
329–विनोद तिवारी, डा० पीलीभीत
330–विमल कृष्ण अग्रवाल, उर्फ पप्पी श्री बदायूं
331–विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
332–विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
333–विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
334–वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
335–वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री बरेली
336–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
337–वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री ललितपुर
338–वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
339–वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
340–शंख लाल मांझी, श्री सन्त कबीर नगर
341–शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
342–शब्बीर, श्री बहराइच
343–शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
344–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
345–शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
346–शाकिर अली, श्री देवरिया
347–शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
348–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
349–शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
350–शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
351–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
352–शिव चरन, श्री हमीरपुर
353–शिव तपस्या पासवान, श्री चन्दौली
354–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
355–शिव प्रताप यादव, डा० बलरामपुर
356–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
357–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
358–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
359–शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री जौनपुर
360–श्याम सिंह अहेरिया, श्री मथुरा
361–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
362–श्याम नारायन, श्री महराजगंज
363–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
364–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
365–श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
366–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
367–संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर

368–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
369–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
370–सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
371–सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
372–सत्य नारायण, श्री हरदोई
373–सन्ध्या कठेरिया, सुश्री मैनपुरी
374–समरपाल सिंह, श्री बागपत
375–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
376–सलिल विशनोई, श्री कानपुर नगर
377–सिद्ध गोपाल साहू, श्री महोबा
378–सियाराम सागर, डा० बरेली
379–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
380–सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
381–सुख देवी वर्मा, श्रीमती इटावा
382–सुन्दर लाल, श्री उन्नाव
383–सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
384–सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा० बांदा
385–सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री गाजियाबाद
386–सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री जौनपुर
387–सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
390–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
391–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
392–सुल्तान बेग, श्री बरेली
393–सुशील चौधरी, डा० सहारनपुर
394–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
395–सोमारू राम सरोज, श्री जौनपुर
396–सोवरन सिंह, श्री मैनपुरी
397–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रायबरेली
398–हरि ओम यादव, श्री फिरोजाबाद
399–हरि प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
400–हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
401–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री वाराणसी
402–हीरा लाल गौतम, श्री आजमगढ़
403–हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
404–होशियार सिंह, श्री बुलन्दशहर
405–रिक्त

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महामहिम राज्यपाल

श्री विष्णुकान्त शास्त्री

मंत्रि-परिषद्

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1	2	3
1–	कुमारी मायावती (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, न्याय, विधायी, बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास, नियोजन, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, अम्बेडकर ग्राम विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, संस्कृति, खेलकूद, लघु सिंचाई, विकलांग कल्याण, बैंकिंग, नागरिक सुरक्षा, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल, वाह्य सहायतित परियोजना, कारागार, राजनैतिक पेंशन, चिकित्सा शिक्षा ।
2–	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा
3–	श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी	परिवहन, पर्यावरण, आबकारी, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन
4–	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, गन्ना विकास, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भाषा, राष्ट्रीय एकीकरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन
5–	श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
6–	श्री राम प्रकाश त्रिपाठी	सहकारिता
7–	श्री इन्द्रजीत सरोज	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार
8–	श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
9–	श्री सुखदेव राजभर	संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग
10–	श्री हुकुम सिंह	कृषि, पंचायती राज
11–	श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
12–	श्री कौकब हमीद	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
13–	श्री रामवीर उपाध्याय	ऊर्जा,
14–	श्रीमती अनुराधा चौधरी	लोक निर्माण
15–	श्री लाल जी वर्मा	सार्वजनिक उद्यम
16–	श्री रवि गौतम	राजस्व
17–	श्री ठाकुर जयवीर सिंह	वन
18–	श्री बाबूराम एम० काम०	खाद्य एवं रसद
19–	श्री जगदीश नारायण राय	लघु उद्योग

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्रमांक	नाम	कार्य विभाग (पोर्ट फोलियो)
1–	डा० शीमा रिजवी	इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
2–	श्री अनीस अहमद खान उर्फ फूलबाबू	कृषि शिक्षा
3–	श्री अक्षयवर गौड़	होमगार्ड्स
4–	श्री राम भुआल (निषाद)	पिछड़ा वर्ग कल्याण

नेता विरोधी दल,

श्री मोहम्मद आजम खाँ

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', सदस्य, विधान सभा, (वाराणसी),
2–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ),
3–डा० सुरेन्द्र पाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा (बांदा),
4–श्री भगेलू राम, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर),
5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
6–श्री सीताराम निषाद, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद),
7–डा० वकार अहमद शाह, सदस्य, विधान सभा (बहराइच),
8–श्री श्याम सूरत उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद),
9–श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चौदहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
		लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
देवेन्द्र नाथ पाल, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
बाबू राम, एम०काम०,श्री	जालौन		
मदन भैया, श्री	बागपत		
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने के उपाय

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने और विद्युत चोरों को पकड़ने के लिये सरकार कोई अभियान चला रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

जी हां ।

विद्युत चोरी रोकने हेतु व्यापक कार्यवाहीं की जा रही है । विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कार्यवाही करने की बात कही है, कहा है विवरण मेरे कार्यालय में देखा जा सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि कुल कितने छापे प्रदेश भर में मारे गये और उनमें से कितनों को दोषी पाया गया, उनमें से कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही हुई है मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस छापे में क्या कोई अधिकारी पकड़ा गया अगर पकड़ा गया तो क्या रात में उसका मौके पर असिस्मेंट कर दिया गया है, असिस्मेंट जमा कराके उसको छोड़ दिया गया ? जबकि बहुत बड़ी चोरी उसके घर पकड़ी गई तो जिस प्रकार उसका असिस्मेंट कराकर छोड़ दिया गया क्या उसी तरह आम जनता को भी सुविधा दी जाएगी ? मौके पर कोई चोरी पकड़ी जाती है तो असिस्मेंट कराकर उसको दोषमुक्त कर दिया जाएगा ? उनके खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज नहीं होगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 3 लाख 27 हजार 935 कनेक्शन को चेक किया गया जिसमें से 5,729 में चोरी का मामला पकड़ा गया, जिनके ऊपर जुर्माना किया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने जानना चाहा है कि क्या कार्यवाही हुई एफ०आई०आर० दर्ज हुई ? मुकदमे दर्ज हुए ? क्या कोई बड़ा अधिकारी इन छापों में पकड़ा गया ? और उस अधिकारी का असिस्मेंट मौके पर रात में करके कथित जुर्माने की राशि जमा कराकर एफ०आई०आर० नहीं दर्ज की गई और जो वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं उनके नाम अखबार में दे दिए गए, और अधिकारी पकड़ा गया तो रात में असिस्मेंट कराकर जमा करा दिया गया तो क्या यह सुविधा आम जनता को देने पर विचार करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जो छापे मारे गए 2804 एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई । बाजपेयी जी ने जो छापे के बारे में कहा है उनको गलत सूचना है । उन्होंने कहा कि किसी बड़े अधिकारी, आई०ए०एस० का कनेक्शन काटा गया उनको गलत सूचना है । आई०ए०एस० की कोई चोरी नहीं पकड़ी गई । जिनके यहां बिल बकाया था उसको वसूल करने के लिए कार्यवाही की गई थी । और उसी रात जिस दिन कनेक्शन काट दिया गया करीब-करीब नब्बे प्रतिशत लोगों से पैसा जमा हो गया था और जो पैसा रह गया उसके लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, माननीय बाजपेई जी का जो मूल प्रश्न है वह यह है कि क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने और विद्युत चोरों को पकड़ने के लिए सरकार कोई अभियान चला रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या ? मान्यवर, विद्युत की चोरी कटिया लगाकर होती है और विद्युत की चोरी जो डिफेक्टिव मीटर हैं उससे भी होती है । मेरा सीधा प्रश्न है , लखनऊ में जो चायनीज इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाते हैं, जनता का यह कहना है और समाचार पत्रों में छप रहा है कि वह ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है । कोई बिजली का प्वाइन्ट नहीं जलते तब भी वह चलता है । तो मेरा प्रश्न है कि जो इलेक्ट्रानिक चायनीज मीटर है उसकी जगह भारत वर्ष में बने इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जो पहले मीटर लगा था उनमें शिकायत आती थी वह बन्द हो जाया करते थे । अब पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं । पूर्व में जो लगे थे उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी ।

श्री कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिजली की चोरी सबसे ज्यादा बिजली विभाग के इंजीनियर और लाइनमैन के कारण होती है और बड़े पैमाने पर तमाम नलकूपों और तमाम जगहों पर बिजली की चोरी करायी जा रही है और बगैर कनेक्शन के नलकूप चलाये जा रहे हैं । तो क्या कार्यवाही आप इस संबंध में करने जा रहे हैं ? इसके अलावा जो इलेक्ट्रानिक मीटर मैं लखनऊ के बालागंज की घटना है, का जिक्र कर रहा हूं । वहां पर जो इलेक्ट्रानिक मीटर लगे हैं वह दस

प्रतिशत से पैंतीस प्रतिशत तक की रीडिंग अधिक बता रहे हैं तो क्या उसकी जांच करवायेंगे तथा दोषी पाये जाते हैं तो उसको बदलवायेंगे ? और यदि ज्यादा रीडिंग बतायी है तो विद्युत उपभोक्ता को अगली दफा छूट देंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में स्वयं मैंने छापा मारा । मुरादाबाद में छापा मारा वहां के अधिकारी चोरी कराने में लिप्त पाये गये उन्हें तत्काल सस्पेंड किया । बुलन्दशहर में छापा मारा वहां के अधिकारी और कर्मचारी को चोरी कराने में हाथ पाये जाने पर जांच की । जांचोपरान्त कार्यवाही की । मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले बताया 2804 एफ०आई०आर० दर्ज कराई है और अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की । जहां तक मीटर की बात है । अगर वह सही नहीं है तो दूसरा मीटर लगाकर चैक करवा लेंगे ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने विद्युत चोरी रोकने के लिए जो प्रश्न बाजपेई जी द्वारा पूछा गया था उसके जवाब में बताया है कि "जी हाँ "। आज विद्युत चोरी सबसे ज्यादा इण्डस्ट्रियल स्टेट में हो रही है और हमारे कानपुर में दादा नगर उद्योग में रनिया क्षेत्र है । बिजली के कर्मचारी और अधिकारी मिले रहते हैं और उनके सहयोग से बिजली की चोरी होती है । कानपुर में कई उद्योगों पर भारी रकम बकाया है । इसके बाद भी कनेक्शन चलाये जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और जो चोरी हो रही है इसमें लिप्त हैं अधिकारी/कर्मचारी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि छापे मार रहे हैं ।

श्री राकेश सचान–

मान्यवर, बताया कि पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है । जहां भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो चोरी में लिप्त हो तो कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी राकेश सचान जी का यह कहना है कि इण्डस्ट्रियल स्टेट कानपुर में बहुत चोरी हो रही है उसका संज्ञान लें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, कानपुर में विशेष रूप से दिखा लेंगे ।

श्री विद्यासागर गुप्ता –

मान्यवर, जो मीटर खराब हैं लगभग सभी मीटर खराब होने की बात आ रही है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने कहां है कि जहां ऐसी शिकायतें होती हैं उसकी चेकिंग करा लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपनी कार्य योजना के बारे में बताया इनकी कार्य योजना जो है वह आधे मन से है और उसका दुष्परिणाम है कि आज बिजली विभाग में 50 प्रतिशत बिजली की चोरी हो रही है । अग़र हम 50 फीसदी विद्युत चोरी को 30 प्रतिशत या 25 प्रतिशत तक ले आयें तो हमको विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी नहीं करनी पड़ेगी । हमें यह सूचना है कि पहली नवम्बर से 47 प्रतिशत घरेलू बिजली की दर बढ़ने जा रही है और इसी तरीके से और दरें भी बढ़ने जा रही हैं इसका कारण यह है कि आपकी सरकार को 4 महीने से ज्यादा हो गये लेकिन हम पर्याप्त ध्यान नहीं दे पा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन 4 महीनों में आपका लाईन लास कितना कम हुआ है क्या आप बतायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, 4.78 प्रतिशत लाईन लास कम हुआ है 4 महीने में ।

मान्यवर, आप देखें मई में हमारा 33.07 था और जून में 32.16 पर आ गया है जबकि पहले 36.94 था ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, विद्युत इंसान की आज आवश्यकता बनती चली जा रही है और विद्युत चोरी होना यह एक गंभीर अपराध है । आप छापे मरवा रहे हैं लेकिन यह जो कटिया लगाकर या दूसरे माध्यम से चोरी हो रही है तो यह विभाग के लोगों की मिलीभगत के बिना चोरी नहीं हो सकती है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे पाये जायेंगे उनको आप सस्पेण्ड कर देंगे या कुछ दिन के लिए उनको कहीं अटैच कर देंगे या ट्रांसफर कर देंगे तो उससे उस चीज में कमी नहीं आ पाती है । तो मैं यह आश्वासन चाहूंगा कि जो चोरी करने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं यदि वे लिप्त पाये जायें तो चूंकि यह गंभीर अपराध है तो कोई ऐसी योजना बनायेंगे कि उससे यह संदेश जाये कि ऐसी चोरी में अगर अधिकारी कर्मचारी लिप्त हैं तो नौकरी से खत्म कर देंगे या इसको हीनियस क्राईम मानकर सजा देने की कार्यवाही करने का काम करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, यह बात सही है कि जितनी भी चोरियां हो रही हैं ऊर्जा विभाग में उनमें कहीं न कहीं कर्मचारी/अधिकारी लिप्त पाये जाते हैं । चोरी रोकने के लिये अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिये अब हमने कानून में संशोधन किया है । अब जो भी कर्मचारी/अधिकारी चोरी कराये जाने में लिप्त पाये जायेंगे उन पर 20 हजार रुपये दण्ड की व्यवस्था कानून में की गयी है ।

डा० अशोक बाजपेई–

मा० अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी रोकें इसमें हम सबका सहयोग है। सरकार इसके लिये जो भी अभियान चलाये हम सारे लोग इसके

लिये तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी रोकी जाये। यह एक संज्ञेय अपराध बनाया जाय लेकिन जो जीन्यून उपभेक्ता हैं जो समय पर बिलों का भुगतान करते हैं चाहते हैं कि हम हर माह बिलों का भुगतान कर दें वहां आपने चायनीज मीटर लगा दिये हैं जो बिजली बन्द भी हो तो भी चलता रहता है। मेरी यह सुनिश्चित जानकारी है कि चायनीज मीटर में जो रीडिंग आ रही है वह बढ़ा कर बताने का कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, बाहर से मीटर मंगाये गये जबकि हमारे यहां बीएचइएल जैसे संयंत्र लगे हैं क्या हम अपने देश में इलेक्ट्रानिक मीटर का उत्पादन नहीं कर सकते हैं जो चायना से मंगाकर लगा रहे है और वह गलत रीडिंग बता रहे हैं और उनको हम लगा रहे हैं तो क्या उन्हें हम अपने यहां बनाकर नहीं लगा सकते हैं। मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि दरें न बढ़ें बिजली दरों के लिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है सरकार ने उ०प्र० नियामक आयोग को बिजली की दरों को बढ़ाने के लिये अनुरोध पत्र लिख दिया है तो मैं जानना चाहता हूं कि नियामक आयोग से सरकार ने दरों की वृद्धि प्रस्तावित किया है तो यह दरें नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होंगी और कब से और लागू होंगी ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी पहले प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय बाजपेई जी ने चायनीज मीटर के बारे में कहा कि वह पहले से मीटर लगे चले आ रहे हैं और मुझे जहां तक जानकारी है पहले जो मीटर लगाये जाते थे उनमें चोरी करने का बहुत आसान तरीका था बटन दबाया मीटर चालू हो गया, बटन दबाया मीटर बन्द हो गया। अब जब इलेक्ट्रानिक मीटर लगा तो तमाम लोगों की चोरी बन्द हो गयी जो लोग चोरी करते थे उनको दर्द होता है और वह कोई न कोई शिकायत करते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं कोई शिकायत है तो हम दूसरा मीटर लगवाकर चैक करवा लेंगे और जो भी संशोधन होगा करा देंगे वैसे इलेक्ट्रानिक मीटर में कम ही शिकायत आ रही है।

डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

वह मैंने पहले ही कह दिया है।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं और करोड़ों रुपये बिजली का बिल बकाया है उनसे क्या राजस्व की भांति सरकार बिजली का बिल वसूलने पर कोई कार्रवाई कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप शायद देर से आये हैं आपने पहले ही बताया कि उसके लिये अभियान चलाया जा रहा है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, जो बिजली की चोरी का मामला है इसके कारण आवश्यकता के अनुसार लोगों को बिजली नहीं मिल रही है । और वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार घाटे में चल रही है और संसाधन जुटाने में अपने को अक्षम पा रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां एक तरफ विद्युत चोरी के कारण कुछ व्यवसायी लोग और अन्य लोग लाभ उठा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक वह मालामाल होते जा रहे हैं और उन्होंने अपनी आय का स्त्रोत जो ज्ञात है उससे कहीं अधिक उन्होंने सम्पति अर्जित कर ली है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिजली विभाग में जो नीचे से ऊपर तक अधिकारी/कर्मचारी हैं उनकी अर्जित आय की कोई आप जांच करायेंगे और अगर पाते हैं कि ज्ञात स्त्रोत से अधिक आय के द्वारा उन्होंने अकूत सम्पत्ति अर्जित की है तो देश में प्रचलित विधि व्यवस्था के तहत जब्त करने की कार्यवाही करायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय चौधरी साहब ने कहा कि चोरी कराकर धन अर्जित कर लिया गया तो जिन अधिकारी/कर्मचारी ने यह किया है, उनको लिखकर दे दें मैं जांच करा लूंगा और जांच के बाद कार्रवाई करूंगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं रेन्डम जांच की बात कह रहा हूं यह शिकायत पूरे प्रदेश की जनता जानती है । इससे जो इन्ट्रस्टेड अधिकारी/कर्मचारी हैं उन्होंने बड़ी-बड़ी कोठियां खड़ी कर ली है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश भर में हजारों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी हैं क्या हजारों की सम्पत्ति का सर्वे करायेंगे ? किसी विशेष व्यक्ति या अधिकारी के संबंध में सूचना हो तो दे दें वरना हजारों की संख्या में उनको सर्वे कराना पड़ेगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरी भावना यह है कि इस तरह से जो लोग अकूत सम्पत्ति अर्जित कर लिये हैं और दूसरी तरफ विद्युत विभाग लास में जा रहा है तो क्या यह ज्ञात करने के लिये कोई अभियान चलायेंगे ? जैसे विद्युत चोरी को रोकने का अभियान चला रहे हैं । वैसे ही इसका कोई अभियान चलायेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, विद्युत विभाग बहुत बड़ा विभाग हैं उसमें हजारों अधिकारी/कर्मचारी हैं और यह चिन्हित करना बड़ा मुश्किल है कि अमुक अधिकारी/कर्मचारी ने अकूत धन सम्पत्ति अपनी आय से ज्यादा अर्जित कर रखी है अगर माननीय सदस्य किसी की जांच कराना चाहते हैं तो बता दें हम जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि व्यापक तौर पर छापे का अभियान चलाकर करीब लाखों लोगों को छापा डाल कर पकड़ा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके छापे के दौरान कितने लाइट फैन कनेक्शन धारक और कितने 100 से लेकर 500 तक हार्स पावर कनेक्शन धारक पकड़े गये ?

श्री अध्यक्ष–

यह व्यापक प्रश्न है और उसके लिये ब्योरे की आवश्यकता होगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, मैं भी एक यूनिट का मालिक हूं और मैंने माननीय मंत्री जी के यहां एक एप्लीकेशन दिया है । मैंने सन् 98 में बिजली का डेढ़ सौ हार्स पावर का कनेक्शन लिया था वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझसे कहा कि पटेल जी वैसे ही चलाइये और मुझे 50 हजार रुपया दे दो । मैं उस समय विधायक नहीं था मैंने मना किया तो मान्यवर, चिढ़कर हमारा मीटर गुणांक 40 होना चाहिए 50 लिखकर हमारी गलत रीडिंग के आधार पर मुझसे साढ़े चार लाख रुपया वसूल किया । जब कम्प्लेन्ट किया जानकारी हुई तो 3 माह का हमारा बिल उसमें समायोजित किया गया और आज तक 3 लाख 90 हजार रुपया और हमारा इन्ट्रेस्ट स्वयं विभाग पर बकाया है जो बिजली का बिल बकाया रहता है उस पर मैं बिल देता हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस चोरी के घटनाक्रम में उनके जो परमानेन्ट हेल्पर हैं वह प्राइवेट हेल्पर रखे हुए हैं, जो परमानेन्ट जे०ई० हैं वह भी प्राइवेट जे०ई० रखे हुए हैं तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से छोटे-छोटे कर्मचारियों से लेकर अधीक्षण अभियन्ता और सहायक अभियन्ता मिल करके जो चोरी करते हैं और कई करोड़ों का धन अपने यहां इकट्ठा कर लिया है अगर उसकी जांच करवा लें तो पूर्वांचल का पूरा घाटा केवल बिजली की चोरी के काले धन से इकट्ठा हो जायगा ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, पटेल जी ने हमें कागज दिया था उस पर हमने जांच के आदेश दे दिये और जांच के बाद जो रिपोर्ट आयेगी उसके अनुसार हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है आप बैठ जाइये । और अपनी सूचना को लिख करके मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, हमारे जनपद में 50 सौ गांव ऐसे हैं जहां सालों से विद्युत ट्रान्सफार्मर खराब हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह अलग विषय है हमने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री मदन गोपाल वर्मा–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है और सारे फतेहपुर जनपद में करोड़ों रुपये की बिजली चोरी हो रही है और यह विभाग की मिलीभगत से हो रही है । क्या उस पर रोक लगायेंगे ? मेरे क्षेत्र में जे०ई० और एस०डी०ओ० तक इस चोरी में लिप्त हैं । वहां पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जिससे पावर हाउस नहीं चल पा रहा है । क्या मा० मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

नेता विरोधी दल (मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मा० सदस्य श्री पटेल जी ने जो अपनी समस्या बताई है और मंत्री जी ने कहां है कि हम जांच करा लेंगे मैं कहना चाहूंगा कि जब पटेल जो ने कई रोज पहले अपनी सूचना मंत्री जी को बता दी थी और यह शिकायत कई साल पहले की है और मा० सदस्य अब विधायक हो गये हैं उनको अभी तक न्याय नहीं मिला और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें फिर यह बात टाल देने की कोशिश कर रहे हैं। जब मा० सदस्य ने अपनी शिकायत से मंत्री जी को पहले ही अवगत करा दिया था तो इन्हें सोचना चाहिये था कि यह शिकायत सदस्य फिर कर सकते हैं । इसका प्रश्न फिर उठ सकता है तो मंत्री जी को इसका जवाब तैयार करके सदन में आना चाहिए था । और अगर यह सदस्य झूठ बोल रहे हैं तो ऐसे सदस्य को चुनकर यहां नहीं आना चाहिये और अगर इनकी शिकायत सही है तो यह मंत्री जी के लिये बहुत शर्म की बात है । मा० अध्यक्ष जी मैं आपका समर्थन चाहूंगा बहुत लोग चोरी करते हैं लेकिन क्या सिर्फ जनता ही चोरी के लिए पकड़ी जायेगी ? मान्यवर, हम भी सार्वजनिक जीवन जीते हैं, मीटर रीडिंग का आलम यह है कि मीटर तो बंद भी किया जा सकता है सिर्फ चाइना का इलेक्ट्रानिक मीटर लगा देने से बिजली चोरी को रोका नहीं जा सकता । मंत्री जी सोचते हैं कि इससे बिजली चोरी नही की जा सकती है लेकिन चोरों के पास इससे ज्यादा बिजली चोरी करने में सहूलियत होती है । इनके पहले जो सज्जन थे उनका नाम मैं नहीं जानता, उन्होंने अपनी बेटी की शादी में वीडियो ग्राफी करने के लिए । करोड़ रुपया खर्च किया, क्या यह उनकी ईमानदारी की कमाई थी । आप इसकी विजिलेंस से जांच नहीं करा सकते हैं क्योंकि यह बड़े ऊंचे तक पहुंच गया है । अध्यक्ष जी, मैं इतना संरक्षण जरूर चाहूंगा कि इस पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये । क्या मंत्री जी कल सदन में कहेंगे कि अगर विधायक की शिकायत सही है तो अधिकारी को जेल भेजा जायेगा । लेकिन मान्यवर, जब इतने वर्ष बाद भी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अब 24 घण्टे में मा० मंत्री जी क्या कार्यवाही कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य ने 1998 से शिकायत की तो मा० मंत्री जी ने कहा है कि हमने जांच के आदेश दे दिये हैं तो उसमें जांच में कुछ तो समय लगेगा 24 घण्टे में ऐसा करना संभव नही है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मा० अध्यक्ष जी मैं मा० मंत्री जी से 5 बार इस विषय पर मिल चुका हूं । लेकिन मंत्री जी ने हर बार कहा कि पूरे तथ्य देख लूंगा लेकिन आज तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई । तब मैंने आज यहां इस प्रश्न को उठाया वह भी बिजली का प्रश्न न उठता तो शायद मैं इसको उठाता भी नहीं । मेरे पास चिट्ठी है, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । जब मा० मंत्री जी ने कह दिया है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही करूंगा, तो वह इस पर जरूर कार्यवाही करेंगे ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, इन 4 महीनों में मैं कहना चाहता हूं कि .....

श्री मो० आजम खां–

मान्यवर, नरेश अग्रवाल का नाम ले लीजिये, कह दीजिये कि वह इसके लिये जिम्मेदार हैं ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, यह किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है हम सब की जिम्मेदारी है । आज जो प्रदेश में घोर संकट है ऊर्जा का

(व्यवधान)

अब आप सुन लीजिये, जब आपने मुद्दा उठा ही दिया है तो सुन भी लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मा० छोटे लाल जी, अभी मा० मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, उत्तर तो आ जाने दीजिये । कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री रामवीर उपाध्याय––

मा० पटेल साहब का जो प्रकरण है वह आज का नहीं 1998 का है । आपने जिस दिन मुझे पत्र दिया मैंने उसी दिन इसकी जांच के आदेश दे दिये थे । मान्यवर, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि नीचे के क्रम से लेकर अधिकारी तक बिजली की चोरी में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं , मैं जानता हूं इस बात को और इसें रोकने के लिये मान्यवर, युद्ध स्तर पर कार्यवाही की जा रही है । मैंने कानून को भी सख्त किया है हमने 20 हजार रुपये तक दण्ड देने की व्यवस्था की है । चाहे आम आदमी हो कर्मचारी हो या अधिकारी हो या अन्य कोई मा० सदस्य हो कहीं भी अनियमितता करते पकड़ा जायेगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । लेकिन हम बताना चाहते हैं जो हमने देखा है । जहां तक उद्योगपतियों की बात मैं बता रहा हूं, लाइट एण्ड फैन वाले तो कम चोरी कर रहे हैं लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं वह ज्यादा चोरी कर रहे हैं । हमने मुरादाबाद में छापा मारा, हिन्दुस्तान के एक्सपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष थे और उनके बारे में हमारे अधिकारियों ने बतलाया कि वह तो बहुत बढ़िया आदमी हैं उनके यहां सब ठीक मिलेगा । हमारे साथ एम०डी० थे और कई वरिष्ठ अधिकारी थे, डी०एम० और एस०पी० थे तो जो मुरादाबाद का सबसे बड़ा उद्योगपति था वह बिजली चोरी में लिप्त पाया गया । इसी प्रकार बुलन्दशहर में वहां के सबसे बड़े व्यापारी को चोरी करते मैंने पकड़ा और एक करोड़ 32 लाख रुपये की पेनाल्टी की । कई नेता हमारे सदन में मौजूद हैं वह हमसे

लड़ने के लिए आये । आज आम् आदमी को बिजली नहीं मिल पा रही है, शहरों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण चोरी कराने में ज्यादातर बड़े लोगों का हाथ है । बिजली कर्मचारी भी चोरी करवा रहे हैं इससे हम मना नहीं कर रहे हैं । हम जांच करवा रहे हैं और कार्यवाही कर रहे हैं । वरिष्ठ अधिकारियों से हमने विशेष अभियान चलाने को कहा है । फीडरवाइज जिम्मेदारी सौंपी है । 33 के०वी० फीडर पर जो बिजली हम दे रहे हैं उसमें मैंने कहा कि मुझे दिखाइये कहां चोरी हो रही है कार्यवाही हो रही है लेकिन मात्र चार महीने हुए हैं और यह व्यवस्था 55 साल से बिगड़ी हुई है । यह सभी की समस्या है और इस समय प्रदेश में घोर बिजली संकट है उसका समाधान तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर चोरी रोकने का प्रयास करें और रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास करें ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप माननीय मंत्री जी के कक्ष में अपनी बात कह लीजिएगा । और अपनी व्यक्तिगत समस्या रखियेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मेरी समस्या का माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । मैं 7 हजार रुपये महीने का पेमेंट करता हूं और आज की डेट में मेरे यहां बिजली विभाग का एक रुपया भी बकाया नहीं है और मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ब्याज सहित बिजली विभाग का पैसा जमा किया है । मेरे यहां से गलत तरीके से विभाग द्वारा 4 लाख रुपया ले लिया गया । इसकी मैंने कम्प्लेन्ट किया और अभी 15 दिन पहले माननीय मंत्री जी से कहा है । आज सदन में पूरे विश्वास के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि यदि मैं चोरी में पाया जाऊं तो जब तक इस विधान सभा की सदस्यता है, मैं इस विधान सभा में इन्टर नहीं करूंगा । मैं जानना चाहता हूं कि जो इस चोरी में लिप्त हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मेरा पैसा वापस कराने की आपने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी परीक्षण करवा रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, मुझे आपके द्वारा न्याय नहीं मिलेगा । मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मैं संसदीय कार्य मंत्री तथा लालजी वर्मा के माध्यम से मंत्री जी से मिला, मंत्री जी ने मुझसे कहा पटेल जी, मैं जांच करवा लेता हूं । मैं आज अपने पैसे के लिए मांग कर रहा हूं । उसमें किस चीज की जांच है ? एक नम्बर बुक–एकाउन्ट से मैंने एक लाख 95 हजार, एक लाख 18 हजार, 85 हजार का डिटेल भुगतान किया है उसको मैं बता रहा हूं । मैंने अपने लेटर में यह लिखा है कि जब मेरे साथ यह व्यवहार हो सकता है तो मैं जनता के बीच जाकर क्या जवाब दूंगा ? आज भी इस विषय में कुछ नहीं हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी व्यक्तिगत समस्या का उत्तर दे दिया गया । जांच के आदेश दे दिये गये । 1998 से आपकी समस्या है इसमें अभिलेखों को देखना होगा जहां कहीं संदेह होगा, स्पष्टीकरण मांगेंगे । आप कक्ष में जाकर पूरा ब्यौरा दे दीजिएगा । मैं निर्देश दे रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ध्यान देकर त्वरित गति से इनकी समस्या का निस्तारण करा दें । जब तक परीक्षण नहीं होगा तब तक कैसे होगा । आप अपने को मंत्री जी की पोजीशन पर रखकर देखिए ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक दृष्टान्त दे रहा हूं, एक गरीब आदमी जो अनुसूचित जाति का है, झोपड़ी में रहता है, इलेक्ट्रानिक मीटर लगा हुआ है, वह पहले भी अपना बिल अदा करता था आज जब इलेक्ट्रानिक मीटर लगा है तब भी अदा कर रहा है । उस गरीब आदमी का 26 हजार रुपये का अलग से बिल आ गया है । मैंने खुद चीफ इन्जीनियर को फोन किया, चीफ इन्जीनियर ने कहा कि मीटर रीडर ने जो कुछ लिख दिया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते । मीटर रीडर गरीब आदमी से कुछ पैसा चाहता था लेकिन वह गरीब आदमी पैसा दे नहीं सका । उसके घर पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगा हुआ है । मान्यवर, जब तक आद्योपान्त सुधार नहीं करेंगे तो पेबन्द लगाने से काम नहीं चलेगा । एक माननीय विधायक की बात आयी, इसी तरह से पूरे विभाग में है, आपका दोष नहीं दे रहा हूं, कहीं टाइम पर बिल नहीं जाता है तो क्या इसका कोई सुधार करेंगे ? क्या जांच करवाकर इसमें कार्यवाही करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उसका नाम पता तो बता दीजिए ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य लिखकर दे दें मैं इसकी जांच करा लूंगा और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । इस सदन में कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जो पूर्व में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं जरा उन सबके साथ बैठक कर लीजिए, बहुत सी अन्दर की बात बता देंगे ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में थर्मल पावर तथा जल विद्युत की उत्पादन क्षमता एवं आवश्यकतानुसार उत्पादन हेतु कार्य योजना

*1–कुं० रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में थर्मल पावर तथा जल विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा उनसे कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ? प्रदेश में कुल कितने मेगावाट

विद्युत की आवश्यकता है ? प्रदेश में आवश्यकता के अनुरूप विद्युत उत्पादन हेतु सरकार कोई कार्य-योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

उ० प्र० में थर्मल पावर की उत्पादन क्षमता 3909 मे०वा० तथा जल विद्युत की 516.5 मे०वा० है । औसतन 2400–2600 मे०वा० थर्मल तथा लगभग 100 मे० वा० जल विद्युत उत्पादन है ।

प्रदेश में औसतन 5800–6000 मे०वा० की आवश्यकता है ।

जी हां ।

विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :–

1–दसवीं पंचवर्षीय योजना में 2x500 मे०वा० अनपारा सी ताप परियोजना तथा 2x210 मे०वा० पारीछा विस्तार के निर्माण की योजना है ।

2–विद्युत गृहों में अधिकाधिक विद्युत उत्पादन हेतु रिफर्विशमेंट/आर० एण्ड एम० योजनायें बनायी गयी है, जिनमें ओबरा "ब" तथा "अ" विद्युत गृह शामिल है ।

3–पनकी ताप विद्युत गृह की चार आर० एण्ड एम० योजनाओं का कार्य प्रगति पर है ।

4–हरदुआगंज ताप विद्युत गृह इकाई सं०–5 एवं 7 में ई०एस०पी० लगाने की योजना ।

5–पारीछा विद्युत गृह में अतिरिक्त आर० एण्ड एम० कार्यों की योजना ।

6–निजी निवेश कर्ताओं द्वारा 567 मे०वा० रोजा परियोजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है ।

7–जल विद्युत निगम द्वारा जनपद सहारनपुर में वेल्का (30 मे०वा०) एवं बबैल (30 मे०वा०) लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो गया है ।

8–जनपद झांसी में बेतवा नहर पर 3.6 मे०वा० क्षमता की शीतला लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(इस समय 11 बजकर 43 मिनट पर श्री अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी पीठासीन हुए ।)

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, एक कार्य योजना के बारे में इन्होंने बता दिया । मान्यवर, आज प्रदेश में 1500–1600 मेगावाट बिजली की कटौती हो रही है । माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि बिजली की कटौती कब तक जारी रहेगी ? आपने बिजली की कमी को पूरा करने के लिये जो कार्य योजना बनायी है उसको आप देखने का कष्ट करें । आपने कहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में आनपारा–सी के लिए जापान से बात कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है जापान ने भारत द्वारा अणु बम विस्फोट करने के बाद भारत पर प्रतिबन्ध लगा रखा है लिहाजा जापान इस योजना के लिए धन नहीं दे रहा है । डी०आई०सी० बैंक ने आनपारा–सी को सातवीं प्राथमिकता पर रखा है पता नहीं उससे कब पैसा मिलेगा ? मान्यवर, मैं सभी प्रश्न एक साथ कर लूं या अलग-अलग करूं ? मंत्री जी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आनपारा–सी के लिए माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि जापान ने मना कर दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पिछले महीनों जापान के राजदूत से मिला था। माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य मंत्री जी ने बात की है और लिखित भी दिया है। मुख्य मंत्री जी ने भारतीय ऊर्जा मंत्री जी से बात की है। मैंने भी स्वयं बात की है। करीब 15 दिन पहले जापान की टीम यहां आई थी वह सर्वे कर के ले गयी है। कार्य प्रगति पर है हम तेजी से लगे हैं। कल भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव आये थे उनसे कल मैंने आनपारा–सी तथा अन्य योजनाओं के बारे में बात की है। तो मान्यवर, कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी ही इस कार्य को चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कार्य प्रगति पर है मगर यह कार्य कब शुरू होगा और कब खत्म होगा वह मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं। ओबरा के नवीनीकरण के बारे में मंत्री जी ने कहा है कि उसके लिए टेण्डर किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि टेण्डर कब किया गया उसकी क्या पोजीशन है ? क्या जो सारे टेण्डर हुये हैं वह रिलीज कर दिये गये हैं ? मान्यवर, पारीक्षा तथा हरदुआं गंज के बारे में इ०एफ०सी० ने स्वीकृति नहीं दी है। इसी तरह जो रोजा की बात है वहां पर रेल और कोल विभाग से आज तक समझौता नहीं हो पाया है। इस परियोजना के बारे में जब राम प्रकाश गुप्त जी मुख्य मंत्री थे वह बम्बई गये थे तो कुछ आश्वासन दिये थे क्या उन आश्वासनों को पूरा कर दिया गया है ? मा० मंत्री जी जो सदन को सूचना दे रहे हैं उसमें एक भी सूचना सही नहीं है। आज पूरा प्रदेश गम्भीर विद्युत की कमी से जूझ रहा है। मैं इसमें केवल आपकी ही जिम्मेदारी नहीं मानता हूं, सबकी जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में 5 साल के अन्दर बिजली कटौती किसी कीमत पर खत्म नहीं हो सकती है यह मेरा दावा है। मैंने अभी जो प्रश्न पूछे हैं आप इनका जवाब दे दें।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, रेवती रमण सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने यह आरोप लगाया कि मैं कोई गलत सूचना दे रहा हूं। मेरे सब संज्ञान में है। मैं चार महीने से मंत्री हूं जो स्थिति बिजली विभाग की हुई है मैं ही जिम्मेदार नहीं। मैं चार महीने से सुधार कर रहा हूं। 50 सालों में जो हुआ है। जहां तक आनपारा–सी की बात है जी०बी०आई०सी० में हमने जो प्रार्थना-पत्र दिया था लोन के लिए हमारी अर्जी को जापान सरकार के इस बैंक ने स्वीकार कर लिया है। 24-25 जुलाई में स्वीकार किया है। जहां तक पारीक्षा की बात है पारीक्षा भी अन्तिम चरणों में है। मुख्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा किया जाए। 50 मेगावाट की ओबरा की जो 5 इकाई हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 200–200 मेगावाट की जो आनपारा में पांच इकाइयां हैं उनके जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है टेंडर की सूचना में बाद में भिजवा दूंगा कि किस दिन टेंडर हुआ है। हमने इन योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। रोजाना कार्यवाही हो रही है। कल भी भारत सरकार के सचिव आए थे उनसे भी पारीक्षा और आनपारा–सी के बारे में बात हुई 200 मेगावाट की जो पांच इकाई हैं उनके जोर्णोद्धार पर बात हुई।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मंत्री जी हमारे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं । हमारे संज्ञान में है यह क्या बात हुई ? मंत्री वह हैं मैं नहीं । मैं भी ऊर्जा मंत्री था मेरे समय में पारीक्षा, मेरे समय में आनपारा और मेरे समय में टाण्डा जहां के लाल जी वर्मा मंत्री हैं यह तीन परियोजनाएं शुरू हुईं । तीन परियोजनाओं में एक परियोजना अभी अधर में लटकी हुई है । वह भी नहीं बता पा रहे हैं । नवीनीकरण का काम कब से शुरू हुआ ? आनपारा–सी को कब तक शुरू कर पाएंगे ? टेंडर कब हुआ कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में है और मैंने थोड़े टेंडर डलवाएं । मंत्री आप हैं । पूछ हमसे रहे हैं । हमारे प्रश्न का ठीक जवाब दो । न हो तो बता दो ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

टेंडर जो 50 मेगावाट की पांच इकाइयां हैं उनका टेंडर नवम्बर, 2001 में हुआ है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मूल प्रश्न पूछा था कि क्या माननीय ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थर्मल पावर और जल विद्युत की क्या स्थिति है, आज कितना इनका उत्पादन हो रहा है ? उत्तर आया था कि 3909 मेगावाट और 516.5 मेगावाट है । इसी का दूसरा प्रश्न था कि प्रदेश में औसतन कितनी बिजली की आज आवश्यकता है ? मंत्री जी ने बताया कि आज 5500 से 6000 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है । यह जो अंतर है आपकी आज की आवश्यकता और आज के उत्पादन में वह 1 और 2 का अनुपात है । आज स्थिति यह है कि आप अपनी आवश्यकता की आधा बिजली का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं । नवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का काम नहीं हुआ है न थर्मल पावर में न हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम अपनी आवश्यकता का आधा उत्पादन कर पा रहे हैं । आवश्यकता आपकी दिनों दिन बढ़ने वाली है । अगली कार्य योजना के बारे में पूछा गया तो आपने 5-6 कार्य योजनाओं के बारे में बताया । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं में से कितनी यथार्थ हैं और कितनी कागजी हैं ? इन योजनाओं के बारे में पूर्व वर्षों में जो भी मंत्री रहे हैं, इन सारी तमाम योजनाओं का जिक्र करते हैं पर हम वह दिन देखना चाहते हैं जब कोई नयी थर्मल यूनिट उत्पादन शुरू करे और यह कहा जाय कि 100 मेगावाट यूनिट उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षमता में वृद्धि हुई है । जिन परियोजनाओं का जिक्र किया गया है उसमें आनपारा–सी के बारे में कहा गया है । मेरा स्पैसिफिक प्रश्न है कि आनपारा–सी में कब से काम शुरू हो जायेगी ? वह कब से कमीशन होकर उत्पादन शुरू करेगी ? दूसरा जो मैंने जानना चाहा है कि राज्य में जो थर्मल पावर स्टेशन लगने हैं उसकी क्या स्थिति है ? क्योंकि वह निजी क्षेत्र में लग रहे हैं, वह अपनी तरह का प्रयोग है । जिनसे आपने लैटरें आफ इनटेन्ट जारी किया, उसकी क्या शर्तें थीं ? क्या वे उन शर्तों पर लगाने के लिये तैयार हैं कि नहीं ? इसमें क्या प्रगति हुई है ? एक और प्रश्न मैं दूसरी परियोजना पारीक्षा और आनपारा "ए" और "बी" की है, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये नई यूनिट लगाने के सम्बन्ध में करना चाहता हूं कि वे कब तक प्रारम्भ हो जायेंगीं और वे कब तक उत्पादन शुरू कर देंगीं । आपके समक्ष केवल 9 महीने मार्च, 2003 तक का समय है । तब तक आप प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता में कितनी वृद्धि कर देंगे । एक प्रश्न मेरा आपसे और है और वह तात्कालिक भी है कि आज विद्युत की इतनी आवश्यकता के बाद भी निरन्तर विद्युत कटौती हो रही है । तीन दिन पहले प्रबन्ध निदेशक ऊर्जा का बयान मैंने पढ़ा था कि एन०टी०पी०सी० का 11 हजार करोड़ रुपये बाकी था उसमें से काफी अदा कर दिया गया है कुछ शेष रह गया है उसकी किश्तें बन गई हैं । उसके बाद वहां से हमको मिलना शुरू हो जायेगा । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कब तक विद्युत कटौती समाप्त हो जायेगी और कब तक बिजली मिलने लगेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को बने मात्र चार महीने हुए हैं । किन परिस्थितियों में प्रदेश हमको मिला है, यह पक्ष और विपक्ष में बैठे सभी माननीय सदस्य जानते हैं, यह किसी से छिपी बात नहीं है । यह किसकी जिम्मेदारी है, यह कहने की जरूरत नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । माननीय बाजपेई जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है । चाहे आनपारा ''सी'' की बात हो, पारीक्षा की बात हो चाहे पुराने पावर हाउस के जीर्णोद्धार की बात हो । आज यह कहना कि हम फलाने सन् में जाकर काम पूरा कर लेंगे, यह मुश्किल काम है । हम यह बता रहे हैं कि जहां तक आनपारा ''सी'' की बात है इसमें 24-25 जुलाई में जापान सरकार के अधिकारी यहां आये थे । हमारे अनुरोध पर आये थे प्रधान मंत्री जी से माननीय मुख्य मंत्री जी ने बात की थी उनसे बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है कल भी इस प्रकरण पर बात हुई, भारत सरकार के ऊर्जा सचिव के साथ हमारे अधिकारियों की । जहां तक पारीक्षा की बात है इसकी कार्यवाही अंतिम चरण में है । बी०एच०एल०ए० से बात हो चुकी है मान्यवर, अगले महीने में लेते हैं तो आनपरा सी के लिए पांच साल चाहिए । 60 महीने चाहिए । पारीक्षा के लिए भी 4 साल चाहिए लेकिन 4 साल बहिन मायावती जी की सरकार को प्रदेश की जनता याद करेगी कि आनपारा–सी किसके प्रयास से लगा, पारीक्षा किसके प्रयास से लगा । बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है लेकिन अंतिम चरण में अब हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं । रोजा के बारे में अभी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है मुझे नहीं लगता है कि पी०पी० 24–9–98 में हुआ होगा । अभी फाइनेन्शियल क्लोजर नहीं हुआ हैं । सुरेश खन्ना जी ने अभी चिन्ता व्यक्त की थी मैं कहना चाहूंगा कि कोल इण्डिया का एग्रीमेण्ट नहीं हुआ है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

एन०टी०पी०सी० से कब तक बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

एन०टी०पी०सी० से बिजली मिल रही है । आज धन का अभाव है । शेयर 55 मिलियन यूनिट है । 50 मिलियन यूनिट तक लिया है । 135–140 मिलियन यूनिट होना चाहिए । बीस मिलियन यूनिट की कमी है । 60 मिलियन यूनिट हम जनेरेट करते हैं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो कार्य योजना दी गयी है उसके बारे में मैंने पूछा था । प्रदेश को जिन हालात में इन्हें टण्डन जी ने सौंपा है इसकी शिकायत हमारी तरफ नहीं कर सकते हैं, साढ़े पांच वर्ष टण्डन जी ने प्रदेश को संचालित किया उसके बाद बहन जी को सौंप दिया । मेरा कार्य योजना के बारे में प्रश्न पूछने का औचित्य यह है कृपया बतायेंगे कि विद्युत संकट से प्रदेश कब तक निजात पायेगा ? औद्योगिक क्षेत्र में यदि आप प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विद्युत का उत्पादन बढ़ाना होगा । इन्होंने जो कार्य योजनायें बतायी हैं यह प्रतिवर्ष छप रही हैं मंत्री जी ने एक भी कार्य योजना की समय सीमा नहीं बतायी है । जब कोई कार्य योजना अंतिम रूप से स्वीकार करते हैं तो उसकी समय बद्धता

होती है। कितनी उसकी समय सीमा होगी ? कहां से वित्त पोषित होगा ? इन सब चीजों के बारे में रहता है लेकिन यह सारी कार्य योजनायें कागजों पर हैं। मूर्त रूप में कोई कार्य योजना स्वीकृत नहीं हुई है। तो यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन माह में, 6 माह में कोई समय सीमा तो होगी कि कर देंगे। आनपारा''सी'' को कहां से फाइनेंस किया जायेगा, रोजा में बताया नहीं कि कौन लगायेगा, निजी क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में लगायेंगे। इसी तरह से अन्य परियोजना के बारे में हैं। इस अभूतपूर्व संकट में कोई ऐसा उत्तर दें जिससे हम लोगों को संतोष हो।

श्री रामवीर उपाध्याय ·

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं परीक्षा के बारे में बता चुका हूं कि अन्तिम चरणों में है। पिछले हफ्ते बी०एच०ई०एल० के अधिकारियों से बात हो रही है। दसियों साल से यह योजना चल रही है तब नहीं सोचा गया। अब हम अन्तिम चरणों में ले आये हैं।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय उर्जा मंत्री जी ने बताया कि थर्मल पावर उत्पादन क्षमता 3909 मेगावाट तथा जल विद्युत की 516.5 मेगावाट है। औसतन 2400 से 2600 थर्मल तथा लगभग 100 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन है। जो कि बीस प्रतिशत हो रहा है। तो दोनों माध्यमों से थर्मल और जल विद्युत प्रदेश के अन्दर कितना उत्पादन किया गया है ? यह उत्पादन इतना कम क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं ? और जैसा कि बाजपेई जी के उत्तर में बताया है कि विद्युत की आवश्यकता है अट्ठावन सौ से छः हजार मेगावाट की लेकिन उसके विरुद्ध जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वह पच्चीस सौ मेगावाट तो इस अन्तर को पूरा करने के लिए क्या कार्य योजना बनायी ? कब तक का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश में विद्युत समस्या का समाधान हो सके ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। लेकिन गौर साहब की संतुष्टि के लिए बता दूं। ओबरा में दो नम्बर तथा आठ नम्बर, हरदुआगंज में एक तथा पांच नम्बर, पनकी में दो नम्बर इकाई बंद है, तो इस तरह से 2600 मेगावाट बिजली मिलती थी वह बन्द है। इस समय हम 60 मिलियन यूनिट हम बना रहे हैं। पैंतालिस पचास मिलियन यूनिट हम आयात कर रहे हैं। इस तरह से 105 तथा 110 मिलियन यूनिट हम ले पा रहे हैं और आवश्यकता है एक सौ पैंतीस तथा एक सौ चालीस यूनिट की। तो पच्चीस से तीस मिलियन यूनिट की हमें और आवश्यकता है। इसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं और अन्तिम चरणों में पहुंच गये हैं। आनपारा ''सी'' रोजा मैं बताना चाहूंगा जापान सरकार के एम्बेसडर....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि थर्मल पावर और हाइड्रो पावर की क्षमता क्या है, उत्पादन कितना हो रहा है और इसके अन्तर का कारण क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, कुल 6 इकाइयां बन्द हैं। ओबरा की दो नम्बर तथा आठ नम्बर, हरदुआगंज की एक तथा पांच नम्बर व 6 नम्बर पनकी की दो नम्बर इकाइयां बन्द हैं। इसलिए यह अन्तर हो रहा है। मान्यवर, इन जगहों पर पिछले 7 वर्षों की अपेक्षा उत्पादन मेक्सिमम हो रहा है।

श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विद्युत उत्पादन के सिलसिले में अपना जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी इकाइयां विद्युत उत्पादन करती हैं और अभी पूर्व में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सभी जिलों में विद्युत की चोरी रोकने के लिए तमाम उपाय बतायें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जनपदों में आवंटित विद्युत की चोरी रोकने की जिम्मेदारी जिले के अधिकारियों को देने का काम करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री छोटे लाल यादव–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित है। इसमें विद्युत उत्पादन की बात कही गयी है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में और मांग के क्षेत्र में जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहां कि उसमें बहुत अन्तर है। 6 विद्युत इकाइयां बन्द हैं। बिजली की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 6 बन्द इकाइयां हैं इनको चलाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और इनको कब तक चलाया जायेगा ? और इसमें कितने करोड़ रुपये का व्यय होगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जितनी इकाइयां इस समय बन्द हैं जैसे जो ओबरा की इकाई बन्द है उसके भी जीर्णोद्धार की कार्रवाई हो रही है। इसके लिए 5 मेगावाट की इकाइयां हैं टेक्नोक्रेक फर्म के लिए 2000 में टेण्डर 324 करोड़ रुपये का हुआ है। जो 200 मेगावाट की 5 इकाइयां हैं उसको टेण्डर बी०एच०एल० को 640 करोड़ रुपये का हुआ है।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कितने वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगी और उन पर कुल कितना करोड़ रुपये का खर्चा आएगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें 324 करोड़ और 640 करोड़ रुपये को मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जो कि वरिष्ठ सदस्य हैं के उत्तर में उन्होंने कहा कि जो हमारी इकाइयां हैं उनकी उत्पादन क्षमता 30 प्रतिशत है और जो कि 20 प्रतिशत रह गयी है । मैं यह बताना चाहता हूं कि ओबरा हरदुआ में हमारी जो इकाइयां हैं या जो अन्य जगह पर हमारी इकाइयां हैं उनकी क्षमता की समय सीमा रहती है । इनमें जो लगी हुयी मशीनें हैं उनकी समय सीमा होती है कि इतने समय में उन मशीनों को बदल दिया जाना है । और बदल देने से उनकी क्षमता का सही उत्पादन होता रहता है । हमारे यहां जो इकाइयां हैं उनको केवल ठेकेदारी प्रथा से दे दिया जाता है और हमारे यहां ठोक-पीटकर चलाने की एक प्रथा सी चल गयी है । इसी वजह से हमारी जो इकाइयां है उनमें अकसर उत्पादन बन्द रहता है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई नीति बनेगी इन इकाइयों के लिए कि यह ठेकेदारी की प्रथा समाप्त की जाय । जो मशीनें खराब हैं उनकी मरम्मत का काम सही तरीके से समय पर करा कर उनका सही उत्पादन किये जाने की कोई व्यवस्था की जाएगी । क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, जितनी परियोजनाओं पर हमारा काम होता है वह बी०एच०एल० से करवाया जाता है । यह तो पहले से ही भारत सरकार से बी०एच०एल० से कराया जाता है ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि जो ठेकेदार होते हैं वह कमीशन पर इसको लेते हैं । और सही काम न होने के कारण से हमारी इकाइयां बन्द रहती हैं । मैं शासन से पूछना चाहता था कि यह सरकार कोई नीति बनाएगी इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ तो उससे हमारा क्या कोई समझौता हुआ था कि वहां जो इकाइयां लगी हुयी हैं उससे हमें कितनी बिजली मिलेगी ? वह समझौता क्या था और उसमें उत्तरांचल ने हमें कितनी बिजली देने की बात कही । क्या दिल्ली को आपूर्ति करना उसने बन्द कर दिया है । और हमारे साथ जो समझौता हुआ था उसका क्या हुआ ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। अगर कोई सूचना होगी तो मैं देख लूंगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो जल संस्थान की समस्या है यह केवल एक जल संस्थान की समस्या नहीं है यह पूरे प्रदेश के जितने भी जल संस्थान हैं वहां पर जलापूर्ति विद्युत कटौती के कारण नहीं हो पा रही है। जल की सप्लाई की जिम्मेदारी शासन की है। यह जो विद्युत में लो वोल्टेज की समस्या है मैं उसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल संस्थान के पम्पों को चलाने के लिए जनरेटर लगाने के लिए मैंने जो वैकल्पिक व्यवस्था में जनरेटर लगाने की बात कही है क्या सरकार इस पर कोई निर्णय ले रही है ?

जनपद वाराणसी के जल संस्थान के पम्पों को चलाने हेतु जनरेटर सेट

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विद्युत कटौती, आपूर्ति में व्यवधान तथा लो-वोल्टेज के कारण जल संस्थान, वाराणसी के पम्पों द्वारा पूरी क्षमता से जलापूर्ति न कर पाने के कारण नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जल संस्थान के पम्पों को चलाने के लिए जनरेटर सेट उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास,नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास पशुधन तथा वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां।

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–114(7) के अन्तर्गत निगम जलकलों का प्रबन्धन एवं संधारण तथा पर्याप्त जल संभरण के लिये नये कार्यों का निर्माण नगर निगमों का कर्तव्य है। जल संस्थान के पंपों को चलाने के लिये जनरेटर सेट की व्यवस्था नगर निगम वाराणसी को अपने संसाधनों तथा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से कराया जाना होगा। शासन द्वारा अलग से धनराशि दिया जाना वर्तमान में संभव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

इसकी कितनी लागत होगी ? और उसके लिए धन की व्यवस्था कराने की माननीय मंत्री जी व्यवस्था करेंगे ? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं।

मान्यवर, 74वें संशोधन के बाद जो जलापूर्ति करने में उनकी व्यवस्थाओं पर जो व्यय होता है वह सम्बन्धित निकाय को करना होता है। शासन के पास अभी इसकी कोई योजना नहीं है कि इस सबको यह उपलब्ध करा सकें। जल संस्थान के पम्पों को चलाने के लिए जनरेटर सेट की व्यवस्था नगर निगमों को तथा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से कराया जाना होगा। शासन द्वारा अलग से रुपये की व्यवस्था किया जाना संभव नहीं है। आपका कहना है कि इसमें जनरेटर की व्यवस्था की जाय इसमें 12 करोड़ के लगभग रुपया खर्च होगा। और इसके मेन्टेनेन्स में जो खर्च आएगा वह अलग होगा यह बात है।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, लखनऊ में जहां-जहां ओवर हेड टैंक बने हुए हैं और बिजली के न आने से ट्यूब वैल नहीं चल पाते हैं और पानी की सप्लाई में व्यवधान पैदा होता है तो जहां ओवर हैड टैंक हैं उनके ट्यूबवेल जो लगे हुए हैं वहां पर जेनेरेटर लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, शासन की कोई योजना नहीं है वहां पर जो विद्युत की दिक्कत बताई जा रही है तो वह संकट थोड़े दिन का है और जब यह ठीक हो जायेगा तो सुविधा हो जायेगी। मान्यवर, दोहरी व्यवस्था करने से उसके लिए संसाधन चाहिए तो वे अगर वहां के निकाय व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लें कोई शासन को आपत्ति नहीं है। लेकिन शासन नहीं कर पा रहा है।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, महानगर जितने हैं वहां समस्या आती है अब ओवरहेड टैंक बन नहीं रहे हैं और बिजली गयी तो पानी चला गया तो सरकार द्वारा कुछ पैसा खर्च करके अगर जेनरेटर की व्यवस्था कर दी जाये तो पानी जैसी आवश्यक चीज उपलब्ध हो जायेगी तो क्या इस तरह की व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, उसके लिए संसाधन जुटाना सरकार के बस में नहीं है केवल बनारस के लिए 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और रिकरिंग खर्च अलग होगा। मान्यवर, अगर केवल 11 कारपोरेशन सिटी को ले लिया जाये तो इससे कहीं ज्यादा खर्चा-और पापूलेशन वाली शहरों में होगा। मान्यवर, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां से उसके संसाधन का प्रबन्ध किया जाये इसलिये शासन के यह विचाराधीन प्रश्न नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

नोट :–नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

*3–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[6 ठें शुक्र के लिए स्थगित]

लखनऊ में गोमती नदी के जल को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय

*4–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के नागरिकों को जल उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत गोमती नदी है ? यदि हां, तो क्या गोमती नदी के प्रदूषित जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

गोमती नदी के प्रदूषित जल को प्रदूषित मुक्त करने के लिए नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर में गोमती नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु योजना बनाई गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के पशु चिकित्सा केन्द्रों पर कतिपय शुल्कों में की गयी वृद्धि को वापस लेने की मांग

*5–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि सचिव, पशुपालन द्वारा निदेशक, पशुपालन को पत्रांक सं०–3519/12-4-99–2000, दिनांक 29 जनवरी, 2000 में आदेशित किया है कि आगामी अप्रैल, 2000 से पशु चिकित्सा केन्द्रों पर किसानों के पशुओं की चिकित्सा के लिए पंजीकरण शुल्क, बधियाकरण शुल्क, गर्भाधान शुल्क आदि को दस गुना बढ़ा कर वसूल किया जाये ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त आदेश को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पशुओं की चिकित्सा के लिए पंजीकरण बधियाकरण, गर्भाधान आदि शुल्क बढ़ाया गया था । पुनः चिकित्सा पंजीकरण शुल्क को शासनादेश संख्या–3640/12-प–2-2000-30(3)/99, दिनांक 10 जनवरी, 2001 से संशोधित करते हुए कम कर दिया गया ।

निरन्तर मूल्य वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए लेवी में वृद्धि की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रदेश के अर्थोपाय को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ाये गये लेवी शुल्क को वापस किया जाना उचित नहीं है ।

जनपद आगरा तथा मथुरा में यमुना नदी के पानी को प्रदूषण मुक्त करने के उपाय

*6–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा तथा मथुरा में यमुना नदी का पानी विषैला होने के कारण नदी के जीव-जन्तु एवं मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके बचाव के लिए कोई कारगर योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । आगरा तथा मथुरा में यमुना नदी का पानी विषैला नहीं है । नदी के जीव जन्तु एवं मानव जीवन को खतरा नहीं है ।

यमुना नदी के जल को प्रदूषण मुक्त करने हेतु यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत आगरा एवं मथुरा नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्य कराये गये हैं ।

उक्तानुसार ।

प्रदेश में विद्युत वितरण प्रणाली सुधारने एवं ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशनल लास रोकने हेतु स्वीकृत परिव्यय की जानकारी

*7–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत संकट से उबारने के लिए केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेन्ट एण्ड रिफार्म्स प्रोग्राम के तहत कितने शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली सुधारने एवं ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लास रोकने के लिए चयन किया गया है तथा इसके लिये कितना परिव्यय स्वीकृत हुआ है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम के अन्तर्गत तीन नगरों, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर की वितरण प्रणाली सुधारने एवं मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, गोरखपुर एवं देवरिया नगर के ट्रान्समिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लास रोकने के लिये चयन किया गया है ।

उक्त मद के लिये रु० 149.93 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत हुआ है ।

जनपद रायबरेली के ग्रामीण अंचलों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

*8–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार सूखे की स्थिति को देखते हुए फसल की बुआई हेतु विद्युत आपूर्ति की कोई विशेष व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद रायबरेली के ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 08 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घंटे से अधिक आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है ।

*9–डा० लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[6ठे शुक्र के लिए स्थगित]

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग

*10–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के खिलाड़ियों को राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्राप्त करने पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या एकल खेलों में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश (उ० प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती नियमावली 2002 के नियम–5(3) (ग) में उनके खेल के स्तर के अनुसार चयन में अंक देने का निम्नानुसार सुविधा प्रदान की गई है–

(1) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए 05 अंक ।

(2) राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के लिए 04 अंक ।

(3) राज्य स्तर के खिलाड़ी के लिए 03 अंक ।

(4) विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर के खिलाड़ी के लिए 02 अंक ।

माननीय विधायकों की संस्तुति पर गांवों में विद्युतीकरण की योजना

*11–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मा० विधायकों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में 5-5 ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब से लागू करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*12–श्री उदय राज–

[दिनांक 23-8-2002 को नत्थी 'क' के तारां० प्र० सं०–1 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में सूखे की समस्या के समाधान हेतु अतिरिक्त बिजली दिये जाने की मांग

*13–श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सूखे को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को उनकी खरीफ की फसल की बुआई एवं सिंचाई हेतु अतिरिक्त बिजली दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घंटों के अतिरिक्त आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है ।

प्रदेश में नगरी निकायों में गृह कर निर्धारण की प्रक्रिया

*14–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगमों द्वारा गृह का वार्षिक मूल्यांकन दर के स्थान पर मासिक मूल्यांकन दर पर किया जा रहा है, जिसके कारण वार्षिक मूल्यांकन 12 गुना अधिक हो रहा है ? क्या इस बढ़ोत्तरी को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नगरीय निकायों में सामान्य कर निर्धारण की वर्तमान प्रक्रिया में मनमानेपन की सामान्य शिकायतों को दूर कर कर निर्धारण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं वस्तु परक बनाने के उद्देश्य से उ०प्र० नगर निगम (सम्पत्ति कर नियमावली–2000) प्रख्यापित कर नगर निगमों में लागू की गयी है । जिसमें अध्यासी द्वारा अपने गृह का गृहकर निर्धारण हेतु वांछित सूचनायें स्वयं भरकर दी जाती हैं । शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि आवासीय इकाइयों पर देय कर की धनराशि पूर्व निर्धारित कर की धनराशि के दुगने से अधिक न रखी जाय ।

*15–श्री किरन पाल कश्यप–

[दिनांक 9-8-2002 को अता० प्र० सं०–28 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश की नगरपालिका परिषदों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाये जाने के उपाय

*16–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगरपालिका परिषदें अपने बुनियादी काम सफाई, रोशनी, सड़क और गलियों की मरम्मत और रख-रखाव आय के स्रोत कम होने के कारण नहीं कर पाती ? यदि हां, तो नगरपालिका परिषदों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रदेश की नगर पालिका परिषदों द्वारा अपने उपलब्ध संसाधनों एवं शासकीय अनुदानों से बुनियादी काम–सफाई, सड़क, रोशनी और गलियों की मरम्मत और रख-रखाव की व्यवस्था की जा रही है ।

निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु अधिनियम में वर्णित करों का आरोपण अनिवार्य किया गया है । कर एवं करेत्तर राजस्व प्राप्ति हेतु वार्षिक व मासिक लक्ष्य निर्धारित कर वसूली की समीक्षा की जा रही है । उक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग एवं 11 वें वित्त आयोग से धनराशि सभी निकायों को विकास कार्य हेतु प्रतिवर्ष दी जा रही है । रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से भी अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण स्थानीय निकायों को दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कामनवेल्थ गेम्स में पदक पाने वाले प्रदेश के दो खिलाड़ियों को पारितोषिक/सम्मान देने की मांग

*17–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हाल ही में मैनचेस्टर, इंग्लैण्ड में समाप्त हुए कामन वेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश के दो खिलाड़ियों श्री अनवर सुल्तान को शूटिंग में दो कांस्य पदक तथा श्री अकरम शाह को 60 के०जी० वर्ग में रजत पदक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के उक्त दोनों खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने हेतु उन्हें पारितोषिक देने तथा उनका सम्मान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पदक अर्जित करने वाले दोनों खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु पारितोषिक रूप में, रजत पदक अर्जित करने वाले श्री अकरम शाह को रुपया 2,00,000/- एवं श्री अनवर सुल्तान (कॉस्य पदक विजेता) को रुपया 1,00,000/- की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी–

[दिनांक 4-9-2002 को अता० प्र० सं०–56 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ की कानपुर रोड योजना की आवासीय कालोनी में बिना अनुमति दुकानें तथा रेस्टोरेन्ट आदि खोले जाने की जांच/कार्यवाही की मांग

2–श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के कानपुर रोड योजना के आवासीय कालोनी–एच० ब्लाक, जी० ब्लाक एवं आई० ब्लाक के आवासों में बिना अनुमति लिये ही दूकाने तथा रेस्टोरेन्ट, पी०सी०ओ० आदि खोल रखे हैं ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, सेक्टर 'जी' 'एच' एवं 'आई' में 107 आवासों में बिना अनुमति लिए दुकानें तथा रेस्टोरेन्ट एवं पी०सी०ओ० आदि खोले गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में पत्रकार पुरम/विधायक निवास की तरह अधिवक्तापुरम् बनाये जाने का प्रकरण

3–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पत्रकारपुरम्/विधायक निवास की तरह केवल अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्तापुरम् बनाने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्भव नहीं है ।

लखनऊ, मोहनलालगंज फीडर से बछरावां रायबरेली को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी

4–श्री राम लाल अकेला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर–बछरावां जनपद रायबरेली को मोहनलालगंज जनपद–लखनऊ के फीडर से विद्युत आपूर्ति की जाती थी ? यदि हां, तो क्या अब उक्त विद्युत आपूर्ति रोक दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त विद्युत आपूर्ति को पुनः चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

मोहनलालगंज–बछरावां विद्युत लाइन के तार चोरी हो गये थे इसलिए विद्युत आपूर्ति बन्द हो गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

1–विद्युत तारों की चोरी लगभग एक दशक पूर्व हुई थी उक्त लाइन के पुनः निर्माण हेतु लगभग अस्सी लाख रुपये का व्यय आयेगा ।

2–मोहनलालगंज की विद्युत आपूर्ति लखनऊ जनपद की विद्युत आपूर्ति के अनुसार होती है जबकि बछरावां की विद्युत आपूर्ति रायबरेली जनपद की विद्युत आपूर्ति के अनुसार की जाती है । लखनऊ जनपद विद्युत कटौती से मुक्त है । अतः बछरावां नगर को लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज उपकेन्द्र से जोड़ा जाना उचित नहीं है ।

जनपद रायबरेली नगर बछरावां में शहरी दर पर विद्युत का भुगतान लिये जाने का औचित्य

5–श्री राम लाल अकेला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर बछरावां जनपद–रायबरेली को हरचन्दपुर विद्युत फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो कि ग्रामीण फीडर है ? यदि हां, तो क्या भुगतान शहरी दर से लिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

बछरावां टाउन महराजगंज तहसील का ब्लाक मुख्यालय है जिसकी आबादी 10,000 से अधिक है एवं वहां पर पूर्व से मीटर लगे हैं, अस्तु टैरिफ के अनुसार बिलिंग शहरी दर से की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश पशुपालन निदेशालय में अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

6–श्री रामजीत राजभर–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में पशुपालन निदेशालय, उ०प्र० में निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की सतर्कता जांच अथवा विभागीय जांच चल रही है ? कितने अधिकारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? सरकार ने जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

03 अधिकारियों के विरुद्ध जांच प्रचलित है, जिसमें निदेशक के विरुद्ध सतर्कता जांच तथा 02 सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशकों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित है ।

एक अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके परीक्षणोपरान्त नियमानुसार उनके द्वारा की गयी शासकीय क्षति रु० 3,28,830.60 पैसे की वसूली के आदेश निर्गत किये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, भातखण्डे संगीत संस्थान में पदोन्नति कोटे के आरक्षित पदों को भरे जाने की मांग

7–श्री उदयराज–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश स्थित भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ में लेक्चरर एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त संस्थान में आरक्षित पदों को आरक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो आरक्षित पदों पर प्रोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ?

सुश्री मायावती–

जूनियर लेक्चरर को छोड़कर, सम्मुखांकित पदों के पदोन्नति कोटे में आरक्षण पूर्ण है । जूनियर लेक्चरर के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर, पदोन्नति कोटे के आरक्षित पद को भरा जा सकेगा ।

लखनऊ के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में एकल पद धारकों को प्रोन्नति देने की जानकारी

8–श्री महेन्द्र कुमार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में एकल पद कितने हैं और कौन-कौन से हैं ? अब तक कितने एकल पदधारकों को वैयक्तिकं प्रोन्नति दी गई ? क्या सरकार आयुर्वेद शिक्षकों को भी वैयक्तिक प्रोन्नति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लखनऊ में प्राध्यापक जीव रसायन, प्राध्यापक सांख्यिकी प्राध्यापक फार्माकाग्नोसिस व पैथालाजी तथा क्यूरेटर के एकल पद हैं ।

दो एकल पदधारक क्रमशः डा० एच०एन० खन्ना रीडर, क्रिया शारीर जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा डा० आर०सी० पन्त, रीडर-इन-सर्जरी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 के अन्तर्गत कोई प्राविधान नहीं है ।

जनपद बांदा में सर्किट हाउस बनाये जाने सम्बन्धी जानकारी

9–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2002-2003 में बुन्देलखण्ड सन्तुलित विकास निधि (राजांश) द्वारा शहर, बांदा में सर्किट हाउस बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

सर्किट हाउस बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मैनपुरी, नगरपालिका परिषद् की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

10–श्री जयवीर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत मोहल्ला कटरा से ताल दरवाजा मैनपुरी तक की सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत सड़क कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है ।

उपरोक्त सड़क नगरपालिका परिषद की सड़क है और संविधान के 74 वें संशोधन व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अनुरूप उक्त सड़क की मरम्मत पर नगरपलिका परिषद् द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर विचार किया जाना है ।

लखनऊ जल संस्थान में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

11–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में अनुसूचित जाति के अलग-अलग संवर्ग के कई पद गत कई वर्षों से रिक्त चल रहे हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

पदों को भरने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ जल संस्थान में पिछड़ी जाति हेतु आरक्षण नियमों के पालन के सम्बन्ध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों पर कार्यवाही की मांग

12–श्री जियाउद्दीन रिजवी तथा अनिल कुमार वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ में अगस्त, 1996 को पम्प चालकों को नियमित करने में पिछड़ी जाति हेतु आरक्षण के नियमों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा अपने पत्रांक–186/31–शि०–97/राज्य

पिछड़ा वर्ग आयोग/99 दि० 05-02-1999 द्वारा संस्तुति की गई थी कि चयन में 33 पिछड़ी जाति के कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमित किया जाये ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ जल संस्थान में दैनिक वेतन पर कार्यरत पम्प चालकों को नियमित किये जाने की मांग

13–श्री जियाउद्दीन रिजवी तथा श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान में दैनिक वेतन पर कार्यरत पम्प चालकों को नियमित करने के संबंध में उ० प्र० शासन द्वारा अपने पत्रांक सं० 15/रिट/कार्मिक–2–2001 दि० 21 दिसम्बर, 2001 द्वारा कोई शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हुआ है तो क्या लखनऊ जल संस्थान, लखनऊ द्वारा उक्त शासनादेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत शासनादेश राज्याधीन सेवाओं में समूह 'घ' के पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में जारी किया है ।

जी नहीं ।

लखनऊ जल संस्थान के कर्मचारी राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद रायबरेली, नगर पंचायत परशदेपुर में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

14–सुश्री आशा किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत परशदेपुर जनपद–रायबरेली में विद्युत उपकेन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो विद्युत उपकेन्द्र कब तक स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

परशदेपुर में 33 के०वी० उपकेन्द्र नहीं है ।

परशदेपुर में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन न

नगर पंचायत परशदेपुर से लगभग 12 कि० मी० दूरी पर छतोह तथा लगभग
पर सलोन तथा 12 कि०मी० की दूरी पर डीह में 33 के०वी० उपकेन्द्र स्थापित है ।
प्रस्तावित स्थल पर नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकि दृष्टि से अनुपयो
से अलाभकारी है ।

लखनऊ राजकीय यूनानी कालेज में सम्बद्ध चिकित्साधिकारी का विवरण एवं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किये जाने की मांग

15–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय यूनानी कालेज, उ० प्र० लखनऊ में वर्तमान में कितने ऐसे चिकित्साधिकारी सम्बद्ध हैं जिनकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है ? यदि हां, तो इनमें कौन एम० डी० डिग्री धारक हैं और उन्हें शिक्षण कार्य का क्या अनुभव है ? क्या विभाग में शिक्षण कार्य हेतु एम० डी० डिग्री धारक शिक्षक मौजूद हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय यूनानी कालेज लखनऊ में वर्तमान में तीन चिकित्साधिकारी सम्बद्ध हैं, जिनकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की गयी है :–

(क) डा० अबूसाद चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय चकरपूर लमकन (बरेली) ।

(ख) डा० कमाल हैदर रिजवी, चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय, महोना, जि०–लखनऊ ।

(ग) डा० शाहिला यासमीन, चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी चिकित्सालय बिजुआकला, जि०–गोण्डा ।

डा० अबूसाद एम०डी० डिग्री धारक हैं व उ०प्र० राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 में उल्लिखित प्रवक्ता पद की अर्हता रखते हैं ।

राजकीय यूनानी कालेज लखनऊ में सात विभाग हैं जिनमें से मात्र अदाबिया विभाग में एम०डी० डिग्री धारक शिक्षक उपलब्ध हैं । शेष छः विभागों में एम०डी० डिग्री धारक शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं । शासकीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 5805/71-2-2002 दिनांक 1-8-2002 के द्वारा शिक्षण कार्य हेतु सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों की सम्बद्धता समाप्त करते हुए उनकी पूर्व तैनाती स्थान पर वापस किये जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, नगरपालिका परिषद् का ताल फ्री स्कूल के क्षतिग्रस्त भवन का पुनः निर्माण की मांग

16–श्री जयवीर सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् मैनपुरी का ताल फ्री स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त स्कूल के भवन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत स्कूल के भवन का पुनः निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

[5वें सोमवार के अता० प्र० सं०–31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को शहरी परिक्षेत्रों में तैनाती का मापदण्ड निर्धारित करने का प्रकरण

18–श्री राम किशुन–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को शहरी परिक्षेत्रों में तैनात करने का क्या मापदण्ड बनाया गया है ? क्या यह सत्य है कि वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को सुदूर ग्रामीण अंचल में तैनात किया गया है जबकि बहुत से कनिष्ठ चिकित्साधिकारी शहरी परिक्षेत्र में तैनात किये गये हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । वर्तमान में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों को शहरी परिक्षेत्रों में तैनात करने का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शहरी परिक्षेत्रों में तैनाती का कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

19–श्री गंगा प्रसाद पुष्कर–

[मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विद्युत सुरक्षा निदेशालय में सहायक विद्युत निरीक्षक की तदर्थ नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

20–डा० वकार अहमद शाह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय में सहायक विद्युत निरीक्षक की तदर्थ नियुक्ति में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 5-3-01 एवं अनुस्मारक दि० 4-5-01 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय से दिनांक 5-11-2001 को प्राप्त आख्या का परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त सहायक विद्युत निरीक्षक की तदर्थ नियुक्ति में की गयी अनियमितता पायी गयी तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी अन्यथा नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली, विकास खण्ड शाहाबगंज में अधूरे विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराये जाने की मांग

21–श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली में वि० ख० शाहाबगंज में स्वीकृत विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत सब स्टेशन का अधूरा निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

संसाधन की उपलब्धता के अनुसार नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाता है । कार्य पूरा कराने की अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

22–श्री रामजीत राजभर–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

23–श्री रामजीत राजभर–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

24–श्री रामजीत राजभर–

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा ''माधव पार्क'' के निर्माण में कराये गये कार्यों में व्यय धनराशि का विवरण

25–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में विधायक निधि से वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिणी विधान सभा में ''माधव पार्क'' के कौन से कार्य कराये गये तथा कराये गये कार्यों पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्ष 1998-99 में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है तथा 1999-2000 में विधायक निधि से दक्षिणी विधान सभा में माधव मार्केट में निर्माण हेतु रु० 7.68 लाख प्राप्त हुआ है, जिसमें पार्क, नाली एवं सड़क के निर्माण कार्य कराये गये हैं, जिस पर धनराशि रु० 4,97,910.67 पैसे व्यय किया गया है ।

लखनऊ जानकीपुरम योजना में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान हेतु मूल्यांकन की प्रति उपलब्ध कराने का प्रकरण

26–श्री राम विशुन आजाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जानकी पुरम् योजना लखनऊ में किसानों की अधिग्रहित भूमि में ग्राम–सिकन्दरपुर इनायत अली के खसरा संख्या–132 पर स्थित पेड़ों/निर्माणों के मुआवजे का भुगतान किये जाने हेतु मूल्यांकन की मूल प्रति अपर जिलाधिकारी

(भू० अ०) न० म० पा०1 लखनऊ ने अपने पत्रांक 779/आठ–अ०जि०अ०/न०म०पा०–1 दिनांक 8-3-2002 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से मांगी है ? यदि हां, तो क्या मूल्यांकन की प्रति उन्हें उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । खसरा संख्या–132 के मूल्यांकन की प्रति और जिलाधिकारी (भू०अ०) न०प०आ०–प्रथम लखनऊ के पत्र संख्या–779/आठ-अ०जि०अ०/न०म०पा०–प्रथम दिनांक 8-3-2002 द्वारा नहीं मांगी गई है बल्कि उक्त पत्र द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से खाता संख्या–132 के खसरा संख्या–173,221,235 के मूल्यांकन की प्रति मांगी गई है ।

जी नहीं ।

खाता संख्या–132 के मूल्यांकन की मूल प्रति लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संख्या–1576/ए०सी०/एस०आर०/०2, दिनांक 11-7-02 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) न०म०पा०–प्रथम, लखनऊ को उत्तर भेजा जा चुका है ।

उ०प्र० राज्य नगरीय विकास अभिकरण के आदेश द्वारा परियोजना अधिकारी, फैजाबाद से वसूली के आदेश की जानकारी

27–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया––

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ० प्र० के अन्तर्गत निदेशक, सूडा के कार्यालय आदेश सं०–478/कैम्प/बाराबंकी/99 दि० 9-5-2001 एवं आदेश सं० 579ए/198/दो/97 दि० 15-5-2001 द्वारा परियोजना अधिकारी, फैजाबाद से लगभग 4.00 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, क्या उनसे वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी, हां । किन्तु आदेश संख्या : 579ए/198/दो/97, दिनांक 15-5-2001 के स्थान पर आदेश संख्या : 599ए/198/दो/97, दिनांक 15-5-2001 है ।

वसूली आदेश संख्या–478/कैम्प/बाराबंकी/99, दिनांक 9-5-2001 एवं आदेश संख्या –599ए/198/दो/97, दिनांक 15-5-2001 मा० उच्च न्यायालय के आदेश से स्थगित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के सोना आश्रम गेस्ट हाउस हेतु स्वीकृत विद्युत लोड

28–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर नगर में स्थित गेस्ट हाउस/बारात घरों का विद्युत लोड का भौतिक सत्यापन किया गया है ? यदि हां, तो सोना आश्रम गेस्ट हाउस को दो किलो वाट का कनेक्शन दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां, विद्युत लोड का भौतिक सत्यापन पूर्व में समय-समय पर किया जाता रहा है ।

सोना आश्रम गेस्ट हाउस का प्रारम्भ में 3.00 किलोवाट का लोड स्वीकृत किया गया था । फरवरी, 2002 में इस गेस्ट हाउस के विद्युत लोड का भौतिक सत्यापन करने पर लोड अधिक पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना किया गया, जिसका कि भुगतान उन्होंने कर दिया एवं अपने विद्युत लोड को फरवरी, 2002 ने बढ़ाकर 6 किलोवाट कर लिया था ।

सोना आश्रम हाउस के लोड की जांच दिनांक 4-9-2002 को अधिशासी अभियन्ता, नौबस्ता द्वारा पुनः कराई गई और उपभोक्ता के यहां लोड स्वीकृत भार के अन्दर पाया गया ।

इस गेस्ट हाउस में एक टीनशेड है, जिसमें मात्र 23 नग सीलिंग फैन लगे हैं तथा मात्र 156, 11 वाट सी०एफ०एल० लाईट लगी हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण की नवीन आवासीय कालोनियों के पार्कों में अवैध कब्जे

29–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नवीन आवासीय कालोनियों में कुल कितने पार्क (ग्रीन लैण्ड भूमि) हैं ? क्या यह सही है कि अधिकतर पार्कों पर अवैध कब्जे है ? यदि हां, तो क्या उन अवैध कब्जों को हटाने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नवीन आवासीय कालोनियों में कुल 20 पार्क हैं ।

जी नहीं । मात्र तीन पार्कों के कुछ भाग पर अवैध कब्जा है जो मा० न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नहीं हटाया जा सका है । एक पार्क के आंशिक भाग के अतिक्रमण के सम्बन्ध में भूमि विवाद है । जिसकी जांच करायी जा रही है ।

जांचोपरान्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सीतापुर, तहसील महमूदाबाद में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में जानकारी

30–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील महमूदाबाद जनपद–सीतापुर में विगत दो माह (मई तथा जून) में औसतन कुल कितने घंटे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करायी गयी है ? क्या यह सही है कि निर्धारित प्रतिदिन 8 घंटे से कम विद्युत आपूर्ति हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

30 मई, 2002 में 7 घंटे 40 मिनट प्रति दिन एवं जून, 2002 में 7 घन्टे 20 मिनट प्रति दिन ।

जी हां ।

विद्युत उपलब्धता में कमी एवं लाइनों में व्यवधान होने के कारण ।

31–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा –

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

उ०प्र० राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रयाग) के कतिपय संवर्ग की वरिष्ठता सूची व संयुक्त निदेशक (प्राविधिक) के पद पर पर प्रोन्नति करने सम्बन्धी जानकारी

32–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उत्तर प्रदेश में नियुक्त वरिष्ठ शोध अधिकारी अभियंत्रण सेवा संवर्ग तथा प्राविधिक सेवा संवर्ग की अद्यतन पारस्परिक ज्येष्ठा सूची क्या है ? क्या यह सही है कि पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित न कर संयुक्त निदेशक के पद हेतु

प्राविधिक संवर्ग के कनिष्ठ, वरिष्ठ शोध अधिकारी की प्रोन्नति 6 जुलाई, 1995 को कर दी गयी है ? यदि हां, तो वर्तमान में रिक्त निदेशक के पद पर सरकार दोनों संवर्गों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची निर्धारित किये बिना प्रोन्नति पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभियंत्रण) एवं वरिष्ठ शोध अधिकारी (प्राविधिक) की अद्यतन पारस्परिक ज्येष्ठता सूची विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

06 जुलाई, 1995 को संयुक्त निदेशक (प्राविधिक) के पद पर जो प्रोन्नति की गयी है, वह आरक्षण कोटे के अन्तर्गत है ।

उ० प्र० राज्य नगरीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत निदेशक सूडा द्वारा परियोजना अधिकारी सीतापुर को स्पष्टीकरण से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही की मांग

33–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निदेशक सूडा का पत्र सं० 4726/79/एक/99-2000/चार दिनांक 7-12-2001 जो कि तत्कालीन परियोजना अधिकारी, सीतापुर जो वर्तमान में फैजाबाद में तैनात है जिसमें वर्ष 1999-2000 के खातों पर स्पष्टीकरण के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत पत्र के माध्यम से निदेशक, सूडा द्वारा अपने स्तर से श्रीमती विजया तिवारी, परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्रीमती तिवारी द्वारा अभी स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया है जिसके लिए निदेशक, सूडा ने अनुस्मारक पत्र भेजा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के क्वीन मेरी अस्पताल में कैंसर इकाई में सृजित पदों को स्थाई किये जाने के आदेश

34–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्त्रियों में कैंसर रोग की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा क्वीन मेरी अस्पताल लखनऊ के अन्तर्गत जेनाइटल कैंसर कन्ट्रोल इकाई की स्थापना 1995 में की गयी थी ? क्या विभाग द्वारा की गई संस्तुतियों के आधार पर इस इकाई हेतु सृजित पदों को स्थायी किये जाने के आदेश शासन द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, इन्दिरा नगर ग्राम बस्तौली में आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत भूमि के बढ़े हुए प्रतिकर के भुगतान से सम्बन्धित जानकारी

35–श्री आनन्द सेन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बस्तौली, इन्दिरा नगर, लखनऊ के खसरा संख्या–183 को आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहण कर लिये जाने पर भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत मा० सक्षम न्यायालय में दायर वाद सं०–6/78 में उक्त खसरा के समस्त भू-स्वामियों को बढ़े हुए प्रतिकर के भुगतान हेतु निर्णय दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त खसरा सं०–183 के भू-स्वामियों में से एक भू-स्वामी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके परिवार की अनपढ़ एवं नाबालिग पुत्री द्वारा समय से परिषद् में अपने स्व० पिता के हिस्से की भूमि के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र पर प्रेषित न कर सकने पर देय बकाया धनराशि परिषद् द्वारा हड़प कर ली गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? बकाया धनराशि ब्याज सहित कब तक भुगतान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

भूमि अध्यापित अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत मा० सक्षम न्यायालय में दायर वाद सं०–6/78 में उक्त खसरा संख्या–183 सम्मिलित नहीं था जिसके कारण वाद संख्या–6/78 में पारित निर्णय खसरा संख्या–183 पर लागू नहीं होता है ।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत मा० सक्षम न्यायालय में दायर वाद संख्या–6/78 में उक्त खसरा संख्या–183 की भूमि सम्मिलित न होने के कारण बढ़े हुए प्रतिकर का भुगतान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

36–श्री राम किशुन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में तीर्थ स्थलों के विकास हेतु प्राधिकरण बनाने की योजना

37–डा० अशोक बाजपेयी तथा कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तीर्थ स्थलों के विकास के लिये सरकार ने प्राधिकरण बनाने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वर्षों में अधिग्रहीत भूमि

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 तथा 2001-2002 में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कितने एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? क्या किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 तथा 2001-2002 में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों के विकास/अवैध निर्माण व उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

38–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत मार्च, 2002 से जुलाई, 02 तक कुल कितनी आवासीय कालोनियों में भवन निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि बर्रा 8, (आठ) हंसपुर तथा जरौली, गुजैनी, परमपुरवां, तात्याटोपे नगर आवासीय कालोनियों में सड़क, नाली, खड़न्जे के ऊपर अवैध निर्माण कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्माण कब्जा हटाने की कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मार्च, 2002 से जुलाई, 02 के मध्य मात्र तीन योजनाओं में आश्रय भवनों का निर्माण कराया गया है । जरौली, परमपुरवां व तात्याटोपे नगर में कहीं भी सड़क/नाली/खड़न्जे के ऊपर अवैध निर्माण नहीं है । बर्रा–8 व गुजैनी नगर निगम को हस्तान्तरित है तथा हंसपुर आवास विकास परिषद् की योजना है । मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम कानपुर एवं आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् को अवैध निर्माण को चिन्हित कर नियमानुसार हटाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर नगर पंचायत खड्डा में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन का किराया बढ़ाये जाने का प्रकरण

40–श्री बादशाह सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय तत्कालीन सदस्य, विधान सभा श्री दीप लाल भारती द्वारा गत वर्ष किराये के मकान में चालू कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उस पक्के मकान का किराया मात्र एक रुपये मासिक है ? यदि हां, तो उसका मासिक किराया बढ़ाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी, नहीं । उस पक्के मकान का किराया रु० 100/= मासिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली उप निदेशक पशुपालन श्री आर०पी० गौतम के प्रशासनिक वित्तीय अनियमितताओं का कथित प्रकरण

41–श्री भगवत शरण गंगवार–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-निदेशक, पशुपालन बरेली एस०टी०ओ० गौतम द्वारा अपनी पूर्व तैनाती मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, लखीमपुर के दौरान की गयी प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के कारण हटाया गया था तथा भविष्य में प्रशासनिक पद पर नियुक्ति न करने की संस्तुति जिलाधिकारी, लखीमपुर द्वारा की गयी ? यदि हां, तो उनकी पदोन्नति उपनिदेशक, पशुपालन पर करने का औचित्य क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

उप निदेशक, पशुपालन बरेली एस०टी०ओ० गौतम नहीं, अपितु आर०पी० गौतम हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों को अनुबन्ध/बाण्ड बनाकर कार्य कराने सम्बन्धी जानकारी

42–श्री उदयराज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्यों में अनुबन्ध तथा सेलेक्शन बाण्ड बनाकर विकास कार्य कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एक लाख रुपये तक का कार्य अनुबन्ध द्वारा तथा उससे अधिक के कार्यों को सेलेक्शन बाण्ड बनाकर करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । नियमानुसार निविदा आमंत्रित करने के उपरान्त अनुबन्ध करके कार्य कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

सभी कार्यों हेतु निविदाएं मांगी जाती हैं तथा न्यूनतम दरों पर प्राप्त निविदा की स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध सम्पादित करके कार्य कराया जाता है ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालयों में प्राध्यापक विकिरण चिकित्सा विज्ञान के पद धारक का पद नाम परिवर्तन करने का प्रकरण

43–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालयों में प्रध्यापक विकिरण चिकित्सा विज्ञान (रेडियोलाजी) के पद सृजित हैं ? क्या उक्त पद रेडियोलाजिस्ट पद का ही परिवर्तित पदनाम है ? यदि हां, तो क्या रेडियोलाजिस्ट पदनाम धारक को प्राध्यापक विकिरण चिकित्सा विज्ञान (रेडियोलाजी) में परिवर्तित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पीलीभीत, झांसी तथा लखनऊ में प्राध्यापक विकिरण चिकित्सा विज्ञान (रेडियोलाजी) का एक-एक पद सृजित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उटता ।

राजकीय आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 में विकिरण चिकित्सा में प्राध्यापक का पद नाम पूर्व में ही उल्लिखित है ।

जनपद लखनऊ लाल कुआं भेड़ी मंडी में पाली जा रही गाय भैंसों को हटवाये जाने की मांग

44–श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ के लालकुआं भेड़ी मंडी कुन्दनलाल का हाता, मेंहदी हसन की गली, एवं कल्लू गढ़ईया में वर्तमान समय में कितने लोगों द्वारा डेयरियां चलाई जा रही हैं ? क्या सरकार द्वारा इस पर रोक लगा रखी है ? क्या यह सही है कि कुन्दनलाल के हाता मकान नं० 69/35 में भी भैंसें बांधी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त डेयरियों को शहर से बाहर हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं, बल्कि प्रश्नगत स्थान पर श्री मुबीन, श्री नसीर एवं श्री एहसान द्वारा क्रमशः निजी प्रयोग हेतु एक गाय, एक भैंस व एक गाय पाली जा रही है ।

जी हां ।

कुन्दन लाल के हाता म०नं० 69/33 में श्री बोबीन पुत्र रऊफ द्वारा भैंस बांधी जाती थी जिसको हटा दिया गया है अब वहां कोई भैंस नहीं बांधी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० महाप्रबन्धक (परि० एवं अनु०) द्वारा महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) को सम्बोधित पत्र पर कार्यवाही की मांग

45–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (परि० एवं अनु०) का पत्र संख्या–941 म०प्र०(परि०अनु०)/जी–1 दिनांक 2-8-2002 जोकि महाप्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन) उ०प्र०ज०वि०नि०लि० को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त संदर्भित महाप्रबन्धक (परि० एवं अनु०), लखनऊ के पत्र द्वारा श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक का उनके सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम स्वीकृति संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ है । परन्तु श्री जायसवाल के पूर्व तैनाती के कार्यालय महाप्रबन्धक (प०नि०) देहरादून के स्तर से उनको तैनाती अवधि का (अक्टूबर 99 के पश्चात) जी०पी०एफ० खाते में जमा की गई राशि एवं श्री जायसवाल द्वारा उक्त अवधि में आहरित की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है जिस हेतु सम्बन्धित अधिकारी से निगमीय पत्र सं०–1779, दिनांक 12-8-2002 द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । वांछित सूचना उक्त अधिकारी से प्राप्त होने पर संगत नियमान्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली ट्रांसपोर्टनगर की नवनिर्मित टूटी सड़कों के निर्माण की जांच

46-श्री भगवत शरण गंगवार-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में नव निर्मित ट्रान्सपोर्टनगर की सड़कें टूट गई हैं ? यदि हां, तो उक्त नवनिर्मित सड़कों के निर्माण की जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

प्रकरण की जांच पूर्व से प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के दोनों बड़े नालों की सफाई कराये जाने की मांग

47-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर के दोनों बड़े नाले पूरी तरह से बन्द है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त दोनों नालों की सफाई कराये जाने हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं ।

शाहजहांपुर नगर के दो बड़े नालों-तेल-टंकी वाला नाला, नब्बी मियाँ, की आंशिक सफाई वर्षा ऋतु से पूर्व करायी गयी है ।

संविधान के 74 वें संशोधन व उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 7 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य नगरपालिका परिषद द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत अपनी प्राथमिकतायें निर्धारित कर विचार किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश में नजूल भूमि फ्री होल्ड करने से प्राप्त राजस्व व जनपद शाहजहांपुर में नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को हटाये जाने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना

48-क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० में पिछले 4 वर्षों में नजूल की भूमि फ्री होल्ड करके कुल कितने राजस्व की प्राप्ति सरकार को हुई है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर में लगभग आधा दर्जन नजूल की भूमि को फ्री होल्ड कराने के प्रकरण पिछले कई वर्षों से लम्बित है ? यदि हां, तो उन पर कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? क्या शहीद द्वार (टाऊन हाल) स्थित नजूल भूमि पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उसे कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन-

उत्तर प्रदेश में पिछले चार वर्षों में नजूल भूमि फ्री होल्ड से रुपये 138.43 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है ।

जी हां ।

इन प्रकरणों में आवेदकों के स्तर पर औपचारिकतायें लम्बित हैं जिसके लिये उन्हें नोटिसें दी गयी हैं। उनके द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

जी हां।

कुछ अस्थाई कब्जों को हटा दिया गया है तथा कुछ अन्य अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है। न्यायिक प्रक्रिया निहित होने के कारण अवैध कब्जा हटाये जाने में कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

जनपद फैजाबाद मण्डल में नजूल भूमि फ्री-होल्ड करने सम्बन्धी प्राप्त आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

49–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक दिसम्बर, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों में नजूल जमीन को फ्री होल्ड करने हेतु कितने आवेदन-पत्र आमंत्रित प्राप्त हुए थे ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

एक दिसम्बर, 1998 से 31 जनवरी, 1999 तक फैजाबाद मण्डल के सभी जनपदों में नजूल भूमि के फ्री होल्ड हेतु कुल 1760 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

कुल 1760 प्राप्त आवेदन पत्रों में से 1644 आवेदन पत्रों का निस्तारण हो चुका है। अवशेष 116 आवेदन पत्रों का निस्तारण अब तक न होने के निम्नवत् कारण हैं :–

(1) मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश का पारित किया जाना।

(2) पट्टे का बिवादित होना एवं उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया जाना।

(3) आवेदन पत्रों पर आपत्तियां प्राप्त होना एवं स्वामित्व सम्बन्धी साक्ष्य का अपूर्ण होना।

(4) आवेदकों द्वारा पर्याप्त अभिलेखों/साक्ष्य एवं पट्टे की प्रति न प्रस्तुत किया जाना तथा अवैध कब्जे का विवाद होना।

जनपद रायबरेली में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने का प्रकरण

50–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

राखनऊ नगर निगम से सेवानिवृत्त श्री हफीजउल्ला के समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

51–श्री उदयराज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ में जनवरी, 2000 में सेवानिवृत्त (मिस्त्री) श्री हफीजउल्ला पुत्र श्री गुलाम मुहम्मद के समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सेवानिवृत्त कर्मी के अवशेष एरियर व बीमें का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

बीमा की धनराशि को छोड़कर समस्त देशों का भुगतान कर दिया गया है ।

बीमा का धन प्राप्त होते ही भुगतान किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल०डी०ए०) में सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

52–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26–7–1999 को सृजित पदों पर भर्ती एवं संविलियन के सम्बन्ध में हुई बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एल०डी०ए०) की सेवा नियमावली के आधार पर सूडा की सेवा नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सूडा की सेवा नियमावली बन गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सेवा नियमावली कब तक बना दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 26-7-99 की बैठक में विकास प्राधिकरण सहित अन्य समान संस्थाओं की सेवा शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए सेवा नियमावली तैयार कराते हुए शासी निकाय से अनुमोदन करवाकर शासन को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था ।

जी, नहीं ।

सेवा नियमावली तैयार कराये जाने का विषय विचाराधीन है ।

यथासमय सेवा नियमावली के विषय पर निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश की जेलों में कैदियों से मिलने हेतु अलग से शुल्क लिये जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

53–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में हवालाती एवं कैदियों से मिलने हेतु निर्धारित समय के पश्चात् मिलने पर 50 रुपये अलग से शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो प्रदेश की जेलों से प्राप्त होने वाले इस राजस्व को किस मद में जमा किया जाता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 1 जनवरी, 1999 से 1 सितम्बर, 2000 तक उक्त मद में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उटता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव/अध्यक्ष द्वारा अपनी पत्नी के साथ की गयी विदेश यात्रा हेतु अनुमति लिए जाने सम्बन्धी जानकारी

54–श्री शंखलाल माझी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विभाग के प्रमुख सचिव/अध्यक्ष, नेडा द्वारा प्रदेश सरकार व भारत सरकार के गृह व अन्य विभाग के साथ 17 अप्रैल, 2002 से अपनी पत्नी सहित आस्ट्रेलिया के अतिरिक्त न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, हांगकांग आदि देशों की यात्रा की है ? क्या उन्हें मात्र आस्ट्रेलिया जाने के लिए अनुमति प्रदेश सरकार द्वारा इस शर्त पर दी गयी थी कि इस यात्रा का व्यय सरकार या सरकार की किसी संस्था द्वारा वहन नहीं किया जायेगा ? क्या उनकी पत्नी की विदेश यात्रा व इस पर होने वाले व्यय की सरकार से अनुमति ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी नियम विरुद्ध की गयी उक्त यात्रा एवं सरकारी धन के दुरुपयोग की सतर्कता विभाग से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं । क्योंकि पत्नी ने यात्रा निजी तौर पर की ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि कोई सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ ।

प्रदेश की विभिन्न कारागारों की जीर्ण-शीर्ण बैरिकों के स्थान पर नई बैरिकों के निर्माण की मांग

55–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा,कानपुर, अलीगढ़ के जिला कारागारों में बैरिकों का निर्माण लगभग 100 वर्ष पूर्व कराया गया था ? क्या उक्त बैरिकें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं तथा किसी भी समय गिर सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नई बैरिकें बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद कानपुर तथा अलीगढ़ की कारागारों में कोई भी बैरिक 100 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है । जिला कारागार आगरा में 15 आवासीय बैरिकें 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं ।

जी नहीं ।

समय-समय पर उक्त बैरिकों की मरम्मत की जाती रही है तथा वर्तमान में यह प्रयोग में लाई जा रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56–डा० विनोद तिवारी–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

लखनऊ ''गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज में खिलाड़ियों को निर्धारित दर से किट व भोजन की व्यवस्था की मांग

57–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ''गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ'' को वर्ष 2000–2001, 2001–2002 में कुल कितनी-कितनी धनराशि स्पोर्ट्स किट एवं भोजन व्यवस्था हेतु आवंटित की गयी थी ? क्या उक्त वित्तीय वर्षों में खिलाड़ियों को निर्धारित किट्स उपलब्ध करा दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सप्ताह में प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी भोजन का मीनू सरकार द्वारा रु० 40 के स्थान पर रु० 75 निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या परिवर्तित धनराशि के आधार पर खिलाड़ियों की भोजन व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

गुरू गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को वर्ष 2000-2001 एवं 2001-2002 में किट मद से क्रमशः रु० 14,64,100.00, 14,64,100.00 तथा भोजन मद से क्रमशः रु० 44,02,500/-, 44,02,500/- व्यय हेतु प्रबन्ध समिति द्वारा धन आवंटित किया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। शासनादेश दिनांक 4-10-2001 द्वारा तात्कालिक प्रभाव से डाइटमनी रु० 40/- से रु० 75/- प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से वृद्धि इस शर्त के साथ की गयी है कि पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय को सम्बन्धित स्पोर्टस कालेज को स्वीकृत अनुदान राशि से वहन किया जायेगा।

शासनादेश दिनांक 4-10-2001 के अनुसार माह नवम्बर, 2001 से बालकों को भोजन प्रदान किया गया किन्तु प्रश्नगत मद से अतिरिक्त धनराशि की वर्ष 2002-2003 से व्यवस्था न होने के कारण माह अप्रैल, 2002 से छात्रों को पुरानी दर से ही भोजन प्रदान किया जा रहा है।

धनाभाव के कारण।

विद्युत संकट के समाधान हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय करने की मांग

58–श्री घनश्याम शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत के भारी संकट को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार एन०टी०पी०सी० से अतिरिक्त बिजली क्रय करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सीमित संसाधनों के कारण एन०टी०पी०सी० से अतिरिक्त बिजली क्रय कर पाना संभव नहीं है।

जनपद बिजनौर सिसौला बिजली घर का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

59–श्री स्वामी ओइम्वेश–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर में ''सिसौला बिजली घर'' का निर्माण कार्य अधूरा रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रुके हुये अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

1- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की विषम आर्थिक परिस्थिति के कारण उक्त केन्द्र के निर्माण हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूरा कराने में विलम्ब हो रहा है ।

2- 33 के०वी० लाइन के निर्माण के लिए रेलवे लाइन क्रास करनी है, जिसकी स्वीकृति रेलवे विभाग से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां ।

उपकेन्द्र का निर्माण संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है । कार्य पूर्ण करने की अवधि निर्धारित करना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–श्री सीताराम निषाद–

[3सरे गुरुवार के अता०प्र० सं०–144 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल हेतु निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने का प्रकरण

61–श्री श्याम सिंह अहेरिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को ट्यूबवेल हेतु निःशुल्क कनेक्शन दिये जाने की सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त निःशुल्क कनेक्शन योजना अब बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार किसानों के हित में उक्त योजना पुनः चालू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता रहित निजी क्षेत्र के मेडिकल और डेन्टल कालेजों में प्रवेश लिये हुए छात्र-छात्राओं के सम्बन्ध में जानकारी

62–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में कितने मेडिकल और डेन्टल कालेज ऐसे हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002–2003 के लिए मान्यता नहीं दी गयी है ? उक्त कालेजों में प्रवेश लिये हुए छात्र-छात्राओं के विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

दो मेडिकल एवं नौ डेण्टल कालेजों को वर्ष 2002-2003 की अनुमति भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । निजी क्षेत्र में स्थापित मेडिकल/डेण्टल कालेजों को मेडिकल/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया की संस्तुति पर भारत सरकार की अनुमति का नवीनीकरण तब तक प्राप्त करनी होती है जब तक कि मेडिकल/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया की संस्तुति पर उसे स्थायी मान्यता न प्रदान कर दी जाय । मान्यता प्राप्त हो जाने के पश्चात् भारत सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है । भारत सरकार द्वारा अगले सत्र की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त कालेजों में पूर्व वर्ष में प्रवेशित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों को अगले वर्ष/प्रोफेशनल में अध्ययन कराया जाता है ।

अपट्रान इण्डिया लि० के बन्द के उपरान्त कर्मचारियों को संविदा के आधार पर सचिवालय में समायोजित किये जाने की मांग

63–श्री कल्यान सिंह दोहरे तथा श्री राम नरेश यादव––

क्या आई० टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री कृपया बतायेंगी कि सरकार द्वारा अपट्रान इण्डिया लि० बन्द किए जाने के उपरान्त उसके 202 कर्मचारियों को सचिवालय में संविदा के आधार पर समूह ''घ'' में समायोजन किया गया था ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समूह ''घ'' की भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध हटा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपट्रान इण्डिया लि० के उक्त कर्मियों को पूर्ण रूप से समायोजित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० शीमा रिज़वी)–

जी नहीं । अपट्रान अभी बन्द नहीं हुआ है । यह रूग्ण इकाई के रूप में जीवित है । वर्ष 1998 में निगम के सरप्लस कर्मचारियों को सरकारी विभागों में आवश्यकतानुसार संविदा पर भेजे जाने का निर्णय लिया गया था । उक्त निर्णयानुसार अपट्रान के 579 कर्मियों को सचिवालय सहित अन्य विभागों में संविदा पर भेजा गया है ।

उक्त निर्णय में समायोजन का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रदेश में बिजली बकाये का विवरण एवं उसकी वसूली की कार्यवाही

64–श्री धनन्जय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 जून, 2002 तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक, कारखानों मिलों व सरकारी, अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों, निगमों, कार्यालयों के ऊपर बिजली विभाग की कुल कितनी धनराशि बकाया है, बकाए की वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त जून, 2002 तक के वाणिज्यिक आंकड़े वर्तमान में सकलाधीन है तथापि माह मई, 2002 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उ० प्र० पावर कारपोरेशन का व्यापारिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध रु० 943.14 करोड़, औद्योगिक कारखानों/मिलों के विरुद्ध रु० 1254.54 करोड़ तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठानों, निगमों, कार्यालयों के विरुद्ध रु० 1952.82 करोड़ बकाया था ।

बकायों की वसूली हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :–

1–शासन द्वारा वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में विद्युत देयों के भुगतान हेतु विभिन्न विभागों को धनराशि का आवंटन किया गया है ।

2–शासन द्वारा नगर निगम/जल संस्थानों के बिलों के सत्यापन हेतु संबंधित मण्डलायुक्त तथा नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों/जल संस्थानों के बिलों के सत्यापन हेतु संबंधित जिला अधिकारी की अध्यक्षता में रिकन्सीलेशन समिति का गठन किया गया है ।

3–बकायेदारों के विद्युत संयोजन विच्छेदित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

4–विच्छेदित संयोजनों के बकायों की वसूली हेतु धारा–3/धारा–5 निर्गत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

5–बकायों की वसूली हेतु समय-समय पर राजस्व वसूली अभियान चलाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर निगम द्वारा पार्कों के सौन्दर्यीकरण की योजना

65–श्री बंशीधर राज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्ष पूर्व शासन द्वारा लिये गये निर्णायानुसार लखनऊ शहर के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ सभी पार्कों के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो क्या विकास खण्ड–3 गोमती नगर लखनऊ के पानी के टंकी वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा मात्र 100 पार्कों के सौन्दर्यीकरण की योजना बनायी गयी थी ।

उक्त पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल का कनेक्शन देने की योजना पर लगी रोक

66–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में भयंकर सूखे की स्थिति को देखते हुये किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन देने पर लगी रोक हटाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर कोई रोक नहीं लगी थी । केवल सामान्य योजना में रोक लगी थी, जोकि हटा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद के सहायक अभियन्ता को उनके पैतृक विभाग भेजने की मांग

67–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूडा, मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर मण्डी परिषद् के सहायक अभियन्ता को अधिशासी अभियन्ता तथा कताई मिल गाजीपुर के लिपिक को वैयक्तिक सहायक के पद पर तैनात किया गया है ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को उनके पैतृक विभाग में वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मण्डी परिषद के सहायक अभियन्ता को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) में सहायक अभियन्ता पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिया गया तथा उन्हें अधिशासी अभियन्ता का पदनाम प्रदान किया गया है । कताई मिल, गाजीपुर के किसी भी लिपिक को वैयक्तिक सहायक के पदनाम से तैनात नहीं किया गया है ।

उक्त कर्मियों को सूडा की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है । अतः फिलहाल इनकी वापसी का प्रश्न नहीं है । यह अवश्य है कि मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान के अनुरूप ही पदनाम सूडा में दिये जाने का निर्णय लिया गया है इसके अनुरूप पदनाम संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है ।

लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में चलायी जा रही दूध डेरियों को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हटवाने की मांग

68–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार शहर सीमा के अन्दर दूध डेरियां नहीं चलाई जा सकती हैं ? क्या यह भी सही है कि मोहल्ला छितवापुर पँजावा ग्यारी मिल से तिकोनिया पार्क, लालकुआं लखनऊ में दूध डेरी चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर डेरी को शहर सीमा से बाहर करते हुए डेयरी मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

मोहल्ला छितवापुर पँजावा ग्यारी मिल, तिकोनिया पार्क लालकुआं, लखनऊ में दिनांक 2-9-2002 को श्री राजू यादव पुत्र श्री अमृत लाल यादव द्वारा दो भैंस पालते हुए पाया गया जिसको हटा दिया गया है। उक्त स्थल पर पुनः दूधारू पशु न रहने पाये, इस हेतु मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी, हुसैनगंज को सूचित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ कैण्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि पर स्थापित धार्मिक स्थलों की संख्या

69–श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर के कैण्ट क्षेत्र में कितने धार्मिक स्थल सरकारी भूमि पर स्थापित हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

कैण्टोमेण्ट क्षेत्र की भूमियों का रख-रखाव नगर निगम लखनऊ द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रश्न का संबंध मुख्य कार्यपालक अधिकारी, छावनी परिषद लखनऊ से है।

70–श्री अजीम भाई–

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित]

71–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

[5वें मंगलवार के अता० प्र०सं०–50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हरदोई, राष्ट्रपिता म्युनिसपल इण्टर कालेज शाहाबाद से सेवानिवृत्त शिक्षक/कर्मचारियों के पेंशन स्वीकृत न किये जाने की जांच

72–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपिता म्युनिसपल इण्टर कालेज, शाहाबाद, जनपद–हरदोई के जो शिक्षक/ कर्मचारी वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनका पेंशन निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक को भी पेंशन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो पेंशन स्वीकृत न किये जाने के संबंध में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पेंशन आदेश निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

वाराणसी नगर में अति भारित उपकेन्द्रों की क्षमता

73–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में कौन से विद्युत उपकेन्द्र अति भारित हैं और आपात कटौती की समय सीमा के बाद भी वहां अतिरिक्त विद्युत कटौती करनी पड़ रही है क्या सरकार उक्त अति भारित उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या और उक्त संबंधी कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वाराणसी नगर को विद्युत आपूर्ति कराने वाले 132 के०वी० प्राथमिक विद्युत उपकेन्द्र मडुआडीह, कैन्ट एवं सारनाथ पीक आवर्स में अधिभारित हो जाते हैं। इसके साथ-साथ ही विद्युत प्रणाली के 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र शुक्लधारा, काशी विद्यापीठ मैदागिन, चौकाघाट, पाण्डेयपुर एवं पन्नालाल पार्क पीक आवर्स में अधिभारित हो जाते हैं।

जी हां।

132 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र मडुआडीह में 20 एम०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

132 के०वी० उपकेन्द्र गजोखर उपकेन्द्र का निर्माण प्रारम्भ होने की स्थिति में है।

33 के०वी० उपकेन्द्र महमूरगंज एवं आशापुर का निर्माण भूमि उपलब्ध न होने के कारण लम्बित है।

वर्तमान 33 के०वी० उपकेन्द्रों जो अधिभारित है, की क्षमतावृद्धि संसाधन की उपलब्धता तथा वरीयता के अनुसार करायी जायेगी।

नये उपकेन्द्रों का निर्माण तथा क्षमतावृद्धि संसाधन की उपलब्धता के अनुसार कराया जाता है। अतः कार्य पूरा होने की अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी विकास प्राधिकरण में स्वैच्छिक शमन शुल्क योजना के अन्तर्गत निस्तारित प्रकरण से प्राप्त धनराशि की जानकारी

74–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा स्वैच्छिक शमन शुल्क योजना लागू करने के बाद से आज तक वाराणसी विकास प्राधिकरण में कितने लोगों ने उक्त योजना के तहत आवेदन किया और उनमें से कितने प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया उनसे कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? सरकार द्वारा शेष लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी विकास प्राधिकरण में स्वैच्छिक शमन योजना लागू होने के दिनांक से निर्धारित अवधि के अन्दर कुल 4903 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदन-पत्रों में से कुल 4802 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जिससे कुल रु० 395.25 लाख की धनराशि प्राप्त हुई।

शेष लम्बित प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार यथाशीघ्र किया जायेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण में दाखिल भवन मानचित्रों की स्वीकृति की समय सीमा के निर्धारण की जानकारी

75–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण हेतु दाखिल मानचित्रों की स्वीकृति की कोई समय सीमा वाराणसी विकास प्राधिकरण में निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या उक्त समय सीमा का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । वाराणसी विकास प्राधिकरण में दाखिल भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा निर्धारित है ।

शासनादेश संख्या–1149/9–आ–1–29 विविध/98, दिनांक 28-4-98 के अनुक्रम में विकास प्राधिकरण भवन उपविधि, 2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भूखण्डों के मानचित्रों के निस्तारण हेतु 30 दिन एवं व्यवसायिक, कार्यालय तथा ग्रुप हाउसिंग आदि के मानचित्रों के निस्तारण हेतु 90 दिन की समय सीमा निर्धारित है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद औरैया के कतिपय नगरों को नगर पंचायत बनाने का कथित प्रकरण

76–श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औरैया जनपद के उमरैन, ऐरवाकटरा तथा कुदरकोट नगरों को नगर पंचायत (टाउन एरिया) बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त नगरों को नगर पंचायत कब तक घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी विकासखण्ड घिरोर के ग्राम जवापुर में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

77–श्री जयवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र घिरोर जिला मैनपुरी के गांव जवापुर वि०ख० घिरोर के विद्युतीकरण हेतु लगभग 90 खम्भें, तारों, व अन्य सामानों को उपलब्ध कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त गांव का विद्युतीकरण अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं, बल्कि प्रश्नगत ग्राम के लिए मात्र 60 खम्भे लिये गये थे जो कि विद्युतीकरण के लिये ग्राम में पहुंचा दिये गये थे ।

प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण 33/11 के०वी० मैनपुरी उप संस्थान से निकलने वाले 11 के०वी० ग्रामीण फीडर से करना था परन्तु ग्रामवासियों के विरोध के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका ।

उपरोक्त ग्राम का विद्युतीकरण ग्रामवासियों का विरोध समाप्त होने के उपरान्त, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा । अतः समय सीमा देना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोले जाने की योजना

78–श्री अजीम भाई–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा जनपद फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोले जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

~~प्रश्न नहीं उठता ।~~–

प्रदेश में वर्तमान में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मेडिकल/डेण्टलकालेजों की स्थापना हेतु पूंजी विनियोग उपलब्ध न करा पाने के कारण प्रदेश की जनता की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र की संस्थाओं को इस दिशा में पूंजी विनियोग करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1994 में नीति की घोषणा की गयी थी किन्तु उक्त नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में वर्तमान में फिरोजाबाद में मेडिकल कालेज खोलने का किसी संस्था का प्रस्ताव लम्बित नहीं है ।

79–श्री अजीम भाई–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद रायबरेली के ग्राम दौलतपुर में महाकवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्मारक बनाये जाने की जानकारी

80–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली में महाकवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ग्राम–दौलतपुर में उनका स्मारक बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत स्मारक बनाये जाने हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया है, जिनसे अभी तक कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं ।

81–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

[5वें सोमवार को अता० प्र० सं० 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र फाजिल नगर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की मांग

82–श्री जगदीश मिश्र (बाल्टी बाबा)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिल नगर को कितने घण्टे बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार कुशीनगर जनपद के लिए कम से कम 20 घण्टे बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 20 घंटे विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है।

जनपद बांदा, जिला पंचायत को सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि व उससे कराये गये कार्यों की जानकारी

83–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2001-2002 में जिला पंचायत को सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुयी है तथा उक्त धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्य मजदूरों से न कराकर ट्रैक्टरों से कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जिला पंचायत, बांदा को सम्पूर्ण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों हेतु मु०–1,29,88,815.00 की धनराशि प्राप्त हुई है। जिला पंचायत, बांदा द्वारा अभी तक कोई कार्य नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कतिपय ग्रामों में नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव सम्बन्धी प्रकरण

84–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में ग्राम खप्टिहाकला व पैलानी गड़रिया जसपुरा को वर्तमान वित्तीय वर्ष में नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को कब तक नगर पंचायत घोषित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के पिहानी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की मांग

85–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा डा० अशोक बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम के निर्माण किये जाने की शासन की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो पिहानी, जनपद हरदोई में मिनी स्टेडियम का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु 03 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जो कि जिलाधिकारी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी होती है। पिहानी जनपद हरदोई में 03 एकड़ निःशुल्क भूमि उपलब्ध न होने के कारण मिनी स्टेडियम का निर्माण नहीं कराया जा सकता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ नगर पालिका परिषद् में दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ नियुक्ति/नियत वेतनमान में कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके भुगतान पर आडिट आपत्ति का प्रकरण

86–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ में दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ नियुक्ति/ नियत वेतनमान के अन्तर्गत विगत 3 दिसम्बर, 2000 से आज तक कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या शासनादेशों का उल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में सम्परीक्षक द्वारा वर्ष 2000-2001 के आडिट के उपरान्त अपनी रिपोर्ट के पेज नं०–19, 20, 21 और 22 पर नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ के वर्तमान प्रशासकों पर प्रतिकूल टिप्पणी की है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां ।

सम्परीक्षा वर्ष 2000–2001 की रिपोर्ट के पृष्ठ–19, 20, 21 और 22 पर नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ के वर्तमान प्रशासकों के विरुद्ध दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अनियमित भुगतान किये जाने का आरोप लगाया गया है। प्रश्नगत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण शासन द्वारा दैनिक वेतन पर नियुक्ति पर लगाये गये प्रतिबन्ध के पूर्व से तैनात हैं। जो पूर्व अध्यक्षों एवं प्रशासकों के कार्यकाल के हैं। प्रश्नगत आडिट आपत्ति के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ डी०ए०वी० इ०का० के सामने सड़क पार की अनियमित आवंटित पटरी का निरस्तीकरण

87–श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नगर स्थित डी० ए० वी० इ० का० के सामने सड़क पार की पटरी को अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद को विगत दिनांक 16 अगस्त, 2001 को आवंटित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पटरी के आवंटन को अनियमित मानते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने दिनांक 17 जून, 2002 को पत्रांक नं०–582 द्वारा अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, आजमगढ़ के विरुद्ध संयुक्त सचिव नगर विकास अनुभाग–6 को पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़ के पक्ष को सुनने के पश्चात् जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 17–7–2002 द्वारा जांच आख्या पुनः भेजी । जिसमें यह सूचित किया गया कि श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद को विगत 16–8–2001 को अस्थायी किरायेदारी के रूप में किया गया आवंटन दिनांक 21–5–2002 को निरस्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर में आवास विकास परिषद् की भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने के आदेश

88–श्री आनन्द सेन–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास सं० 16/577 इन्दिरा नगर, लखनऊ के गृह स्वामी द्वारा आवास विकास परिषद् की सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण कराये जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय लखनऊ, बेंच लखनऊ द्वारा दिनांक 5-11-2001 को एवं आप द्वारा दिनांक 18-7-2002 को कोई आदेश आवास आयुक्त, उ० प्र० लखनऊ को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण को परिषद् द्वारा हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अवैध निर्माणों को हटाये जाने हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जिला प्रशासन से पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया, परन्तु पुलिस बल उपलब्ध नहीं हो सका जिसके कारण प्रश्नगत अवैध निर्माणों को नहीं हटाया जा सका । इस संबंध में शासन स्तर से जिलाधिकारी, लखनऊ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को प्रश्नगत अवैध निर्माणों को हटाये जाने की कार्यवाही एक माह में सम्पादित कराकर शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश दे दिए गए हैं ।

लखनऊ, बतासे वाली गली अमीनाबाद में जर्जर मकान को गिराये जाने हेतु मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

89–श्री उदय राज–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० रामअधार यादव, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय लोकदल, उ० प्र० द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 11-6-2002 जिसमें बतासे वाली गली, अमीनाबाद, लखनऊ स्थित जर्जर मकान नं० 142/2 को जनहित में गिराने हेतु निवेदन किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत भवन स्वामी तथा अध्यासी को दिनांक 18-5-2001 को नोटिस दी जा चुकी है, जिसके पश्चात् भवन स्वामी द्वारा सिविल जज (नार्थ) लखनऊ के न्यायालय में वाद संख्या–177/01 दायर किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, विकास खण्ड मल्लांवा के ग्राम सभा समुखा में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

90–श्री राम कृपाल–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड–माधोगंज के ग्राम सभा–समुखा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने हेतु लम्बित प्रस्ताव पर शासन द्वारा स्वीकृत प्रदान करते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जिला योजना से, पूर्व वर्षों में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति देना सम्भव नहीं था । वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिला योजना से परिव्यय उपलब्ध हो गया है ।

तदनुसार अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट व्यवस्था होने पर पशुचिकित्सालय खोलने की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद रायबरेली, विधान सभा क्षेत्र सरैनी, गंगा घाट के तट पर कतिपय गांवों को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की योजना

91–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद रायबरेली के सरैनी विधान सभा क्षेत्र के गंगा तट पर स्थित ग्राम–गैगासों, शिवपुरी, जनेवा कटरा व खाजूरगांव को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारम्भ कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में दुर्वासा दत्तात्रेय आश्रम एवं भैरो देव स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की मांग

92–श्री राम नरेश यादव–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में दुर्वासा दत्तात्रेय भैरो बाबा (महराजगंज) को पर्यटन स्थल बनाने की कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । जनपद आजमगढ़ में दुर्वासा दत्तात्रेय आश्रम एवं भैरो देव स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु गत वर्षों में यात्री छादक, सुलभ प्रसाधन, आर०सी०सी० बेंच एवं पेयजल हेतु कुल रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

पंचायती राज निदेशालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों की संख्या व नियुक्ति की जानकारी

93–श्री रामजीत राजभर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज निदेशालय में वर्ष 1996 से मार्च, 2002 तक चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन रिक्त पदों पर वर्ष 1996 से मार्च, 2002 तक कार्य कर चुके दैनिक वेतन/संविदा पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

पंचायती राज निदेशालय में वर्ष 1996 से मार्च, 2002 तक चार पद रिक्त हैं ।

उक्त पदों पर संदर्भित अवधि में कोई भी दैनिक वेतन/संविदा पर कर्मचारी नियुक्त नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

(सेवें सोमवार के अता० प्र० सं०–29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर, रामगढ़ ताल स्थित पर्यटक आवास गृह के निर्माण की जांच की मांग

95–श्री रामजीत राजभर, श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर में लगभग चौदह करोड़ रुपया लागत से बनवाया गया पर्यटन भवन घटिया निर्माण होने के कारण अनुपयोगी घोषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच की गई ? क्या सरकार बतायेगी कि इस भवन के निर्माण में व्यय की गई धनराशि की वापसी निर्माण कराने वाली एजेन्सी से कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में 50 शैयूया युक्त एक पर्यटक आवास गृह का निर्माण रु० 243.37 लाख की लागत से कार्यदायी संस्था उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराया गया है, जिसकी गुणवत्ता की जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा करायी गयी । समिति द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी नहीं पायी गयी है ।

जनपद गोरखपुर रामगढ़ ताल में वाटर क्लब के निर्माण की जांच

96–श्री रामजीत राजभर–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं विभाग की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वाटर क्लब बनवाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त वाटर क्लब बनने के बाद प्रयोग में आने से पूर्व ढह गया ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच की गई ? क्या विभाग उक्त कार्य के लिये दी गई धनराशि की वापसी की कार्यवाही निर्माण कराने वाली एजेन्सी से कर रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां !

जी नहीं ।

गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स काम्पलैक्स का निर्माण रु० 60.68 लाख की लागत से कार्यदायी संस्था उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा कराया गया है जिसकी गुणवत्ता की जांच जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा करायी गयी । समिति द्वारा गुणवत्ता में कोई कमी नहीं पायी गयी है ।

जनपद बांदा, नगर पंचायत मटौध व तिन्दवारी में बैरियर लगाकर वाहनों से अवैध वसूली किये जाने का कथित प्रकरण

97–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की नगर पंचायत मटौध व नगर पंचायत तिन्दवारी में गत एक वर्ष से बैरियर लगाकर पड़ाव अड्डा बनाकर राष्ट्रीय मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को रोककर मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों नगर पंचायतों द्वारा संचालित पड़ाव अड्डे को बन्द करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की जानकारी

98–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में जिन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारी नहीं हैं, वहां जनहित में तत्काल चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद बांदा में वर्तमान में राजकीय यूनानी चिकित्सालयों में रिक्त तीन तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में रिक्त एक चिकित्साधिकारी के पद पर स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सकों की सम्बद्धता हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी बांदा को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़, महाराजगंज विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने के सम्बन्ध में जानकारी

99–श्री वसीम अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्धि (1x3 एम०वी० से 2x3 एम० वी०) करने हेतु वर्ष 2000-2001 में पारेषण योजनान्तर्गत उक्त उपकेन्द्र को सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

कार्य संसाधन की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण कराया जाता है । अतः कार्य पूरा कराने की अवधि निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा ग्राम प्रधान को हटाने सम्बन्धी व्यवस्था की जानकारी

100–श्री धर्मेन्द्र कुमार–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान को पद से हटाने हेतु पूर्व की भांति ग्राम पंचायत सदस्यों से स्वीकृत/पारित प्रस्ताव के आधार पर कार्यवाही करने हेतु शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा–14 में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ग्राम प्रधान को हटाने का प्राविधान है । वर्तमान में ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा प्रधान को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/कार्यभार ग्रहण करने के सम्बन्ध में जानकारी

101–श्री धर्मेन्द्र कुमार–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 15-6-2002 को अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/समायोजन/तैनाती आदेश के अनुपालन में दिनांक 30 जून, 2002 तक कितने ग्राम विकास पंचायती अधिकारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ? क्या स्थानान्तरण नीति के तहत कार्यभार न ग्रहण करने वाले कर्मचारी एवं कार्यमुक्त/कार्यभार न ग्रहण कराने वाले खण्ड विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा दिनांक 15–6–2002 को अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/समायोजन/तैनाती आदेश के अनुपालन में दिनांक 30 जून, 2002 तक कुल 03 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई तहसील सण्डीला के ग्राम जासू में विद्युतीकरण

श्री राम करन आर्य

102–क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जासू, विकास क्षेत्र बेहदर, तहसील सण्डीला, जनपद हरदोई का लगभग 2 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण किया गया था ? क्या सही है कि लगभग 6 माह से पूर्ण रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? विद्युत आपूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

लगभग 1 1/2 वर्षों तक किसी भी उपभोक्ता ने विद्युत संयोजन नहीं लिया एवं तत्पश्चात् विद्युत लाइन के तार चोरी हो गये । उपभोक्ताओं द्वारा वैधानिक विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु आवश्यक धन जमा किये जाने के उपरान्त विद्युत लाइन की मरम्मत का कार्य सम्पन्न करके विद्युत आपूर्ति चालू की जायेगी ।

लखनऊ पूर्वी बिहार योजना की आवास संघ द्वारा अधिग्रहीत भूमि का भुगतान कम किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

103–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में पूर्वी बिहार योजना के अन्तर्गत किसानों से अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का बाजार भाव 7-8 लाख रुपये बीघा है, जबकि आवास संघ 2 लाख 40 हजार रुपये ही दे रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को बाजार मूल्य दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

किसी भूमि की बाजार दर उस क्षेत्र में उक्त अवधि में निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर ही आंकलित की जाती है । प्रश्नगत योजना में अभी प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार नहीं किया गया है अतएव

अभिनिर्णय तैयार करते समय योजना की धारा–4 की विज्ञप्ति से पूर्व निष्पादित विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिकर की दर निर्धारित की जायेगी । जिन काश्तकारों द्वारा समझौता कर लिया जाता है उनके लिये मण्डलायुक्त द्वारा लखनऊ–फैजाबाद राजमार्ग से 150 मी० तक 5,25,000/- रु० प्रति बीघा तथा 150 मी० के बाद 3 लाख 50 हजार रुपये प्रति बीघा की दर निर्धारित की गयी है ।

प्रश्नगत योजना में जिन भू–स्वामियों द्वारा समझौते कर लिये जाते हैं उनको मण्डलायुक्त द्वारा निर्धारित दर से प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा तथा जो व्यक्ति समझौते के आधार पर भुगतान नहीं लेना चाहते हैं उनको भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–11(2) में अभिनिर्णय कर प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा ।

प्रदेश में निजी नलकूपों को दी जाने वाली बिजली दर की जानकारी

104–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूपों को दी जाने वाली बिजली की प्रति हार्स पावर कितनी कीमत निर्धारित है तथा गोमती नगर विद्युत वितरण खण्ड, लखनऊ द्वारा प्रति हार्स पावर क्या कीमत वसूल की जा रही है ? यदि ज्यादा वसूली जा रही है तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रदेश में निजी नलकूपों को दी जाने वाली बिजली की प्रति हार्स पावर की निर्धारित कीमत की दरें निम्नांकित हैं :–

विवरण	दरें
(क) वह उपभोक्ता जो ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार बिजली प्राप्त करते हैं उनको यह विकल्प होगा कि वह मीटर रहित या मीटर युक्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं :	
1–मीटर रहित आपूर्ति हेतु	
(अ) 10 हार्स पावर भार तक	रु० 55.00 प्रति वी. एचपी प्रतिमाह
(ब) 10 हार्स पावर से ऊपर	रु० 60.00 प्रति वी.एचपी प्रतिमाह
इसके अतिरिक्त 20 रु० प्रतिमाह प्रति संयोजन 2 बल्ब 60 वाट तक के लिए ही देय है ।	
2–मीटरयुक्त आपूर्ति हेतु पूर्ण उपयोग पावर एवं बत्ती हेतु	70 पैसा प्रति यूनिट प्रतिमाह
न्यूनतम दर	रु० 50 प्रति वी.एचपी प्रतिमाह
(ख) वह सभी उपभोक्ता जो शहरी विद्युत शेड्यूल (मीटरयुक्त) के अनुसार विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं एवं वह सभी उपभोक्ता जो ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार आपूर्ति प्राप्त करते हों तथा रोस्टरिंग से मुक्त हो :	
1–सम्पूर्ण पावर एवं बत्ती की खपत के लिए	2 रु० 90 पैसे प्रति यूनिट
2–न्यूनतम दर	रु० 90 प्रति वी.एचपी प्रति माह

गोमती नगर विद्युत वितरण खण्ड के सभी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र के शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है एवं उसी के अनुसार वर्तमान में रु० 90.00 प्रति हार्स पावर की दर से विद्युत मूल्य की वसूली की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ गोमती नगर विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत नलकूपों के बिजली बिल के एरियर की वसूली का प्रकरण

105-श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र महोना जनपद लखनऊ के अन्तर्गत गोमती नगर विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत नलकूपों के बिजली बिल नियमित जमा करने के उपरान्त भी उनसे हजारों रुपये का एरियर वसूलने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय-

गोमतीनगर विद्युत वितरण खण्ड के विधान सभा क्षेत्र महोना के उपभोक्ताओं से नियम के विपरीत कोई भी एरियर नहीं वसूला जा रहा है । नियमानुसार देय एरियर की वसूली ही केवल की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जल संस्थान के महाप्रबन्धक के विरुद्ध प्रचलित जांच की जानकारी

106-श्री रामजीत राजभर-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल संस्थान, लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत महाप्रबन्धक के विरुद्ध कितनी जांचें प्रचलित हैं ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्या श्री कुलदीप सिंह सेंगर विधायक का पत्र दि० 8-7-2002 जो मुख्य सचिव, उ० प्र० को भेजा गया था प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जल संस्थान, लखनऊ में नियमित महाप्रबन्धक कार्यरत नहीं हैं । कार्यवाहक महाप्रबन्धक के विरुद्ध 06 जांचें प्रचलित हैं ।

जी हां ।

आयुक्त, लखनऊ मण्डल से जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ, आलमबाग, समर विहार कालोनी में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जानकारी

107-श्री रामजीत राजभर-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि समर विहार कालोनी, आलमबाग, लखनऊ में विगत 1 वर्ष से पानी की आपूर्ति बहुत कम की जा रही है ? यदि हां, तो पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से किये जाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं । समर विहार कालोनी आलमबाग लखनऊ में मानक के अनुसार पेयजल की कमी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सहारनपुर में यमुना प्रदूषण नियंत्रण का कार्य प्रारम्भ कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

108-श्री संजय गर्ग-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण का कार्य सहारनपुर में कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? क्या इन कार्यों हेतु विभाग से

आगणन प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

श्री लालजी टण्डन–

उत्तर प्रदेश में यमुना प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण हेतु जिसमें सहारनपुर नगर भी सम्मिलित है, रु० 584.71 करोड़ लागत की फिजिबिल्टी रिपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से जापान सरकार द्वारा वित्त पोषण हेतु विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सहारनपुर में द्वितीय चरण के कार्य प्रारम्भ कराये जा सकेंगे ।

जी नहीं । प्रि-फिजिबिल्टी रिपोर्ट पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आगणन विरचित किये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में विगत वर्षों में विद्युतीकरण हेतु चयनित गांवों की संख्या

109–श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत देवरिया जनपद में वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 में विद्युतीकरण हेतु कितने गांवों का चयन किया गया है ? चयनित गांवों के विद्युतीकरण हेतु कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया है ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद देवरिया में वर्ष 2000–2001 के लिये कुल 46 ग्रामों का विद्युतोकरण हेतु चयन किया गया है । वर्ष 2001–2002 में किसी भी ग्राम का चयन नहीं किया गया है । उपरोक्त चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु संसाधनों की कमी के कारण मात्र 8.00 लाख रुपये की धनराशि स्थानीय व्यय के लिये अवमुक्त की गयी है ।

जनपद इलाहाबाद की कतिपय तहसीलों में नलकूप उपभोक्ताओं की बिलिंग नियामक आयोग की अनुमोदित दरों पर वसूली का प्रकरण

110–डा० विनोद तिवारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील, बारा, मेजा, कोरांव व करछना के निजी नलकूप उपभोक्ताओं/किसानों से रु० 55/- के स्थान पर रु० 90/- प्रति हार्सपावर की दर से विद्युत कर वर्ष 2000 के अगस्त माह से वसूल किये जाने सम्बन्धी श्री आर० पी० सिंह बघेल, निदेशक भा० सहकारी आवास निगम लि० लखनऊ का पत्र दिनांक 15 मई, 2002 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा, मेजा, कोरावं तथा करछना क्षेत्र ग्रामीण पोषकों से पोषित हैं एवं यह पोषक रोस्टरिंग से मुक्त हैं । इन पोषकों से पोषित नलकूप उपभोक्ताओं की बिलिंग नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दरें रु० 90.00 प्रति हा०पा० प्रतिमाह (मिनिमम चार्जेज) की दर से की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के उप महाप्रबन्धक विद्युत निर्माण मण्डल द्वारा करोड़ों का फर्जी भुगतान सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

111–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक विद्युत निर्माण मण्डल जनपद इलाहाबाद द्वारा 2.18 करोड़ का फर्जी भुगतान एवं बेन्चिंग मद में फर्जी माफी की जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-9-2001 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित मा० सदस्य का पत्र दिनांक 6-9-2001 कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसको उपलब्ध कराये जाने हेतु मा० सदस्य से अनुरोध किया गया है । पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों का विद्युतीकरण

112–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2001 में शाहजहांपुर जनपद के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जहानपुर और सिमरई के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । वर्ष 2000-2001 के लिये मा० विधायक द्वारा संस्तुति सात ग्रामों में से निम्नलिखित पांच ग्रामों को स्वीकृति प्रदान की गयी है :–

1–अहमदनगर

2–जपनापुर

3–शेरपुर

4–सिकलापुर

5–चचरी गोटिया

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में संसाधनों की कमी के कारण माननीय विधायक द्वारा संस्तुति पांच ग्रामों के अतिरिक्त किसी भी ग्राम का विद्युतीकरण सम्भव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर ब्लाक जलालाबाद के ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़ में विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

113–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 या इसके आस-पास जो ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़, ब्लाक जलालाबाद, जनपद–शाहजहांपुर में विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि

जिलाधिकारी ने पत्रांक 289 दि० 6-9-2000 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

ग्राम मुड़िया भूड़ का पूर्ण विद्युतीकरण 15-10-2000 को कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में हुए अरबों रुपये के घोटाले सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में हुए अरबों रुपये के घोटाले संबंधी पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच रिपोर्ट दिनांक 30-11-99 में दोषी पाये गये अभियन्ताओं को संवेदनशील पदों से हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में मा० जयप्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 14-10-2001 जोकि मुख्य मंत्री को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मा० सदस्य के पत्र दिनांक 14-10-2001 के संबंध में पत्र सं०–1470–पी–3/2002–24-25 स/2001, दिनांक 2-5-2002 द्वारा उ० प्र० पावर कारपोरेशन को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में फर्जी भुगतान किये जाने की सी० बी० आई० जांच विषयक कथित पत्र

115–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू०पी० पावर कार्पोरेशन लि० के अन्तर्गत रुपये 1082626.70 का फर्जी भुगतान किये जाने की सी०बी०आई० जांच कराये जाने संबंधी कुंवर मानवेन्द्र सिंह, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 16-4-2001 मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-4-2001 में मा० सदस्य द्वारा यू०पी० पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत रु० 1082626.70 का फर्जी भुगतान के संबंध में उठाया गया बिन्दु निराधार एवं असत्य है क्योंकि पारेषण लाइन को पेटिंग के मद में कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों की अवैध परिसम्पत्ति की जांच सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

116–श्री दिनेश सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 23-12-2000 जो पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिकारियों कीं अवैध परिसम्पत्ति की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

प्रकरण में उ० प्र० पावर कारपोरेशन को पत्र संख्या–सीएम 76 पी–2/2001–24–4(66)ई/99, दिनांक 13-2-2001 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विद्युत उपकेन्द्र उतरेठिया के कतिपय स्थानों पर अवैध कनेक्शन/विद्युत चोरी सम्बन्धी जांच का कथित प्रकरण

117–श्री कौशल किशोर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उपकेन्द्र उतरेठिया, मोहनलालगंज, लखनऊ के अन्तर्गत तेलीबाग के बल्देव बिहार, शिव बिहार, गांधीनगर व रवीन्द्र नगर में सैकड़ों अवैध कनेक्शन/कटिया लगाकर विद्युत चोरी की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उक्त संदर्भित स्थानों पर विद्युत चोरी की कोई शिकायत नहीं पायी गयी है ।

चित्रकूट धाम मण्डल में स्वीकृत पेयजल समूह योजनायें

118–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल में कितनी शहरी व ग्रामीण पेयजल समूह योजनाएं स्वीकृत हैं ? उनमें से कितनी पेयजल समूह योजनाएं चालू दशा में हैं ? क्या यह सही है कि 80% योजनाएं बन्द हैं ? यदि हां, तो उक्त योजनाओं को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? क्या उसके दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

चित्रकूट धाम मण्डल में कुल 20 नगरीय एवं 33 ग्रामीण पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं ।

समस्त योजनायें चालू दशा में हैं ।

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर ब्लाक मावलखेड़ा के ग्रामों में विद्युतीकरण

119–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा के ग्राम डीगुरपुर व शेरपुर–सरसवा में विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

विधान सभा शाहजहांपुर के ब्लाक मावल खेड़ा के ग्राम डींगुरपुर का विद्युतीकरण दिनांक 15-7-2000 को किया जा चुका है। परन्तु ग्राम में अभी तक किसी उपभोक्ता ने कनेक्शन नहीं लिया है । ग्राम शेरपुर–सरसवा में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेरपुर-सरसवा के विद्युतीकरण का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा ।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा के ग्राम सिकलापुर में स्वीकृत विद्युतीकरण हेतु पोल लगवाये जाने की जानकारी

120–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 50–शाहजहांपुर के ब्लाक मावलखेड़ा के ग्राम सिकलापुर में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत 25 पोल में से केवल 10-12 पोल ही लगाये गये, जिसके कारण पूरे ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो सका ? यदि हां, तो सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित कर पूरे ग्राम का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं । ग्राम के विद्युतीकरण हेतु 15 पोल प्राक्कलन का था, उसके अनुसार ही 15 पोल लगाये गये हैं ।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ग्राम में पोल लगाये गये हैं, जिसके लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण

121–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र 50–शाहजहांपुर के स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्वीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण कराकर ग्रामवासियों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्ष 2001-2002 के लिये प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं किये गये हैं ।

वर्तमान नीति के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र तापीय परियोजना में विस्थापित किये गये परिवारों के सदस्यों को नौकरी दिये जाने की जानकारी

122–श्री विजय सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा अ और ब तापीय परियोजना, सोनभद्र से कितने परिवार विस्थापित किये गये ? क्या विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित तापीय परियोजनाओं से विस्थापित हुए परिवारों की कुल संख्या–1098 थी, जिनमें से 551 परिवारों के सदस्य नौकरी हेतु पात्र पाये गये । 304 व्यक्तियों को उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वर्ष 1994 तक सेवायोजन दिया गया । शेष व्यक्ति अब परिषदादेश सं०–37 (1)/विनि–23/राविप–99–153 (ए)/1978. दिनांक 07-02-1994 के अनुसार सेवायोजन के पात्र नहीं रह गये हैं ।

जनपद सोनभद्र ग्राम औड़ी (बिछरी) में रेनू सागर पावर कम्पनी द्वारा ऐशडेम निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के विस्थापित परिवार के सदस्यों को सेवा में लेने की मांग

123–श्री विजय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–सोनभद्र के रेनु सागर पावर कम्पनी द्वारा ग्राम औड़ी (बिछरी) में ऐशडेम निर्माण हेतु कितने एकड़ भूमि क्रय की गयी है ? क्रय की गयी भूमि में कितनी भूमि अनुसूचित जातियों से क्रय की गयी है ? क्या अनु० जातियों की भूमि से क्रय हेतु जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र से अनुमति ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन व्यक्तियों की भूमि कम्पनी द्वारा क्रय की गयी है उनके परिवार वालों को एग्रीमेन्ट के अनुसार नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम सुल्तानपुर में नियमित विद्युत आपूर्ति कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 जो ग्राम सुल्तानपुर विकास खण्ड जैतीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने के विषय में था, जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 290 दिनांक 6-9-2000 को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम शाहजहांपुर को उपरोक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम शाहजहांपुर ने क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

पत्र में इंगित ग्राम सुल्तानपुर की विद्युत लाइन ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति दिनांक 15–7–2001 को चालू कर दी गई है ।

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के गांवों के विद्युतीकरण का विवरण

125–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1998 से 2001 तक जिला योजना के अन्तर्गत जनपद–गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है ? क्या सभी ग्रामों का विद्युतीकरण करवा दिया गया है ? क्या विद्युतीकरण हेतु बनाये गये आंकलन के अनुसार ही विद्युत सामानों की आपूर्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसका भौतिक सत्यापन करायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में जिला योजना के अन्तर्गत निम्न ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव किया गया है :–

वर्ष 1998–99 – 1–हरनाटायर 2–विशुनपुर 3–भोपतपुर 4–दीननगर 5–मटेरिया सर्वजीत बाबा का पुरवा ।

वर्ष 1999–2000 –1–बुकनापुर 2–गड़ूरही 3–चंदहा 4–अजबनगर 5–दौलतपुर

वर्ष 2000–01 1-गैजड़ा व मेहलनिया 2– मधवापुर 3–इटलाबुजुर्ग 4–बहिराडोहा व भवानी पाण्डेय पुरवा 5– टीकडोमई ।

वर्ष 1998–99 व 1999–2000 के सभी 10 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है । वर्ष 2000–2001 के 5 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

126–श्री राम किशुन–

[5वें सोमवार के अता०प्र०सं०–77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के बगदर फीडर पर लगे लकड़ी के खम्भों को बदलने की मांग

127–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में बगदर फीडर पर लगे लकड़ी के खम्भे बदल कर सीमेन्ट के खम्भे लगाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सभी खम्भों को बदल दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

128–श्री राम विशुन आजाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में प्रश्नकर्ता द्वारा वर्ष 1999-2000,2001-2002 में जिन गांवों का विद्युतीकरण हेतु विधायक निधि से धन दिया गया था ? क्या उन ग्रामों का विद्युतीकरण करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

मा० विधायक द्वारा विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वर्ष 1999–2000 में चार कार्यों हेतु एवं वर्ष 2000–2001 में एक कार्य हेतु विधायक निधि योजना से धन आवंटित किया गया था वर्ष 2001–2002 के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । जिन कार्यों हेतु धन दिया गया था उन कार्यों को करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा कचहरी रोड के विद्युत खम्भों में लगे अवैध विद्युत कनेक्शन व अतिरिक्त खम्भे लगवाने के सम्बन्ध में जानकारी

129–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा नगर में आई०टी०आई० कचहरी रोड पर स्वतंत्रता सेनानी संत बहादुर सिंह मार्ग के किनारे पर लगे बिजली के खम्भे से काफी लम्बी दूरी तक के अनेक आवासों को केबिल द्वारा विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? क्या केबिल के भार के कारण सारे केबिल नीचे तक लटके हुये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त कनेक्शनों को सुचारु रूप से बनाने के लिये बीच में एक अतिरिक्त विद्युत पोल लगाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा विगत दो वर्षों से जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त वांछित पोल कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं दिये गये थे परन्तु कुछ व्यक्तियों द्वारा पोल से केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग किया जा रहा था । उक्त अवैध कनेक्शनों को कटिया नियमितीकरण के अन्तर्गत नियमित कर दिया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

अतिरिक्त पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में व्यय होने वाली धनराशि सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा जमा किए जाने के पश्चात् उक्त वांछित पोल लगा दिया जायेगा ।

जनपद कन्नौज, कस्बा गुरसहायगंज में खराब विद्युत तारों को बदले जाने की मांग

130–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कन्नौज के कस्बा गुरसहायगंज में स्थापित बिजली घर के तार पुराने हो जाने के कारण अत्यन्त खराब हैं ? यदि हां, तो उक्त बिजली घर के तारों को कब तक बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5 कि०मी० खराब तार पहले ही बदला जा चुका है ।

जनपद सीतापुर कस्बा खैराबाद के मोहल्ला माखपुर में मकानों के ऊपर से प्रस्तावित विद्युत लाइन का प्रकरण

131–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत कस्बा खैराबाद के मोहल्ला माखपुर में 11000 के० वी० की विद्युत लाइन प्रस्तावित है जो कि रिहाइशी मकानों के ऊपर होकर गुजरेगी ? क्या सरकार इस लाइन का मार्ग इस प्रकार परिवर्तित करेगी जिससे वह रिहाइशी मकानों के ऊपर से न गुजरे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

रिहाइशी मकानों के ऊपर से लाइन के गुजरने की सम्भावना को देखते हुए लाइन का निर्माण कार्य रोका जा चुका है । मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद, ग्राम सभा अजीजलपुर में नियमित विद्युत आपूर्ति करने की जानकारी

132–श्री जमालुद्दीन सिद्दीकी–

क्या उर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा अजीजलपुर, जनपद फर्रुखाबाद का विद्युतीकरण कार्य कराया गया था ? यदि हां, तो क्या विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से उपलब्ध करायेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण

133–श्री समरपाल सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2001-2002 में ग्राम पंचायत खिरिया रतन विकास खण्ड जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने ग्राम निधि से कितना रुपया ग्राम के विकास व शौचालयों के निर्माण हेतु आहरित किया ? क्या यह सही है कि उक्त आहरित धनराशि का अब तक उपयोग नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

ग्राम पंचायत खिरिया रतन विकास खण्ड जैतीपुर, जिला–शाहजहांपुर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वर्ष 2001–2002 में ग्राम निधि खातों से कुल रुपया 67012.00 आहरित किया गया । आहरित धनराशि के सापेक्ष रु० 67002.00 का उपयोग 30 शौचालय निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों जैसे खड़ंजा निर्माण, वृक्षारोपण एवं इण्डिया मार्का–II हैण्ड पम्प मरम्मत इत्यादि कार्यों पर व्यय किया गया । शेष 10.00 प्रधान के पास नकद उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

जनपद एवं तहसील चन्दौली में स्वीकृत पुल निर्माण

134–श्री शिव तपस्या पासवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एवं तहसील चन्दौली के अन्तर्गत बबुरी–धरौली मार्ग पर ग्राम जगदीशपुर के समीप चन्द्र प्रभा नदी पर सांसद निधि से स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था ? क्या यह सही है कि पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

धनराशि की उपलब्धता के अनुसार शासनादेश संख्या–2500/35–5–97–8(66)97–99 टी०सी०, दिनांक 25 नवम्बर, 97 के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर जिला चिकित्सालय में कम्पलसरी रोटेरी इन्टर्नशिप के छात्रों के स्कालरशिप का भुगतान कराने की मांग

135–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला चिकित्सालय, सीतापुर में 2 मार्च, 2001 से 2 मार्च, 2002 तक कितने छात्रों ने कम्पलसरी रोटेरी इन्टर्नशिप की थी उन छात्रों के नाम क्या हैं ? क्या इन छात्रों को उक्त इन्टर्नशिप के अन्तर्गत मिलने वाली स्कालरशिप 1950/- प्रतिमाह का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां, छः छात्रों ने ।

(1) मो० राशिद

(2) श्री अनुज मेहरोत्रा

(3) श्री धीरज खेतान

(4) श्री राजेन्द्र कुमार

(5) श्री मुकेश पहाड़ी

(6) श्री विष्णु कुमार शर्मा

जी नहीं ।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 24-6-2000 एवं 16-11-2000 द्वारा कुल रु० 70,000/- की धनराशि का आवंटन भुगतान हेतु किया गया था जिसके विरुद्ध नागपुर के 2 एवं अलीगढ़ के 01 छात्र को इन्टर्नशिप का भुगतान किया गया, जो देय नहीं था । महानिदेशालय के पत्र

दिनांक 16-10-2001 द्वारा उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजों के अतिरिक्त अन्य कालेजों/प्रान्तों से एम०बी०बी०एस० करने वाले छात्रों का भुगतान क्यों एवं किसके आदेश पर किया गया है, के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है ।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पत्र दिनांक 31-5-2002 द्वारा रु० 20,000/- तथा पत्र दिनांक 13-8-2002 द्वारा रु० 50,000/-आवंटित कर दिया गया है । इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में कुल रु० 70,000/- की राशि आवंटित कर दी गई है । अभी केवल छः माह का बजट प्राप्त हुआ है । अतिरिक्त बजट प्राप्त होने पर वांछित धनराशि आवंटित कर दी जायेगी ।

136–श्री राजेन्द्र सिंह राणा तथा श्री संजय गर्ग–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना की कालोनी में सड़क निर्माण कराने की मांग

137–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई में भवन संख्या–एल–1117 से एल–1121 एवं एल–1356 से एल–1372 तक सड़क निर्माण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त भवनों के सामने सड़क का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क पूर्व से ही बनी हुई है ।

उपरोक्तानुसार ।

सड़क पूर्व से ही निर्मित होने के कारण ।

जनपद गोण्डा विकास खण्ड छपिया के गांवों में क्षतिग्रस्त पोल ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

138–श्री राम करन आर्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में ऊर्जीकृत गांवों में विगत कई माह से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वर्तमान वर्ष में मसकनवा से पूर्व जो सीमेन्ट पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे तत्काल ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्षतिग्रस्त खम्भों को बदल कर विद्युत आपूर्ति पहले ही सामान्य रूप से की जा रही है।

जनपद गोण्डा, मसकनवा विद्युत उपकेन्द्र से चास के आगे ठप विद्युत आपूर्ति चालू कराने की मांग

139-श्री राम करन आर्य-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में गोण्डा जनपद के मसकनवा विद्युत उपकेन्द्र पर अकुशल एवं अपर्याप्त लाइन मैन तथा पेट्रोलिंग मैन के कारण चास के आगे विद्युत आपूर्ति कई महीनों से ठप पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल व्यवस्था कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गम्भीर उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

लखनऊ के राजकीय तकमिल उतिब कालेज (यूनानी) मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य के स्थानान्तरण करने की मांग

140-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० एहतशामुल-हक-कुरैशी, प्रधानाचार्य, राजकीय तकमिल-उतिब कालेज (यूनानी) मेडिकल कालेज, लखनऊ विगत दस वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

डा० एहतशामुल हक-कुरैशी, राजकीय तकमिल उतिब कालेज लखनऊ में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 1-9-1993 से तैनात हैं।

वर्तमान में स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्थानान्तरण का समय समाप्त हो गया है। आगामी स्थानान्तरण के समय शासन की नीति के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ, लिबर्टी कालोनी एवं सर्वोदय नगर आदि में पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने की जानकारी

141-श्री राजेन्द्र यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लिबर्टी कालोनी एवं सर्वोदय नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ में सप्लाई स्कीम (अण्डर नार्मल प्रोग्राम) के तहत 5 कि०मी० तक पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए शासन द्वारा दिनांक 12-12-2001 को 50 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे ? क्या यह सही है कि मात्र 1 कि०मी० पाइप लाइन डाली गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शेष

4 कि०मी० पाइप लाइन डालने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । शासनादेश संख्या–5262/नौ-5-2001,दिनांक 12-12-2001द्वारा रु० 50.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी, जिसे शासनादेश सं०–152/9-5-2002, दिनांक 15-2-02 द्वारा संशोधित करते हुए 15.00 लाख रुपया की धनराशि स्वीकृत की गयी ।

जी हां ।

तकनीकी आधार पर डिजाइन में आंशिक परिवर्तन प्रस्तावित है ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में शेष पाइप.लाइन डाल दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जनपदों में स्टेडियम या तरणताल का निर्माण कराने की मांग

142–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण प्रतिभाशाली नवयुवकों एवं युवतियों को खेलकूद में अभिरुचि बढ़ाने हेतु खेलकूद मैदान स्टेडियम या तरणताल का जनपदों में निर्माण कराये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्रामीण क्षेत्रों से क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की उपलब्धता एवं उन्हें निर्मित कराये जाने का दायित्व युवा कल्याण विभाग का है इस विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत से युवक मंगल दलों को एक एकड़ भूमि की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान को तथा विकास खण्ड स्तर पर स्टेडियम के निर्माण हेतु तीन एकड़ भूमि सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराने व धन की उपलब्धता के आधार पर मिनी ग्रामीण स्टेडियम बनाने की नीति है । जनपदीय मुख्यालयों पर स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, तरणताल का निर्माण जिला सेक्टर से धनराशि व निःशुल्क भूमि की उपलब्धता के आधार पर खेलकूद विभाग द्वारा कराया जाता है ।

उपरोक्त प्रत्तर से स्पष्ट किया जा चुका है कि भूमि की उपलब्धता एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर ही निर्माण कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं ।

143–श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

[5वें सोमवार के अता० प्र० सं० 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के जिलाधिकारी द्वारा तहसील मॉट के ग्राम पंचायत कारब द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता के दोषी प्रधान को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

144–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा दोष सिद्ध प्रधान, ग्राम पंचायत कारब, तहसील-मॉट के निलम्बन समाप्त करते हुए वित्तीय शक्तियां पुनः प्रदान कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए उक्त ग्राम प्रधान का निलम्बन बहाल न करते हुए उप-प्रधान को प्रभारी ग्राम प्रधान का कार्य भार सौंपेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रधान ग्राम पंचायत ब्लाक राया को प्रारम्भिक जांच में कतिपय आरोपों में दोष सिद्ध होने पर जिलाधिकारी, मथुरा के आदेश दिनांक 5-11-2001 के द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों तथा शक्तियों से विरत करते हुए वह अधिकार तीन सदस्यीय समिति को सौंपे गए । सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या–42838/2001 में पारित आदेश दिनांक 14/22-12-2001 के अनुपालन में वर्तमान में ग्राम प्रधान को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से विरत नहीं रखा गया है ।

उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा–95(1)(छ) के अन्तर्गत प्रधान को अनियमितताओं का दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों से विरत करके यह शक्तियां ग्राम पंचायत की त्रि-स्तरीय समिति को सौंपने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश दिनांक 14/22-12-2001 के प्रभावी होने के कारण प्रधान को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों से विरत नहीं रखा गया है ।

लखनऊ शहर के कतिपय व्यावसायिक स्थानों पर पार्किंग स्थल बनाये जाने का प्रकरण

145–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के हजरतगंज, इन्दिरा नगर एवं कपूरथला व्यवसायिक केन्द्रों पर पार्किंग स्थल बनाये जाने हेतु कोई कार्य योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

146–श्री बैजनाथ दुबे–

[4थे गुरू के अता०प्र०सं०–71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ के मायानगर एवं बगिया मुंशीगंज में प्रकाश व्यवस्था की मांग

147–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माया नगर एवं बगिया मुंशीगंज, जनपद–लखनऊ में प्रकाश की व्यवस्था हेतु समस्त पोलों पर ट्यूब लाइट लगी हैं ? यदि नहीं, तो जिन पोलों पर ट्यूब लाइट नहीं लगायी गयी है, उन पर ट्यूब लाइट कब तक लगा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

मायानगर में 8 पोलों पर साधारण बल्ब लगे हैं । 4 पोल खाली है । पोलों पर ट्यूब फिटिंग लगी हुई है, जो जल रही है । बगिया मुंशीगंज में 5 पोल खाली है । शेष पोलों पर ट्यूब लाइट फिटिंग है, जो जल रही है ।

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुसार यह कार्य नगर निगमों के दायित्वों के अन्तर्गत आता है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ की कानपुर रोड योजना के आवासीय पार्कों से अवैध कब्जा हटवाने सम्बन्धी जानकारी

148–श्री रामजीत राजभर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ की कानपुर रोड योजना अन्तर्गत जी० ब्लाक में बने भवन संख्या एस०एस० 812 एवं एच० ब्लाक में बने आवास संख्या एस०एस० 1395 के पीछे खाली पड़े प्लाटों/पार्कों में भैंस पालकों द्वारा भैंसें पाली जा रही हैं ? जिसके कारण वहां गन्दगी व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान से भैंसों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत प्लाटों/पार्कों में भैंस पालकों द्वारा भैंसे नहीं पाली जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के भरथना नगर में मोतीगंज मुहल्ले में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराने की मांग

149–श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जनपद के भरथना नगर में मोतीगंज मुहल्ले में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में पानी की टंकी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कर्तव्य है ।

जनपद इटावा, नगर पालिका परिषद् के भरथना नगर में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जानकारी

150–श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इटावा जनपद की भरथना नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत भरथना नगर के पेयजल आपूर्ति हेतु तीन ट्यूबवेलों के फेल हो जाने से पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार पेयजल संकट के निराकरण हेतु ट्यूबवेलों को ठीक कराकर शीघ्र जलापूर्ति की व्यवस्था करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । नगर पालिका परिषद् भरथना में अधिष्ठापित चार नलकूपों में से एक नलकूप से आंशिक तथा एक नलकूप से पूर्ण तौर पर जलापूर्ति की जा रही है ।

उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अन्तर्गत जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कर्तव्य है, फिर भी इसे ठीक कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद एटा विद्युत आपूर्ति ग्रेड एच एक व दो से विद्युत आपूर्ति करने सम्बन्धी जानकारी

151–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत आपूर्ति ग्रेड एच (एक) एवं विद्युत आपूर्ति ग्रेड एच (2) क्रमशः दोनों में कितने-कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाती है ? क्या प्रमुख औद्योगिक कस्बा गंज डुण्डवारा, जनपद (एटा) को विद्युत आपूर्ति ग्रेड एच दो के आधार पर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

वर्तमान में ग्रेड एच (एक) एवं ग्रेड एच (दो) में प्रतिदिन लगभग 08 घण्टे तथा 16 घण्टे क्रमशः विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में सीमित संसाधनों के कारण प्रतिदिन 08 घण्टे से अधिक विद्युत आपूर्ति करा पाना सम्भव नहीं है ।

जनपद एटा के तहसील मुख्यालय में विद्युत सब स्टेशन खोले जाने की मांग

152–श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–एटा के कस्बा पटियाली में विद्युत सब स्टेशन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? तहसील मुख्यालय में विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत कर खोल दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

कस्बा पटियाली को 33 के०वी० उपकेन्द्र गंजडुडवारा से विद्युत आपूर्ति की जाती है ।

तकनीकी रूप से आवश्यक होने पर संसाधन की उपलब्धता के अनुसार नये 33 के०वी० उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाता है ।

कस्बा पटियाली की विद्युत आवश्यकता के अनुसार क्षेत्र का तकनीकी परीक्षण महाप्रबन्धक (वि०) आगरा क्षेत्र द्वारा कराकर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद रायबरेली विद्युत उपकेन्द्र बछरावां में समोध फीडर पर विद्युत आपूर्ति बाधित सम्बन्धी जानकारी

153–श्री राम लाल अकेला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत उपकेन्द्र बछरावां, रायबरेली में समोध फीडर खराब रहता है और इस फीडर पर अधिक लोड है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो उक्त फीडर कब तक अलग कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त 11 के०वी० फीडर पर 90 एम्पियर लोड है । अधिक लोड के कारण विद्युत आपूर्ति तब तक बाधित नहीं हो सकती जब तक 11 के०वी० फीडर की लाइन में कोई दोष उत्पन्न हो जाने के कारण लाइन में ब्रेकडाउन न हो जाय ।

जनपद मैनपुरी, विकास खण्ड कुरावली के ग्राम पंचायत अधिकारी के सेवानिवृत्त पश्चात् सामूहिक बीमा की धनराशि के भुगतान की मांग

154–श्री अशोक सिंह चौहान–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के विकास खण्ड कुरावली से ग्राम पंचायत अधिकारी के पद से दिनांक 30-6-95 को सेवानिवृत्त हुए श्री विश्वनाथ सिंह को अब तक सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

श्री विश्वनाथ सिंह का बीमा दावा सम्बन्धी प्रकरण उ० प्र० राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय को सन्दर्भित है । बीमा धन का चेक प्राप्त होते ही भुगतान करा दिया जायेगा ।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण सम्बन्धी जानकारी

155–श्री परागी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के गैसड़ी, विधान सभा के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु वर्ष 98-99, 99-2000 एवं 2000-2001 में चयनित किया गया है ? विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितने शेष हैं ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 98-99, 99-2000 एवं 2000-2001 के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 32 ग्रामों का विद्युतीकरण हेतु चयन किया गया ।

उपरोक्त ग्रामों में से 24 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण करा दिया गया है । तथा 8 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ।

जनपद बलरामपुर, विकास खण्ड गैसड़ी के ग्राम मुहुआ विशनपुर के खराब ट्रान्सफारमर को बदलने की मांग

156–श्री परागी लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड गैसड़ी ग्राम मुहुआ विशनपुर का ट्रान्सफार्मर विगत आठ महीने से खराब है ? यदि हां, तो उक्त खराब ट्रान्सफार्मर को कब तक बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

खराब ट्रान्सफार्मर बदला जा चुका है ।

जनपद मथुरा में ताज ट्रेपोजियम द्वारा ग्रामों में किये जा रहे विद्युतीकरण की जानकारी

157–श्री श्याम सिंह अहेरिया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ताज ट्रेपोजियम द्वारा जनपद मथुरा के ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है और कितने ग्रामों में अभी भी विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है ? शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जनपद मथुरा में ताज ट्रेपोजियम के अन्तर्गत माह 8/2002 तक 24 ग्रामों एवं 72 मजरों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 2 ग्रामों एवं 18 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य लम्बित है।

विद्युतीकरण का कार्य संसाधनों की कमी के कारण लम्बित है। इसलिए कार्य पूर्ण करने की समय सीमा देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ उ० प्र० आवास विकास परिषद् के जमाल हुसैन रिज़वी द्वारा विकलांग कोटे से सामान्य कोटे में आवास आवंटित करने सम्बन्धी प्रकरण

158–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास विकास परिषद्, लखनऊ में जमाल हुसैन रिज़वी द्वारा अल्प आय वर्ग 18/40 दिनांक 8-2-88 को विकलांग कोटे में धनराशि जमा कर पंजीकरण करवाया गया था और उनकी मृत्योपरान्त दिनांक 31-10-96 को उनके पुत्र श्री एतेशाम अब्बास रिज़वी द्वारा सामान्य कोटे के अन्तर्गत शेष धनराशि जमा कर सामान्य कोटे से आवास आवंटन की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो इनको आवास का आवंटन अब तक न होने के क्या कारण हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी नहीं।

विकलांग कोटे से सामान्य कोटे में परिवर्तन हेतु अल्प आय वर्ग श्रेणी के भवन के लिए परिषद् द्वारा निर्धारत की गई पंजीकरण धनराशि रुपये 20,000/- देय होता है। श्री रिज़वी के पुत्र श्री एतेशाम अब्बास रिज़वी द्वारा परिषद खाते में कुल रुपये 10,000/- ही जमा किया गया है। श्री एतेशाम अब्बास रिज़वी के द्वारा अवशेष धनराशि रुपये 10,000/- परिषद के खाते में जमा किए जाने एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने पर भविष्य में होने वाले भवन आवंटन के लिए लाटरी ड्रा में सम्मिलित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती के आवास विकास परिषद् में कार्यरत श्री सैयद जलाल हैदर रिज़वी का मा० उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

159–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–69 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलाल हैदर रिज़वी बनाम उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् वाद संख्या–3185/1991 में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा रिकाल अप्लीकेशन कब प्रस्तुत की गयी थी ? क्या रिकाल अप्लीकेशन पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ ने उक्त वाद में अपने आदेश दिनांक 18-3-97 को निरस्त किया है ? यदि नहीं, तो आदेश प्रभावी होते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

श्री जलाल हैदर रिज़वी बनाम उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद से सम्बन्धित वाद संख्या–3185/1991 में आवास विकास परिषद के द्वारा दिनांक 2-8-2002 को मा० उच्च न्यायालय में रिकाल अप्लीकेशन प्रस्तुत की गयी है ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के द्वारा मा० उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई रिकाल अप्लीकेशन पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा के उप निबन्धक कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों के बकाये वेतन भुगतान की मांग

160–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विभिन्न उप निबन्धक कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी निबन्धन लिपिकों के फरवरी, 2001 से बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद–गोण्डा के उपनिबन्धक कार्यालय गोण्डा सदर, मनकापुर, तरबगंज एवं करनैलगंज में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी लिपिकों के फरवरी, 2001 से बकाया वेतन का भुगतान निम्नानुसार किया जा चुका है :–

(1) सदर कार्यालय का नवम्बर, 2001 तक का भुगतान 10 दिसम्बर, 2001 को किया जा चुका है ।

(2) कार्यालय उपनिबन्धक मनकापुर का मई 2001 तक का भुगतान 05 जुलाई, 2001 को किया जा चुका है ।

(3) कार्यालय उपनिबन्धक तरबगंज का मई 2001 तक का पारिश्रमिक का भुगतान दिनांक 05 जुलाई, 2001 को किया जा चुका है ।

(4) कार्यालय उपनिबन्धक करनैलगंज का जनवरी 2001 तक का पारिश्रमिक का भुगतान दिनांक 05 जुलाई, 2001 को किया जा चुका है ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान इनके कार्य के अनुरूप कार्यालयों से प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर समय-समय पर किया जाता है ।

उक्त बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं में उत्तीर्ण स्नातकों को अनिवार्य इण्टर्नशिप हेतु निदेश के सम्बन्ध में जानकारी

161–श्री कमाल यूसुफ मलिक, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री अनिल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें की कार्यालय ज्ञाप संख्या 1578/96/शिक्षा दिनांक 9-1-98 द्वारा बी०ए० एम०एस०बी०यू०एम०एस० उत्तीर्ण स्नातकों को अनिवार्य इन्टर्नशिप हेतु प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह कार्यालय ज्ञाप प्रदेश में स्थित केन्द्रीय मेडिकल कालेजों (बी०एच०यू० वाराणसी एवं ए०एम०यू० अलीगढ़) समेत सभी मेडिकल कालेजों के बी०ए०एम०एस०/ बी०यू०एम०एस० छात्रों पर लागू होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इसके लिए प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा यथोचित आदेश निर्गत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं । मात्र उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में उत्तीर्ण स्नातकों पर ही लागू है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु बन रहे विभिन्न विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण शीघ्र पूरा कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

162–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था ठीक करने हेतु हरदोई रोड पर बन रहे 220 के०वी० उपकेन्द्र तथा खुर्रमनगर एवं मार्टिन पुरवा लखनऊ में बन रहे 132 के०वी० उपकेन्द्र से सम्बन्धित पारेषण लाइन एवं टावर बनकर तैयार हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त उपकेन्द्रों से कब तक विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं ।

निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है ।

1– 220 के०वी० हरदोई रोड उपकेन्द्र के चालू होने का लक्ष्य अगस्त/2003 निर्धारित है ।

2- 132 के०वी० उपकेन्द्र खुर्रमनगर के चालू होने का लक्ष्य मई, 2003 निर्धारित है ।

3– 132 के०वी० उपकेन्द्र मार्टिन पुरवा के चालू होने का लक्ष्य मई/2003 निर्धारित है ।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाओं में चिकित्सा अधिकारी के पद सृजन करने की मांग

163–श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाओं में आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों के लिए चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

नये पदों के सृजन का कोई औचित्य नहीं पाया गया । स्वीकृत पदों से ही काम कराया जायेगा ।

यू०पी० कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच रिपोर्ट पर अग्रतर कार्यवाही की जानकारी

164–श्री शाकिर अली तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) की जांच संख्या–वीसी 41/99 की जांच रिपोर्ट दिनांक 30-11-99 को एवं उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान की जांच संख्या–140/2000, 141/2000 एवं 142/2000 की जांच रिपोर्ट दिनांक 25-11-01 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

प्रश्न में उल्लिखित पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता की जांच संख्या वी०सी०/41/99 की जांच रिपार्ट दि० 30-11-99 को एवं उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान की जांच संख्या 140/2000, दिनांक 25-6-2001 को तथा जांच संख्या–141/2000 व 142/2000 दिनांक 27-11-2001 को प्राप्त हुई ।

उक्त जांच संख्या वी०सी० 41/99 में कुल 8 आरोपों की जांच की गयी जिनमें से आरोप सं०-6 जांच से अप्रमाणित पाया गया । आरोप संख्या–4, 5 व 7 पर विभागीय कार्यवाही की गयी तथा आरोप सं० 1, 2, 3, व 8 के बारे में शासन के निर्णयोपरान्त जांच उ०प्र० सतर्कता अधिष्ठान से करायी गयी । उ०प्र० सतर्कता अधि० की उक्त जांच संख्या–140/2000, 141/2000 व 142/2000 की रिपोर्टों पर अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद बागपत के विकास खण्ड बड़ौत में कृषकों के विद्युत नलकूप कनेक्शन चालू कराने की मांग

165–श्री अजय कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत द्वारा मार्च, 2000 तक कृषकों से नये नलकूप हेतु इस्टीमेट के आधार पर धनराशि जमा करा ली गयी है, परन्तु अभी तक कनेक्शन चालू नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो विद्युत कनेक्शन कब तक चालू किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

जनपद–बागपत के विद्युत वितरण खण्ड बड़ौत को वर्ष 2002-2003 हेतु अनन्तिम रूप से 310 निजी नलकूपों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है । निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

वर्ष 2002-03 में लक्ष्य के अनुसार निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं को संयोजन प्रदान किये जायेंगे । अवशेष लम्बित निजी नलकूपों के संयोजन आगामी लक्ष्य प्राप्त होने पर लक्ष्य के अनुसार दिये जायेंगे । प्रर्याप्त लक्ष्य न होने के कारण समय सीमा देना सम्भव नहीं है ।

166–श्री राम किशुन–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

167–श्री राम किशुन--

[6ठे शुक्र के लिए स्थगित]

जनपद गोरखपुर के बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के निर्देशों का पालन किये जाने की जानकारी

168–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर की एम०बी०बी०एस० डिग्री की मान्यता रद्द करने की नोटिस दी थी ? यदि हां, तो मान्यता रद्द करने के क्या कारण बताये गये थे ? सरकार ने इन कमियों को दूर करके एम०बी०बी०एस० की मान्यता को रद्द होने से बचाने का क्या प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा मान्यता रद्द नहीं की गई है अपितु यह निर्देश दिये गये है कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अनुमोदित प्रवेश क्षमता 50 के सापेक्ष ही प्रवेश दिये जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में धर्मशाला पर उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि

169–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में धर्मशाला पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि से कितनी राशि देय थी ? राशि में से अब तक कितना धन अवमुक्त किया गया ? शेष बची हुई राशि को उपभोग प्रमाण-पत्र मिलने के बावजूद अब तक अवमुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त शेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जावेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

रु० 300.00 लाख देय थी ।

रु० 100.00 लाख अवमुक्त किया गया ।

नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचना के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, जो मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर से मांगा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० जल निगम में अवर एवं सहायक अभियन्ता के अस्थायी पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

170–श्री कौशल किशोर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० जल निगम के पत्रांक संख्या–748/मू०मे०/अ–2 दिनांक 1-7-1997 के अन्तर्गत विज्ञापित आरक्षित वर्ग के लिए विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत 495 अवर अभियन्ताओं एवं 103 सहायक अभियन्ताओं के चयन हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरान्त परिणाम घोषित किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30-7-2002 प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उ०प्र० जल निगम में अनुसूचितजाति/जनजाति का आरक्षित कोटा पूरा किये जाने हेतु सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता एवं नैत्यिक लिपिक के अस्थायी पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 28 फरवरी, 98 तक की अवधि के लिए कुल 480 अधिसंख्यपदों का सृजन किया गया था । प्रश्नगत अवधि व्यतीत हो चुकी है, अतएव उक्त पद अब समाप्त हो चुके हैं । उक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में वर्ष 97 में परीक्षा आयोजित कर चयन कार्यवाही सम्पन्न की गयी थी । किसी भी परीक्षा के परिणामस्वरूप तैयार की गयी चयन सूची केवल एक वर्ष के लिए प्रभावी रहती है । वर्तमान में उक्त पद विद्यमान नहीं हैं एवं चयन सूची प्रभावी नहीं रह गयी है, अतएव उक्त चयन का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर ग्राम फैजुल्लापुर स्योहारा में आबादी के ऊपर की हाई बोल्टेज लाइन को अन्यत्र हटाने की मांग

171–श्री अब्दुल कलाम–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम फैजुल्लापुर स्योहारा जनपद बिजनौर में घनी आबादी के ऊपर जमापुर फीडर व टाउन फीडर की 11000 के०वी० की लाइन को अन्यत्र हटाने के लिए वहां की जनता द्वारा जुलाई, 2002 में अधीक्षण अभियन्ता पावर कारपोरेशन बिजनौर को प्रार्थना-पत्र दिया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां ।

11 के०वी० विद्युत लाइन का निर्माण किये जाने के बाद, विद्युत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए, अनेक लोगों ने उक्त 11 के०वी० लाइन के नीचे अपने मकान बना लिये । सम्बन्धित 11 के०वी० लाइन को अन्यत्र हटाने के लिए सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है । सर्वेक्षण में यदि लाइन को अन्यत्र हटाया जाना तकनीकी दृष्टि से उचित पाया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा नियमानुसार आवश्यक

धनराशि जमा किये जाने की स्थिति में, 11 के०वी० की लाइन को हटाने का कार्य सम्पन्न कर दिया जायेगा ।

जनपद गोरखपुर राप्ती नगर परियोजना में आवंटियों को मा० उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार वार्षिक ब्याज की वसूली

172–डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की राप्ती नगर योजना में पत्रकारों तथा समाज के अन्य वर्गों के लिए प्राथमिकता पर भू आवंटन हुए थे ? यदि हां, तो किस दर से ? क्या यह सही है कि भूमि की रजिस्ट्री तथा मालिकाना हक आवंटियों को मिल जाने के बाद भूमि की दर बढ़ा दी गयी तथा बढ़ी हुई दर पर आवंटन के समय से ब्याज की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ब्याज की वसूली को स्थगित करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

भूखण्ड रु० 15.00 प्रति वर्गफुट की दर से आवंटित किये गये थे ।

जी हां ।

राप्ती नगर आवासीय योजना के भूखण्ड मूल्य के विवाद पर मा० उच्च न्यायालय में आवंटियों द्वारा योजित याचिकाओं में पारित निर्णय के अनुपालन में अध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27-08-98 को पारित आदेशों के अनुसार शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजना के आवंटियों के अतिरिक्त योजना के अन्य आवंटियों से राप्ती नगर आवासीय योजना में वास्तविक दर की गणनानुसार बकाया अन्तर धनराशि तथा छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वसूली की जा रही है ।

उपरोक्त आधार पर प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ, जल निगम द्वारा नया पुरवा फैजुल्लागंज पेयजल योजना के निर्माण हेतु सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्य कराने की मांग

173–श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजुल्लागंज वार्ड, लखनऊ के निवासियों की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जल निगम द्वारा नया पुरवा फैजुल्लागंज पेयजल योजना का निर्माण मुख्य नगर अधिकारी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1999 में तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त योजना हेतु शासन द्वारा धन स्वीकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–114(7) के अन्तर्गत (निगम) जलकलों का प्रबन्धन एवं संधारण तथा पर्याप्त जल सम्भरण के लिये नये कार्यों का निर्माण नगर निगमों का कर्तव्य है । उक्त कार्य हेतु नगर निगम, लखनऊ का अपने संसाधन तथा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से कराया जाना होगा ।

जनपद सीतापुर विकास खण्ड महमूदाबाद की ग्राम पंचायत कुण्सड़ा के ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

174–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत कुण्सड़ा, विकास खण्ड महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी द्वारा माह दिसम्बर, 2000 से माह मार्च, 2001 तक कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये हैं ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नगत अवधि में सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा वृक्षारोपण मिट्टी कार्य एवं मिट्टी पटाई कार्य, गुटकों (रोड़ा) पटाई, हैण्ड पम्प लगाने आदि कार्य कराये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र की सेवानिवृत्त मेट सर्वेन्ट श्रीमती रूपादेवी के समस्त देयों का भुगतान कराने की मांग

175–श्री राम करन आर्य–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र, सी०बी० गंज, बरेली कार्यालय से दिनांक 30-4-1998 को सेवानिवृत्त मेट सर्वेन्ट श्रीमती रूपा देवी को दिनांक मई, 1998 से पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान विभाग द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार श्रीमती रूपा देवी को वर्तमान दरों पर ग्रेच्युटी तथा सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण की सुविधा देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

स्व० श्रीमती रूपा देवी, मेड सर्वेन्ट द्वारा अपनी सेवावधि एवं सेवानिवृत्त दिनांक 30 -1998 के उपरान्त भी अपने जीवनकाल में आवश्यक पेंशन प्रपत्र अपर श्रमायुक्त कार्यालय बरेली में प्रस्तुत नहीं किए गए थे । दुर्भाग्यवश दिनांक 10-6-1998 को उनका देहान्त हो गया। पेंशन देयता की तिथि 1-5-98

से स्व० रूपा देवी की मृत्यु दिनांक 10-6-98 की अवधि में अनुमन्य पेंशन की राशि कुल रु० 2420/- बनती है, को उनके आश्रित पुत्र श्री रामचन्द्र कन्नौजिया द्वारा ग्रहण करने से इन्कार कर दिया गया है।

स्व० श्रीमती रूपा देवी के आश्रित पुत्र श्री रामचन्द्र कन्नौजिया को वर्तमान दरों पर ग्रेच्युटी रु० 60.603/- एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात अवकाश नकदीकरण हेतु रु० 11.560/- का भुगतान किया जा चुका है। ऊपर अंकित ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान आश्रित पुत्र को किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महोबा की पेयजल समस्या का कथित प्रकरण

176–श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा की पेयजल समस्या के समाधान हेतु जो हैण्ड पम्प स्थापित किये गये हैं उनमें से लगभग आधे खराब चल रहे हैं ? यदि हां, तो खराब पड़े हुए हैण्ड पम्प की मरम्मत तथा नये हैण्ड पम्पों की स्थापना हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर, पनकी वाष्प शक्ति गृह के सहायक अभियन्ता श्री अहमद हुसैन को अन्यत्र स्थानान्तरण करने की मांग

177–श्री रामजीत राजभर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पनकी वाष्प शक्ति गृह पनकी कानपुर में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत श्री अहमद हुसैन मार्च, 1993 से लगातार कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री हुसैन का अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी हां।

अभी नहीं, क्योंकि परियोजना में तैनाती की सामान्य सीमा 10 वर्ष है।

जनपद व ब्लाक फिरोजाबाद के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की मांग

178–श्री अजीम भाई–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में चयनित अम्बेदकर ग्राम सेंगई, सिकहरा में विद्युतीकरण का कार्य करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधनों की कमी के कारण इन ग्रामों के विद्युतीकरण को समय सीमा देना सम्भव नहीं है।

कानपुर देहात की नगर पंचायत सिकन्द्रा की भूमि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बेचने पर जांच विषयक कार्यवाही

179–श्री राम करन आर्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर देहात के सिकन्द्रा नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा तालाब को बेचकर मकान व दुकानें बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बालक राम, निवासी सिकन्द्रा का शिकायती-पत्र दिनांक 16-7-2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी सिकन्द्रा से करायी गयी। जिसमें यह पाया गया है कि नगर पंचायत सिकन्दरा की भूमि संख्या–969 जो अभिलेखों में तालाब अंकित है, उस पर श्री सुरेश बाबू, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत सिकन्द्रा एवं श्री शिवनाथ पुत्र श्री अशर्फी लाल निवासी सिमटा–मऊ द्वारा मकान व दुकानें निर्मित करायी गयी है इसके संबंध में पी०पी० ऐक्ट के अन्तर्गत वाद उप जिलाधिकारी, सिकन्द्रा कानपुर देहात के न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, नगर पालिका परिषद द्वारा बनवाये गये शौचालय के निर्माण की लागत व खराब पड़े शौचालयों को ठीक कराने की मांग

180–श्री कल्यान सिंह दोहरे–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद्, कन्नौज में कितने सुलभ शौचालय डूडा स्कीम द्वारा वर्ष 1996 के बाद बनवाये गये हैं तथा उन पर कितनी लागत आयी है ? उनमें से कितने सुलभ शौचालय चालू स्थिति में हैं तथा कितने खराब पड़े हुए हैं ? खराब सुलभ शौचालयों को ठीक कराकर कब तक चालू करा दिये जायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

डूडा कन्नौज द्वारा वर्ष 1996 के बाद 08 सामुदायिक शौचालय नगर पालिका परिषद, कन्नौज की मलिन बस्तियों में बनवाये गये हैं।

उक्त 08 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण पर रुपया 23.08 लाख की लागत आयी है।

05 सामुदायिक शौचालय चालू स्थिति में है तथा 03 खराब पड़े हैं।

खराब शौचालयों को ठीक कराकर शीघ्र ही चालू करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जनपद बरेली, ब्लाक व तहसील मीरगंज की ग्राम पंचायत विपूरिया के ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत खातों से धन निकालकर निजी कार्यों में खर्च करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

181–श्री सुल्तान बेग–

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत विपूरिया अब्दुल्लागंज, ब्लाक व तहसील मीरगंज, जिला बरेली द्वारा ग्राम पंचायत खातों से धन निकालकर अपने निजी कार्यों पर खर्च करके ग्राम पंचायत को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 8-5-2002 को मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 16–5–2002 प्राप्त हुआ है न कि दिनांक 8–5–2002 का । प्राप्त पत्र दिनांक 16–5–2002 पर जांच कराई गई । संदर्भित प्रकरण में करायी गयी जांच में शिकायत निराधार पाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद महाकुम्भ मेले हेतु नैनी ब्रिज सड़क निर्माण पर व्यय धनराशि तथा विवरण

182–श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001 में महाकुम्भ मेले के अवसर पर मिन्टो पार्क के आगे यमुना रोड नैनी ब्रिज सड़क निर्माण कराने में कितना धन स्वीकृत एवं व्यय हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क एक वर्ष के अन्दर ही क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कुम्भ मेला के अवसर पर मिन्टो पार्क से नैनी ब्रिज तक यमुना रोड (नदी की ओर स्थित अर्द्धभाग) की पुनर्स्थापना एवं मरम्मत के कार्यों हेतु कुल रु० 20.03 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी तथा उक्त कार्य पर कुल रु० 26.76 लाख व्यय हुआ था । जी हां । वर्ष 2001 के वर्षाकाल के दौरान कई स्थलों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई है । प्रश्नगत प्रकरण की प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग द्वारा जांच करायी गयी । जांच में कोई अनियमितता न पाये जाने के कारण प्रकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर मेडिकल कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान की मांग

183–श्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पण्डित सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर मेडिकल कालेज के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा मार्च, 2002 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? कारण चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी मार्च, 2002 में 15 दिन तक हड़ताल पर थे ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी मुख्य कोषाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गोरखपुर मण्डल द्वारा जांच की गयी थी । आयुक्त, गोरखपुर मण्डल के पत्र दिनांक 12–4–2002 द्वारा जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, कोषागार उ०प्र० लखनऊ एवं शासन के वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था । अवशेष वेतन बिल त्रुटिपूर्ण/अनियमित होने के कारण मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पारण नहीं किया गया था । परीक्षणोपरान्त पाई गयी त्रुटियों का निराकरण कर अवशेष देयों के भुगतान हेतु महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा आदेश/निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं । मुख्य कोषाधिकारी के पद के प्रशासकीय विभाग वित्त विभाग है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ग्राम मकदूमपुर में गंगा शरण सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा क्रय भूमि रजिस्ट्रीयारको द्वारा उनके प्रतिकर भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी जानकारी

184–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ग्राम–मकदूमपुर, जनपद–लखनऊ में गंगा शरण सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा विक्रय की गयी भूमि के रजिस्ट्रीकृत तथा अन्य भूखण्डधारकों को अधिसूचना संख्या–2992/9–आ–3-2000-74एल०ए०/96, लखनऊ दिनांक 5-9-2000 द्वारा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दे दिया है ? क्या यह सही है कि कतिपय भूखण्डधारकों द्वारा मुआवजे के स्थान पर प्राधिकरण की योजना में विकास शुल्क देकर उन्हें समायोजित किये जाने की प्रार्थना की गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हितबद्ध कृषकों को प्रतिकर भुगतान हेतु रु० 34.50 करोड़ की धनराशि अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) लखनऊ को उपलब्ध करायी जा चुकी है । गंगाशरण सहकारी गृह निर्माण समिति की अधिग्रहीत भूमि खसरा संख्या–235 के किसी भू-स्वामी द्वारा प्रतिकर प्राप्त नहीं किया गया है । खसरा संख्या–133 में समिति के सदस्य श्रीमती बन्दना गर्ग व श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू जिला अस्पताल में नवीन भवन के निर्माणोपरान्त उसे वातानुकूलित किये जाने की मांग

185–श्री रमेशकान्त लवानिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित सरोजनी नायडू अस्पताल तथा जिला जिला अस्पताल में पोस्ट-मार्टम को वातानुकूलित करने तथा उसके लिए नया भवन बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मेडिकल कालेज, आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल तथा जिला अस्पताल में पोस्ट मार्टम गृह के निर्माण का प्रस्ताव जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है । पोस्ट मार्टम गृह के नवीन भवन के निर्माणोपरान्त उसे वातानुकूलित किया जाना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग

186–श्री रमेश कान्त लवानिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में विभिन्न विभागों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण अथवा मशीन लगाने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल के विभिन्न विभागों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों अथवा मशीन लगाये जाने हेतु साक्ष्य सरकार को पृथक रूप से कोई योजना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय बजट में उपकरणों के क्रय हेतु एक मुश्त बजट व्यवस्था से प्रधानाचार्य के प्रस्तावनानुसार धनराशि स्वीकृत की जाती है ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नाम से निदेशालय गठन करने का कथित प्रकरण

187–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 की विज्ञप्ति सं०–509/बीस–ई–1–96–539/96 दिनांक 06 फरवरी, 1996 के द्वारा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के नाम से नये विभाग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निदेशालय के गठन पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अधीन राज्य नगरीय विकास अभिकरण की स्थापना वर्ष 1990 से होने के कारण निदेशालय के गठन पर विचार की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद लखनऊ भीमराव अम्बेडकर स्मारक उद्यान के क्षेत्रफल व उस पर व्यय धनराशि की जानकारी

188–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित भीमराव अम्बेडकर स्मारक उद्यान का क्षेत्रफल क्या है ? दिनांक 31 जुलाई, 2002 तक उसके निर्माण और विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है तथा कितनी धनराशि अब तक खर्च की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद लखनऊ स्थित डा० भीमराव अम्बेडकर स्मारक का क्षेत्रफल 43 एकड़ है ।

दिनांक 31 जुलाई, 2002 तक इसके निर्माण व विकास के लिए रु० 76.13 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है और उक्त समस्त धनराशि डा० अम्बेडकर स्मारक के निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है ।

कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या –5 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम लाल अकेला–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है आज की कार्य-सूची में मेरा अतारांकित प्रश्न संख्या–5 था उसमें मेरा प्रश्न था कि क्या नगर बछरावां जनपद रायबरेली को हरचन्दपुर विद्युत फीडर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो कि ग्रामीण फीडर है ? उत्तर आया–जी हां । फिर मैंने प्रश्न किया क्या भुगतान शहरी दर से लिया जा रहा है । उत्तर आया–जी हां । मान्यवर, आगे बताया गया कि बछरावां टाउन महाराजगंज तहसील का ब्लाक मुख्यालय है जिसकी आबादी 10 हजार से अधिक है एवं यहां पर पूर्व से मीटर लगे हैं अस्तु टैरिफ के अनुसार बिलिंग शहरी दर से की जा रही है ।

मान्यवर, यह सरासर गलत जवाब दिया गया है । बछरावां नगर यहां से 80 किमी० दूर है और एक भी मीटर कस्बे में नहीं लगा है । और गलत तरीके से बिल लिया जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, मैं बता दूं ताकि अगर आपका जवाब सही नहीं है तो निदेश संख्या–165–166 में आप लिखकर दे दें उसमें तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या –182 का सुसंगत उत्तर न आने पर व्यवस्था का प्रश्न

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मेरा आज अतारांकित प्रश्न संख्या–82 था उसमें मैंने पूछा था कि वर्ष 2001 में महाकुम्भ मेले के अवसर में मिन्टो पार्क के आगे यमुना रोड नैनी ब्रिज सड़क निर्माण कराने में कितना धन स्वीकृत

एवं व्यय हुआ था ? मान्यवर, उत्तर दिया गया कि कुल रु० 20.03 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी तथा उक्त कार्य पर कुल रु० 26.76 लाख व्यय हुआ था । मान्यवर, मुझे आपत्ति उत्तर के दूसरे हिस्से पर है । जिसमें है जी हां वर्ष 2001 के वर्षाकाल के दौरान कई स्थलों पर सड़क क्षतिग्रस्त हुई हैं । मान्यवर, 6 महीने के अन्दर 26 लाख खर्च हुआ और सड़क खराब हो गयी । जब मैं मंत्री था तो मैंने स्वयं जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण किया था । मान्यवर, उसमें भ्रष्टाचार है और पैसा खाया गया है इसकी जांच हुई जांच में कुछ नहीं पाया गया । मैं चाहूंगा कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भी निदेश–165–166 में मंत्री जी को लिखकर दे दें और उस पर समुचित कार्यवाही होगी ।

श्री अजीम भाई–

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को.....

श्री अधिष्ठाता–

आपका व्यवस्था का प्रश्न वही है जो माननीय रामलाल जी का और नरेन्द्र कुमार सिंह जी का था । इसके संबंध में नियमावली और निर्देशों में जो व्यवस्था है तद्नुसार लिखकर दें, वैसी कार्यवाही होगी ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, तारांकित और अल्पसूचित मिलाकर कुल 20 प्रश्न लगाये जाते हैं । यह माना जाता है कि प्रत्येक सदस्य जब प्रश्न देता है तो उसके उत्तर की अपेक्षा करता है जो उत्तर आते हैं यदि वह सुसंगत नहीं है तो अनुपूरक प्रश्न के माध्यम से उत्तर की अपेक्षा की जाती है और सारी जानकारी ली जाती है । लेकिन दुर्भाग्य है हम किसी पर इस सदन में आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन केवल दो तीन प्रश्न से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं । इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो वैसे के वैसे रह जाते हैं । कभी-कभी दो ही प्रश्न आ पाते हैं । कभी व्यवधान हो गया वह अलग है । मेरा आपकी पीठ से निवेदन है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे अधिक से अधिक प्रश्न लिए जायें और कम से कम 12–14–15 लिए जायें । इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर 4–5 प्रश्न ही रखें जायें, इतने अधिक तारांकित प्रश्न न रखे जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका विषय बिल्कुल सही है, उचित है । भविष्य में इस पर ध्यान रखा जाय ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं ।

(नाम पुकारे जाने पर श्री बाबू लाल कुशवाहा, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री राम करन आर्य,

श्रीमती विद्या चौधरी, श्री तेजपाल सिंह, श्री चौधरी बाबू लाल, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री भगवत शरन गंगवार, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री शारदानन्द अंचल, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री मदन गोपाल वर्मा, श्रीमती वीना भारद्वाज तथा श्री उदयभान करवरिया उपस्थित थे ।)

(श्री छेदीराम, श्री शिवकुमार बेरिया, श्री रामवीर सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राकेश पांडेय और श्री शाकिर अली माननीय सदस्य अनुपस्थित थे ।)

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं । श्री सिद्ध गोपाल साहू, श्री राजपाल सिंह बालियान, श्री समरपाल सिंह, श्री राकेश सचान, श्री राजेन्द्र सिंह राणा, श्री उदयराज एवं श्री कोविद कुमार सिंह ।

(सदन में उपस्थित माननीय सदस्यों की स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गई)

बांदा नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत पेयजल समस्या के निदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबू लाल कुशवाहा–

[मान्यवर, बांदा नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत पेयजल की समस्या गम्भीर है । सैकडों हैण्डपम्प खराब पड़े हैं तथा भू-गर्भ जल स्तर गिर जाने के कारण अधिष्ठापित हैण्डपम्प व कुओं का पानी सूख जाने के कारण बेकार हो गये हैं । बांदा नगर के निवासियों के लिये पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकियों, की समय से सफाई समुचित तौर से न होने के कारण गन्दगी व्याप्त है, पानी में कीड़े पड़ गये हैं पेयजल आपूर्ति प्रणाली सिस्टम पंगु व बेकार हो गई है । उसकी पाइप लाइनें पुरानी व जर्जर होने से कई जगह टूट गयी है जिससे उक्त पाइप लाइनों से सीवर व नालियों का गन्दा पानी भर जाने से नगरवासियों में बीमारी फैल रही है । नगरवासियों में आक्रोश व्याप्त है । यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

नगर पालिका परिषद् बांदा क्षेत्र के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति की गम्भीर समस्या पर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बांदा नगर में अनवरत शुद्ध जल-आपूर्ति की मांग करता हूं ।]

जनपद लखनऊ के तेलीबाग स्थित बल्देव बिहार मोहल्ला में जल निकासी हेतु नाली एवं आवश्यक खड़ण्जा/सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

[महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति लोकहित का विषय लाना चाहता हूं ।

जनपद लखनऊ के तेलीबाग स्थित बल्देव बिहार मोहल्ले में राम कुमार, मोती लाल के मकान से लेकर पंत आटा चक्की तक जल निकासी की कोई भी व्यवस्था न होने के कारण मकानों का गन्दा पानी व बरसात का पानी मोहल्ले की कच्ची गलियों में एवं खाली पड़े गड्ढों में जमा होकर सड़ता रहता है । जिससे हमेशा बदबू आती रहती है और मोहल्ले के अधिकांशतः लोग/बच्चे बीमार ही बने रहते हैं जिससे कभी भी महामारी फैल सकती है । कच्ची गलियों में हमेशा गन्दा पानी भरा रहने से कीचड़ के कारण लोगों को आने-जाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इस समस्या का निदान जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर सड़क/खड़ण्जा बनाकर किया जा सकता है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर जनहित में उक्त मोहल्ला-बलदेव विहार के समुचित जल निकासी की व्यवस्था हेतु नाली एवं आवश्यक सड़क/खड़ंजा का निर्माण कराने की शासन से मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के पुरवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-पंचायत त्रिपुरारीपुर को पूर्व की भांति पुरवा तहसील से सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य–

[महोदय मैं आपके माध्यम से एक अति लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा को विभाजित कर एक नई तहसील बीघापुर का गठन किया गया है। जिसमें अन्य ग्राम पंचायतों की भांति ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर को भी पुरवा तहसील से अलग कर नवगठित तहसील बीघापुर में सम्मिलित कर दिया गया है। उक्त ग्राम पंचायत पुरवा तहसील मुख्यालय के अत्यधिक पास, मात्र 5 कि०मी० दूर है जबकि नवगठित तहसील बीघापुर का मुख्यालय 15 कि०मी० से भी अधिक दूरी पर है। इस कारण उक्त ग्राम पंचायत के हजारों ग्राम वासियों को खेती-किसानी, न्यायालय सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य जन सामान्य को तहसील सम्बन्धी अनेक कार्यों के लिये आने-जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह उल्लेखनीय है कि अन्य ग्राम पंचायतों की जिन-जिन समस्याओं के निदान के लिये एक नयी तहसील बीघापुर का गठन किया गया वही जन समस्यायें अब ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर के निवासियों के सामने उपस्थित हो गई हैं। जिससे लोग अनावश्यक रूप से परेशान एवं निराश हैं।

अतः मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इस अति लोक महत्व के विषय पर जन समस्याओं के निदान हेतु जनहित में उक्त ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर को पूर्व की भांति पुरवा तहसील से सम्बद्ध करने हेतु शासन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत डीहा से मेहनगर जाने वाली सड़क पर एवं जमुआ–मिर्जापुर मार्ग पर मंगई नदी पर पुल निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी–

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में डीहा से मेहनगर जाने वाली सड़क पर मंगई नदी एवं जमुआ मार्ग मिर्जापुर मार्ग मंगई नदी पर पुल निर्माण न होने से ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। दूर-दराज से आने जाने में काफी समय बरबाद होता है। आस-पास क्षेत्र की बालक बालिकाओं को नदी पार करते समय अनेकों बार दुर्घटनायें घटित होती रहती हैं। बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाई होती है।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुये सदन में चर्चा कैराने तथा डीहा से मेहनगर जाने वाली सड़क पर मंगई नदी एवं जमुआ मार्ग–मिर्जापुर मार्ग मंगई नदी पर पुल निर्माण तत्काल कराने का आदेश पारित किया जाय।]

दिनांक 1-1-86 के पश्चात् सी० टी० संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को एल०टी० संवर्ग में मानते हुए पंचम वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह–

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान एक लोक महत्व की अविलम्बनीय विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि दिनांक 01-01-1986 से सी०टी० संवर्ग माध्यमिक विद्यालयों में मृत घोषित

नोट :–[,] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो गया है, चूंकि इसका शासनादेश दो वर्ष बाद 1989 में आया जिसके कारण से 1987-88 में सी०टी० संवर्ग में ही प्रार्थीगण (कुछ अध्यापकों श्री सुरेन्द्र सिंह, लाल मुकुन्द पाण्डेय, अविनाश पाण्डेय, जगदीश नारायण सिंह, छेदी प्रसाद गुप्त लेडी प्रसन्न कौर इण्टर कालेज, बसडीला सरदारनगर गोरखपुर) की नियुक्ति हुई, जो कि एल०टी० संवर्ग में होनी चाहिये थी। ऐसी परिस्थिति में राजाज्ञा के अभाव में अभी तक प्रार्थीगण का वेतन का निर्धारण पंचम वेतनमान के अनुसार नहीं हो पाया, जबकि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लाखों अध्यापकों का पंचम वेतनमान का निर्धारण हो चुका है, जिसके कारण उक्त लाभ से वंचित अध्यापकों में रोष व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि दि० 01-01-86 के पश्चात् माध्यमिक विद्यालयों में सी०टी० संवर्ग में नियुक्त अध्यापकों को एल०टी० संवर्ग में मानते हुये तथा वेतन का निर्धारण पंचम वेतनमान के अनुसार कराने की राजाज्ञा जारी करवाने हेतु सरकार को निर्देशित करें। ।

जनपद आगरा के कागारोल से जैगारा ग्राम तक नई विद्युत लाइन बनाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी बाबू लाल–

। मान्यवर, जनपद आगरा के कागारोल सब स्टेशन से जैगारा की विद्युत लाईन बहुत वर्ष पुरानी लाइन बनी हुई हैं। इसमें बिजली के तारों की जगह लोहे के तार डाल दिये गये हैं जिसके कारण बिजली चालू होने पर तार गर्म होकर बार-बार अँटते हैं तथा इस लाइन के करीब एक दर्जन लोगों की मौतें तथा कई पशु मर चुके हैं और लोगों को बिजली नहीं मिलने के कारण करीब 20–25 ग्रामों जिसमें सौनिया, बहा, बघरा नगरीला, जसौला,बसेटी, चाहर वैमन दौरेठा, बानपुर, नगला हीरामन, लेरिया, नगला हीरा सिंह औरंगपुर, कागरैता आदि में अन्धेरा रहता है ट्यूबवेल न चलने के कारण किसानों की फसल सूख रही है तथा बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाती है जिससे इलाके में भारी आक्रोश है तथा जनता आन्दोलित है। उपरोक्त लाइन का नया तार डालकर बनाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त बिजली लाइन को नया बनवाने के निर्देश सरकार को देने की कृपा करें जिससे किसानों को बिजली का लाभ मिल सके तथा बिजली से हुई किसानों की मौतों वाले मृतक आश्रित या उनके परिवार वालों को मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ।

निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में व्याप्त अनियमितताओं को दूर कर शासकीय धन के दुरुपयोग की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

। महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान अनियमितताओं का भण्डार बना है जिससे शासकीय धन का दुरुपयोग करते हुये लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा है। कई कार्मिकों जैसे सर्वश्री राम औतार, रामदेव वर्मा, कु० जयश्री जो क्षेत्रीय अन्वेषक के पद पुराने वेतनमान रुपये 1400–2600 में कार्यरत थे,

---

नोट :– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को रुपये 2200–4000 का प्रोन्नत वेतनमान फरवरी, 1995 से निदेशक द्वारा अनियमित रूप से दे दिया गया तथा रामदेव वर्मा को शोध अधिकारी के राजपत्रित पद पर प्रोन्नति दे दी गयी जब कि इस वेतनमान को स्वीकृत करने तथा इस श्रेणी के राजपत्रित पद पर प्रोन्नति करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदय को हैं। वर्ष 1995 में क्षेत्रीय अन्वेषक के पदोन्नति की सेवा नियमावली नहीं थी। अतः उन्हें शासनादेश के अनुसार 14 वर्ष की सेवा के बाद अगला वेतनमान रुपये 1600–2600 ही अनुमन्य था और वह भी दिनांक 01-03-95 से। इसी प्रकार संस्थान के कार्मिकों को गृह निर्माण अग्रिम की अनियमित स्वीकृतियां प्रदान की गयीं जिसमें से एक कार्मिक के विरुद्ध वर्ष 1991 में विभागीय जांच भी हुई और उसे दंडित भी किया गया। इसी जांच में लिये गये निर्णय के अनुसार सर्वश्री राम देव वर्मा, राम औतार, कु० जयश्री, सतीश चन्द्र मिश्रा व नरेन्द्र, नलनी नाथ वर्मा द्वारा लिये गृह निर्माण अग्रिम जांच के आदेश शासन के अ०शा०प०सं०–1837/छब्बीस–1–92–41 (10)/9दिनांक9-4-1992 द्वारा निदेशक, शोध संस्थान को भेजे गये परन्तु संस्थान के कर्मिकों विशेषतया कु० जयश्री ने झूठे मकान के क्रय का बयाना दिखाकर गृह निर्माण अग्रिम की धनराशि अपहृत कर ली और आज तक कागजात प्रस्तुत नहीं किये। यह इस अग्रिम की वापसी के आधार पर आयकर की धारा–88 के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से लगातार छूट लेकर कर चोरी कर रही हैं जिनको तत्काल निलम्बित कर सेवा समाप्त करने की आवश्यकता है। उक्त मामले की जांच कर नियमानुसार दोषियों को दण्डित करने व शासकीय धन की वसूली मय दण्ड ब्याज से किये जाने की परम आवश्यकता है।

अतः लोक हित के उक्त मामले में शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली में ओसवाल ओवरसीज चीनी मिल के श्रमिकों को मानक के अनुसार वेतन देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवत सरन गंगवार–

[मान्यवर, जनपद बरेली में ओसवाल ओवरसीज चीनी मिल के 5 सत्र न चलने के बाद भी न तो श्रमिकों को बैजबोर्ड के अनुसार वेतन दिया जा रहा है और न ही जिन किसानों की मिल में जमीन फंसी है उन्हें नौकरी दी गयी है। जब कि जमीन वाले किसानों के साथ मिलकर नौकरी देने का अनुबन्ध है। जो किसान मिल में लगे हैं। उन्हें भी मानक (बैजबोर्ड) के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वहां के कृषकों श्रमिकों द्वारा कई बार धरना आन्दोलन व आमरण आन्दोलन भी किया जा चुका है। क्षेत्र में इस प्रकरण को लेकर बहुत अशान्ति है। कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। दृश्य बहुत ही भयावह है। दूसरे मिल गेट की लगभग 13 लाख की गन्ना पर्चियों का भुगतान एवं अन्य भुगतान भी न होने के कारण भी कई धरने आन्दोलन हो चुके हैं और क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश है।

अतः आग्रह है कि दोनों अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न हैं। सरकार को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।]

मेरठ के जिला अस्पताल एवं महिला अस्पताल में सुविधा संसाधनों की वृद्धि के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ के जिला अस्पताल में एक्सरे, आपरेशन थियेटर व आई०सी०सी०यू० में उपकरण आदि के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी ने 1–5–97 को मेरठ की सभा में 37–51

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाख रुपये की घोषणा की गई थी । वह अभी तक पूर्ण न होने के कारण उपरोक्त विभाग जनहित में उपकरण विहीन होने के कारण समुचित अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं । इसके अतिरिक्त जिला महिला चिकित्सालय में मात्र 18 लाख रुपये से निम्नांकित कार्य कराये जाने की जनहित में महती आवश्यकता है । (1) ट्यूबवेल 2 लाख रुपया (2) अल्ट्रा साउन्ड मशीन 7.50 लाख (3) शौचालय सुदृढ़ीकरण 2 लाख (4) सड़क 3 लाख (5) एम०टी०पी० ट्रेनिंग, एन्टीग्रेट स्केल ट्रेनिंग, ए०एन०एम०, उपचारिका, दाई ट्रेनिंग कान्फ्रेन्स हाल 3.50 लाख । अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये मेरठ जनपद की जनता के स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार 37.51+18=53.51 लाख रुपये स्वीकृत कर व्यवस्था की कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं । ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा में राजकीय डिग्री कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह"–

[महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में कोई भी राजकीय डिग्री कालेज नहीं है । आसपुर देवसरा ब्लाक मुख्यालय के चारों ओर 15 किमी० की दूरी पर कोई महाविद्यालय नहीं है । ब्लाक की जनसंख्या एक लाख से अधिक है । वहां के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में गम्भीर कठिनाई है । यह विषय लोक महत्व का जनता से सीधा जुड़ा है, जनता द्वारा बराबर जनप्रतिनिधियों के समक्ष महाविद्यालय के स्थापना की मांग रखी जा रही है । राष्ट्रीय पर्वों पर उक्त विकास खण्ड को इण्टर कालेज के उन बच्चों द्वारा जो परीक्षा उत्तीर्ण कर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु परिणाम घोषित होने के बाद भटकने और प्रदेश में कठिनाई की आशंका व्यक्त करते हैं तो क्षेत्र में सुविधा न होने से अत्यन्त पीड़ा होती है । बालिकाओं को अधिक दूर भेजने में अभिभावक भी चिन्ता व्यक्त करते हैं जिससे बालिकाओं की शिक्षा प्रभावित होने से महिलाओं के शिक्षित होने का मार्ग अवरुद्ध होता है, जो एक सामाजिक अभिशाप की श्रेणी में आता है ।

अतः इस जनहित से जुड़े अविलम्बनीय लोक महत्व के जन सुविधा से जुड़े विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने एवं अनुकूल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत बिल्थरा रोड नगर पंचायत में सुचारु विद्युत आपूर्ति कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, बलिया जनपद के सोयर क्षेत्र में बिल्थरा रोड नगर पंचायत में बिजली के तार सड़ जाने से अक्सर टूटकर गिर जाते हैं जिससे दुर्घटनायें होती हैं । नगर क्षेत्र के अन्दर और बाहर ट्रान्सफार्मर बराबर खराब हो जाते हैं क्षेत्र गांवों में बिजली का अभाव है । 8 घण्टा बिजली देना अनुमन्य होने के बाद चार घण्टा बिजली दी जा रही है । कभी कभी कई दिन भी बिजली नहीं आती । बिजली विभाग की अनियमितता से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है । जन-जीवन प्रभावित हो रहा है बिजली न मिलने से नलकूप नहीं चल पाते, छोटे मोटे कारोबार प्रभावित होते हैं ।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण को श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर समाधान की मांग करता हूं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद हरदोई में रामगंगा नदी पर भीमऊ व भदार गांवों के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, हरदोई जनपद के सांडी ब्लाक में राम गंगा नदी पर भीमऊ व भदार गांवों के मध्य कोई पुल न होने से क्षेत्र की जनता को काफी कठिनाई उठानी पड़ती है । क्योंकि इस नदी के पूरब तथा पश्चिम दोनों ओर काफी दूर-दूर तक कोई पुल आवागमन हेतु नहीं बना है जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास रुका हुआ है । जिससे जनता में घोर निराशा पैदा हो गई है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर उक्त नदी पर पुल बनाये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत जरोली पम्प कैनाल एवं गरौता कैनाल के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा लाखों रुपये की हेरा फेरी करने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन गोपाल वर्मा–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद जनपद फतेहपुर जरौली पम्प कैनाल व दरौरा कैनाल विद्युत व पम्प की खराबी से चल नहीं पा रहा है । आज पूरा प्रदेश व मेरा क्षेत्र अकाल की चपेट में है किसान बुरी तरह से पीड़ित है जब कि जरौली पम्प कैनाल में करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लापरवाही के कारण आये दिन तकनीकी खराबी बताकर पम्प बन्द रहता है । मेरे व क्षेत्रीय किसानों का कथन है कि जरौली पम्प कैनाल का 20 लाख रुपया अधिकारी और कर्मचारी मिलकर डकार गये हैं और पम्प की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि जरौली और दरौरा पम्प कैनाल की जांच कराकर उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा दण्डित किया जाय और बन्द कैनाल को सुचारु रूप से चलाने की कृपा की जाये ।]

जनपद बांदा के जसपुरा ब्लाक स्थित प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा की जमीन बावत उत्पन्न झगड़े की स्थिति को समाप्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बीना भारद्वाज–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं । जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला झंझसीपुरवा स्थित है जो सन् 1949 में स्थापित हुआ था तथा 1962 के बाद प्राथमिक पाठशाला झंझरी स्थापित हुआ उस समय विद्यालय परिषदीय थे अपने संसाधनों से विद्यालय भवन बनवाना होता था इस प्रकार की स्थिति को देखते हुये गांव सभा झंझरी के बद्री प्रसाद प्रधान ने प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा के नाम कृषि भूमि विद्यालय चलाने हेतु पट्टा किया लगभग 10 बीघा जमीन है । हेडमास्टर प्राइमरी पाठशाला झंझरीपुरवा के नाम पट्टा हुआ वर्ष 1999 से झगड़ा पैदा हो गया है, प्राथमिक पाठशाला झंझरी खतौनी में दर्ज हो गया था जो त्रुटिवश था उस समय केवल प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा के हाथ पूरा संचालन दिया जाये जिसके सम्बन्ध में पूर्व सांसद ने एक पत्र लिखा गया था उसमें एस०डी०आई० की रिपोर्ट आयी थी जिसमें प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा के पक्ष में रिपोर्ट आयी थी इसलिये पूरे प्रकरण की जांच कराकर झगड़े की स्थिति को समाप्त

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कराकर संचालक प्रधानाचार्य, प्राथमिक पाठशाला झंझरीपुरवा/प्रधान गांव सभा झंझरी को नियुक्त किया जाय ।

मैं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान दिलाकर सूचना स्वीकृत कराना चाहता हूं ।]

लखनऊ स्थित चौपटियां से चौक हजरतगंज कैसरबाग चारबाग मार्गों पर बस अथवा मैक्सी कैब चलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयभान करवरिया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ स्थित चौपटिया से चौक, हजरतगंज, कैसरबाग, चारबाग, अलीगंज आदि स्थानों पर परिवहन व्यवस्था न होने के कारण हजारों लोगों को प्रतिदिन आने-जाने में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है । इन मार्गों पर बस अथवा मैक्सी कैब चलाया जाना जनहित में आवश्यक है ।

अतः इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आकस्मिकता निधि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6–9–2002 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डा० अशोक बाजपेयी, कुंवर रेवती रमण सिंह व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल की आकस्मिकता निधि के दुरुपयोग के संबंध में है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 267(ख) देखें । इसमें आकस्मिकता निधि के संबंध में दिया है कि "राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जायेंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद–205 या अनुच्छेद–206 के अधीन राजस्व के विधान मंडल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल के व्ययाधीन रखी जाएगी ।"

मान्यवर, आकस्मिकता निधि की व्यवस्था अनुच्छेद 267(2) में है । इसी तरह से भारत की भी अपनी आकस्मिकता निधि है जो संविधान के अनुच्छेद 267(1) में वर्णित हैं उसी के आधार पर राज्यों को भी एक आधार दिया गया । कभी राज्य में ऐसी आपदा या अपरिहार्य परिस्थितियां आ जाय उस समय विधान सभा आहूत न हो और प्रदेश के सामने ऐसा संकट हो जिसमें राज्य सरकार के लिए पैसा व्यय करना अपरिहार्य हो, कोई आपदा आ गयी हो, ऐसे समय के लिए उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि की स्थापना की गयी है । उसमें यह निर्धारित किया गया कि इतनी धनराशि ऐसी परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे जो संविधान में लिखा हुआ है और जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है उसके आधार पर ही सारी व्यवस्था का संचालन करते हैं ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मान्यवर, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं संविधान की मूल भावना का अनुपालन करेंगे लेकिन एक बात बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से एक परम्परा बन गयी है, जिन योजनाओं की पूर्व से जानकारी रहती है कि इन परियोजनाओं का कार्य कराना है लेकिन प्रायः देखा गया है सामान्य बजट में उन परियोजनाओं का जिक्र न करके धनराशि की व्यवस्था नहीं करते हुए मन चाहे ढंग से आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश में निरन्तर हो रहा है। हमने इसकी जो व्यवस्था की थी उसमें यह था कि जब कोई आपदा आयेगी या बहुत ही अपरिहार्य परिस्थितियां होंगी और उसके लिए नियमित विधेयक लाकर स्वीकृत कराना सम्भव नहीं होगा ऐसे समय में राज्यपाल महोदय की सहमति से हम इस धन का व्यय कर सकेंगे लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। उन कार्यों के लिए जिनकी जानकारी है बजट में व्यवस्था की जा सकती है धन विधेयक लाकर धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। मान्यवर, लखनऊ में एक उद्यान बनाया गया कोई दैवी आपदा नहीं थी उसकी तात्कालिकता नहीं थी प्रतीक्षा की जा सकती थी। सौ करोड़ क्या पांच सौ करोड़ जैसा संसाधन राज्य जुटा पाता, आप खर्च करते लेकिन इस स्वेच्छाचारिता की अनुमति लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती कि वह अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए मानसिक संतुष्टि के लिए खर्च करे। गरीब प्रदेश की 17 करोड़ जनता और उसके चुने हुए लोग जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं उन दोनों की जानकारी में न हो यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होता है। यह राजशाही नहीं है कि राजा के मन में आया कि अशरफियाँ बांट दी जायं और आदेश पारित हो गया। लोकतंत्र में कानून के द्वारा विधायी प्रक्रिया के द्वारा वित्त विधेयक लाकर वर्ष का आय व्ययक करते हैं। प्रायः कई बार होता है कि सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ उन खर्चों की जानकारी नहीं होती उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रान्ट की व्यवस्था की गयी है और उन मदों के लिए अलग से ग्रांट स्वीकार करते हैं उसकी तात्कालिकता को देखते हुए सदन बुलाया जा सकता है लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति है कि जनहित में कार्य कराया जाना आवश्यक है तो सदन बुलाकर वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह नेता सदन की कृपा पर होता है, वह जब चाहें विधान सभा सत्र आहूत करें। जिस तरह से एक-एक दिन मे तीन-तीन बार आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग किया गया। एक दिन में 25 करोड़ रुपया खर्च किया गया। परिवर्तन चौक बनाया जा रहा है बजट सत्र चल रहा है, परिवर्तन चौक में जो चाहे परिवर्तन करें उसे बजट में ले आते, चर्चा कर लेते उसके बाद संख्या बल के आधार पर स्वीकृत कर लेते, हां की संख्या अधिक है, इसलिए हमारे प्रतिरोध के बावजूद भी बजट पारित हो जाता और हम कुछ नहीं कर पाते। उद्यान बनाने पर खर्च होगा या मनमाने ढंग से उसका कहीं प्रयोग किया जाये। यह संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है और किसी भी दशा में उसको उपर्युक्त नहीं माना जा सकता। आकस्मिकता निधि का निरन्तर दुरुपयोग हो रहा है, सरकार उसे अपनी आवश्यकता अनुसार बढ़ा देती है। जबकि नियम यह है कि बजट की जो धनराशि है वह आवश्यक कार्य हेतु अगर कम पड़ रही है तो दुबारा विधान सभा सत्र बुलाकर आवश्यक धनराशि बाकायदा विधि द्वारा स्वीकृत कराया जाए। सरकार बाबा साहब का नाम दिन भर लेती है लेकिन बाबा साहब के द्वारा स्थापित संविधान के प्रति कोई आचरण करने का काम नहीं करती है। आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग रोकने के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ताकि भविष्य में इसका दुरुपयोग न होने पाये।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है। आपकी बात पूरी हो गयी अब माननीय रेवती रमण सिंह को बोलने दीजिये।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आकस्मिकता निधि की आवश्यकता 1950 में इसलिए समझी गयी थी कि जो परियोजनाएं और योजनाएं बनती हैं उनके लिए बजट निर्धारित होता है, कभी-कभी कार्य योजना की पूर्ति के लिये अधिक धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसके लिए आकस्मिकता निधि से पैसा खर्च किया जाता है। मान्यवर, विगत कई सालों से 1950 से लेकर 2002 तक अगर आप देखें तो लगातार आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग होता चला आ रहा है मान्यवर, मैं अशोक बाजपेयी जी की बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं केवल कुछ दृष्टान्त दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इसका सदुपयोग न करके इसका दुरुपयोग ही होता चला जा रहा है और मान्यवर, समय-समय पर जो मुख्य मंत्री रहते हैं या तत्कालीन जो सरकारें रहती है उन्होंने उस धन का सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग करने का काम किया है। उसका दृष्टान्त मा० बाजपेयी जी ने दिया आज की सरकार का, मान्यवर, जब यह आकस्मिकता निधि बनायी गयी थी तब एक करोड़ से बनायी गयी थी। 1970 में एक करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ कर दी गयी और 1972 में 4 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गयी और इसी तरह से फिर इसमें बदलाव करके समय-समय पर 1976 में भी 10 करोड़ ही थी 1980 में 10 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दी गयी। एक करोड़ से शुरू हुई यात्रा 40 करोड़ तक 1980 में पहुंच गयी और मान्यवर, इसी तरह आप देखें 1985 में यह 50 करोड़ हो गयी मान्यवर, अभी तक कुल एक हजार करोड़ रुपये इस निधि से खर्च किये गये हैं, इतनी बड़ी दैवी आपदा आयी, सूखा आया, अगर सरकार ने उसके लिये धन दिया होता तो मैं मानता कि सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक पार्क बन रहा है, एक चौक बन रहा है इससे आम जनता को क्या फायदा होगा ? पार्क बनाना आपका एजेन्डा हो सकता है इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जनता के धन का सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया जाये इसके लिये कन्टीजेन्सी फण्ड नहीं बनाया गया है। मा० संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसका जवाब दे दीजियेगा। संविधान द्वारा आपको धन के दुरुपयोग करने का कोई अधिकार प्रदत्त नहीं हुआ है। आपके विवेक पर है कि आप खर्च करें परन्तु धन का सदुपयोग होना चाहिये। आपको सदन में बताना चाहिये कि अमुक मद में धन खर्च किया गया है। आपको इस बजट में प्राविधान करना चाहिये कि हम धन का उपयोग इस मैद में कर रहे हैं। यह जो धन का दुरुपयोग है इस पर कहीं न कहीं अंकुश लगना चाहिये। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संविधान के निर्माताओं ने वित्तीय विषयों का अधिकार लोवर हाउस को दिया है, अपर हाउस को नहीं दिया है क्योंकि लोवर हाउस के सदस्य जनता द्वारा चुने हुये होते हैं उनको मालूम होता है कि सरकार के पैसे को किस रूप में खर्च किया जाये ताकि जनता को राहत मिले। इसीलिये कन्टीजेन्सी फण्ड की व्यवस्था की गयी है। पता नहीं किस समय क्या जरूरत आ जाये और उसके लिये बजट में धन का प्राविधान न हो, ऐसी आकस्मिकता पड़ने पर धन की व्यवस्था करने के लिये आकस्मिकता निधि बनायी गयी है। उसके बनाने का प्रयोजन बड़ा स्पष्ट है कि कोई दैवी आपदा आ जाये या किसी कार्य के लिये राज्य सरकार को तुरन्त धन की जरूरत है तो वह इस निधि से पैसा निकाल कर खर्च कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 267(1) में केन्द्र के लिये और 267(2) में राज्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के लिये व्यवस्था की गयी है और उसी के अनुरूप यह धन व्यय किया जाना चाहिए । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 205 में है कि "अनुच्छेद 204 के उपबन्धों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अंनुध्यात न की गयी किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गयी है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिये अनुदान की गयी रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है", तो मान्यवर, उसके लिये राज्यपाल जी को अधिकार है कि वह प्रतिबन्ध लगायें । सेशन जब चालू होगा तो जो भी रकम होगी उसका ब्योरा सदन से स्वीकृत करा लिया जायेगा । ऐसा नहीं है, कि टंडन जी से रक्षा बन्धन पर पूरा प्रदेश ही दे दिया । वह कोई राजा नहीं हैं कि जैसा चाहे वैसा करें । 600 करोड़ रुपये का प्राविधान है उसको वह जैसा चाहें, वैसा खर्च करें ऐसा अधिकार उनको नहीं दिया गया है । इस धन को खर्च करने के लिये कुछ नियम बनाये गये हैं कि किस चीज पर यह धन खर्च किया जायेगा । आज आकस्मिकता निधि को नान प्लान में खर्च कर रहे हैं । इतना बड़ा अकाल पड़ा । आज भी उत्तर प्रदेश में आकस्मिकता निधि का कोई पैसा अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए नहीं पहुंचा । आप कहते हैं हमारे पास 212 करोड़ रुपए मौजूद थे सूखा राहत के लिए । किसी भी जिलाधिकारी के पास एक भी पैसा नहीं पहुंचा है । आप किसी भी विधायक से पूँछ लें । एक भी योजना सूखा राहत की चालू हो, अनाज के बदले काम की या अन्य कोई योजना जो चालू की गई हो उसे बता दें । 600 करोड़ की आकस्मिकता निधि है आपने 300 करोड़ रुपए निकाल लिए बाद में उसको फिर पूरा करके 500 करोड़ कर दिया । सारे नियमों को तोड़े दे रहे हैं । पिछले दस साल को देख लें । प्रतिवर्ष जो आकस्मिकता निधि का पैसा लिया उससे ज्यादा खर्च किया गया । पी०ए०सी० ने आपत्ति भी की है । उत्तर प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपए तमाम विभागों ने अतिरिक्त खर्च कर लिया । आज तक सदन को सूचित नहीं किया गया । विभागीय बजट में उस खर्च को जोड़ लेते । टी०आर० 20 है अन्य मदें हैं जिनसे मनचाहा पैसा निकाल लिया । इस तरह से संविधान का सम्मान नहीं किया जाएगा, सदन को सूचित नहीं किया जाएगा तो हम लोगों का दायित्व हो जाता है कि सदन के ध्यान में मामला लाएं, सदन के सामने रखें यहां पर संसदीय कार्य मंत्री दें तो यह देखें कि यह नियम 56 का जवाब नहीं है यह औचित्य का प्रश्न है । आप बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन उन्होंने जिस संविधान को बनाया उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं । उस संविधान के अनुच्छेदों में जो प्राविधान किए गए हैं, नियमावली में जो प्राविधान हैं उनको कम से कम पूरा कीजिए । यह औचित्य का प्रश्न है । इसको स्वीकार करें । आप तो अधिष्ठाता जी विज्ञ हैं अगर यहां बैठे होते तो जरूर अपनी बात रखते वहां पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । आप इसे स्वीकार करें व सत्यता का साथ दें । मेरा अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 202 से 206 तक 267 सारे अनुच्छेदों को देखकर इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार करें व इस पर चर्चा कराएं ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं औचित्य के प्रश्न पर जोर देते हुए कहना चाहता हूं कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वह संविधान के उन अनुच्छेदों का न पालन करने के दोषी हैं । जिनका नहीं पालन करने से उत्तर प्रदेश की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्तीय स्थिति जर्जर और दिवालिएपन के कगार पर पहुंच गई हैं । मैं उन अनुच्छेदों का उल्लेख नहीं करूंगा जिनको बाजपेई जी ने, अग्रवाल जी ने व रेवती रमण जी ने उल्लेख किया है । मुझे सिर्फ दो तीन बातें कहनी है । यह ऐसा विषय नहीं है जिसे हम यूं ही टाल दें । प्रश्न सीधा यह है कि आकस्मिकता निधि के लिए संविधान में जो व्यवस्था है उसका पालन न करें तो उससे क्या होगा ? भगवान न करे कल उत्तर प्रदेश में प्रलयकारी बाढ़ आ जाए जिससे निपटने के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़े, भगवान न करे उत्तर प्रदेश में भयंकर भूकम्प आ जाए जिससे निपटने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ जाए या अन्य दैवी आपदाएं आ जाएं जिससे निपटने के लिए धन की आवश्यकता हो । संविधान के अनुच्छेद 268 के अन्तर्गत एक विशेष प्राविधान की व्यवस्था की गई है । लेकिन 267 के साथ गाइडलाइन भी हैं । यह देखना चाहिए कि किस प्रयोग के लिए है । मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सरकारें संविधान की सौगन्ध लेकर सबसे ज्यादा उसका हवाला देती हैं वही सबसे ज्यादा उसका उल्लंघन करती हैं । पिछले 10 वर्षों के आंकड़े में नहीं देना चाहता क्योंकि वह दिए जा चुके हैं लेकिन यह जरूर कहूंगा कि आकस्मिकता निधि का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वह सदन के साथ धोखा है, उसके साथ विश्वासघात है । आकस्मिकता निधि का नाम लेकर उन मदों में खर्च करते हैं जिनकी स्वीकृति आपको सदन नहीं देता है । वित्तीय अनुशासन होना चाहिए । वित्तीय अनियमितता न हो वित्तीय अनुशासन इसलिए है कि आपको एक निश्चित मानक के अनुरूप खर्च करना है । कितना योजनागत मद में, कितना गैर योजनागत मद में खर्च कर सकते हैं । क्योंकि गैर योजनागत खर्च करने के लिए आकस्मिकता निधि से पैसा लेकर उसको खर्च करते हैं और प्रदेश को ऐसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं । मैं ज्यादा विस्तार से न कहकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार का दामन साफ है, संविधान की हत्यारी नहीं है, संविधान की हत्या नहीं की है, अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया है तो सीधे सीधे मेरी एक मांग है कि पिछले 10 वर्षों में आकस्मिकता निधि से किसने कहां खर्च किया उसके संबंध में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाय जो पूरे सदन को मालूम हो, पूरे प्रदेश को मालूम हो । इस पर मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जहां तक कंटिजेन्सी फंड के खर्च और उसकी बढ़ोत्तरी के संदर्भ में जैसा माननीय सदस्य ने बताया । संविधान के अनुच्छेद–267 में इस तरह की व्यवस्था की गयी है । इसके साथ ही साथ अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए अनुच्छेद–202,204, 205 में बजट विनियोग, अनुपूरक की व्यवस्था है । संविधान निर्माताओं ने कंटीजेन्सी फण्ड की व्यवस्था अनुच्छेद–267 में की है । 1950 में एक कंटीजेन्सी ऐक्ट बना उसमें ऐसे खर्चों के संबंध में जो अग्रिम या ऐसे खर्च हुए हों या जो देय हों और किन्ही परिस्थितियों में अनुच्छेद 204, 205 में व्यवस्थित न हो पाये हों उनके लिए इसमें व्यवस्था की गयी कि वे खर्च किए जायेंगे । जैसा मैंने बताया 1950 में ऐक्ट भी बना उसमें शुरू में 4 करोड़ रुपए का प्राविधान था कि सरकार 4 करोड़ की व्यवस्था करेगी । यह धीरे-धीरे बढ़ता गया और माननीय वरिष्ठ सदस्य रेवती रमण जी ने 82 तक पढ़ा 85 के बाद पढकर उसके नीचे पढ़ना चाहिए था लेकिन नहीं पढ़ा, रुक गये कि नीचे तो गड़बड़ हम किए हैं तब उन्होंने जाकर रुकना शुरू किया । मान्यवर, 1950 में 4 करोड़ का प्राविधान था । 1961 में 2 करोड़ हुआ 70 में चार करोड़, 72 में 10 करोड, 73 में 10 करोड,74 में 10 करोड़, 76 में 10 करोड़, 80 में 40 करोड़, 82 में 50 करोड़; 85 में 50 करोड़, 89 में 200 करोड़, 90 में 200 करोड़, 95 में जब रेवतीरमण जी की सरकार थी उसको बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया ।

कु० रेवती रमण सिंह–

हमारी सरकार नहीं थी ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह जनता दल और मुलायम सिंह जी की सरकार थी । जो हक मिल जाय उसको भी इंकार कर देते हैं । यह 400 करोड़ का इस समय इन्होंने एक अध्यादेश जारी करके बढ़ाया था और दि० 1–8–1995 को अधिनियमित कर दिया था । यह लगातार बढ़ता गया । 4 करोड़ से अमेन्ड करते करते 1995 में 400 करोड़ किया गया । अब अनुच्छेद 267 में प्राविधानित व्यवस्था जरूर दी गयी । किसी कंटीजेन्सी फण्ड के निर्माण करने का संकलन करने का उद्देश्य बनाया गया जब ऐसी परिस्थितियां पैदा हों जहां विनियोग विधेयक न लाया जाये जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जायें ऐसे समय के लिए इसमें प्राविधान किया गया है । यह कहा गया अम्बेदकर साहब के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए हम राजनीति नहीं करते उनके दर्शन पर काम करते हैं । हम एक समता युक्त समाज बनाना चाहते हैं, जब यह कुछ कहते हैं तो हमें कहना पड़ता है इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं । मान्यवर, अनुच्छेद 267 में यह प्राविधान है कि विनियोग विधेयक पास नहीं करवा पाये हैं और सरकार के सामने विषम परिस्थिति है उसके लिए अनुच्छेद 267 में व्यवस्था की गयी है । यह धीरे-धीरे बढ़ती गयी । 1995 में जाकर 400 करोड़ रुपया हो गया । एक अच्छी मंशा रही इस धन का प्रयोग हुआ है जहां आवश्यक था, यह इस तरह का प्रकरण नहीं है कि सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है । यह नियम 300 में ग्राह्य नहीं है । सरकार की मंशा साफ है आवश्यक कार्यों में इसका प्रयोग होता है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी और बाजपेयी जी चर्चा नहीं हो रही है, आप बैठ जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx] कि मैं क्या कहने जा रहा हूं । इस नोटिस में और उस नोटिस में फर्क है । मैं जानना चाहता हूं आकस्मिकता निधि किस मामले में खत्म हुई । मैं यह नहीं जानना चाहता था कि उसमें 400 करोड़ है, 500 करोड़ है, या एक हजार करोड़ है आकस्मिकता निधि के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उसके विपरीत खर्चा हुआ है । इसमें श्वेत पत्र जारी करा दें । सब तथ्यों से आपको अवगत करा दें । सदन के पटल पर उसको रख दें । आखिर आडीटर जनरल क्यों आपत्ति उठा रहे हैं ? पी०ए०सी० की रिपोर्ट में आ रहा है कि इस सरकार ने वित्तीय अनुशासनहीनता की है । आप सरकार को निर्देशित करें कि आकस्मिकता निधि का धन क्यों खर्च हुआ है कहां खर्च हुआ है ?

डा० अशोक बाजपेयी–

मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप स्वयं भिज्ञ हैं । अगर आपकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद मैं इस मामले को न कहता । लेकिन आप विषय की गम्भीरता को समझते हैं । आपने स्वयं इस पर आपत्ति की है कि आकस्मिकता निधि का प्रयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है । इस निधि का प्रयोग आकस्मिकता आने पर किया जाता है यह रोजाना के खर्च के

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लिए नहीं बनाई गयी है । यह प्रदेश में विषम परिस्थितियों के लिए हैं । जब प्रदेश का सत्र न चल रहा हो वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हो संकती हैं तब इसका प्रयोग हो सकता है । इसमें इससे मतलब नहीं है कि एक सौ करोड़ था या 6 सौ करोड़ यहां आकस्मिकता निधि का दुरुपयोग हुआ है यह उद्यान बनाने के लिए चौक में परिवर्तन करने के लिए नहीं है । इस वित्तीय अनुशासनहीनता को रोका जाना चाहिए अगर यह सदन इस पर अंकुश नहीं लगायेगा तो सरकार निरंकुश हो जायेगी । अगर आकस्मिकता निधि में वृद्धि की जाये तो उसका प्रस्ताव भी अलग से लाया जाना चाहिए, तो इसी सदन में प्रस्ताव लाया जाय सदन की स्वीकृति के बारे में । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (2) में स्थापित राज्य आकस्मिकता निधि से अनवेक्षित व्यय को अग्रिम धन के रूप में देने के लिए उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया है जिसमें समय-समय पर आवश्यक धनराशि राज्यपाल महोदय द्वारा सरकार को आकस्मिक खर्च, जिसे अनवेक्षित व्यय की संज्ञा दी गयी है, के लिए अग्रिम के रूप में देने की व्यवस्था है । उक्त अग्रिम संविधान के अनुच्छेद 205 या 206 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किये जाने के अधीन दिया जाता है ।

प्रश्नगत मामले में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतः इसे अग्राह्य किया जाता है । अब मैं नियम–300 की अगली सूचना ले रहा हूं ।

* श्री राम करन आर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं । मैं निर्देश देता हूं कि यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम करन आर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम करन आर्य जी आप बैठ जायें । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । आप जो बोलेंगे वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम करन आर्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह आचरण शोभनीय नहीं लगता है आप कृपया बैठ जायें । सदन को नियमों और परम्पराओं से चलने दें ।

श्री राम करन आर्य–

[x x x]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधायकों द्वारा मा० मंत्रियों को दिये जाने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न किये जाने विधयक औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं। यह श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री नारद राय, श्री बलराम यादव, श्री अरुणवीर सिंह व डा० पर्णमासी देहाती जी की है। जो विधायकों द्वारा माननीय मंत्रियों को दिये जाने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में है .....

नियम–300 की सूचनाओं के संबंध में मा० विधायकों द्वारा मा० मंत्रियों को दिये जाने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न किये जाने के संबंध में शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि विभागीय अधिकारी मा० सदस्यों के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार किया करें यह सूचना नियम–300 में नहीं आती अतः अग्राह्य की जाती है।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें निरस्त की गयीं:–

श्री देवकी नन्दन, श्री शिव कुमार बेरिया, डा० विनोद तिवारी, श्री अजीम भाई, श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री राम करन आर्य, श्री बीजू पटनायक, श्री सूरज सिंह शाक्य, श्री अजीम भाई व अन्य।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (दसवां संशोधन) नियमावली, 1999†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–6 की अधिसूचना संख्या–338/11–क०स०नि०–6–99–दीस–आर–(5)–94, दिनांक 16 मार्च, 1999 द्वारा प्रकाशित, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (दसवां संशोधन) नियमावली, 1999 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम–1904 की धारा–23–क की उपधारा–(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (संशोधन) नियमावली, 2002†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–जी–2–605/दस–534 (19) 57, दिनांक 27 जून, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (संशोधन) नियमावली, 2002 को, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम–1904 की धारा–23–क की उपधारा–(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का 43 वीं स्थिति पत्रक एवं लाभ हानि का लेखा, वर्ष 2000-2001†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम का 43 वीं स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा, वर्ष 2000-2001 को भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा–31 की उपधारा (11) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :– † छापी नहीं गयीं।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, हम लोगों ने नियम–300 में जो सूचना दी थी और उस सूचना पर आपने कहा कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करा दिया गया है । मान्यवर, कृपया इसमें आप कुछ निर्देश दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

यह सूचना निरस्त की जा चुकी है ।

यू०पी० प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड को वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999–2000†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू०पी० प्रोजेक्ट एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1999-2000 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां†

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

6 (1) क०नि०–2–1418/ग्यारह–9(115)–2000–उ०प्र० अधि०–15–48–आदेश–(8)–2002, दिनांक 30 अप्रैल, 2002

6 (2) क०नि०–2–2370/ग्यारह–9(16)–99–उ०प्र० अधि०–15–48–आदेश–(8)–2000, दिनांक 27 जून, 2002

6 (3) क०नि०–2–2372/ग्यारह–9(16)–99–उ०प्र० अधि०–15–48–आदेश–(8)–2002, दिनांक 27 जून, 2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948 की धारा–3–क की उपधारा (1) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–7 में कुछ नहीं है ।

जनपद सन्त कबीर नगर के ग्राम मुखलिसपुर से महदेवा तक सड़क का बन्धा तथा कठिनाइया नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम आशीष यादव आदि निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*श्री शंख लाल मांझी–

8 (1) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद संत कबीर नगर के अन्तर्गत ग्राम मुखलिसपुर से महदेवा तक सड़क का बन्धा व कठिनाइया नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम आशीष यादव तथा श्री राम रतन निषाद निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नोट :– † छापी नहीं गयीं ।

* वक्ता ने भाषण की पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद सन्त कबीर नगर के हैंसर बाजार के अन्तर्गत दुढ़वा ताल से बरपरवा नाले तक नाले की खुदाई कराये जाने विषयक श्री राम रतन निषाद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शंख लाल मांझी–

8(2) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद संत कबीर नगर क्षेत्र हैंसर बाजार के अन्तर्गत दुढ़वा ताल से बरपरवा नाले तक नाले की खुदाई कराये जाने विषयक श्री राम रतन निषाद तथा श्री राम आशीष यादव निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत कबीर नगर में जिगना ताल से बरबरवा ड्रेन तक नाला सफाई/खुदाई कराये जाने विषयक श्री भाल चन्द्र यादव, श्री राम रतन निषाद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री शंख लाल माझी–

8(3) मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद संत कबीर नगर के अन्तर्गत स्थित जिगना ताल से बरबरवा ड्रेन तक नाला सफाई/खुदाई कराये जाने विषयक श्री भाल चन्द्र यादव तथा श्री राम रतन निषाद निवासीगण जनपद संत कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के कस्बा बालपुर में इन्टर कालेज खुलवाये जाने विषयक श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री प्रयाग दत्त मिश्र निवासीगण जनपद-गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गोण्डा के कस्बा बालपुर में इण्टर कालेज खुलवाये जाने विषयक श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री प्रयाग दत्त मिश्र निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र 146 कटरा बाजार के गोण्डा कचेहरी से कटरा बाजार मार्ग के पुनः निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश मिश्रा तथा माधव राम शुक्ला निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री बैजनाथ दुबे–

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र 146 कटरा बाजार के गोण्डा कचेहरी से कटरा बाजार मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश मिश्र तथा माधवराम शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–10 के सदस्य श्री अताउर्रहमान उपस्थित नहीं हैं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के सोहावली आदि कतिपय मोहल्लों के लिए नलकूप व एक ओवर हेड टैंक की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कृष्ण पाल आदि निवासीगण जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के मोहल्ला सोहावली, अम्बेदकर नगर, सुभाषनगर, साकेत, नई मण्डी, भीमनगर के लिए नलकूप व एक ओवरहेड टैंक की स्थापना कराये जाने विषयक श्री कृष्णपाल तथा श्री भोपाल सिंह निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के ग्राम झंडा मुरशदपुर आदि ग्रामों हेतु कटराबाद नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री परवेज आलम आदि निवासीगण जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्मपाल सिंह–

मा० आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत तहसील हापुड़ के ग्राम मटियाना, बुलन्दशहर रोड हापुड़, स्वर्ग आश्रम रोड व दातियाना हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत स्टेशनों की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राम औतार सिंह तथा श्री रामपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ के मटियाना आदि क्षेत्रों हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत स्टेशनों की स्थापना कराये जाने विषयक श्री राम औतार सिंह आदि निवासीगण जनपद–गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री धर्म पाल सिंह–

मा० आपकी अनुमति से जनपद गाजियाबाद की तहसील हापुड़ की ग्राम झंडा, मुरशदपुर, हदयपुर, कुराना, मौडी, मीरपुर आदि ग्रामों हेतु कादराबाद नाले पर पुल निर्माण कराये जाने विषयक श्री परवेज आलम तथा श्री मो० तारिक व अन्य निवासीगण जनपद गाजियाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद बांदा के चिल्ला के पास यमुना नदी पर पैन्टून पुल की जगह पक्का पुल तथा इछावर बिन्दौर के बीच पैन्टून पुल बनवाये जाने विषयक डा० सरवत अली फारुकी आदि निवासीगण जनपद–बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बांदा के अन्तर्गत चिल्ला के पास यमुना नदी पर पैन्टून पुल की जगह पक्का पुल तथा इछावर बिन्दौर के बीच पैन्टून पुल बनवाये जाने विषयक डा० सरवत अली फारुकी तथा श्री राजकुमार साहू निवासीगण जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत भोजापुर पोखरा–भैंसही नदी तक ड्रेन बनवाये जाने विषयक श्री रामवीर राम आदि निवासीगण जनपद–गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कालीचरण राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत भोजापुर पोखरा से भैंसही नदी के ड्रेन बनवाये जाने विषयक श्री रामवीर राम तथा श्री सूर्यनाथ राजभर निवासीगण जनपद गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जालौन में कालपी क्षेत्र के महेबा ब्लाक में भगरौल से पड़री के बीच रपटा तथा सफाई मार्ग बनाए जाने विषयक श्री सर्वेश विद्यार्थी आदि निवासीगण जनपद–जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन के अन्तर्गत कालपी क्षेत्र के महेबा ब्लाक में मगरौल से पड़री के बीच रपटा तथा सफाई मार्ग बनाये जाने विषयक श्री सर्वेश विद्यार्थी तथा श्री रामजी राम तथा निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा के रुनकता से किरावली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री रघुनाथ सिंह आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री चौधरी बाबू लाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से

जनपद आगरा के अन्तर्गत रुनकता से किरावली मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कराये जाने विषयक श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री हाकिम सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी के ग्राम मुरेन्डा तथा लोत करेटा के बीच लोत से सिकन्दरा रजबहा नई माइनर बनवाकर जऊपुरा पोखर तक बढ़ाये जाने विषयक श्री महावीर सिंह आदि निवासीगण जनपद–आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री चौधरी बाबू लाल–

मा० मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेहपुर सीकरी के ग्राम मुरेन्डा तथा लोत करेटा के बीच से सिकन्दरा रजबहा नई माइनर बनवाकर जऊपुरा पोखर तक बढ़ाये जाने विषयक श्री महावीर सिंह तथा श्री रनवीर सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूंडला में बासू झरने पर चेकडैम बनाये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद–फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री मोहन देव शंखवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत ब्लाक टूण्डला में दारापुर से नगला वडैया के बीच बासू झरने पर चेकडैम बनाये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र यादव तथा श्री रामवीर यादव निवासीगण जनपद फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–17 के सदस्य श्री उदयराज उपस्थित नहीं है ।

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत फरेन्दा लेड्डा-दुर्गा मन्दिर राजपुर बुजुर्ग की सड़क व पुल ठीक कराये जाने विषयक श्री बालक दास आदि निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महराजगंज के अन्तर्गत फरेन्दा लेड्डा–दुर्गा मन्दिर राजपुर बुजुर्ग की सड़क व पुल ठीक कराये जाने विषयक श्री बालक दास तथा श्री बंसी दास निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं तथा

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत फरेन्दा में धानी खडैरवडिया में राप्ती नदी पर पुल बनाये जाने विषयक श्री कुंवर पाल सिंह तथा गोवरी यादव निवासीगण आदि जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री श्याम नरायण–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महराजगंज के अन्तर्गत फरेन्दा में धानी खडैरवडिया में राप्ती नदी पर पुल बनाये जाने विषयक श्री कुंवर पाल सिंह तथा श्री गोवरी यादव निवासीगण जनपद महराजगंज द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–19 में कुछ नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–20 में कुछ नहीं है ।

दिनांक 15 मई, 2000 को श्री राम औतार शाक्य के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 44 (1) के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्यम मंत्री का वक्तव्य

* सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, दिनांक 15 मई, 2000 को श्री राम औतार शाक्य सदस्य, विधान सभा द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के संबंध में श्री राम औतार शाक्य सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था "मा० अध्यक्ष जी यह कदाचित 1998 में पूछा गया था, लेकिन हमारी मंशा यह है कि कारागारों में कैदियों की संख्या बहुत बढ़ रही है और सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो रही है तो आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई नीति मा० मंत्री जी बनाने जा रहे हैं जिससे बहुत से कैदी ऐसे हैं जो बन्द हैं लेकिन आजीवन कारावास के नहीं हैं और उनकी सजा कम है, किसी की 07 वर्ष, 06 वर्ष व 05 वर्ष है और ऐसे कैदी जो 60 वर्ष की उम्र पार कर गये हैं उनकी उम्र को देखते हुए और कारागारों में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए क्या उनको कोई रिलेक्सेशन देगी जिससे उनको रिलेक्सेशन मिल जावें और सरकार पर भार कम हो जाये ?"

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2–उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "वैसे जो पूरक प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा पूंछा गया है यह बिल्कुल भिन्न है, कारागारों की बढ़ती हुई आबादी पर इन्होंने सवाल कर दिया है। वैसे मर्सी के ऊपर मैं सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस बार 26 जनवरी के अवसर पर लगभग 950 बन्दी रिहा किये गये जिसमें 65 वर्ष के पुरुष की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दी एवं 60 वर्ष की महिलाओं की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। इसके अलावा लोक अदालतों के जरिए एक हजार निवासी (1089) बन्दी अभी छुड़ाये गये हैं। लीगल सहायता देकर भी 192 बंदी छुड़ाये गये हैं। जहां तक जेलों में भीड़ का सवाल है वादों का जल्दी निपटारा करके एवं नई जेलें बनवाकर इसको नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है।"

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

"इस बार 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सिद्ध दोष बंदियों की समयपूर्ण रिहाई हेतु शासनादेश दिनांक 11 जनवरी, 2000 तथा शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 2000 जारी किये गये हैं और इन शासनादेश के अन्तर्गत 15 मई, 2000 तक 904 बंदी रिहा हुए हैं। इसके अतिरिक्त लोक अदालत के माध्यम से 1914 बन्दियों तथा लीगल एड के अन्तर्गत 58 बंदियों को दिनांक 15–05–2000 तक रिहा किया गया है।"

दिनांक 25 मई, 2001 को श्री राम विशुन आजाद के तारांकित प्रश्न संख्या–1 के अनुपूरक उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या 44(1) के अन्तर्गत संसदीय कार्य, वस्त्र एवं रेशम उद्योग मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, दिनांक 25–5–2001 को श्री राम विशुन आजाद सदस्य विधान सभा द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–01 के संबंध में श्री बी०आर०वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि उसके सापेक्ष में जो इन्होंने जिला योजना में धनराशि दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके सापेक्ष जिला योजना से इनको कितनी धनराशि प्राप्त होने की संभावना है या व्यवस्था है ?

2–उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि मान्यवर, यह 11 कार्यक्रम हैं जो अम्बेडकर ग्रामों में विकास करने के लिए चलाये जाने की योजना बनायी गयी है। इन कार्यक्रमों में मान्यवर, वर्ष 99–2000 में जो लक्ष्य रखा गया था वह रु० 927.41 करोड़ का था।

मान्यवर, कहिये तो मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बता देता हूं कि लक्ष्य तो हमारा 11342 गांवों का था और उसके मुकाबले हमारी उपलब्धि 1786 गांवों की है। मान्यवर, गैप बहुत है।

3–उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है :–

मान्यवर, यह 11 कार्यक्रम हैं जो अम्बेडकर ग्रामों में विकास करने के लिए चलाये जाने की योजना बनायी गयी है। इन कार्यक्रमों में मान्यवर, वर्ष 99–2000 में जो लक्ष्य रखा गया था वह रु० 627.41 करोड़ का था।

मान्यवर, कहिये तो मैं ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बता देता हूं कि लक्ष्य तो हमारा 11342 लाख रुपये का था और उसके मुकाबले हमारा उपलब्धि 1786 लाख रुपये की है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 †

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरः स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकेगा। पहली सूचना डा० वकार अहमद शाह तथा श्री मो० रिजवान की उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति हज हाउस के लिये करोड़ों रुपये की फिजूलखर्ची आदि जैसे गंभीर आरोपों के संबंध में है।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, एक निवेदन था। आज दो महत्वपूर्ण विभागों के बजट हैं। माननीय नेता सदन को आज बजट प्रस्तुत करना है, इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अभी सामान्य बजट पर चर्चा होगी, सारी बातें जो माननीय सदस्य नियम–56 में कहना चाहते हैं, उसमें रख सकते हैं, इसलिये मैं आपसे चाहता हूं और माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि यह समय से पूरा हो जाय, इस पर विचार कर लें और कार्य-स्थगन में कम से कम समय लें।

* डा० वकार अहमद शाह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो तात्कालिक भी है, अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है, पर चर्चा करने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। पिछले 6 साल से हज कमेटी उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये में कुछ बातें कहना चाहूंगा। आज से 3 साल पहले इसी सम्मानित सदन में जब

नोटः– † दिनांक 9–9–2002 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ था, तो माननीय अधिष्ठाता जी. से निवेदन किया था हज कमेटी में हो रही अनियमितताओं के बारे में। उस वक्त राजा गजनफर अली साहब उसके मंत्री थे, उनके द्वारा हज कमेटी और वक्फ की जायदादों में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं के बारे में ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि इससे तो अच्छा है कि किसी डाकू या बदमाश को यह डिपार्टमेंट दे दिया जाय तो वह भी इतना निर्दयी नहीं होगा। इसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई, हमने उस समय राजनाथ सिंह जी से निवेदन किया। उसके बाद न तो उस कमेटी का निर्णय आया और न कमेटी में नामों के बारे में पता चला। स्थिति यह है कि जो स्थिति तब थी, वही आज भी है। संसदीय कार्य-मंत्री जी यहां बैठे हैं, यह प्रश्न परिषद् में भी उठाया गया था। मान्यवर, 16 हजार यात्री हर साल उत्तर प्रदेश से जियारत के लिये जाते हैं और अनियमितताओं का यह हाल है कि 150 रुपये हज कमेटी द्वारा एक हाजी से लेने की परम्परा थी, इसके अलावा 650 रियाल खाने का लिया गया और खाने का ठेका एक सऊदी अरब की कम्पनी को दिया गया। उस समय तत्कालीन मंत्री जी ने साफ-साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब उनको ठेके का कागज दिखाया गया और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। मान्यवर, मंत्री जी तो चले गये, जनता ने उन्हें धिक्कार दिया, कैप्टेन तो चले गये लेकिन उनकी टीम वहीं मौजूद है। जो आज भी वहां बैठे हैं और खुली लूट कर रहे हैं। एक मामूली क्लर्क को वहां पर पैसा लेकर हज कमेटी का ज्वाइंट सेक्रेट्री बनाने की कोशिश की गई। मान्यवर, यह हज कमेटी का फार्म है इसमें साफ-साफ लिखा है, "प्लीज नोट दैट ओनली दी एडवान्स पेमेन्ट आफ रुपीज 10,550=00 रेफः इक्टिंग एडवान्स फारेन एक्सचेन्ज एण्ड मिसलेनियस इयूज हैज टू बी मेड थ्रू द हज कमेटी आफ योर स्टेट एलांग विद द हज एप्लीकेशन इन द शेप आफ बैंक ड्राफ्ट इन फेवर आफ द स्टेट हज कमेटी कन्सर्न्ड। दी अमाउन्ट आफ एअरफेयर एण्ड द बैलेन्स एमाउंट आफ फारेन एक्सचेंज हैज टू बी रेमिटेड डायरेक्टली टू द हज कमेटी (इण्डिया), मुम्बई इन द शेप आफ ए बैंक ड्राफ्ट(स) ड्रान इन द नेम आफ हज कमेटी (इण्डिया) मुम्बई।

स्थिति यह है कि इस हज कमेटी द्वारा दो पत्र जारी किये गये हैं। उन्हें 12 हजार की रकम जमा करने की बात कही गई है, इसमें कोई तारीख नहीं है, कोई नं० नहीं है और इस तरह से लाखों रुपये का गबन किया जायेगा। मान्यवर, यह सवाल उठा था, उस समय के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि जो रकम आती है हज की उसको नेशनलाइज बैंक में जमा किया जाय, लेकिन यह अरबों रुपया कामर्शियल बैंकों में जमा किया जा रहा है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। हज हाउस बनाने के लिए पांच एकड़ भूमि ऐशबाग स्टेशन के पास ली गई है, यह विवादित जमीन है और इस पर न्यायालय में वाद भी चल रहा है। यह जमीन 240 रु० स्क्वायर फिट में ली गई जबकि इसके बगल में जो भूमि बिकी है वह 144 रु० प्रति स्क्वायर फिट से बिकी है। दुर्भाग्य से उस जमीन पर आज तक कब्जा नहीं हो पाया है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया था कि हज हाउस लखनऊ और अमौसी के बीच में बनना चाहिए, जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, पांच साल से विभाग सिर्फ एक काम कर रहा है हज की यात्रा करने वाले लोगों को लूटने का काम कर रहा है। उनसे गलत पैसे लेने का काम कर रहा है। जहां 10 हजार का कोटा था वहां आज केवल 1200 हज फार्म बने हैं। एक सेक्रेटरी साहब ने तो ऐसा इंतजाम कर रखा है कि उनके आदमी निजी व्यवस्था से हज यात्रा कर आते हैं हज कमेटी से नहीं जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक कमेटी बना दी जाय जो इसकी जांच करे और दोषी हों उन्हें जेल भेजा जाय। हज कमेटी की जो मजबूरियां होगी उनके बारे में बैठकर आपस में विचार किया जाये कि कौन से तत्व इसे नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका पता लगाकर उसे भी जेल में डालने का काम किया जाये। मान्यवर, पहले

जो जांच की गयी थी उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली है और वह अधिकारी जिनका नाम लेने में मैं गुरेज नहीं करूंगा मिस्टर जावेद अहमद जो डेलीवेजेज पर नियुक्त हुए थे और आज उच्च पद पर बैठे हुए है मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं उस कमेटी के भ्रष्टचार को रोक पाने में सक्षम नहीं है । क्या मंत्री जी यह चाहते हैं कि हर यात्री सड़कों पर आकर के आन्दोलन करे । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हू कि जांच कमेटी की रिपोर्ट पटल पर रखें और किस कमेटी से जांच करा रहे हैं इसको भी जनता के सामने लायें और यह बतायें कि हज कमेटी में क्या हो रहा है ? मान्यवर, प्राइवेट शैड्यूल्ड बैंकों में हज यात्रियों का धन जमा किया जा रहा बाकायदा यू०एन०आई० के द्वारा पेपर में और टी०वी० में यह निकाला गया कि 12 हजार की धनारशि तभी जमा होगी जब हम मांगेंगे लेकिन यहां हज यात्रियों को बरगला के 12 हजार के नाम पर पता नहीं कितना रुपया जमा कराया जा रहा है और किस बैंक में जमा कराया जा रहा है इस बात का पता सरकार लगाये । गजनफर साहब को बसपा लाई थी और भाजपा ने गोद लिया हुआ था लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई मान्यवर, हज यात्रियों के खाने-पीने के लिए जो ठेका दिया गया है वह मास नामक की कम्पनी को दिया गया है, इसमें वाद चल रहा है क्योंकि इसमें एक करोड़ तीस लाख रुपये का घपला हुआ है, उसको किसने हज्म किया था, यह अनुबन्ध भी माननीय मंत्री जी द्वारा ही किया गया था और उत्तर प्रदेश शासन की इसकी जिम्मेदारी है, जब मुकदमा हारेंगे तो पैसा कौन देगा, उत्तर प्रदेश सरकार देगी । मान्यवर, लखनऊ में इस विभाग में मनमाने ढंग से नियुक्तियां की गयी हैं कई ऐसे लोग भर दिये गये हैं, जो योग्य नहीं थे । स्टेशनरी का खर्च जो एक साल पहले 1.79 लाख रुपये था ठीक एक वर्ष के बाद 12.25 लाख हो गया है, मान्यवर, इतना कैसे हो गया ? बहुत बड़ा घपला है, इस तरह से हज कमेटी के सरकारी धन की खुली लूट हो रही है । मान्यवर, यह सरकारी धन नहीं बल्कि गरीब हाजियों का है । नियम-कानून को मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है । बाबू स्तर के कर्मचारियों को निजी काम के लिए 5 से 8 मोबाइल टेलीफोन दिये गये हैं, इसकी भी जांच की आवश्यकता है । एक वरिष्ठ लिपिक को बिना किसी नियमे कानून के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बना दिया गया है । उसे एक वर्ष के अन्दर सहायक सचिव हज बना दिया गया है । इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि इस देश के मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है । हज की फरीदा अदा करने के लिए 16 हजार की तादाद में जाते हैं और उनके मेहनत और ईमानदारी के पैसे को हज कमेटी के लोग इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, शासन की खामोशी, उसका चुप रहने का मतलब है कि शासन भी इसमें शामिल है और यह तभी धुल सकता है जब शासन अपनी स्थिति स्पष्ट करे । हज कमेटी के भ्रष्टाचार पर सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार बराबर बढ़ता जा रहा है । सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हज कमेटी के बजाय निजी एजेण्टों से, प्राइवेट हज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है । मोहम्मद अब्बास जो टूर एजेंसी चला रहे हैं, तनख्वाह हज कमेटी से लेते हैं, हज कमेटी के कर्मचारी हैं लेकिन वह प्राइवेट हज कराते हैं । इसलिए अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें । आपके माध्यम से उधर बैठे हुए कुछ मुसलमान विधायकों में यदि जरा सी सोंच और गैरत है तो मैं उनके लिए यह शेर पढ़ रहा हूं :–

ए मौजे बला इनको भी दो चार थपेड़े हल्के से,

कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं ।

*नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत ही अहम मुद्दा डा० वकार साहब ने उठाया है । मैं संसदीय कार्य-मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह ऐसे धार्मिक फरीदे से जुड़ा हुआ है जिसमें सरकारों ने चाहे दिल्ली की या उत्तर प्रदेश की सरकार हो उसने किसी राजनीतिक निगाह से नहीं देखा है, उसे वोट की निगाह से नहीं देखा है । लेकिन पिछले दिनों बदनसीबी यह रही कि ऐसे व्यक्ति इसके नजीर रहे जो 11-12 बार चुनाव लड़े लेकिन कभी जीत नहीं पाये । अंतिम बार यह कहकर वोट मांगा था कि अगर हम हारे तो मेरे जनाजे को कन्धा भी तुम्हें देना होगा । वह चुनाव जीत गये और वजीर हो गये, वजीर होने के बाद जो-जो कुकर्म किये, लूट किये उसको बताकर खुद अपनी शर्मिन्दगी होती है और अपन शरीर नंगा होता है । इस हद तक उन्होंने जुल्म किया है जिसकी इन्तेहा नहीं है । उन्होंने सऊदी अरब से खाने का कान्ट्रेक्ट किया । अखबार में कान्ट्रेक्ट छपा और उनकी फोटो इलेक्ट्रानिक मीडिया पर आयी लेकिन जब मुकदमा हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई कान्ट्रेक्ट नहीं किया । उस वक्त फार्म पर एक चिट लगा दी गयी थी कि कितना पैसा हाजी अलग से जमा करें । एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि हज जाने वाले मुसलमान हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश के ऐसे लोग होते हैं जो उम्र की आखिरी मंजिल पर हज करने जाते हैं । पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों में सबसे ज्यादा उम्रदार और सेहत से कमजोर मुसलमान हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बंगलादेश के होते हैं क्योंकि उनके माली हालत ठीक नहीं होती हैं । जिन्दगी भर की गाढ़ी कमाई और मेहनत के बाद वह इतना जोड़ नहीं पाते हैं कि हज को जा सकें । इन्तेहा यह होती है कि 70-75 साल की उम्र में जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी में वह जमीन का टुकड़ा जिस पर खेती करके उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है, हज जाने के लिए वह अपने खेत, अपने उस टुकड़े को बेच देते हैं और हज जाते हैं इसलिए कि मेरे अपने कर्म मेरे आमाल बनेंगे । मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि वह सरकारी मुलाजिम जो रिश्वत लेते हैं वह भी हज जाने के लिए रिश्वत के पैसे से फार्म नहीं भरते हैं बल्कि अपने फण्ड से पैसे को निकालते हैं, अपनी ग्रेच्युटी को निकालते हैं और उस पैसे से हज को जाने का काम करते हैं । लेकिन इस वजीर ने जो पाप किया है, उसके लायक कोई सजा नहीं है । मान्यवर, वहां का जो स्टाफ है वह जो काम करता है, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि उनको मैं क्या कहूं । सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपने दामन को भी देखना होगा । हमारे दो इरादे हैं एक हज कमेटी दूसरा वक्फ बोर्ड दोनों की हालत ऐसी है उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने को किस कदर नीचे गिरा लिया है कि उनके साथ जितनी भी सख्ती की जाये वह कम है । ऐसी कोई हथकड़ी नहीं है जो उनके हाथों में पड़ सके । मान्यवर, मैंने सख्त कदम उठाये थे, मैंने कोई रियायत नहीं की थी । अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो सीनियर पी०सी०एस० थे उनके हाथों में हथकड़िया डालकर उनको कैसरबाग कोतवाली में बन्द करवाया था । मुरादाबाद के एक आई०ए०एस० कमिश्नर साहिबान के हाथों में हथकड़ियां डालकर इलाहाबाद में बन्द कराया क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे जिससे उनको ऐसी सजा दी गयी । मैंने किसी विधान सभा में एक बार कहा था कि शरीयत का कानून है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिये जायें, मेरा यह भी कहना है कि शरीयत का कानून पहले मुसलमानों पर लागू किया जाय और अगर उसके अच्छे रिजल्ट निकलें तो समाज और देश को बुराई से बचाने के लिए जो लोग शरीयत का कानून अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं उन पर लागू किया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं चाहूंगा कि इस मामले में यह न देखा जाये कि यह मामला वकार साहब ने उठाया है । इस वजीर ने हमें बड़े जख्म दिये हैं इसके लिये कोई ऐसी सजा नहीं है जो उसे दी जाय । मैंने कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र में तुम्हारे बदन में कीड़े भी नहीं पड़ेंगे ।तुम्हारा शरीर इतना पापी है कि उसमें कीढ़े नहीं पड़ेंगे । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि आज जो अरबों की जमीन दिल्ली में पड़ी हुई है, जिस मकसद के लिये वह ली गयी थी कि हज हाउस बनाया जायेगा, लेकिन वह नहीं बनाया गया है और उसका पैसा रक्खा हुआ है । लखनऊ में जो जमीन खरीदी गयी है, मुझे कहने में कोई डर नहीं है कि अगर वहां पर हज हाउस बनाया जायेगा और हाजी वहां जायेंगे तो वहां दंगा हो जायेगा । यह जमीन महज वहां इसलिये खरीदी गयी कि इसमें मोटी रकम हासिल की गयी है । हज हाउस दिल्ली में बने और लखनऊ में भी बने जहां उत्तर प्रदेश के पूरब के मुसलमान वहां आयें और रहें । हज हाउस ऐसी जगह नही बनना चाहिये जहां दंगा हो जाये, हम चाहते हैं कि हज हाउस ऐसी जगह बने जहां पूरे अमन तरीके से हाजी आकर रहें और जहाज पर जाकर बैठ सकें । इसलिये मैं इस मामले में वक्फ बोर्ड को जोड़ रहा हूं । हज आफिस व वक्फ के बोर्ड के मामले को किसी राजनीति से न जोड़ा जाए । हमारे ऊपर दया खाएं, तरस खाएं । जो गरीब मुसलमान जिन्दगी भर की जद्दोजहद के बाद हज जा पाता है । कोई और मुसाफिर होता है उसकी फ्लाइट अगर छूट जाती है तो उसको पांच सितारा होटल में ठहराया जाता है। यह उसको अधिकार है लेकिन हजारों हज यात्री दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ पर पड़े रहते हैं । कई तो उनमें मर भी गए । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह पुण्य का मामला है । एक हाजी की दुआ लग गई तो कल्याण हो जाएगा । हो सकता है कि हजारों हज यात्रियों में एक वली गया हो । जिसकी दुआएं किसी के काम आ जाएं । इस मामले को आप राजनीति से न जोड़ें । मेरी इल्तजा है कि तरस खाएं उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है । यह हज आफिस लूटका अड्डा बन गया है । जेबों में हाथ डालकर उनका पैसा निकाल लिया जाता है । उनकी घड़ियां जबरन उतरवा ली जाती हैं । मैं कैसे अपना दामन दिखाऊं । सरकार के खर्च पर जो हाजी जाते हैं चुने हुए नामिनेटेड लोग जो होते हैं उनसे आधा पैसा ले लिया जाता है । इसलिए इस मामले में यह न देखें कि इस मामले को वकार साहब ने रखा है या नेता प्रतिपक्ष ने रखा है । इसमें जांच करा लें । इतना बडा पाप हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है एक एक क्लर्क के पास तीन तीन मोटरें हैं । इसकी विजिलेंस जांच करवा ली जाए । इसके अलावा कोई हल नहीं है । दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चहिए । हमारी तरफ से कोई सिफारिश नहीं आएगी अगर कोई लेकर आए तो वह उससे बड़ा गुनाह कर रहा है । मंत्री जी इस पर कोई निश्चित घोषणा कर दें विजिलेंस जांच की । इससे कम पर ऐसे लोग काबू में आने वाले नहीं है ।

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग तथा रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

यह विषय नियम 56 के अन्तर्गत जो लाया गया है । वह ऐसे लोगों के सम्मान और हक से जुड़ा हुआ है जो खिदमत से अपनी जिन्दगियों को बदलते हैं । ऐसे लोग जो एक एक पैसा जुटाकर हज कमेटी में जाते हैं ऐसे लोगो के साथ चाहे किसी भी धर्म के लोग हों कोई अनैतिक कार्य करें उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । ऐसे लोगों के बारे में जो बातें कहीं गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ऐसे लोगो के साथ जो भी अन्याय करता है उसके बारे में कहीं न कहीं यह स्वीकार करना चाहिए कि गलत किया है । इस संबंध में मैंने खुद संघर्ष किया है जब मैं विधान परिषद् में था । इसी का प्रतिफल था कि एक जांच की गई खुद मैंने कहा था कि हज कमेटी के लिए जो जमीनें

ली गई हैं काफी अनियमितताएं हुई । सर्किल रेट से बहुत ज्यादा दिखाकर वह जमीनें खरीदी हैं । यह सत्य है कि जहां पर यह बनाया जा रहा है वह उपयुक्त स्थान नहीं है आज नहीं तो कल वहां तनाव की स्थिति रहेगी । अभी तो काम चलाया जा रहा है इस कार्यालय से । हमने कहा है कि इसके लिये अलग से जमीन विकसित की जाय ? वह उपयुक्त जमीन नहीं है । आज भी शासन इस मसले पर गम्भीर है । पहले उड़ाने दिल्ली बम्बई से चलती थीं अब लखनऊ से भी शुरू हो गई हैं । अब उत्तर प्रदेश में भी हज हाउस बनाना जरूरी है । एक उपयुक्त जमीन खोजी जा रही है । मैं नेता प्रतिपक्ष को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के एक एक पैसे का यदि कोई दुरुपयोग करता है, गबन करता है, नाजायज़ तरीके से उसको लेता है, उसके एक-एक पैसे का हिसाब होना चाहिए । और तो जो कुछ हो हाजी लोग हों या और धर्म के यात्री अनुयायी हैं, उनके साथ जो लोग इस तरह की हरकतों में जुटे हैं, उसकी जाचं की जायेगी ।

आपको पता है कि तत्कालीन मंत्री जी के खिलाफ जांच हुई थी और क्या जांच हुई इसे आप अच्छी तरह जानते हैं । एक हज यात्रा 2003 में जारी होने जा रही है । हज एक्शन प्लान में स्पष्ट रूप में अंकित किया गया है कि यह हज यात्रा 2003 में जारी होगी और यात्री 10 अक्टूबर, 2002 तक किराये की धनराशि केन्द्रीय हज समिति मुम्बई को उपलब्ध करा दें । प्रदेश के जाने वाले हज यात्रियों के हितार्थ उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि जिस तरह से यात्रियों से विदेशी मुद्रा की आग्रिम धनराशि प्रदेश स्तर पर जमा कराई जाती है उसी प्रकार किराया भी प्रदेश स्तर पर जमा कराया जाय । चूंकि 10 अक्टूबर, 2002 तक केन्द्रीय हज समिति मुम्बई को किराया उपलब्ध कराया जाना है ताकि उसे समय से केन्द्रीय हज समिति मुम्बई को भेजा जा सके । इस तरह से मान्यवर, नोटिस में था कि हमारी विदेशी मुद्रा को यहां जमा करते थे हमारे किराये को भी जमा करें । 15–9–2002 को एक बैठक होने वाली है । जिसमें उन अनियमितताओं के बारे में चाहे वह हज कमेटी से संबंधित हों, हज भवन के निर्माण के संबंध में हों, हाजियों के पैसे के दुरुपयोग के सम्बन्ध में हो या कम रेट की जमीन को अच्छे रेट में खरीदने की बात हो, इन सब के बारे में सतर्कता अधिष्ठान के माध्यम से जांच चल रही है । इस पर भी यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं । अभी तो यह जांच चल रही है और हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि जांच जल्दी से जल्दी हो जाय । दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय । कोई बच नहीं पायेगा । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और कहना चाहता हूं कि ऊपर वाला भी जानता है कि ऐसे लोगों का पैसा किसने खाया है । इसको दुनिया की कोई भी इन्सान बर्दाश्त नहीं करेगा । कहीं पर भी यदि हाजी के नाम पर, हज कमेटी के नाम पर, जमीन खरीदने के नाम पर एक भी पैसे का दुरुपयोग होता है, उसमें बड़े अधिकारी भी फंसे हैं, उस समय के तत्कालीन मंत्री फंसे हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर किसी भी अधिकारी को बचाने का काम नहीं किया जायेगा । जो भी मुजरिम होगा उसको दण्ड दिया जायेगा । जांच चल रही है नहीं तो जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष कहें, वहां से जांच करा लेंगे । मैंने अभी कहा है कि चूंकि एक जाँच चल रही है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आ जाये । उस जाँच रिपोर्ट को लेकर न किसी को बचाने की कोशिश होगी और जो भी दोषी होगा अगर कोई राजनैतिक दबाव डलवा कर बचाना चाहता है, बचाने नहीं दिया जायेगा । मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार के काम करेगा प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्मा जरूर कहेगी कि उसने ऐसा करके गलत काम किया है । पहले भी जाँच हुई और तत्कालीन मंत्री जी जेल भी गये, यह सब जानते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सतर्कता विभाग से जांच हो रही है, ठीक है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

इसमें तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो कहा है और दुःखी मन से कहा है । आपने स्वयं कहा कि इसमें करेप्शन के बहुत से मामले हैं । मान्यवर, हद यह है कि फोटोग्राफर तक अपना बिठा रखा है । 4-6 मेरे पास बूढे लोग आये बता रहे थे । कि सफेद फोटो खिंचवाकर भेजिये । तो कोई हद है मान्यवर, वह बूढ़े लोग चले आए फोटो लेकर, मैंने किसी को साथ लेकर उनको भेजा कि पूछें सफेद फोटो कौन से होते हैं, उन्होंने कहा सफेद फोटो वह होते हैं जो हमारे फोटोग्राफर खींचते हैं, इससे इतना जाहिर है कि वहां बहुत भ्रष्टाचार है, इसमें इतना आपने कर दिया है, जांच आ जाएगी तो आप भी मुतमइन हो जाएंगे, हम भी मुतमइन हो जाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो फिर कुछ किया जाएगा, इसको लाया जायेगा । इसमें किसी तरह से आप पर कोई इल्जाम नहीं दे रहे हैं, यह ऐसा मामला है जो किसी न किसी तरह है तय होना चाहिए ।

डा० वकार अहमद शाह–

मान्यवर, जो अधिकारी है जो पूरी स्टाफ टीम है वह बेईमानी में एक साथ लिप्त है, वह लोग अब तक मौजूद हैं जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा, जो अधिकारी है उसके द्वारा की हुई नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जाएगा तक तक कुछ नहीं होगा । उन्होंने आग लगाकर सारे रिकार्ड जला दिए हैं उस अधिकारी को वहां से तत्काल हटाया जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हद यह है कि यह दोनों को हमारे वक्फ बोर्ड और हज हाउस हैं यहां के लोग समझते हैं कि हम मुसलमान हैं अगर कोई उँगली उठाता है तो हम कहेंगे, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हमें जीने नहीं दे रहे हैं यह इस तरह का मामला है, मेरा आपसे कहना है वह लोग जो मुसलमानों के साथ अनर्थ कर रहे हैं, मजहब के नाम पर अनर्थ कर रहे हैं और कहते हैं चाहे जिसकी सरकार हो, बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया समाजवादी पार्टी ने यह कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिया यह इस चीजों से बच जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी हिमायत करने वाला कोई नहीं मिलेगा सिवाए उन चोरों के जिनके हाथ इसमें रंगे हुए हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

यह जो अधिकारी को हटाने का प्रकरण है इनको देख लेंगे, आपसे सम्पर्क करके बता देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

डा० वकार अहमद शाह, नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ ।

* श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जब माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया गया था। यह व्यवस्था की गई, जो हमारे असेवित विकास खण्ड हैं जहां कन्या इण्टर कालेज नहीं हैं इसमें सरकार धन नहीं देती है इन विद्यालयों को कोई धन देने का प्राविधान नहीं किया गया है। इनको कोई वित्तीय सहायता देने की बात नहीं की गई है। यह जो विद्यालय हैं यह वित्त विहीन होने के नाते अपने स्तर से इसको संचालित करते हैं और परीक्षायें इसमें होती रहती हैं, लेकिन अब मान्यवर, जब परीक्षा फार्म भरने का समय आ गया है तो शिक्षा मंत्री जी के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक हर विद्यालय से पूछ रहे हैं कि कितने अध्यापक हैं कैसे रुपयों की व्यवस्था करते हैं कैसे विद्यालयों को चलाते है कहते हैं इसका विवरण दो तब परीक्षा फार्म देंगे तो जो कि वित्त विहीन हैं उनसे पूछताछ हो रही है यह शिक्षक संघ से इतना डरे हैं इतना तो चोर भी दरोगा से नहीं डरता है कि यह-यह शर्तें मान्य होंगी। इन शर्तों पर मान्यता दी जायेगी तभी उनके बारे में व्यवस्था करते। इन्होंने कुछ नहीं किया। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि बिल्डिंग्स में पाँच लाख रुपया देते हैं और फिर सारी व्यवस्था हम करते हैं। जब हम लोगों ने स्कूल खोला तब भी शिक्षकों की नियुक्ति की बात नहीं की। जब स्कूल खुल गया है तो वह कानून ले आये हैं। मान्यवर, यह बच्चे हजारों की संख्या में हैं और इनके राजकीय स्कूल से ज्यादा है। अगर यह परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह जायेंगे तो इनका जीवन तबाह हो जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इस वित्त विहीन स्कूलों के छात्रों के परीक्षा फार्म लिये जायें। कोई दिक्कत हो तो बाद में देख लीजियेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री तो है नहीं। यह अति महत्वपूर्ण है और अविलम्बनीय है। इतनी बड़ी संख्या में छात्र फार्म भरने से वंचित रह जायेंगे। जब परीक्षा नहीं दे पायेंगे तो इनके भविष्य का क्या होगा। इसलिए निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संवेदनशीलता के आधार पर माननीय दृष्टिकोण अपनाते हुए फार्म भरवायें।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, असेवित विकास खण्ड पर प्राइवेट मैनेजमेन्ट के विद्यालय के सम्बन्ध में तथा सभी विद्यालय के सम्बन्ध में जो वित्त विहीन हैं जिनको मान्यता मिल गयी है और वह संचालन कर रहे हैं कक्षा 10 से लेकर इण्टर तक, इस संदर्भ में माननीय पाण्डेय जी ने नोटिस के माध्यम से बताया है, कि परीक्षा फार्म नहीं जमा किये जा रहे हैं। जिला विद्यालय परीक्षक आपत्तियां लगा रहे हैं कि आपके परीक्षा फार्म नहीं लिये जायेंगे। मान्यवर, कक्षा–9 से 12 तक के प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2002 थी। जिन लोगों ने प्रवेश ले लिया है उनके सभी के फार्म जमा कर रहे हैं। कुछ के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाईयां हो रही हैं। उस संदर्भ में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् से विस्तृत आख्या मांगी है। मान्यवर, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जो विद्यालय के छात्र नहीं है और यह परीक्षा फार्म भरना चाहते हैं तो नामांकन की प्रक्रिया लागू हुई कि नामांकित कर दें। मान्यवर, होता यह था कि किसी विद्यालय में दस लड़के पढ़ते थे और परीक्षा डेढ़ सौ बच्चे देते थे। तो जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है हमने यह किया कि उन्हीं के फार्म भरे जायें। कुछ जगह आपत्तियां आयी हैं उसके संदर्भ में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से आख्या मांगी है। जांच रिपोर्ट आ जाये तो इसमें कितना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनियमितता हुई है इसको दिखवा लेंगे । बल्कि मैं तो यह चाहता था कि आप और हम बैठकर इसको देख लेते । इसमें किसी विशेष जनपद के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है । यह पूरे प्रदेश का है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है । यह आजमगढ़ में भी है, हमारी सिद्धार्थनगर में भी है ....

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जिन लड़कों ने प्रवेश ले लिया है उनके फार्म भरवाये जा रहे हैं ।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब हम 21 तारीख को गये तो उन्होंने कहा कि आपके एक विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं, उनको कितना वेतन मिलता है मान्यवर, इस तरह की मांग वहां पर की जा रही है ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, इस पर कोई बंदिश लगनी चाहिए । इस तरह से तो कई समस्याएं, हो रही हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस तरह की आपत्तियां आई हैं । मैं बताना चाहता हूँ कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आपत्तियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं । यह पूछा जाता है कि आप के यहां कितने अध्यापक हैं, उनका कितना वेतन है इसका विवरण मांगा जाता है । मान्यवर, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से इस विषय पर आख्या मांगी गयी है । जब आख्या प्राप्त हो जाएगी तो इसमें तत्काल ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा । इसलिए इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है । मान्यवर, जिन लड़कों का प्रवेश हो गया है कक्षा 9, 10, 11, 12 में तो जो इस बार की परीक्षा में बैठ रहे हैं । उनको परीक्षा फार्म भरने के लिए किसी तरह का व्यवधान नहीं है । मान्यवर, यह नियम 56 में नहीं आती है अतः यह अग्राह्य है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आप निर्देश जारी कर दें कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं वह अपने यहां फार्म जमा कर लें ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् को कुछ निदेश दिये गये हैं । मैंने पहले ही कहा है कि इस सम्बन्ध में जैसे ही आख्या प्राप्त होगी तत्काल इसमें निर्णय लिया जाएगा ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बुन्देलखण्ड की समस्या के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद से ही केवल मा० मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को छोड़कर पूरे बुन्देलखण्ड की उपेक्षा होती रही है । यह सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा है सिंचाई की क्षमता वहां पर कम प्रदेश में सबसे है । जहां पूरे प्रदेश की सिंचित क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 89.7 प्रतिशत है वहीं बुन्देलखण्ड में 42 प्रतिशत सिंचाई क्षमता है । महोबा जनपद के मात्र में 20 प्रतिशत है । मान्यवर, मैं

बताना चाहता हूं कि वहां पर केवल 22 हजार हे० पर सिंचाई होती है । 1978 में बनी अर्जुन सहायक परियोजना में आज तक काम प्रारम्भ नहीं हुआ है यह इस सरकार की उदासी का प्रमाण स्पष्ट है । मैं चाहता हूं कि यह परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में चालू की जाये । इस परियोजना के चालू होने से करीब 44 हजार हे० भूमि पर सिंचाई क्षमता स्थापित होगी और और आज जो सिंचाई क्षमता 20 प्रतिशत है वह बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगी । मान्यवर, मुजफ्फरनगर में जहां भूमि वाटर लेवल 1919 में वही बुन्देलखण्ड में सबसे कम है । जो महोबा में तो केवल 3.37 है । जो बहुत कम मान्यवर, मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि वहां पर तालाबों को गहरा कराने की व्यवस्था की जाय । इससे वहां पर भूमि जल लेवल ऊपर आएगा । मान्यवर, यह समस्या है, मान्यवर, सबसे बड़े दुख की बात है कि नवीन पंचवर्षीय योजना में सरकार ने पूरे बुन्देलखण्ड में मात्र 46 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिये प्राविधान किया है ।

मान्यवर, उर्वरक प्रदेश में सबसे कम खपत केवल महोबा में है । सड़क की स्थिति यह है कि जहां 1999-2000 में जहां पश्चिम में 422.22 कि०मी० पूरब में 409.82 कि०मी० केन्द्रीय क्षेत्र में 371.86 कि०मी० वहीं बुन्देलखण्ड में मात्र 270.92 कि०मी० है । यह प्रति हजार वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल पर है । मान्यवर, विद्युतीकरण की स्थिति यह है कि प्रदेश के विद्युतीकृत गांवों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत जहां पश्चिम में 88.7 प्रतिशत, पूर्व में 76.98 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र में 71.71 प्रतिशत वहीं बुन्देलखण्ड में मात्र 68.37 है । मान्यवर, जिस गांवों में विद्युतीकरण अभी हुआ है उसमें अधिकतर गरीब बस्तियों को छोड़ दिया गया है वहां आप विशेष ध्यान दें । मान्यवर, जनपद महोबा में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, बस एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में बुन्देलखण्ड में 2-2 साल से अस्पताल और ब्लड बैंक बने हुए हैं लेकिन चालू नहीं कराये गये हैं ।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के अलग होने के बाद यह प्रचार किया गया कि बुन्देलखण्ड और महोबा को पर्यटन के रूप में विकसित किया जायेगा लेकिन अभी कुछ भी नहीं किया गया है । मान्यवर, पर्यटन के विकास के नाम पर 54 वर्षों में अभी तक सरकार वहां केवल 4 पर्यटन आवास गृह बना सकी है और ज्यादा कुछ नहीं किया गया है । मैं चाहूंगा कि खजुराहो को केन्द्र बिन्दु मानकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पर्यटन विकास पर ध्यान दिया जाये । मान्यवर, वहां उद्योग नगर विकास तथा खेल कूद में बहुत खराब स्थिति है । कुछ समय और दे तो मैं सदन के सामने बुन्देलखण्ड के महोबा की वास्तविक स्थिति रख दूं कृपया सरकार को आदेश देकर वहां विकास कराएं ।

* श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, इस समय बुन्देलखण्ड में किसान, मजदूर सूखे और अकाल तथा भौगोलिक असंतुलन के कारण नौजवान और गरीब आदमी बुन्देलखण्ड से पलायन कर रहा है । मान्यवर, न तो वहां रोजगार के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साधन है और न शिक्षा के साधन है । इस समय वहां एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है । मान्यवर, पहले यह व्यवस्था की गई है कि उत्तरांचल और बुन्देलखण्ड को विद्युत के मामले में कटौती मुक्त रखा गया है । लेकिन मान्यवर, बुन्देलखण्ड कटौती मुक्त नहीं है । वहां पर सिंचाई के साधन नगण्य हैं । मान्यवर, वहां जो राजकीय नलकूप लगे हैं वह अधिकतर फेल हो रहे हैं । मान्यवर, वहां के वाटर लेबिल गिर रहा है । मान्यवर, वहां पर वाटर रिचार्ज कराने की व्यवस्था कराई जाये । इसके लिए तालाब बन्धे, बन्धी बनवाये जाये नहीं तो आने वाले समय में पेयजल संकट पैदा हो जायेगा । मान्यवर, इस समय केन नदी में पानी नहीं रह गया है । मेरा अनुरोध है कि यमुना नदी के पानी को लिफ्ट करके बांदा मे पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट करा जाये । मान्यवर, वहां चित्रकूट धाम है । मान्यवर, बालू खनन से हमारे यहां बड़ी आय होती है । वहां यमुना, केन, धसान, बेतवा,वागेनदी, पैश्वनी, चन्द्रावल, उर्मिल नदियों का जाल है लेकिन मशीन से बालू खनन के कारण वहां के मजदूर पलायन कर रहे है । इसी प्रकार से मत्स्य पालन के लिये पट्टा नहीं दिया जाता है जिससे वहां का मजदूर पलायन कर रहा है । मान्यवर, भूरागढ स्थित औद्योगिक क्षेत्र को विकास कराया जाय तथा कताई मिल बांदा को चालू कराकर मजदूरों के बकाये का भुगतान कराया जाय और उन्हें नौकरी प्रदान की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, बांदा चित्रकूट में दस्यु उन्मूलन समस्या है वहां जंगलों में पीएसी/मिलेट्री [illegible] स्थापित की जाय, बीहड़ जमीनों का समतलीकरण कराया जाये । इसके अतिरिक्त वनरोजो, नील गायें, हिरनों को पकड़वाने की व्यवस्था की जायें क्योंकि यह फसल को नुकसान पहुंचाते हैं । विलायती बबूल को साफ कराकर फलदार वृक्ष लगाये जाये और मान्यवर, तिन्दुवारी, चिल्ला, जसपुरा, बड़ोखरखुर्द ब्लाक में डिग्री कालेज, इण्टर कालेज, खुलवाया जाये ताकि लोग वहां पढ़ाई कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय निषाद जी आसन ग्रहण करिए । तीसरी सूचना सुनने के बाद मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

मैंने शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है । अब माननीय निषाद जी जो कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि एक अत्यन्त ज्वलनशील मुद्दे पर आपने मुझे नियम–56 की ग्रह्यता पर अपने विचार रखने का अवसर दिया । मान्यवर, यह प्रकरण भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना है और यह प्रकरण जो रख रहा हूं यह साफ कर देगा कि किस तरह से भ्रष्ट लोगों के बीच और उनको संरक्षण देने वालों के बीच में सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कर देगा ।

मान्यवर, भ्रष्टाचार कहीं एक जगह नहीं पनप रहा है बल्कि ऊपर से नीचे तक है । फर्क यह है कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है । वैसे मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है । मान्यवर, कल जब सार्वजनिक रूप से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था तो दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी इलाहाबाद में पूरे प्रदेश के

प्राथिमक शिक्षक दुखी मन से आन्दोलन की राह पर थे इसका मात्र एक यह कारण था कि इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में एक ऐसे अधिकारी की तैनाती की गयी है जो अधिकारी कम है और अराजकता में विश्वास करने वाला ज्यादा ।. वह अधिकारी कम और भ्रष्टाचार में विश्वास करने वाला ज्यादा है । उसके भ्रष्टाचार का एक उदाहरण देना काफी समझता हूं अभी कुछ दिन पहले ज्ञात हुआ माननीय मानक संसाधन मंत्री ने कहा कि अगर मेरे बस में होता तो प्रदेश के कर्मचारी नहीं होते केन्द्रीय कर्मचारी होते तो फिर हाथों में हथकड़ी होती और शासन यह कह रहा है मान्यवर, जब वहां जाते हैं तो वहां पर गुण्डों का साम्राज्य है जो शिक्षक अगर नियम कानून से बात करने की बात करता है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने गुण्डों से अपमानित ही नहीं कराते मारपीट करते हैं यह श्रीमन, मैं पहली बार नहीं उठा रहा हूं । यह प्रकरण शिक्षकों ने उठाये । जिलाधिकारी ने जांच की और नियमानुसार सी०डी०ओ० ने भी जांच की मान्यवर, एक जांच आख्या आई जो शिक्षकों ने आरोप लगाये थे वह सारे आरोप एक एक कर सच पाये गये और सब सच पाये गये मुख्य विकास अधिकारी ने अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा कि ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारी इलाहाबाद को तुरन्त स्थानान्तरित कर निलम्बित करना चाहिए । मान्यवर, यह सिर्फ रिपोर्ट नहीं या शिकायतों का पुलिन्दा नहीं है शिकायत हो गई, जांच हो गई और सक्षम अधिकारी ने यह स्वीकृति दे दी है और संस्तुति कर दी है कि इसके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की जाये मैं जानना चाहता हूं कि मुख्य विकास अधिकारी इलाहाबाद और जिलाधिकारी इलाहाबाद की कोई संस्तुति सरकार के पास प्राप्त हुई है और इस जांच के बाद निलम्बन की सिफारिश और ,स्थानान्तरण की सिफारिश जो है अगर आई है तो वह किस तारीख को आई है और शासन में आपने क्या किया है मैं सीधा सीधा कारण जानना चाहता हूं कि निलम्बन की संस्तुति के बाद आज तक निलम्बन क्यों नहीं हुआ है ? और अगर नहीं हुआ है तो फिर यह जो जन चर्चा है, शिक्षकों का आरोप है वह शतप्रतिशत सही है । वह बेसिक शिक्षा अधिकारी कहता है कि मैं तो कमाता हूं लेकिन खाता मिलकर । कौन हैं वे लोग जिनके साथ मिलकर.खाया जा रहा है, कौन है, जो राज़नीतिक संरक्षण दे रहे हैं ।

इलाहाबाद के सारे जनप्रतिनिधियों ने उस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इलाहाबाद के सारे शिक्षकों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया । जांच की जो आख्या आई है उसमें उसे निलम्बित करने की संस्तुति की जाय, यह कहा गया है लेकिन अभी तक उसका निलम्बित न होना कहीं न कहीं यही दर्शाता है कि सारे नियम एक तरफ, सारी जांच एक तरफ, लेकिन उसका चांदी का जूता इतना मजबूत है कि सरकार हिल नहीं पा रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय ज्ञाता, संसदीय ज्ञान के धनी विचारवान और चरित्रवान हैं मैं उनसे सिर्फ दो सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कोई निलम्बन के लिए सी०डी०ओ०, डी०एस० की रिपोर्ट आई है और यदि आई है तो कब आई है ? और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि अभी कार्यवाही नहीं हुई है तो इसमें आप समय ले लें और बेसिक शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मंगा लें और कल सदन में रख दें । और जिन्होंने अभी तक कार्यवाही नहीं की है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही आप कर रहे हैं, यह भी आप बता दें और उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यव़ाही करने जा रहे हैं यह अभी बता दें । मान्यवर, सारे शिक्षक हड़ताल पर चले गये हैं शिक्षा प्रभावित है इसमें अविलम्बनियता है लोक महत्व भी है और भ्रष्टाचार से जुड़ा ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार कसौटी पर है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मैं शासन से आग्रह करूंगा कि पूरी जांच पड़ताल कर शासन जाँच रिपोर्ट दे ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर माननीय श्री प्रमोद तिवारी को सुनने के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सिर्फ इतना बता दें कि जांच आख्या आई है तो उसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

(श्री सिद्ध गोपाल साहू तथा विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, गम्भीर मसला है इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दिये हैं कि शासन का ध्यान आकृष्ट करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

इस सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

सिर्फ इतना कह दें कि वस्तु स्थिति से वह सदन को अवगत करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, इसको दिखवा लीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर हम लोगों को न दिखाना चाहें तो अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दें, यह कह दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अध्यक्ष जी, को वस्तु स्थिति से अवगत करा दीजिएगा । अगली सूचना श्री आर० के० चौधरी की है ।

श्री सिद्ध गोपाल साहू–

मान्यवर, मेरी भी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाय मेरा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गम्भीर मसला है ।

(श्री सिद्ध गोपाल साहू तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

* श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, आपने मेरी सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तब से उत्तर प्रदेश में तमाम आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं और सबसे अधिक घटनाएं अगर किसी समाज के साथ हुई हैं तो सबसे ज्यादा घटनाएं पासी समाज के साथ हुई हैं। अब तक उनके साथ 18 से अधिक घटनाएं इस शासन काल के दौरान हुई हैं मान्यवर, 18 की सूचनाएं हमारे पास है। सैकड़ों हत्याएं हो चुकी है, इस शासन काल में इस प्रदेश में। मान्यवर, 12 जून को एक शासनादेश हुआ और दलित एक्ट के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा तब से पूरे प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है कुल घटनाएं जितनी घटी होंगी उसका 80 प्रतिशत अकेले दलित समाज पर घटित हुई। उत्पीड़न, अन्याय, बलात्कार, हत्याएं जिनका प्रतिशत अकेले पासी समाज पर घटित हुई। मान्यवर, फैजाबाद जनपद में थाना इनायत नगर के गांव हिसामुद्दीनपुर में श्रीमती ललिता पासी की हत्या की गई, उन्नाव में अजगैन थाना अन्तर्गत ग्राम गौरा कठरवा में श्याम लाल पासी की हत्या की गई, लखीमपुर में थाना खीरी के अन्तर्गत ग्राम केशवपुर में राम सागर पासी की हत्या की गई, लखनऊ में बक्शी का तालाब थानान्तर्गत कठवारा में एक महिला की सामुहिक बलात्कार करके हत्या की गई, लखनऊ में ही गोसाईगंज थाना अन्तर्गत वस्तौली में राम सिंह पासी की हत्या की गई, गोसाईगंज थानेान्तर्गत ही बस्तौली में रज्जन लाल पासी की हत्या की गई, नगराम थानान्तर्गत बलसिंह खेड़ा में राम हर्ष पासी की हत्या की गई, रघुवारी पासी की हत्या की गई और संजय पासी की हत्या की गई, लखनऊ में ही मलिहाबाद थानान्तर्गत रामनाथ पासी की हत्या की गई, इलाहाबाद में नैनी थानान्तर्गत अरेल में मनोज पासी की हत्या की गई, हंडिया में वसुपुर में रामराज पासी की हत्या दी गई और इसी जनपद में औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत मो० वारामार में मूलचन्द्र पासी की हत्या की गई। मान्यवर, बाराबंकी के दरियाबाद थानान्तर्गत पिपरहा में राम सिंह पासी की हत्या की गई और इसी जनपद में असन्दरा थानान्तर्गत पूरे बढ़ई का पुरवा में कौशल उर्फ मदारी पासी की हत्या की गई और मिर्चिया जो असन्दरा थानान्तर्गत ही है में राम सुमिरन पासी की पुलिस की गोली से हत्या कर दी गई, जनपद रायबरेली के बछरांवा थानान्तर्गत दरेहटा में कु० रमा देवी पुत्री दयाराम की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, जनपद सीतापुर में रामकोट थानान्तर्गत इन्दरौली में मंजू पुत्री देवीदीन पासी, जो अपने माइके से विदा होकर जा रही थी रास्ते में सामन्तों ने अपहरण कर लिया और 10 दिन तक बलात्कार किया और उसके बाद हत्या कर दी इस तरह से मान्यवर, पासियों की चुन-चुन कर हत्या हो रही है वह पासी समाज जो इस देश के बड़े भू-भाग में राजपाट कर चुका है। लखनऊ में राजा बिजली पासी का किला है कभी पासियों का साम्राज्य था जो पासी इस देश में राजपाट कर चुके हैं आज उनकी संतानें इस प्रकार मारी जा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय आर० के० चौधरी जी आपका समय खत्म हुआ आपने दो मिनट से ज्यादा समय लिया आपका विषय आ गया अब आप कृपया करके बैठ जायें। मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(माननीय श्री आर० के० चौधरी वेल में आ गये अपनी बात कहने के लिए किन्तु श्री किरन पाल सिंह के प्रयास से वापस चले गये।)

माननीय आर० के० चौधरी जी को सुनने के बाद उनकी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

[निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई : श्री उदयराज, श्री रामलाल अकेला की सूचना जो पूरे प्रदेश के विकास प्राधिकरण कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(2) श्री रामविशुन आजाद की सूचनाएं जो प्रदेश में पान मसाला, पान गुटखा, सिगरेट, बीड़ी का सेवन करने से स्वास्थ्य पर हो रहे बुरे प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(3) डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा कुंवर रेवती रमण सिंह की सूचना जो उत्तर प्रदेश पुलिस, पी०ए०सी०, जी०आर०पी०, हेड कांस्टेबिलों का चौथे व पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतनमान न दिए जाने के सम्बन्ध में है।

(4) श्री महेश नारायण सिंह की सूचना जो प्रदेश के सभी जिलों के सी०एम०ओ० द्वारा झोला छाप डाक्टरों के नाम पर आयुर्वेद एवं यूनानी डाक्टर्स को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है।

(5) डा० शिव प्रताप यादव की सूचना जो प्रदेश में बालू खनन एवं पत्थर पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(6) श्री कैलाश यादव की सूचना जो जनपद गाजीपुर की लाईस डिस्टलरी, नन्दगंज की शराब फैक्ट्री के प्रदूषित पानी से किसानों को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(7) श्री किरनपाल सिंह की सूचना जो कारगिल शहीदों के परिवारों को सरकार द्वारा दिए गए वादे को पूरा न किए जाने के सम्बन्ध में है।

(8) श्री राकेश सचान, श्री राम लाल अकेला, श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री उदयराज यादव, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्रीमती आशा किशोर, श्री यशपाल चौधरी, श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह की सूचना जो लखनऊ मण्डल एवं कानपुर मण्डल के जनपदों को मिलाकर एक मध्यांचल का सृजन कर विकास के लिए विकास निधि निर्धारित करने के सम्बन्ध में है।

(9) श्री बलराम यादव, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आलम बदी तथा श्री शारदानन्द अंचल की अपराधियों द्वारा भयमुक्त होकर जनपद आजमगढ़ में कर रहे दिन-दहाड़े हत्या एवं अन्य अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।]

निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :–

श्री उदयराज यादव, श्री राम लाल अकेला, श्री रामविशुन आजाद, डा० अशोक बाजपेयी एवं श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल तथा कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री महेश नारायण सिंह, डा० शिव प्रताप यादव, श्री कैलाश यादव, श्री किरन पाल सिंह, श्री राकेश सचान, श्री राम लाल अकेला, श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री उदयराज यादव, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्रीमती आशा किशोर, श्री यशपाल चौधरी, श्री महेन्द्र कुमार सिंह तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह, श्री बलराम यादव, श्री वसीम अहमद, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आलम बदी तथा श्री शारदा नन्द अंचल।

श्री आजिम भाई, श्री छेदी लाल, श्री ओम प्रकाश, श्री कौशल किशोर, श्री संजय गर्ग, श्री रामकरन आर्य, श्री किरन पाल कश्यप, श्री मदन चौहान, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री बैजनाथ दुबे, श्री शिव कुमार बेरिया, श्री कल्याण सिंह दोहरे, श्री रामकरन आर्य, श्री विजय बहादुर पाल, श्री विजय मिश्रा, श्री अवधेश प्रसाद, श्री पारसनाथ यादव, श्री आलोक कुमार शाक्य ।

माननीय चौधरी साहब, नियमानुसार दो सूचनाओं पर सुना जाता है, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शासन का आकृष्ट कर दिया गया ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मेरी महत्वपूर्ण सूचना है, सरकार से स्पष्टीकरण चाह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब आपकी सूचना पूरी सुनी गयी उसके बाद शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया । कृपा करके आसन ग्रहण करें । आप जैसे वरिष्ठ सदस्य का बेल में आना उचित नहीं है ।

(समाजवादी पार्टी के कई मा० सदस्य अपने आसन से खड़े होकर एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे, और व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(शोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2003-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

* कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5, 74, 77, 47,000 रु० सें अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

*श्री अरविन्द गिरि–

मा० अधिष्ठाता जी, चौधरी साहब वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी बात सुन लीजिये, यह उचित नहीं है कि आप चौधरी साहब की बात न सुने [×××]

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें ।

(श्री राम करन आर्य अपनी सूचना को सुने जाने का आग्रह करते हुये सदन की बेल में आ गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[×××] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार [illegible] निकाल दिया गया ।

श्री राम करन आर्य–

अधिष्ठाता महोदय मा० अध्यक्ष जी ने कल कहा था कि आपकी बात सुन ली जायेगी, चूंकि आज देर हो रही है इसलिये सदन की कार्यवाही समाप्त की जाती है, कल बजट के पहले सुन लिया जायेगा। पीठ के अध्यक्ष के रूप में आप विराजमान हैं इसलिये सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राम करन आर्य–

[×××]

(श्री राम करन आर्य वेल से वापस चले गये)

श्री अवधेश प्रसाद

मा० अधिष्ठाता जी, चौधरी साहब वरिष्ठ सदस्य हैं प्रदेश शासन में दो-दो बार मंत्री रहे हैं आप भिज्ञ होंगे यों तो उत्तर प्रदेश में लगातार हत्यायें, लूट, डकैती, राहजनी, बलात्कार हो रहे हैं और सारी सीमाओं की लांघ दिया है आज जितने अत्याचार हो रहे हैं उतने पिछले 55 सालों में नहीं हुये हैं। पासी समाज का इस प्रदेश में एक सम्मान रहा है यहां पर महाराज बिजली पासी का किला है। पासी एक स्वाभिमानी जाति होती है। आजादी की लड़ाई में पासी जाति ने बड़चढ़कर हिस्सा लिया था। एक ऐसे सरकार जो अपने को दलित की बहिन और बेटी कहते नहीं थकती है उसके समय में अनुसूचित जातियों, के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और पासी जाति के 80 फीसदी लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। परिवार के परिवारों का सफाया हो रहा है जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी भी दुखी है। माननीय चौधरी जी जैसे माननीय सदस्य को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा ? यह सरकार लीपा-पोती का काम कर रही है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम को ऐतबार है कि इस कुर्सी से हम लोगों को न्याय मिलेगा। माननीय चौधरी साहब ने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है इसलिए उनसे बदला लिया जा रहा है लेकिन वो कमजोर साबित नहीं होंगे। आज पासी जाति पर अत्याचार हो रहे हैं तो चौधरी साहब जैसे सदस्य मूकदर्शक होकर नहीं रह सकते। चौधरी साहब बहुत दुखी है वो कई दिन से लगातार अपनी बात कह रहे हैं। अभी उन्होंने नगराम की घटना पर अपनी व्यथा प्रकट की हैं। कल उन्होंने रैदास फैमली के सफाड़े पर कहा। आप उनकी व्यथा को सुनिये और सरकार को कड़े आदेश दें कि जो अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठायें नहीं तो इस सरकार और मुख्य मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य करें क्योंकि कानून का राज नहीं रह गया है।

(श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री अरविन्द गिरि, श्री राम करन आर्य, तथा श्री आर० के०चौधरी आदि विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चौधरी साहब अपने आसन पर जायें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। नियम–56 में जितनी सूचनायें आती हैं, पहली सूचना माननीय अध्यक्ष जी सुनते हैं, शेष सूचनायें शलाका के आधार पर चयनित होती हैं। पहली दो सूचनाओं की ग्राह्यता के लिए सुना जाता है शेष तीन पर शासन का ध्यान

आकृष्ट किया जाता है । मैंने पाँच सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया अब चौधरी साहब जैसे वरिष्ठ सदस्य वेल में न खड़े हों ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं ।

(श्री अवधेश प्रसाद, श्री आर० के० चौधरी आदि सदस्यों द्वारा आसन ग्रहण न करने पर)

मैं सदन को 2.45 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है ।

3 बजे अधिष्ठाता श्री लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब मेरी बात सुन लें आज सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट है । मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष उस पर बोलेंगे । कल उस पर बहस होगी ।

(व्यवधान)

श्री अरविन्द गिरि–

जो दो-दो मंत्री रहे हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

गिरि जी आप बैठ जायें । शाम को गृह विभाग के बजट पर बोलने का मौका मिलने वाला है । इस पर जवाब आ जायेगा । बल्कि नेता सदन खुद इसका जवाब देंगी ।

कृषि एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आज हमारा सौभाग्य है कि आज सबसे बड़े विभाग कृषि विभाग की अनुदान मांगें प्रस्तुत करने का अवसर मिला है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नेता सदन से आपको जवाब मिलेगा । आप आसन ग्रहण कर लें । कृषि विभाग का महत्वपूर्ण बजट है ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, दो मिनट मुझे सुन लें ।

श्री अधिष्ठाता–

चौधरी साहब, आप बैठ जायं शाम को गृह विभाग का बजट है ।

(व्यवधान)

अवधेश प्रसाद जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

* श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, बड़ी दुखद बात है कि जो वरिष्ठ सम्मानित सदस्य हैं, जो नियमों के ज्ञाता हैं और विद्वान हैं.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दद्दू प्रसाद जी, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है । कृपया बैठ जायें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरे पास 18 पासियों की लिस्ट है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अवधेश प्रसाद जी, आप कृपा करके बैठ जायं । आपकी इस सूचना पर हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इसका जवाब दिलवा दें । पहले हम दो मिनट में अपनी बात रख लें उसके बाद जवाब आ जाय ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जब जिन्दगी नहीं रह जायेगी तो बजट की किताब लेकर क्या ओढ़ेगा या बिछायेगा ?

*श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत कर दिया गया है उसके बाद इसका औचित्य नहीं रह जाता है । यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । पूरे प्रदेश में पासी समाज के लोग मारे जा रहे हैं । मैंने तीन-तीन बार सूचना दी मान्यवर, लाटरी निकली और लाटरी में सम्मानित सूचना का चयन हुआ और सुनने के बाद दो मिनट में अपनी सूचना मैं पढ़ भी नहीं पाया । आपसे आग्रह है कि मेरी बात सुन ली जाय जिसे इस सदन के संज्ञान में जो प्रदेश में बड़ी घटनाएं हो रही हैं वह आ जायें और उसके बाद फिर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाय । मान्यवर, मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूं । इस प्रदेश में पासी समाज के राजाओं का राज था । कभी पासी साम्राज्य था । मान्यवर, दलितों ने इस देश को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजाद करने में अहम भूमिका निभायी है । जैसे मक्का पासी पैदा हुए इनकी पत्नी ऊदा देवी थीं । यह नवाब वाजिद अली शाह की सेना में भर्ती हुए । मान्यवर, मक्का पासी शाही सेना में भर्ती हुए और अंग्रेजों से लोहा लिया । मान्यवर, ऊदा देवी जो नवाब अली शाह के महिला बटालियन की कैप्टन थीं सिकन्दर बाग में उनकी अंग्रेजों से टक्कर हुई जिसमें 2 हजार अंग्रेज सैनिक मारे गये जिसमें से 36 सैनिकों को अकेले ऊदा देवी ने मार गिराया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मायावती जी के शासन काल में पासी समाज के लोगों को कुत्ते-बिल्लियों की तरह मारा जा रहा है । अब तक 17 हत्यायें हो चुकी हैं । इतनी गम्भीर घटनायें हो रही हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कार्यवाही को रोककर तत्काल इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने सूचना को सुनने के बाद ध्यानाकर्षण करके अग्राह्य कर दिया था । श्री आर० के० चौधरी जी को सुनने के बाद यह गम्भीर मामला है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी को कहता हूं कि इस घटना की जानकारी करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दें ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदान की माँग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (क्रमागत)

कृषि, पंचायती राज मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इससे पहले कि अपनी बात कहूं उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के करोड़ों किसानों का मार्गदर्शन करने वाले माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी के 100वें जन्म दिवस पर 23 दिसम्बर, 2002 को हम कृषक सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है । उस दिन प्रदेश के कृषि विज्ञान से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले महानुभावों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा । अब मैं अपनी बात करता हूं । आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व जब कृषि का बजट रखा गया तो उसमें मैंने ही कटौती का प्रस्ताव रखा था । और उसमें जिज्ञासा जाहिर की थी कि जब तत्कालीन मंत्री जी ने उपलब्धियां गिनाई कि हम यह योजना शुरू करने वाले हैं, इतना उत्पादन बढ़ा है, तो मैंने पूछा कि इस बढ़े उत्पादन में इस सरकार का क्या योगदान रहा ? किसान ने अच्छी खेती की और उत्पादन हो गया अच्छी खाद-पानी दी और अच्छा उत्पादन हो गया । देखने वाली बात यह है कि किसान अपना काम करता रहा लेकिन सरकार की उसमें क्या भूमिका होती है उसका क्या योगदान है । जब 5 महीने पहले कृषि विभाग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयी तो मेरे मन में यही बात आयी कि आज कृषि मंत्री के रूप में हमें यह तय करना है कि हम अपनी क्या भूमिका निभा रहे हैं ? मान्यवर, यह जगजाहिर है कि दो करोड़ खातेदार हमारे प्रदेश में हैं और लगभग एक करोड़ 28 लाख एकड़ भूमि कृषि के योग्य है । तो एक खातेदार के हिस्से में एक हे० भी जमीन नहीं आती । केवल 20 लाख खातेदार ऐसे हैं जिनके हिस्से में जो सामान्य कृषक था बड़े कृषक कहे जा सकते हैं वरना 180 लाख ऐसे हैं जो लघु कृषक हैं या मारजिनल फार्मर हैं ।

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, ऐसी स्थिति में आगे जब हम गहन खेती की बात करते हैं तो खेती का क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है । मान्यवर, हमारी सीमा क्षेत्रफल बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकेंगे । लगभग 12 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो बंजर और ऊसर के रूप में पड़ी हुई है । उस 12 लाख हेक्टेयर में से

हमारा आगे लक्ष्य है 1.50 लाख हेक्टेयर का सुधार कर के काम करना है । मान्यवर, उस सीमा के बाद मैं जा नहीं पायेंगे और क्षेत्र नहीं बढ़ा पायेंगे और मान्यवर, जो कृषक रह गये हैं, छोटे खातेदार रह गये हैं तो कुछ इन्पुट्स की गुन्जाइश नहीं हो सकती ऐसी स्थिति में वह उपाय खोजने होंगे जिन उपायों से उनको आगे बढ़ा सकें । मान्यवर, यह चिन्तन का विषय है कि कृषक के लिए जितना कुछ किया जा रहा है लेकिन शायद वह सोचते नहीं, जितना कृषकों के लिए भारत के बाहर विकसित देशों में किया जा रहा है उसका 1/10 भी नहीं कर रहे हैं । हमें और करने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, हम यह देंखे कि किसान के ऊपर जिम्मेदारी आयी है इस सारे प्रदेश के गरीब लोगों के पेट पालने की । वह जिम्मेदारी वह तभी निभायेगा जब अपना मार्गदर्शन उस को हम दें । हम उसकी सहायता करें । मान्यवर, इस उद्देश्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इनपुट की हम बात कह रहे हैं । जब तक हम उन्नतिशील बीज उसको नहीं उपलब्ध करायेंगे वह खेती के उत्पाद को ज्यादा नहीं दे पायेगा । मान्यवर, बीज के लिये अभी तक एक ट्रेडिशनल सोच रही है वही सोच रही है कि खेत में पैदा कर दी और उसमें से साफ करके कुन्तल दो कुन्तल रख लो बीज के लिए और उसी पर हम भरोसा करते रहे, मान्यवर, हमने उसमें एक प्रोग्राम बनाया है और इसी के तहत इस वर्ष एक लाख कुन्तल अतिरिक्त प्रमाणिक बीज कृषकों को उपलब्ध कराने की बात है । वह प्रमाणित बीज होगा, गुणवत्ता पूर्ण बीज होगा । मान्यवर, जो कार्यक्रम बनाया है उसमें अगले 4 वर्षों में जो बीज के बदलने की स्थिति होती है उसको 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत ले जाने वाले हैं । लेकिन हर साल 25 प्रतिशत कृषक अपना बीज बदल सके यह बात है । मान्यवर, जो हमने कार्यक्रम बनाया है उसमें है एक ग्राम बीज योजना, उसमें ऐसे कृषकों का चिन्हीकरण जो बीज में रुचि लेते हों उसके लिए इनपुट देंगे ।

मान्यवर, जितने भी किसानों को अनुदानों के रूप में सुविधायें मिलती थी अगर उनकी समीक्षा करे तो आलोचना होती थी कि किसान को कुछ नहीं मिल रहा है । बीच वाले खा रहे हैं । हम लोगों ने इसमें कदम उठाया है कि जो हम बीज के ऊपर 500 रुपये कुन्तल अनुदान देते आये हैं जिसका अहसास किसानों को नहीं होता है । इसमें हमने निर्णय लिया है कि 375 रुपये सीधे-सीधे जो बीज का उत्पादक किसान है उसको बैंक के चेक द्वारा दिया जायेगा किसी भी अधिकारी को हेराफेरी करने का मौका नहीं मिल जायेगा । मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान कुछ अपना रास्ता बदले, खेती करने का तरीका बदले, तरीके में एक बीज का उत्पादन महत्वपूर्ण है चूंकि बीजों का हमेशा रेट ज्यादा होता है । मान्यवर, जैसे 630 रुपये सामान्य गेहूं का दाम था और बीज का दाम 11 रुपये था । आखिर किसान को सोचना पड़ेगा जो ट्रेडिशनल खेती है उससे उसके कुछ कदम आगे बड़े । मान्यवर, उसकी सहायता की आवश्यकता है । मान्यवर, हमारा तराई बीज विकास निगम है, सीड सर्टिफाइड करती है यह सारे के सारे उपकरण हैं जो किसानों से सम्पर्क करके उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं । मान्यवर, दिक्कत हमारे सामने आई और सबसे बड़ी दिक्कत यह आई कि तीन साल पहले जो कार्यक्रम हमने बनाया पंचायत राज का उसमें कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी, नीति बदली उस नीति के तहत कृषि विभाग में काम करने वाले वे किसान सहायक जो न्याय पंचायत में रहकर प्रसार का काम करते थे किसानों को आधुनिक तकनीक देने का काम करते थे वह सारे के सारे पंचायतों में स्थानान्तरित कर दिये गये । हमारे यहां अभाव हुआ, आज दुर्भाग्य यह है कि किसान के पास हमारी तकनीक ले जाने के लिये कोई कृषि कर्मचारी उपलब्ध नहीं था हमारे सामने यह चुनौती थी और एक गैप आ गया इस अभाव को हमने दूर करने के लिये एक कार्यक्रम बनाया पहला जितनी भी हमारी भूमि संरक्षण की ऐसी इकाई थी, लगभग 24 इकाई थी जिनके पास पिछले 4-5 साल से कोई काम नहीं था यह सारे

तकनीकी आदमी थे । काम न होने के कारण सुस्त बैठे हुए थे । यह हमने निर्णय लिया कि उनको प्रसार में लगाया जाय । कमाण्ड एरिया में कुछ कर्मचारी थे उनको इस काम में लगाया जाव साथ ही साथ पंचायत में ऐसे लोग गये थे जो वीएससी–एजी, एसएससी–एजी थे उनके लिये भी हमने नीति निर्धारित की है और उनको कार्यक्रम देकर के साथ ही साथ अपने प्रसार के काम में भी लगायेंगे । यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था हाल ही में लिया है । इसके बाद मुझे विश्वास है कि आधुनिक तकनीक किसान तक पहुंचाने में बहुत कामयाब होंगे । दूसरी बात हमने देखी, बहुत अंधाधुंध रासायनिक उर्वकों और दवाओं का इस्तेमाल और ऐसा कुछ चला पिछले 30-35 सालों में जहां तक इस बात पर बल दिया गया और किसान के मन में यह बात बैठा दी गयी कि रसायनिक दवाओं और खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उपज नीचे चली जायेगी । नाइट्रोजन, यूरिया, फासफोरस, फास्फेट कीट नाशक दवाइयां इनका अंधाधुंध इस्तेमाल । मान्यवर, इस पर माता प्रसाद पाण्डेय जी का सवाल ही था दो दिन पहले सब्जियां हमारी इतनी जहरीली हो गयी है कि उनकी गुणवत्ता कम हो गयी है दवाओं का असर ज्यादा हो गया है । मैं कृषक होने के नाते बराबर चिन्तन करता था कि क्या हम लोग किसान हो कर लोगों को जहर खिलायेंगे । मान्यवर, इस चुनौती को हमने स्वीकार किया और चुनौती को स्वीकार करने के बाद हम एक कार्यक्रम अपने विभाग में लाये हैं जिसमें हम हर साल जितनी भी जैविक खादें हैं उनकी मात्रा बढ़ायेंगे इस साल से शुरू कर दिया है । अभी तक इसमें कोई अनुदान की व्यवस्था नहीं थी ।

मान्यवर, हरी खाद किसान भूल गया था ढैचा है, सनी है, यह सारे के सारे उत्पाद ऐसे हैं जिससे नाइट्रोजन भी मिलती है यह किसान भूल गया था इस वर्ष डास्क के माध्यम से लगभग एक करोड़ रुपये का प्राविधान हमने कराया है जो केवल हरी खाद बोने के लिये किसानों को उपलब्ध करायेंगे यह कभी शायद सोचा भी नहीं गया था । इसके अलवा हम सक्रिय रूप से डास्क के माध्यम से और अन्य एजेन्सी है उनके माध्यम से लेकर इसे चला रहे हैं । जैविक खाद के लिये आज रिसर्च चल रही है गौमूत्र और गौगोबर, नीम की फली, नीम का फल यह सब हैं हमने एक अधिकारी की कमेटी गठित की हैं । इस पर विचार करने के लिए, कि वह दो महीने के अन्दर यह रिपोर्ट दे कि नीम के अलावा और क्या वनस्पतियां उपलब्ध हैं सिर्फ हम खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ताकि मान्यवर, रसायनों का भूत हमारे किसानों के सिर से हटना शुरू हो । हम भले ही अच्छे बीज दें, अच्छा उत्पादन भी कर लें लेकिन उत्पादन करने के बाद में यह जब तक विपणन की व्यवस्था नहीं होगी, किसान के लिए तब तक फायदा नहीं होगा । यह क्षेत्र हमारा हमेशा कमजोर रहा है । पूर्व में आपने देखा होगा कि किसान को व्यापारी के हाथों लूटना पड़ा है हालांकि सरकार न्यूनतम मूल्य तय करती है, समर्थन मूल्य तय करती है लेकिन जब तक व्यवस्था पूरी न हो जाय किसान की स्थिति ठीक नहीं होगी । कोई पंजाब का किसान तो नहीं जो बड़ी जोत का किसान हो, उसका दृष्टिकोण अलग होता है लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में किसान दो हेक्टेयर का, एक हेक्टेयर का हो, तो मनः स्थिति बहुत कमजोर होती है और वह दबा रहता है । इसके लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम बनाया है जो मण्डी स्थल निर्मित किये गये है वह पहले से चल रहे है । इसके अलावा उनको गांव से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया है गांवों के आस-पास जितने बाजार लगते हैं, हाट लगते हैं उनके लिए हमने कार्यक्रम बनाया है, उक्त के माध्यम से यहां पर इस बाजारों को विकसित करें और उन्हें मौलिक सुविधायें उपलब्ध करा दें । जब किसान की नजदीक बाजार उपलब्ध हो जायेगा तो उसकी लुटाई में कमी आयेगी अभी जैसे 40 कि०मी० पर मण्डी पड़ती है तो किसान कहता है हम कहां ले जायं इस वजह से कार्यक्रम बनाया है ।

दूसरा हमारी विभाग से जुड़े हुए चार उपक्रम है यू०पी० एग्रो, यह काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था 1967 में पूरे देश में एग्रो का गठन किया गया। हमारे प्रदेश में भी लिया गया, अधिनियम बना करके। जब मैं समीक्षा कर रहा था तो मैंने जाना कि उत्तर प्रदेश की हालत यह है लेकिन बाकी जगह एग्रो की क्या पोजीशन है। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ कि दो प्रदेशों को छोड़कर बाकी जगह एग्रो का नामोनिशान नहीं रहा, सब बन्द हो गये। बन्द करना बहुत आसान है, मैं भी बन्द कर सकता हूं लेकिन 1900 कर्मचारियों के पालन-पोषण का प्रश्न है, 10 साल, 15 साल 20 साल की सेवा लेने के बाद उखाड़ कर उनको सड़क पर फेंक दूं, यह उचित नहीं होगा। एग्रो को कुछ प्रोजेक्ट दे करके वायबिल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है, कम्पोस्ट के क्षेत्र में यह आये, अब वर्कशाप में मत जाएं, अब वर्कशाप का जमाना नहीं रहा। आपके पास परिसम्पत्ति भी है, केचुआ खाद बनाने के काम में लगे हैं। गेहूं को खरीद में लगे हैं। किसान से सम्बन्धित जितने और काम हैं, मशीन हैं और कल पुर्जे हैं उस काम में लगे हैं। ताकि मैं 1900 कर्मचारियों का सदुपयोग कर सकूं, तन्ख्वाह दे सकूं और मृत हुए उपक्रम को जिन्दा कर सकूं। इसके अलावा एक और उपक्रम है वह तराई बीज विकास निगम है सारे देश में इस निगम की मांग है इसके बीजों की गुणवत्ता के बारे में आज ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, एक टेग लगा रहना चाहिए ताकि किसान के मन में और जो बाहर से लोग आते हैं उनके मन में विश्वास भी जगता है। इसका काम बढ़ाने की आवश्यकता है और मुझे खुशी है कि तराई बीज विकास निगम आगे बढ़ रहा है। इस साल भी उसने 4 और बीज प्रोसेसिंग प्लाण्ट लगाने का कार्यक्रम बनाया है। इसके पहले के भी लगे हुये हैं। हालांकि इसका कार्यालय उत्तरांचल में स्थिति है लेकिन अभी संयुक्त रूप की कम्पनी के रूप में चलने वाला है और उत्तर प्रदेश में इसकी मुख्य भूमिका होने वाली है। तीसरा ऊसर सुधार निगम है। 12 लाख हेक्टेयर ऊसर जमीन पड़ी हुयी हैं। इस निगम ने कई दिशाओं में महत्वपूर्ण काम किया है। डेढ़ लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधारने का लक्ष्य है। चारसाल में डेढ़ लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार करेंगे, इसका 950 करोड़ रुपये का बजट है। यह अपनी आशा के अनुरूप प्रगति पर है। विश्व बैंक वाले इसके प्रगति की समीक्षा करते रहते हैं, हम भी करते हैं। केवल ऊसर सुधार का ही इसका काम नहीं है, गांव में जाकर वहां के रहने वाले किसानों के मन में आत्म विश्वास जाग सके। पंचायत घरों का हमने निर्माण कराया है पांच सौ पंचायत घरों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा सड़क निर्माण का कार्य कराया गया है। जिन लोगों की जमीन ऊसर सुधार करके उपजाऊ बनाने जा रहे हैं उन्हें अपनी उपज बाजार तक ले जाने की सुविधा भी मिल जाये इस दिशा में कई सौ कि०मी० सड़क बनाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए और किसानों के लिए उपक्रम है वह है मण्डी परिषद्। इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यह सीधे-सीधे उत्पादकों से जुड़ा हुआ है इसने विचौलियों को उखाड़ फेंका है। यह कठिनाई आयी थी प्रक्रियात्मक पेचीदगी पैदा कर दी गयी थी कि आम लोगों को परेशानी होने लगी थी। हमने तीन समीक्षा बैठकों में बैठ करके यह आदेश दिया और यह सुनिश्चित किया कि नियमों में सरलीकरण किया जाय। किसानों में आत्मविश्वास हो कि ऐसी जगह जा रहे हैं कि वहां हमारा शोषण नहीं होगा यह विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि मण्डी परिषद बहुत ज्यादा प्रगति करेगा मण्डी परिषद् ने सड़क बनाने में तथा गांवों को मण्डी से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है एक शिकायत रहती थी कि मण्डी ने सड़क तो बना दिया लेकिन उसका रख-रखाव कहां से होगा ? हमने इस प्रकार का निर्णय लिया है केवल नव निर्माण का काम नहीं करेंगे बल्कि मण्डी की जो पुरानी सड़के जर्जर अवस्था में हैं उनके मैन्टीनेन्स का भी काम करेंगे इस दिशा में 40 करोड़ रुपया अलग से मण्डी की तरफ से रखेंगे जो केवल जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जावेगा। इस वर्ष

के लिए जो नव निर्माण का काम होगा उसके लिए 60 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । नई सड़कों के निर्माण के आदेश दे दिये गये हैं । मैं विधायकगण को आश्वस्त करता हूं कि पहले यह होता था कि मण्डी की सड़क बन जाती थी पता नहीं चलता था अब जिस सड़क का निर्माण माननीय विधायक के क्षेत्र में होगा उसका लोकार्पण उस माननीय विधायक से ही कारया जायेगा । मान्यवर, पारदर्शिता होनी चाहिए । माननीय जनप्रतिनिधियों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है,.जनता को भी पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है ? मान्यवर, तो ये कुछ बातें संक्षेप में रखी हैं, मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता हूं । मैं चाहता हूं कि आपके सुझाव आए, जो निश्चित रूप से मेरे मार्ग दर्शक के रूप में काम करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, इसमें एक आग्रह करूंगा क्योंकि अनुसंधान और शिक्षा के बारे में मैंने नहीं कहा, वह कटौती प्रस्ताव के बाद कहूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, परम्परा यह है कि जब कैबिनेट और राज्य मंत्री दोनों होते हैं सदन में, तो पूरा बजट कैबिनेट मंत्री को रखना चाहिए था ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने तो कैबिनेट मंत्री का पद सुशोभित किया है आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रस्ताव रखने के लिए स्वयं सक्षम होता है ।

*कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2002-2003 हेतु कृषि विभाग के साथ-साथ बेसिक शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग का बजट सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया है । मान्यवर, काफी विस्तार से हमारी माननीय कृषि मंत्री जी ने जो भी योजनाएं हैं कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए, जो नये-नये कार्यक्रम हैं कृषि के क्षेत्र में किसानों को बहुत सी सुविधाएं देने का माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है । माननीय अधिष्ठाता महोदय चूंकि कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान का मैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में माननीय सदन को बता दूं कि यह विभाग किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है । पूरे उत्तर प्रदेश में मान्यवर, हमारे चार कृषि विश्वविद्यालय हैं । आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज फैजाबाद, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोती पुरम मेरठ और हमारा इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में स्थापित है । मान्यवर, इन चारों विश्वविद्यालयों का समन्वय स्थापित करने लिये हमारे उत्तर प्रदेश में एक कृषि अनुसन्धान परिषद भी है । बड़े पैमाने पर हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में शोध के कार्य होते हैं अनुसन्धान होते हैं उसके साथ-साथ, प्रसार का भी कार्य बड़े पैमाने पर जनता में किया जाता है । आज जो तकनीकी, जो प्रजातियां हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में जिनका अविष्कार किया जाता है जिनकी जांच की जाती है उनको हम किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं । हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 38 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं । जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उससे वित्त पोषित है । हमारे 24 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं जो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान से वित्त पोषित होते हैं । हमारे विश्वविद्यालय इन कृषि ज्ञान केन्द्रों और कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रयोगशालाओं से लेकर किसानों के क्षेत्रों तक हर तरह के सहायक हैं । वैज्ञानिक लोग उनको सहयोग देते हैं । मान्यवर, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है और मुझे इस विभाग में बहुत दिलचस्पी पैदा हुई है कि मैं इस विभाग के लिए कुछ करूं । 10 वर्षों में हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है । उनकी बदौलत हमारी कृषि आगे बड़ी है । हमारे सभी मा० सदस्य जानते हैं कि ऐसा समय भी था जब हमारे किसान दिनभर हल से खेत जोत कर मेहनत करके बहुत कम खाद्यान्न उत्पन्न कर पाते थे । अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो समय-समय पर नई तकनीक विकसित की है उससे हम हिन्दुस्तान में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो गये हैं । मान्यवर, जहां तक वैज्ञानिकों के सम्मान का सवाल है मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार चल रही है, भारत के प्रधान मंत्री की विशेष कृपा से और बहन मायावती और काशी राम के सहयोग से हमने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर वैज्ञानिक को बैठाने का काम किया है । हम वैज्ञानिकों का सम्मान करके देश और प्रदेश की प्रगति करेंगे ।

मान्यवर, उत्तरांचल बनने के बाद गोविन्द बल्लभ पन्त यूनिवर्सिटी उत्तरांचल में चली गयी है जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा झटका लगा लेकिन हम उसको पूरा करने में लगे हुये हैं । मान्यवर, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ ने बहुत ही सराहनीय काम किया है । हमारे प्रदेश की आबादी 17 करोड़ है । यहां पर विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी पायी जाती है । हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे प्रदेश में विभिन्न खोजें करके कृषि में अपना सहयोग दिया है । जहां तक प्रदेश की मिट्टी का सवाल है जनपद पीलीभीत में तरई क्षेत्र है । कहीं पर दुमट मिट्टी है, कहीं पर मटियार मिट्टी है । जो हमारी सरदार बल्लाभ भाई पटेल यूनीवर्सिटी है । उसने एक ड्रिलिंग मशीन का अविष्कार किया है । यह पूरे प्रदेश के किसानों द्वारा अपनायी जा रही है । तराई के क्षेत्र में जब धान कटने का समय आता है तो वहां की जमीन नम रहती है जिसके सूखने का किसान इन्तेजार करता है । ऐसी सूरत में लेट बुआई होती है और उत्पादन में कमी आती है । इस ड्रिलिंग मशीन का तराई क्षेत्र में पश्चिमांचल में मध्यांचल में उपयोग किया जा रहा है और जिससे लाभ उठाने का काम किया जा रहा है । मान्यवर, जहां तक हरित क्रान्ति का सवाल है यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हमारे पन्त नगर विश्वविद्यालय, फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय 1975 में स्थापित हुआ तो हमारे प्रदेश में हरित क्रान्ति आयी । आज हमारे प्रदेश में सूखा है । सरकार ने प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित किया है लेकिन हमारे प्रदेश में अन्न का भण्डार है जो साल दो साल तक हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है । विपक्ष में बैठने वाले लोग, सत्ता में बठने वाले लोग अपने भाषणों में एक ही बात करते हैं कि हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान देश है । जब तक इस देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश में खुशहाली नहीं आएगी व प्रगति नहीं होगी । इसीलिए बहन मायावती की आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने इस विभाग को अलग किया, इस विभाग की महत्ता को समझते हुए बहन मायावती उत्तर प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहती हैं । आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना चाहती हैं । इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं । कृषि विश्वविद्यालयों को खोलने से निश्चित रूप से खाद्यान्न बढ़ेगा । हमारे कृषि विभाग से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी । हम प्रदेश के किसानों को मजबूत करना चाहते

हैं। जो बजट कृषि मंत्री जी ने सदन के अन्दर रखा है। उसका मैं समर्थन भी करता हूं और सदस्यों से अपील करता हूं कि यह कृषि का बजट है इसमें आप सहयोग देने की बात करें। इससे आपको भी मदद मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें ?

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना व सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने अभी कृषि मंत्री व कृषि राज्यमंत्री दोनों की बातों को सुना। इन्होंने बजट लिटरेचर जो दिया है उसको भी पढ़ा। मैं इन दोनों लोगों को देख भी रहा हूं। आप देखिए दोनों लोग इस तरह से साफ सुथरे बैठे हैं जैसे किसी ने रात में फ्रिज में बन्द कर दिया हो और सुबह इनको निकाला हो। कहीं भी क्रीच मुड़ी नहीं है। चेहरे चमक रहे हैं लेकिन आप बगल के किसी गांव में चले जाएं व किसान के कपड़े उसकी हालत, उसके चेहरे को देखें तो सच्चाई आपको पता चल जाएगी कि जो आज बजट पेश कर रहे हैं वह कितने किसानों के हितैषी हैं। ऐसे लोग किसानों के हितैषी हो ही नहीं सकते। मंत्री जी पहले सेना में थे फिर वकालत का काम किया और उसके बाद माननीय सदस्य के रूप में जीतकर यहां मंत्री बने हैं। इनको भला कृषि में क्या महारत हासिल होगी जो एक बार स्वयं खेती न किए हों....

इसको किसानों के विषय में बहुत जानकारी नहीं मिल सकती। श्रीमन् अभी जब मैं खड़ा हुआ तो पूर्व मंत्री माननीय ओझा जी ने कहा कि चौधरी जी आप किसान विरोधी हैं, आप एक रुपये का बजट रखना चाहते हैं। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से ओझा जी और माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट रखा है। याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में जसपाल सिंह जी कृषि मंत्री थे और उनके बजट पर कटौती का प्रस्ताव उस समय के तत्कालीन विधान सभा सदस्य श्री हुकुम सिंह जी ने रखा था और इस बात को कहा था कि कृषि मंत्री को न कृषि का ज्ञान है, न कृषि का आचार-व्यवहार मालूम है। न किसानों के प्रति हमदर्दी है, न उनका कृषि विभाग है। इसलिए कृषि मंत्री जी को एक रुपया देना भी हमको बहुत महंगा पड़ रहा है इसीलिए मैं कटौती के प्रस्ताव को रख रहा हूं और उस पर बल दे रहा हूं। यह बात उन्होंने सही कही कि कृषि उत्पादन बढ़ा है। कृषि उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ा है। जिस समय आपने कटौती रखी थी उस समय मैं भी था। कृषि का उत्पादन बढ़ा है, उसको मैं भी सही मान रहा हूं और कह रहा हूं आपके माध्यम से कि कृषि उत्पादन बढ़ोत्तरी हुई है लेकिन उसमें कृषि विभाग का बहुत कोई योगदान नहीं है। मैं बधाई देना चहाता हूं इस प्रदेश के और देश के कृषि वैज्ञानिकों को। सबसे अधिक बधाई देना चहाता हूं उत्तर प्रदेश के उन मेहनतकश किसानों को जिन्होंने अपने हाड़-तोड़ मेहनत करके 24 घंटे में से 18 घंटे अपने खेत और खलिहान में काम करके वैज्ञानिकों की मदद से अच्छे बीज और खाद लेकर उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं वैज्ञानिकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पुरस्कृत करूंगा, उनका सम्मान करूंगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने इन वैज्ञानिकों के बारे में सोचा । कृषि उत्पादन बढ़ाने में आपके विभाग की नहीं वैज्ञानिकों की देन है । मैं माननीय मंत्री जी का भी सम्मान कर रहा हूं कि इन्होंने सच्चाई और सही बात को इस सदन में रखा । आदि काल से कृषि का सम्बन्ध ऐसा सम्बन्ध है जो मानव से है जानवर से है, पशु-पक्षी से है । सब का सम्बन्ध इस विभाग से है । श्रीमन्, अन्न मानव भी खाता है, पशु को भी दिया जाता है, चिड़िया भी अन्न चुग कर जाती है । कोई ऐसा पक्ष नहीं जो इससे संबंधित न हो । श्रीमन् एक मई, 1920 में कृषि विभाग को व्यवस्थित रूप से इस देश में चालू किया गया और तब से आज तक इस विभाग में लम्बी फौज की भर्ती हुई है लेकिन आज तक कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया गया जिससे कुछ सुधार हो सके । लखनऊ से जिला हेड क्वार्टर तक कृषि विभाग सिमटा हुआ है । किसान जो गांव में है वह न किसी हेड क्वार्टर में है । सबसे बड़ी विडम्बना है कृषि विभाग के कर्मचारी, ग्राम पंचायत लेवल पर, न्याय पंचायत लेवल, तहसील लेवल पर कोई कर्मचारी अधिकारी कृषि विभाग का नहीं है । किसान और किसानी के बारे में कुछ पता नहीं होगा जब किसानों से सम्पर्क करें, किसानों को बतायें कि हमने एग्रीकल्चर पढ़ी है, यूनीवर्सिटीज से ज्ञान लेकर आये हैं हमारे ज्ञान से खेती करो हम तुमको बताते हैं लेकिन यह तो एअर कन्डीशन में बैठकर केवल विभागीय काम करते हैं कृषि विभाग अधिकारियों का किसानों से कोई ताल्लुक नहीं है । कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका 1950–51 में 17.75 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ जो बढ़कर 2002 में 442.61 मीट्रिक टन उत्पादन हो गया है । यह पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है । इसमें कोई दो राय नहीं है कृषि उत्पादन को लक्ष्य माननीय मंत्री जी ने 5.51 रखा है । उनका यह लक्ष्य 10-15 वर्ष पहले से चला आ रहा है । इनकी जो किताब छपी है कार्य-पूर्ति दिग्दर्शक यह 5-6-10 साल पहले जो लिखी गयी थी वहीं इसमें आज लिखा गया है । जो आंकड़े पहले लिखे थे वही आज भी हैं कोई तब्दीली नहीं है । केवल आंकड़ों का खेल है । इस आंकड़ों के खेल से किसानों की खेती नहीं हो सकती है ।

किसानों के खेत में गेहूं नहीं पैदा हो सकता है । आंकड़ों के खेल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है । जब तक किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक देश की स्थिति मजबूत नहीं होगी । मान्यवर, 72.2 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं । ग्रामों में 80 प्रतिशत जनसंख्या बसती है । यह 80 प्रतिशत जनता 72.2 प्रतिशत जो खेती है उस पर डिपेण्ड करती है । और हाल यह है इनका जो बजट का प्रविधान है 2000 में यह 8 अरब 62 करोड़ 92 लाख 60 हजार रुपये है । 2001 में 9 अरब 17 करोड़ 49 लाख 45 हजार है, 2002 में 12 अरब 96 करोड़ 54 लाख 35 हजार है । 2003 में 11 अरब 41 करोड़ 51 लाख 26 हजार है । पिछले वर्ष से कृषि का बजट घाटे में गया है । 9.10 पिछले वर्ष से बजट कम है । इस साल बजट कम हो गया तो किसान की पैदावार कैसे होगी ? कैसे किसान की स्थिति मजबूत करने की सोच रहे हैं ? राष्ट्रीय आय में प्रदेश की आय 45 प्रतिशत है । कृषि से आय 49 प्रतिशत है यह बहुत बड़ी आमदनी का श्रोत है विकास की दर का अगर यही प्रतिशत रहा तो कम से कम 15,20 करोड़ रुपये से कम की आवश्यकता इसमें नहीं होगी । इसलिए कहना चाहूंगा कि आये दिन घाटा हो रहा है । इस प्रदेश में माननीय मंत्री ने कहा कि 73.8 प्रतिशत ऐसी जोत हैं जो एक हैक्टेयर से कम हैं छोटे खेत, छोटे किसान, छोटी आमदनी, आर्थिक तंगी कैसे उत्पादन अपना बढ़ायेंगे । उसमें मशीन भी नहीं चल सकती तो उनके लिए सरकार छोटे किसानों के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उपाय कर रहे हैं, क्या उपाय कर रहे हैं यह उत्तर भाषण में बतायेंगे । अभी एक प्वाइन्ट बताया है इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है । वह अपने भाग्य भरोसे बैठा है । यह

किसान के साथ कैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है । जो आठ घंटे कल कारखाने में काम करता है वह अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान लड़कों के लिए अच्छी तालीम व्यवस्था और उसका वही भाई जो किसानी करता है 16, 17 घण्टे खेतों में काम करता है उसका कपड़ा लत्ता आप देख लें । किसान का एक बेटा जो फौज में रहकर समाज की रक्षा करता है और वही उसका दूसरा भाई जो किसानी करता है तो जो समाज की रक्षा करता है उसकी अच्छी तनख्वाह है ।

उसकी आवश्यकता की सारी चीजें सस्ते गल्ले में सरकार की तरफ से हर सामान की स्टोर में व्यवस्था है । साबुन, तेल, नमक, मसाला सब कुछ वहां सस्ते दर पर मिलता है और वहीं उसका भाई जो देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, पेट की रक्षा करता है उसे भी वही व्यवस्था सरकार सस्ते स्टोर से दिलाने की व्यवस्था करे तभी किसान के साथ समानता दूर होगी । जो किसान हैं वह अपनी उपज अपनी पैदावार से अपने परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अधिक सरप्लस हो जाता है और अधिक सरप्लस होता है तो देश औरअधिक सरप्लस होता है दुनिया में निर्यात करता है । इसमें उसका क्या दोष है । क्यों नहीं आप उसको उसी तरह से सस्ते दर पर चीजें उपलब्ध करायें । इसलिए मान्यवर, माननीय मंत्री जी और पूरे सदन को इस बात को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । किसान हिन्दुस्तान की रीढ़ है और यदि किसान की यह दुर्दशा होगी तो किसान देश को कभी माफ नहीं करेगा । माननीय मंत्री जी ने कहा कि कितना गेहूं हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ । 99-2000 में 89.31 लाख हेक्टेयर में खेती हुई कितना पैदा हुआ 227.1 लाख कुन्तल । उत्पादकता में पर हेक्टेयर 25.51 लाख और 2000-2001 में 91.14 प्रतिशत । मान्यवर, 255.51 लाख उत्पादन हुआ, 28.03 हे० में पैदा हुआ । 2001-02 में 91.70 लाख हे० कु० बुवाई हुई और 249.40 लाख मीट्रिक टन और हे० 27.02 कुन्तल । मान्यवर, 2000-01 में 58.39 में बुआई की गयी और 115.40 लाख मी० टन पैदा हुआ और पर हे० में 19.76 मी०टन पैदा हुआ । यह उनके उत्पादन की दर है और इतना होने के बाद कृषि वैज्ञानिक कृषि विभाग सारे लोगों को मिलने-जुलने, से सारा प्रयास करने से यह प्रगति हुयी है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खेती में बीज, खाद, पानी देने के लिए श्रमिक और किसान के बच्चे, औरतें सभी लोग काम करते हैं । तब जाकर फसल पैदा होती है । अगर उनका मेहनताना जोड़ा जाय तो यह 1000 रुपया होता है । यह एक कुन्टल गेहूं पर आयेगा इससे कम नहीं आएगा । अगर 5 आदमी परिवार में हैं और वह खेती में लगे हैं और उनके बच्चे भी उसी में लगे हैं और इन सबके साथ अगर सिंचाई का खर्च बिजली का खर्च और खाद का खर्च जोड़ दें तो एक कुन्तल गेहूं एक हजार रुपये में पड़ेगा । जिसका मूल्य सरकार ने सिर्फ 610 रुपये रखा है । मैं यह कोई अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दे रहा हूं । मैं भी एक किसान हूं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसान पूरे परिवार के साथ खेती में लगा रहता है । अगर इन सबका मेहनताना जोड़ दिया जाय तो इस हिसाब से उनके उत्पादन का सही मूल्य उसे नहीं मिल पाता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनके सरफमों का 533 रुपये लगभग हैं । एक बार इसी सदन में कृषि विभाग से प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि 403 रुपये उनकी आमदनी का स्त्रोत है । 533 से 535 रुपयै कृषि पर खाद पर उनका लगता है । मान्यवर, उसमें वैज्ञानिक अच्छे-अच्छे गुणवान पढ़े-लिखे लोग काम करते हैं तभी मशीनरी उसमें काम करती है । शत-प्रतिशत सिंचाई होती है अच्छे [illegible]र खाद दी जाती है उसके बावजूद मात्र दो कृषि

फार्म है जो लाभ देने वाले हैं। आज एक प्रश्न था क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कितने कृषि फार्म है तो उत्तर आया 177 उनका कुल रकबा 6834.35 हेक्टेयर है और कृषि रकबा 424.31 है। मान्यवर, लाभ हानि का आपने यह आंकड़ा दिया है 1997-98 में 58.49 लाख यह लाभ है और 1997-98 में 137.45 हानि है। 1998-99 में 63.18 लाख यह हानि है। 1999-2000 में 24.63 यह लभा है और इस तरह 2000-2001 में 1.03 लाख घटा हुआ। मान्यवर, भरत सिंह और दूसरे मा० सदस्य कह रहे हैं आप आंकड़े छोड़ दीजिए तो मैं सारे आंकड़े छोड़ दे रहा हूं। आंकड़े मैंने कड़ी मेहनत से इकट्ठा किये थे। मान्यवर, अभी आपने कहा कि कृषि कार्य में सबसे उपयोगी चीज बीज है और जब अच्छा और प्रमाणित बीज किसानों को नहीं मिलेगा तब तक खेती का उत्पादन ज्यादा नहीं हो सकता है। आपने बीज की हालत जो आपकी किताब में दर्शायी गयी है वह ठीक है।

आपके भाषण में ठीक है, आंकड़े में ठीक है, लेकिन जो आपने लक्ष्य रखा इससे कम उत्पादन ही किया है। मान्यवर, जो वास्तव में बीज किसानों को पहुंचाने की बात है तो किसानों को बीज नहीं मिला है। किसानों को बीज बोते वक्त नहीं मिला है और जो मिला भी है वह घटिया स्तर का और दो नम्बर का मिला है और इसीलिए किसानों की उपज बढ़िया नहीं हो पायेगी। आपके तीन चार विभाग बीज बांटते हैं जिनमें एग्रो है, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग और प्राइवेट लोग जिसमें दुकानदार है, जो बीज बेचते हैं तो जो दुकानदार बीज बेचते हैं उसकी तो आप चेकिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम गलत बीज बेंच रहे हो। लेकिन यह जो आपके सरकारी विभाग बीज देते हैं जिसमें कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग और मण्डी समिति इनकी चेकिंग क्यों नहीं करते कि तुम्हारा बीज ठीक नहीं है। खाद की जो दुकानें होती है वहां पर छापा मारा जाना चाहिए। जो प्राइवेट विक्रेता है उसका सैम्पिल ले लिया जाता है उसकी दुकान बन्द करा दी जाती है। उसको जेल भी भेज दिया जाता है लेकिन जो आपका विभाग बेचता है क्या वहां सैम्पिल लेने का काम कभी हुआ या नहीं हुआ । मान्यवर, कृषि बोया गया क्षेत्र मैं बता रहा हूं शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 1999-2000 में 168 लाख हेक्टेयर, एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रपल 83 लाख हेक्टेयर एक से अधिक बार बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का प्रतिशत 149.3% शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 125 लाख हेक्टे० शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत 74.1% सिंचाई नहरों से 1999-2000 में 23.7 प्रतिशत नलकूप से 69.8% कुयें से 3.9% तालाब एवं झीलों से 9.7% और अन्य से 1.7% प्रतिशत हुई है। उत्पादन के लिए माननीय मंत्री जी सिंचाई बहुत आवश्यक है कृषि विभाग का तो शुरू से बन्टाधार कर दिया गया कृषि विभाग में भी कई विभाग, जबकि हमारे जैसे आदमी का मानना है कि कृषि को अगर विकसित करना है तो किसानों को आत्म-निर्भर बनाना है, उसकी आमदनी बढ़ानी है तो जो विसंगतियाँ हैं, कृषि में तो मेरा जैसा आदमी इस बात पर बल देता है और अब भी दे रहा हूं कि जो कृषि मंत्री बने बिजली विभाग सिंचाई विभाग और कृषि विभाग यह तीनों विभाग बड़े विभाग हैं लेकिन किसानों की हित की रक्षा के लिये ये तीनों विभाग एक मंत्री के नीचे रहने चाहिए एक तरफ तो किसानों की दशा को मजबूत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कृषि विभाग को लगातार तोड़-तोड़ कर छोटा कर रहे हैं तो कृषि मंत्री जी एक तो भयंकर सूखा पड़ गया लोगों का कहना है कि 60-70 वर्ष में ऐसा सूखा नहीं पड़ा। अधिष्ठाता महोदय, आप तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं यह वेद-सम्मत बात है कि जिस देश का राजा अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हो जाता है तो उस

देश की ऋतुऐं और मौसम भी बदल जाते हैं। आपने इसका अनुभव भी किया होगा कि जब से केन्द्र व प्रदेश में इन लोगों का सरकारों में आना शुरू हुआ है जाड़े में बरसात, बरसात में जाड़ा, जाड़ा और गर्मी, गर्मी में बरसात, और बरसात में सूखा तो जो प्रकृति है, मौसम है वह भी इनके कारण से बदलता है, बदल गया है सूखा पड़ा और चारों तरफ पूरी तरह से प्रदेश में इस बात का हल्ला हुआ कि नहरों में पानी नहीं है अगर कृषि मंत्री के पास सिंचाई विभाग होता तो किसानों के ये संरक्षक हैं नहरों में पानी भरपूर चलवाते। टेल की बात छोड़िये इस बार माइनरों में भी पानी नहीं गया मुख्य नहरों में पूरी क्षमता से कोई नहर नहीं चल पाई इसलिए उसकी भरपूर फसल नहीं मिल सकी, मैं अपने बलिया जिला का उदाहरण बताता हूं कि बिजली के अभाव में जो दोहरीघाट सहायक परियोजना है। उसके 7 पम्प में से केवल 3 पम्प चले। मुख्य नहर चली ही नहीं, माइनरों में पानी गया ही नहीं, टेल की तो बात ही छोड़ दीजिये। अगर मेरी बात का विश्वास मानें तो आज तक कभी टेल तक पानी गया ही नहीं। केवल हल्ला होता है कि टेल तक पानी पहुंचा दिया, कभी पानी नहीं आया तो नहरों से सिंचाई हुई ही नहीं। ट्यूबवेल इस प्रदेश के 70 से 75 प्रतिशत खराब हैं तो ट्यूबवेल से सिंचाई हुई नहीं। अब किसान की जो निजी बोरिंग है, उससे भी बिजली के अभाव में बहुत ज्यादा सिंचाई नहीं हुई। उसकी निजी बोरिंग भी नहीं चल पाई और वर्षा हुई नहीं, खेतों में पानी मिला नहीं, इस साल किसान बिल्कुल मर गया। मान्यवर, वर्षा का समय माना गया है, 15 जून से, लेकिन मानसून नहीं आया, 30 जून तक नहीं आया 7 अगस्त तक नहीं आया, 8 अगस्त तक नहीं आया और 9 अगस्त को बजट प्रस्तुत हुआ है और लक्ष्य रख दिया गया, खरीफ की फसल के लिये जबकि बारिश हुई नहीं, बिजली के अभाव में नहर चल नहीं रही है, पूरा प्रदेश सूखा से त्राहि-त्राहि कर रहा है, एक खेत की भी बुवाई नहीं हो रही है, कहीं रोपाई नहीं हो रही है और लक्ष्य तय हो गया कि हमको इतना उत्पादन करना है। अब इससे ज्यादा विडम्बना और क्या हो सकती है। हम लोगों को किताब छपवाकर बंटवा दिया गया, क्या आपने अधिकारियों से पूछा कि यह क्यों दिया है। जब खेतों में बुवाई हुई नहीं, रोपाई हुई नहीं तो यह लक्ष्य कैसा ? इस साल का लक्ष्य शून्य।

मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। एक योजना है, ऊसर सुधार की, माननीय मंत्री जी के विभाग में। मैं 1977 में पहली बार इस सदन में आया था और हर साल बजट आता है, बीच में 2 टर्म नहीं रहा, उसमें कितना विकास हो गया ऊसर का, नहीं जानता लेकिन हर वर्ष विकास होता है। अगर इनकी बात को सही मान लिया जाय तो इस प्रदेश में कहीं ऊसर है ही नहीं। माननीय मंत्री जी का बंगला, इनके सचिव का बंगला सब खेत हो गया। यह सब बकवास है। कि कहीं ऊसर सुधार हो रहा है। भूमि संरक्षण के नाम पर केवल धन की बरबादी हो रही है, यह मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी आपने भी देखा होगा, जितना लक्ष्य हर बार रखा गया है उतना ऊसर सुधार हुआ है कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले भूमि संरक्षण विभाग के लोग हमसे मिले। मैंने उनसे पूछा कि क्या काम चल रहा है।

भूमि सर्वेक्षण विभाग का अधिकारी था । मा० मंत्री जी मैंने उससे पूछा कि क्या काम हो रहा है, कौन सी एरिया में काम हो रहा है तो उसने कहा कि एक भी पैसा विभाग के पास नहीं है, कोई बजट नहीं है, तो कौन सा काम करें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 9.50 करोड़ का बजट है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इतना बजट कृषि निदेशालय में ही रह जाए आपके सचिवालय में ही रह जाए, जिले में न जाये, मैं तो जिले के अधिकारी के बारे में कह रहा हूं, उसने कहा कि पैसा नहीं है और आप दौड़-भाग करिये, और एम० पी० चन्द्रशेखर जी से भी लिखवाइये और हम लोग भी प्रयास करेंगे तो विभाग में पैसा आये लेकिन जब उसके विभाग में पैसा ही नहीं है तो कौन सा काम करेगा ? एक मृदा परीक्षण का विभाग है जो अभी मा० मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि वह भूमि को टेस्ट करता है कि यह भूमि किस फसल के लिये उपयोगी है, किसके लिये नहीं है किस खाद के लिए उपयोगी है और किसके लिए नहीं उपयोगी है । यह भूमि कितनी खाद की मात्रा बरदाश्त कर सकती है, कितनी नहीं कर सकती है, कितना पानी चाहिए, कितना नहीं चाहिए इस सब की जानकारी किसानों को देना उस विभाग का काम है । श्रीमन्, लेकिन मैं आपसे बताऊं कि एक विभाग गया है प्रैक्टिकल रूप में किसानों को उनके क्षेत्र में जाकर गोष्ठी करे और उन्हें जानकारी दे । गोष्ठियां वह भी शहरों में होती हों यह अलग बात है लेकिन गांव में नहीं होती ब्लाक हैडक्वार्टर में एक गोष्ठी श्रीमन्, साल भर में बुलानी पड़ती है । आदमी पढ़ता है अपनी कक्षा में, उसके बाद ट्यूशन भी पढ़ता है, घर में भी पढ़ता है, फिर भी बहुत कम लोग पास होते हैं, और बहुत लोग फेल हो जाते हैं । और किसान जिसके लिए मा० मंत्री जी ने गोष्ठी की व्यवस्था किया है अगर एक-आध गोष्ठी हो जाये तो उन्हें किसान कैसे समझ सकता है । यह विभाग बहुत उपयोगी विभाग है लेकिन कहा कि यह सभी किसानों के सम्पर्क में रहे । निश्चित रूप से जाकर के किसानों को लाभकारी मूल्य की बात बता करके, कौन खाद किस मिट्टी में डालनी चाहिए, किस फसल को कितने पानी की आवश्यकता है, यह बताने के लिए यह विभाग है । श्रीमन्, इसका काम खेत में जीरो है, किसानों के सामने जीरो है केवल कुछ कागजों में इसका काम है, जिला हैड क्वार्टर में है । एक विभाग है अधिष्ठाता महोदय, सचल गाड़ी से मिट्टी का परीक्षण करने वाला, कितनी गाड़ियां रखी गयी हैं किसानों के हित के लिए ? मान्यवर, एक–आध गाड़ी अधिकांश जिलों में हैं तो उससे क्या भला होगा ? इस मिट्टी की गुणवत्ता क्या है इसकी भी जांच किसी भी खेत में नहीं होती ? श्रीमन्, हम लोगों ने तो नहीं देखा है सत्ता पक्ष के लोगों के खेतों में करते हो तो करते हों हम लोगों के खेतों में नहीं करते । ऐसे विभाग को सफेद हाथी बनाकर बैठे हैं और प्रदेश का किसान गरीबी से कराह रहा है । उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । अधिकांश श्रमिक जो खेतों में काम करते हैं उनको भर पेट भोजन नहीं मिल रहा है । कपड़ा नहीं मिल रहा है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि श्री हुकुम सिंह मंत्री हैं जो कुछ कहा कटौती का प्रस्ताव रखा था और इन्होंने कहा था जो आपने कहा था कि हम कृषि विभाग को ब्लाक स्तर तक ले जायेंगे । मैं बड़े अदब के साथ आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी क्या आप अपने मंत्रित्व काल में कृषि विभाग को ब्लाक स्तर तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ? ए०डी०ओ० एग्रीकल्चर ब्लाक में है । आपका नियंत्रण उस पर है ही नहीं । ग्राम सेवक पहले किसानों के सम्पर्क में था वह भी अधिकारी हो गया । अधिष्ठाता महोदय, सेवक तो केवल एम०पी०, एम०एल०ए० और एम०एल०सी० है उसके बाद जो है वह अधिकारी है । सेवक कहलाने में शर्म और

लज्जा लगती है और मेरे जैसे आदमी का यह मानना है कि अधिकारी है कि अधिकारी कितना ही बड़ा से बड़ा हो वह जनता का सेवक है । अधिकारी तो अंग्रेजों के राज में होते थे । मेरी चले तो उसको समाप्त करके अधिकारी सेवक शब्द लगा दिया जाये । जनता इन अधिकारियों से मिलने के लिए तरस जाती है । यह व्यवस्था कैसे चलेगी ?

श्री अधिष्ठाता–

अब पूरा करिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, अभी कैसे पूरा होगा । प्रदेश की जो वर्तमान भौगोलिक परिस्थिति है उसमें 242.01 लाख हेक्टेयर भूमि है । इसमें 168 लाख हेक्टेयर खेती के लायक है, 120.20 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न है तथा जल क्षरण की विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है । 73.53 लाख हेक्टेयर भूमि क्षरण से प्रभावित है, 15 लाख हेक्टेयर भूमि दियरा एवं खादर है, 11.51 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है । 8.10 लाख हेक्टेयर में सिर्फ जल है । मान्यवर, इन्होंने ऊसर का उपचार किया, जैसे झोला छाप डाक्टर हैं जब वह मरीज को बुखार की दवा देते हैं तो मरीज का पेट झरने लगता है वैसे ही कृषि विभाग का हाल है, उपचार में एक पैसा लगाते नहीं है सारा पैसा ज़ेब में चला जाता है । क्षरण वाली बात है, वह भी कहीं नहीं हुआ, पैसा ले लिया जाता है लेकिन होता कुछ नहीं है । इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहते हैं, प्रबल करना चाहते हैं, एक उद्योग में काम करने वाले आदमी के बराबर उसकी आर्थिक स्थिति हो जाये, किसान लोगो के कम्पटीशन में आ जाय, शहर और गांव में जो अन्तर है उसको मिटा दिया जाये, गरीबी-अमीरी के बीच जो खाई बनी हुई है उसको दूर किया जाये तथा कृषि विभाग को चुस्त-दुरुस्त करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव को रखते हुए और पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव दें ।

श्री अजय कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया । आप कृषि परिवार से आते हैं माननीय कृषि मंत्री योग्य है और मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने बजट प्रस्तुत करते हुये चौ० चरण सिंह को याद किया । चौ० चरण सिंह और किसान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं । आपने उनको याद करके किसानों का सम्मान करने का प्रयास किया है जिसके लिये मैं आपको पुनः बधाई देता हूं । मान्यवर, खेती गांव के लोगों का मुख्य पेशा है जब तक उपज नहीं बढ़ेगी, अच्छे दाम नहीं मिलेंगे किसान की खुशहाली नहीं होगी । उत्पादन बढ़ाने के लिये चार-पांच चीजों की आवश्यकता होती है । बीज, उर्वरक, पानी, कीट-नाशक दवायें, सूचना का निदेश भी जरूरी है । मान्यवर, विशेषज्ञों का मत है कि प्रमाणित और उन्नतिशील बीजो का प्रयोग करने से 15 से 20 फीसदी तक उपज बढ़ जाती है । अतः प्रमाणित और उन्नतिशील बीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाना चाहिये । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृषि मंत्री की चिन्ता जायज है, उन्होंने इस बात की चिन्ता प्रकट की कि रसायनिक उर्वरकों का अन्धाधुन्ध प्रयोग और कीट नाशक दवाओं का अधिक प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती है । आज खेती में असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है जो चिन्ता का [illegible] है । चाहे इधर के मा० सदस्य हों, चाहे उधर के मा० सदस्य हों हम लोग ज्यादातर गांव के लोगों के बीच से आते हैं । यह हमारी महती जिम्मेदारी बन

जाती है कि हम गांव के किसानों को बतायें कि उर्वरकों और कीट नाशक दवाओं का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें । पौधों के लिये 16 तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें से तीन की आपूर्ति कार्बन हाइड्रोजन, आक्सीजन और पानी हवा से मिल जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फारफोरस, पोटाश, डी०ए०पी० आदि अन्य आवश्यक तत्व हैं । मान्यवर, म्यूरेट आफ पोटाश का हमारे यहां कम प्रयोग होता है जबकि यह महत्वपूर्ण उर्वरक है । इसके अलावा 10 पोषक तत्व और हैं जिनकी पूर्ति हमारी खेती में नहीं हो रही है । आवश्यकता इस बात की है कि इसकी पूर्ति मृदा में की जाये । हरी खाद, गोबर की खाद और जैव उर्वरक का प्रयोग करके हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं । मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह कम्पोस्ट हरी खाद की तरफ ध्यान दे रहे हैं । मैं आपका ध्यान खेती की पुरानी पद्धति की ओर ले जाना चाहता हूं । आज विशेषज्ञ सहमत हैं कि जब तक रसायनिक खादों का इस्तेमाल कम कर जैविक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तब तक खेती को वांछित लाभ नहीं मिल सकेगा । आज किसान रासायनिक उर्वरकों के मकड़जाल में फंसे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि गोबर की खाद का उसका किसान अधिक से अधिक प्रयोग करे । केचुए की खाद से जमीन अत्यन्त उपजाऊ होती है । केचुआ जमीन के अन्दर बिल बनाकर रहता है व केचुए के मल में नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम साधारण मिट्टी की अपेक्षा 5-6 गुना ज्यादा होती है तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम दुगुनी मात्रा में होता है । इसको बढ़ाये जाने की आवश्यकता है । सब्जियों को जिन कीटनाशक रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है यह बहुत ही विनाशकारी है । बैगन को एक कैमिकल में डिप किया जाता है जिससे उसमें चमक आ जाती है लोग सोचतें है कि बहुत बढ़िया बैगन है लेकिन मनुष्य के अन्दर जो कैमिकल चला जाता है वह बहुत हानिकारक होता है स्वास्थ्य के लिए । इसी तरह से गोभी में भी 15-16 बार स्प्रे किया जाता है वह बहुत हानिकारक है । हमारे कृषि शिक्षा मंत्री जी ने कृषि वैज्ञानिकों के प्रति जो श्रद्धा भाव व्यक्त किया है वह स्वागत योग्य है । हमारे कृषि उपजों को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों का तो महत्वपूर्ण योगदान है ही लेकिन सबसे ज्यादा योगदान किसानों का है । वे बधाई के हकदार हैं । जहां पहले 1967 तक हम भीख का कटोरा लिए विदेशों से अनुरोध करते रहते थे कि अनाज दो हम भूखे हैं । वैज्ञानिकों एवं किसानों ने हमें आत्म निर्भर बनाया । आज जरूरत है कि किसानों के हितों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखा जाए । सबसे ज्यादा जरूरत है कि उनको उनकी उपज का सही दाम मिले ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

डा० अजय कुमार–

मंत्री जी ने बताया कि किसानों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी जानकारी देने के लिए फ्री हेल्प लाइन चलाई गई है । एक से तीन बजे को बीच इस पर किसान जानकारी प्राप्त कर सकता है । मैं चाहता हूं कि इसमें लाइनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक किसान जानकारी कर सकें व लाभान्वित हो सकें । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक बात आप लोगो को बता दूं । मैं तीन मिनट पर पहला संकेत कर दूंगा । और पांच मिनट में दूसरा अब आप अपनी बात समाप्त कर दें । आप लोग नोट कर लें जिससे कम समय में सारी बातें रख सकें ।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, कृषि विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं पहले एक निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि वह जो चिट पर नाम देते हैं बोलने के लिए तो आप उपस्थित रहें अगर नाम पुकारे जाने पर अनुपस्थित रहेंगे तो फिर दूसरे को बुला लिया जायेगा।

श्री विजय बहादुर पाल–

मान्यवर, कृषि प्रधान देश में यह आवश्यक है कि किसानों को उत्तर बीज, खाद, सिंचाई के साधन आदि उपलब्ध हों और किसान फले-फूले, उसकी कार्य क्षमता बढ़े। कृषि उत्पादन बढ़े, देश का नाम ऊंचा हो। यह तो तब सम्भव होगा जब इस बात का विचार हो लेकिन यहां पर सब उल्टा विचार हुआ। किसानों के साथ बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। हर तरह से उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऊंची-ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी सोई हुई तकदीर जगे और उनके बच्चे पढ़-लिख कर देश में बड़े आदमी बने। उनकी सोच है कि कर्ज में जन्में किसान कर्ज में ही जिये और कर्ज में ही मर जायं। यह एक ऐसा अभागा देश है जहां आज भी किसानों को भरपेट भोजन मिल जाय, तो मानो उसके भाग्य जगे। अभी सत्ता पक्ष के चौधरी जी बड़ा गुणगान कर रहे थे। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में किसानों की भलाई का काम किसी ने किया है, तो वह स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने किया। उनके बेटे ने भी नहीं किया है। सत्ता के लालच में किसानों का पसीना उन्हें गंगाजल की तरह नहीं लगा। माननीय श्री मुलायम सिंह जी जानते हैं कि स्वदेश की तकदीर तब जागेगी जब किसानों का भला होगा। भारत भाग्य विधाता बनेगा। माननीय मुलायम सिंह जी ललकार कर कहते हैं –

ऐ मजदूर किसान जाग उठो।
भू धर वीर महान जाग उठो॥
जागो उठो बढ़ो सब के सब।
सिंहासन में आग लगा दो॥
जिसमें दीन अनाथ बिलखते।
उस शासन में आग लगा दो॥

आज किसान तंगहाल है। उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। उसके पास खेती की सुविधायें नहीं है। पुलिस का डण्डा, किसान की पीठ के ऊपर चलता है। जूते की कील किसान के सिर पर लगती है। उसको ऊंची कुर्सी पर बैठे लोग मिलकर ठगते हैं। आप अपने मन में झांक कर देखें मस्तिष्क में विचार बनायें, तब उनके लिए कुछ कर पायेंगे। जैसे बालक को माताएं घुट्टी में अफीम मिलाकर कहती हैं, लल्ला सो जा उसी तरह से ये लोग किसानों को सुलाने का काम कर रहे हैं। ताकि किसान जगे नहीं। चिकनी चुपड़ी बाते करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है :–

जाके पांव न फटे बिवाई।
वह क्या जाने पीर पराई॥

यह किसान के हितैषी बनते हैं लेकिन उनके कल्याण के लिए कोई योजना नहीं । यह केचुंआ नागिन की मिली जुली सरकार कब तक चलेगी ? आज किसान अपनी किस्मत को कोसता है । इस कृषि प्रधान देश में पैदा होकर न अपनी तकदीर जगा सकता है न आने वाली पीढ़ी की । इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने एक मकड़जाल बना रखा है कि किसानों को उसमें फंसाओ, रुलाओ, उन पर प्रहार करो । आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का शिकार किसान हो रहा है । किसान को सुनियोजित ढंग से लूट कर सत्ता के भोग में गोते लगाने वालों से कहता हूं अपनी लच्छेदार बातें करना बन्द करो और कोई कार्य योजना बनाओ । न्याय और सत्य की हत्या कर चुके हैं । अब सब इसको जान गये हैं । अगर कोई सच्चे अर्थों में किसानों के नेता हैं तो वह हैं श्री मुलायम सिंह यादव जी ।

(मेजें थपथपायी गयीं)

वे किसानों के दुख-दर्द भरी समस्याओं को जानते हैं, किसानों की तकदीर जगाना चाहते हैं, उनका भाग्य भव्य बनाना चाहते हैं । मैं कहना चाहूंगा, यह सिर्फ भावुकता में कही बाते नहीं हैं । यह सुनियोजित चाले नहीं हैं, इन पर पुनः गौर करो । यह सत्ता पक्ष की लच्छेदार बातें नहीं हैं । इनको समझों इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री भरत सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर दें ।

श्री भरत सिंह–

जितना कहेंगे उतना ही बोलूंगा । अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं सबसे पहले कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इन्होंने किसानों के हित में किसानों का ध्यान रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है । अभी हमारे अग्रज बलिया से विधायक श्री राम गोविन्द चौधरी जी कटौती पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कृषि मंत्री जी को किसानों के बारे में जानकारी नहीं है । क्षमा करियेगा चौधरी साहब मैं इस चीज को कह सकता हूं जानकारी के साथ माननीय कृषि मंत्री जी स्वतः एक बहुत अच्छे किसान हैं । किसान कार्य की जितनी उनको जानकारी है .... (व्यवधान) कृषि मंत्री जी ने किसानों को जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की है जिस प्रकार से, जिस क्षमता से यह विभाग चल रहा है..... (व्यवधान) यह डिग्री कालेज के छात्र नेता रहे हैं । आपकी विद्वता को जानता हूं ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए जनपद बलिया की कुछ समस्याओं की तरफ माननीय कृषि मंत्री, माननीय कृषि शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे जनपद में बहुत पहले इस माननीय विधान सभा के चार-चार बार विधायक रहे स्व० श्री मैनेजर सिंह जो गरीबों के मसीहा के रूप में मशहूर थे, लोक लेखा समिति, आश्वासन समिति के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चेयरमैन रहे, उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय की कल्पना की थी लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर, लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी महात्मा गांधी जी के बाद इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में फेमस हैं, वह जनपद बलिया के ही रहने वाले थे तो मैं यह चाहूंगा कि बाबू मैनेजर सिंह जी के सपने को साकार करें और लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की कृपा करें । मान्यवर, आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर कृषि विश्वविद्यालय तथा मेरठ कृषि विश्वविद्यालय है । मगर पूर्वांचल बहुत उपेक्षित है इसलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो इस देश के बहुत बड़े नेता के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और बलिया के किसानों का हित होगा । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बलिया जनपद में दोआबा क्षेत्र है वह सबसे ज्यादा उपेक्षित है । मान्यवर, बलिया से पचास साठ किलोमीटर दूर बेरिया में मण्डी परिषद् नहीं है । मंडी परिषद् बलिया में हैं । तो मेरी मांग है कि रानीगंज बेरिया में मंडी परिषद् बनायी जाय । मान्यवर, रानीगंज में पिछले वर्षों से प्रयासरत हूं । वहां पर मण्डी परिषद् की स्थापना की जाय । मान्यवर, हमारे बेरिया में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हो । इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय कृषि मंत्री और माननीय कृषि शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

* श्री विजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट की कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है । मान्यवर, यह कृषि प्रधान देश है और यह गांव का देश प्रदेश है । मान्यवर, हमने तो यह जाना था कि किसान का बेटा इस सदन में बैठकर कृषि विभाग के बजट को बड़े सहयोग, गम्भीरता और सोच समझकर इस तरह से बनायेगा तो यह प्रयास तो इन्होंने किया लेकिन कुछ बिन्दु संज्ञान में नहीं आये हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

मान्यवर, देश आजाद होने के बाद जब कृषि को प्रोत्साहन दिया जा रहा था तो पूर्व में एक कहावत है, जो कि घाघ ने कही है कि–

"उत्तम खेती मध्यम बान ।
निषिद्ध चाकरी भीख निदान ।। "

तो उत्तम खेती के रूप में बताया है । आजादी के बाद खाद, बीज सब मदद प्रोत्साहन लेने के बाद किसान इस काम को अक्षम समझ सकता है मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई छोटी से छोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति एक किसान से अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है । इसका कारण यह है कि किसान को उसकी लागत का सही मूल्य नहीं मिल पाता है । हमारी सरकार भरसक प्रयास करती है लेकिन फिर भी उसको उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम खाद, बीज और कीटनाशकों का पूरा उत्पादन कराकर किसानों की मदद करेंगे । मान्यवर, बजट में जो डाटा दिया गया है उसके हिसाब से आज की तारीख में वह चाहे जितने प्रमाणिक बीज दे दें लेकिन डुप्लिकेटिंग को बंद किए बिना यह सम्भव नहीं है । कीटनाशकों की न०–2 की द्रवाएं आज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बाजार में हैं । उनकी तलाश करने के लिए उन पर छापामारी की कार्यवाही होनी चाहिए । इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है और जो सरकारी गोदामों में खाद होती है वह नम्बर–2 की खाद होती है । मान्यवर, इस तरह की योजनाएं लागू करें जिससे किसानों का उत्पादन बढ़े । किसानों का लाभ हो । जब तक किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता है तब तक उनकी स्थिति में सुधार होने वाला नहीं है । मान्यवर, भारत सरकार ने किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक आयोग बना रखा है । उस आयोग का काम है किसान मूल्य निर्धारण आयोग । अनाज पैदा किसान करता है और उसका मूल्य दिल्ली में बैठे लोग लगाते हैं । उसमें वह लोग हैं जो यह भी नहीं जानते कि गेहूं की फसल कैसे होती है ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं और यह सुझाव यह है कि इस आयोग में एक सदस्य उत्तर प्रदेश से भी होना चाहिए, जो वहां पर हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी रख सके । हमारे यहां पर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मूल्य है । उस के हिसाब से वह आयोग में अपनी बात कहेगा । इससे फसल का सही मूल्य निर्धारण हो सकेगा ।

मान्यवर, आपने किसानों के लिए मण्डियों के बारे में कहा है । आपने कहा है कि बिचौलियों के माध्यम से जो मण्डी शुल्क लिया जाता था उसके बारे में व्यवस्था की है । मगर उसके बारे में आपने नहीं बताया कि उसमें कितनी आय है और उसका प्रयोजन क्या है ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मण्डियों की सड़कों के लिए 2001-02 में 112.81 करोड़ रुपये से 1039.195 कि०मी० सड़क बनाने की योजना है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सात वर्षों से जो सड़कें बनी हैं वह टूट चुकी हैं उनकी मरम्मत के लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है । 10 प्रतिशत का किया है । मैं कहना चाहता हूं कि जो सड़कें टूटी हुयी हैं अगर उनको ठीक नहीं किया गया तो उन पर जो पुराना बजट खर्च हुआ है वह बर्बाद हो जाएगा । मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इसके लिए धन की व्यवस्था करें । मान्यवर, कृषि विभाग से जहां हैण्डपम्प लगे थे वह खराब हो गये हैं । जल निगम से सही करने के लिए कहो तो वह कहते हैं कि यह मण्डी विभाग के हैं इसलिए वही इसे ठीक करवाएगा । मैं चाहता हूं कि इन्हें ठीक कराया जाय और साथ ही इनमें रिबोरिंग करायी जाय ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 5 तहसीलों में मण्डी है, इगलास का मण्डी स्तर का कार्य अधूरा पड़ा है कृपया उसे शीघ्र पूरा कराने का कष्ट करें । मान्यवर, अभी राम गोविन्द चौधरी जी ने एक बात कही कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और कृषि विभाग इन तीनों विभागों में आपस में समन्वय होना चाहिये । मैं भी सहमत हूं कि यह तीनों विभाग एक ही मंत्री के पास होना चाहिये लेकिन जो इस तरह की सरकारों की व्यवस्था बन गयी हैं इसमें यह सम्भव नहीं है । आप जब 100 मंत्री बनायेंगे तो आपको उन मंत्रियों के लिये विभाग निकालने पड़ेंगे । आप यह कर सकते हैं कि आप एक समन्वय समिति गठित कर लें जिसमें इन तीनों विभागों के मंत्रियों का विभागों का एक समन्वय रहे । जब तक बिजली की आपूर्ति नहीं होगी, कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा जब तक सिंचाई में टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, कस्बा गोण्डा की हाट पैठ का निर्माण कार्य और गौरई की हाट पैठ की मरम्मत का कार्य करा देने का कष्ट करें ।

* श्री विश्राम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर श्री राम गोविन्द चौधरी जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल प्रदान करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जो कृषि विभाग का साहित्य छपा है देखने से बहुत ही बढ़िया लगता है, जो आपकी पुस्तिकायें हैं वह देखने में अच्छी लगती है, मान्यवर, जो मा० मंत्री जी ने बजट भाषण दिया है वह केवल शब्दों का मायाजाल है और कुछ नहीं। इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। मान्यवर, जब किसान को आप बिजली दे नहीं पायेंगे, सिंचाई की व्यवस्था खेत में हो नहीं पायेगी तो किसान की खेती कहां से बनेगी ? मान्यवर, आप नहरों से पानी दे नहीं पायेंगे तो किसान की कृषि उपज का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ? मान्यवर, जो खाद दी जाती है देहात में इतनी मिलावट होती है कि वह एक दम फसल में काम नहीं आती। आप खेती का काम उसमें कैसे बढ़िया कर पायेंगे ?

(इस समय 5 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता डा०लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो कीटनाशक दवायें दी जाती हैं उनमें मिलावट होती हैं और असली दवायें प्राइवेट दुकानों पर बेच दी जाती है। मान्यवर, जो हम इन दवाओं को कीड़ों को मारने के लिये प्रयोग करते हैं तो कीड़े मरते नहीं हैं दूसरी तरफ फसल बरबाद हो जाती है। मान्यवर, जो बीज आप देते हैं एक तो असली जाता नहीं है और जो असली होता है वह दुकानों पर बिकता है जो किसानों को बीज मिलता है वह घुन लगा हुआ और सड़ा हुआ जाता है। और वह बीज का काम खेती में कर नहीं पाता है। मान्यवर, तो किसान का उत्पादन कैसे बढ़ेगा ?

मान्यवर, आपने किसान मित्र योजना बनायी है आपने उसमें कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है यह बताने का कष्ट करें। मान्यवर, यह मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो कृषि प्रसार केन्द्र खोल रखे हैं इन प्रसार केन्द्रों पर कभी भी कोई कर्मचारी जाता भी नहीं है। शायद ब्लाक स्तर पर 15–20 दिन में कोई चला जाता होगा। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे यहां हरदोई में मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम में डहलिया कृषि प्रसार केन्द्र है जहां कभी कोई कर्मचारी जाता नहीं है। 15–20 साल से कोई कर्मचारी जाता नहीं है। मान्यवर, जो योजनायें आपकी चलती हैं उनको साकार रूप देने के लिये जब तक आप अपने कर्मचरियों को अपने अधिकारियों को इन गांवों तक पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे तब तक आपकी योजनायें सफल नहीं हो पायेंगी। मान्यवर, आपका ऊसर सुधार कार्यक्रम कागजों पर है। मान्यवर, 1993-1994 में जब मा० मुलायम सिंह यादव जब मुख्य मंत्री थे तो एक भूमि सेना का गठन किया गया था। मान्यवर, उस भूमि सेना के अन्तर्गत हरदोई में सण्डीला में ऊसर सुधार योजना बनायी गयी थी जो आज कागजों पर रह गयी है। मान्यवर, सण्डीला, लखनऊ से 50 कि०मी० की दूरी पर है। आप देख सकते हैं कि वहां कितना भूमि सुधार का काम हुआ है। आपके पैसे का पूरी तरह से अपव्यय हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हरदोई जनपद में मूंगफली की बहुत खेती होती है कई सालों से वहां मूंगफली के किसान बेकार हैं और भूखों मर रहे हैं उनकी सारी खेती बेकार हो गयी है आपके विभाग का कोई खोज करने वाला वहां नहीं गया जो आज बहुत बड़ा मूंगफली का इलाका था वहां का किसान भुखमरी के कगार पर है वहां पर मूंगफली नहीं पैदा हो रही है, आखिर क्यों पैदा नहीं हो रही है, अगर पैदा नहीं हो सकती तो कोई दूसरी फसल पैदा हो जाये, इसको दिखवाने की कृपा करें ? मान्यवर, आपकी मण्डी समितियां है यह समितियां किसानों से कितना पैसा लेती है और मण्डी समितियों के बारे में आपने अभी बताया, मान्यवर, अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं है कि मण्डी समिति भी सड़कें बनाने का काम करती है उनको तो पता है कि आर०ई०एस० व पी०डब्लू०डी० ही सड़कें बनाती हैं । जहां किसान रहता है वहां कोई सड़क नहीं बनती है ? मान्यवर, हमारे हरदोई जनपद के 74–बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में बरौलिया से नानेखेरा की सड़क नहीं बनी है जब कि किसान वहां से कुछ लायेंगे, ले जायेंगे ।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां नदी नाले वहां पर सड़क बनवाने का काम आप करें । आप जानते हैं कि किसान नदियों के किनारे रहते हैं, अगर नदी नालों के किनारे सड़क बनाने का कामकर दें, कर्मचारी/अधिकारी को पहुंचाने का कामकर दें किसान मित्र योजना लागू कर दें तो बहुत ज्यादा विकास हो सकता है । मान्यवर, हमारे बिलग्राम विधान सभा क्षेत्र में पांच नदियां बहती हैं, गंगा, रामगंगा, कुण्डा, गर्रा व नीलम वहां हर प्रकार की फसल पैदा होती है । मान्यवर, जब बीज नहीं पहुंचता है, खाद नहीं पहुंचता, सड़कें नहीं है कर्मचारी नहीं पहुंचता है तो कैसे तरक्की होगी किसान की ? इसलिये मैं कटौती के माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन सुझावों को पूरा करने का आप संकल्प लें इस शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री धनन्जय सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया । मुझे विश्वास है कि मा० मंत्री जी कृषि के क्षेत्र में कुछ नये कीर्तिमान स्थापित करेंगे । मैं मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डी०ए०पी० की खाद हमारे प्रदेश में सस्ती उपलब्ध करायी जाये । हमारे प्रदेश में अपेक्षाकृत पंजाब और हरियाणा के यहां खाद मंहगी उपलब्ध करायी जाती है जबकि इफ्को के द्वारा बिना टैन्डरिंग पिछले पांच वर्षों से एक कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिये डायरेक्ट आर्डर दे दिया जाता है । वह कम्पनी हमारे प्रदेश के किसानों को मंहगी रेट पर खाद देती है वहीं पंजाब और हरियाणा में 500–600 प्रति टन सस्ती खाद बेचती है । मान्यवर, हमने कल एक प्रश्न किया था कि क्या डी०ए०पी० खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी पर केन्द्र और राज्य अनुपात 8:2 है ? यदि हां, तो डी०ए०पी० खाद में मिलने वाली उक्त सब्सिडी तथा शुद्ध खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कोई मानक निर्धारित है जवाब था प्रश्न नहीं उठता, मान्यवर, मैं मानता हूं कि सब्सिडी केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है मगर उसकी क्वालिटी कन्ट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ।

मान्यवर, एक फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर 1985 के अनुसार क्वालिटी कन्ट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल राज्य सरकार के जिम्मे है । जबकि केन्द्र सरकार द्वारा 4 हजार रुपये प्रति टन तक डी०ए०पी० खाद पर सब्सिडी दी जाती है । मान्यवर, इलाहाबाद की एक कम्पनी है, मेसर्स ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी खाद क्वालिटी घटिया पाई गई थी, इस संबंध में सरकार के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा एक आदेश दिनांक 27 मई, 02 को पारित हुआ था कि इस ओसवाल कम्पनी की क्वालिटी बहुत खराब है यह आदेश प्रदेश के सभी जिलों के कृषि अधिकारी के लिये था और इसमें कहा

गया था कि इस कारण इस कम्पनी द्वारा बनाई गई खाद को सीज कर दियां जाय । इस ओसवाल कम्पनी ने अपना माल तमाम ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरों को बेचा है जो अस्तित्व में नहीं हैं । और जो जिलों में पंजीकृत ही नहीं थीं, जैसे कावेरी प्राइवेट लिमिटेड, कृषि मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, रूरल मर्केन्टाइल प्राइवेट लिमिटेड ।

इन कम्पनियों के माध्यम से भारी मात्रा में क्रय विक्रय दिखाया गया और इस मद में मिलने वाली सब्सिडी ड्रा कर ली गई, जो 200 करोड़ से ज्यादा होती है, इस प्रकार इस धनराशि का घोटाला किया गया । मान्यवर, डी०ए०पी० की खाद बोवाई के समय होती है, जबकि इस कम्पनी द्वारा बिक्री फरवरी, मार्च में दिखाई गई है, जबकि रबी की फसल की बुवाई का समय नवम्बर, दिसम्बर महीना होता है । मेरे पास इसके सारे डिटेल्स मौजूद हैं, आवश्यकता पड़ने पर माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करवा दूंगा । इसी प्रकार कई जिलों में खपत औसत से काफी अधिक दिखाई गई है । इसके अलावा वर्ष भर में फर्मों के नाम बदल दिये गये, जबकि स्वामित्व वही रहे हैं । मैंने माननीय मंत्री जी को पूर्व में एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इसकी सी०बी०आई० द्वारा जांच कराई जाय ताकि सही तथ्य सामने आ सकें । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच सी०बी०आई० से करायेंगे और दोषियों को सजा मिलेगी । ताकि हमारे किसान भाइयों के साथ अन्याय न हो सके और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी सीधी किसानों को मिले जिससे किसानों को अत्यन्त लाभ हो । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री अरविन्द गिरि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर माननीय चौधरी साहब द्वारा जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद । मान्यवर, पूरे प्रदेश में और देश में कृषि का जो हाल है, इस कृषि प्रधान प्रदेश में जो व्यवस्था पिछले 5 सालों में रही है, उससे कृषक खून के आंसू रोया है,चाहे वह धान का हो, गेहूं का हो, गन्ने का हो, हर फसलों पर लूट हुई है, यह माननीय मंत्री जी खूब वाकिफ होंगे । आज के बजट में जो व्यवस्था है, उससे भी किसान के आंसू पुछते नजर नहीं आते । मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

आपने अपने बजट में मंडी परिषद् के माध्यम से सड़कों के बारे में कहा था । हमारे हैदराबाद विधान सभा क्षेत्र, जनपद लखीमपुर खीरी में जो भी सड़क है, वह पूर्ण रूप से जर्जर हैं । दूसरी बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आजादी के बाद से आज तक लखीमपुर जनपद में कृषि विश्वविद्यालय की मांग हमेशा से उठती रही है, कई बार इसके लिये आन्दोलन भी हुये हैं, धरना-प्रदर्शन भी हुये हैं । सत्ता पक्ष के कभी-कभार अधिकारी मौके पर गये, घोषणायें की, लेकिन कुछ हुआ नहीं । वहां आसपास के 8–10 जनपदों में कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं है । वहां के जो छात्र हैं, इस कारण से दूसरी जगह जाकर पढ़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं । वहां आपके विभाग का एक जमुनाबाद फार्म है, वहां अब कोई व्यवस्था नहीं रह गई है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, यह सैकड़ों एकड़ का फार्म है । यदि आप इसमें कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कर दें तो इससे हमारे पड़ोस के शाहजहांपुर, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों को सुविधा हो जायेगी, वहां पर पंतनगर विश्वविद्यालय को छोड़कर कोई विश्वविद्यालय नहीं है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह बहुत

गम्भीर समस्या है इसका निराकरण आपके माध्यम से होगा तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री तेज पाल सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मा० कृषि मंत्री जी ने जो यह कहा कि जो भी मा० सदस्य अपने-अपने सुझाव रखेंगे मैं उनको गम्भीरता से लूंगा । श्रीमन्, सैद्धान्तिक रूप से 2-3 बातें मैं मा० मंत्री जी से कहना चाहूंगा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि मंत्री जी ने एक चीज का जिक्र किया उन्नत खेती का, जिसे उन्होंने सघन खेती कह कर सम्बोधित किया । एक बहुत बड़े अर्थ शास्त्री हुए थे उन्होंने कहा था कि देश की आबादी जिस तरह से बढ़ती जाएगी, उत्पादन उसी क्रम से घटता जाएगा । चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने जंनसंख्या फायर का सिद्धान्त दिया था कि जनसंख्या ज्यमितीय आधार पर बढ़ती है और उत्पादन गणितीय आधार पर जैसे, 2,4,6.... इस हिसाब से जन संख्या बढ़ती है, और उत्पादन– 1.2.3..... इस तरह से मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अर्थशास्त्री रिकार्डो ने जिस फायर का उल्लेख किया है वह एक विस्तृत खेती और दूसरा सघन खेती । चौधरी चरण सिंह ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि आगे आने वाले समय में खेत के टुकड़े के बटवारे को कोई नहीं रोक पाएगा और परिवार बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, जोत छोटी होती जाएगी उसे कोई नहीं रोक सकता । मान्यवर, हम कितना उर्वरक डालें, उस उर्वरक स्रोत को कितना बढ़ायेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मान्यवर, मैं किसानों को धन्यवाद देता हूं कि किसानों की मेहनत से, इतना अच्छा उत्पादन होता है । जब हमारे यहां की आबादी 33 करोड़ की थी उस समय विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता था, आज इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि एक अरब की आबादी होने के बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरने का काम किया है इन्हीं मेहनतकश किसानों ने । यह तरक्की किसानों ने की है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरबों लोगों का पेट भरने वाले इन किसानों के बेटे भूखे रहते हैं । सघन खेती करके हम उसे कर लेंगे लेकिन उसके साथ-साथ हम को विपणन की व्यवस्था को देखना पड़ेगा । किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाना पड़ेगा । 1938 में हमारे देश में सर छोटू राम ने पंजाब में मण्डी ऐक्ट लागू किया था । मेरे यहां चौधरी चरण सिंह ने लागू किया । लेकिन आज अफसोस इस बात का हो रहा है कि किसान पैदा करता है, मेहनत करता है, दिन-रात मेहनत करने के बाद भी किसानों को अपनी मजदूरी तक नहीं मिल पाती है । माननीय मंत्री जी से खासतौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनके उत्पादों को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करें ।

चौधरी साहब ने एक बात कही थी अपनी पुस्तक में उन्होंने कहा कि अगर किसान की सही मायने में खुशहाली चाहते हैं तो किसान की जो छिपी हुई बेरोजगारी है उसको खत्म करना पड़ेगा । इसका मतलब था कि वह लोग जो खेती में दो आदमी काम कर सकते हैं और परिवार में आठ आदमी हैं तो आठों को खेती में लगायेंगे, उन्होंने कहा कि 8 में से 6 को दूसरे पेशे में नहीं लगायेंगे तो किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है । हमारे देश में खेती पर दबाव बढ़ रहा है, 72-73 प्रतिशत लोग खेती कर रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमेरिका में 4 प्रतिशत लोग खेती कर रहे हैं । जापान में 7 प्रतिशत और इंग्लैंड में 11 प्रतिशत लोग खेती कर रहे हैं और वह लोग मालदार हैं । मान्यवर, हमारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहां खेती पर दबाव बढ़ रहा है । इसलिए लोगों को खेती से दूसरे पेशों में ले जाना पड़ेगा । दूसरी बात कह रहा था कि विपणन व्यवस्था के बारे में । कृषि मंत्री जी ने इसका उल्लेख किया वह किसान के सपूत हैं । चौधरी चरण सिंह जी जब जिस समय प्रधानमंत्री थे तो पत्रकार उनसे पूछने आये कि आप कौन से फूल की खुशबू पसन्द करते हैं ? नेहरू जी गुलाब व दूसरे लोग अन्य फूलों को पसन्द करते हैं आपको किसकी खुशबू सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जब जेठ की तपती हुई दोपहरी के बाद आषाढ़ के महीने में बरसात की पहली बूंद पड़ती है और उस समय मिट्टी से जो खुशबू निकलती है वह सबसे अच्छी लगती है । वह वास्तव में धरती पुत्र थे । माननीय अधिष्ठाता जी, मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई खेती के बोझ को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है ।...

श्री अधिष्ठाता–

तेजपाल जी अब समाप्त करें ।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, बस एक मिनट में समाप्त करूंगा । सघन खेती की बात आयी । हम मानते हैं कि सघन खेती बढ़ाने के लिए आप पूरा प्रयास करेंगे, फर्टिलाइजर देंगे, बीज देंगे लेकिन सब कुछ करने के बाद उसके उपज का लागत मूल्य नहीं मिलेगा, जब तक सही विपणन की व्यवस्था नहीं होगी और निश्चित रूप से किसान खेती करना छोड़ देंगे । माननीय अधिष्ठाता जी, एक सुझाव देना चाहूंगा, पहले मण्डी परिषद् में हैण्डपम्प लगा करते थे वह व्यवस्था खत्म हो गयी है, किसानों की मण्डी और उस हैण्ड पम्प का पानी किसान ही पीता है तो जो हैण्ड पम्प की व्यवस्था थी उसे लागू कर दिया जाये । इसी के साथ मान्यवर, आपनें मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं ।

*श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अनिवार्य बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए जो माननीय राम गोविन्द चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर बोलने के लिए अवसर दिया गया ।

माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था । वह बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के उस हिस्से में जन्म लिया है जहां खेती की अधिक पैदावार होती है, हम लोग सीखते भी हैं कि खेती कैसे की जाती है । मान्यवर, कृषि प्रधान देश और उसका हृदय सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है जहां पर 72.2 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं । देश की आजादी के बाद देश की व्यवस्था को चलाने के लिए जो दस्तावेज जिसे संविधान कहते हैं जो लिखा गया उसमें साफ तौर पर यह बात लिखी गयी कि इस देश के विकास का मुख्य साधन और स्रोत खेती होगी । हमारे चिन्तक और विचारकों ने यह भी कहा कि जब तक हिन्दुस्तान की खेती का विकास नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा कृषि की उन्नति नहीं होगी तब तक इस देश का विकास नहीं होगा । चौधरी चरण सिंह और तमाम चिन्तकों ने यह भी कहा कि जब तक इस प्रदेश का खेत और खलिहान खुशहाल नहीं होगा तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा । लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 54-55 साल की आजादी में आज भी हम भले चाहे जो भी सोचते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश और देश का किसान सबसे निरीह और गरीब है, निरीह और गरीब इसलिए है कि आज भी वह अपनी खेती भगवान भरोसे करता है । अगर एक महीने का सूखा पड़ जाय तो वह अपने खेत में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अगर वह बीज डाल देगा तो उसका बीज भी चला जायेगा वहीं दूसरी तरफ अगर 3 दिन तक मूसलाधार बारिस हो जाये तो हम जल निकासी की कोई ठोस योजना नहीं बना पाये हैं, बाढ़ आ जाती है तो सबसे ज्यादा तबाही होती है, उस पर ज्यादा न कहते हुए अनुरोध करना चाहूंगा कि पैदावार बढ़ी और हम खेती के मामले में आत्म निर्भर हुये लेकिन किसान की हालत आज भी नहीं सुधरी । दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने किसानों को प्रतिवर्ष सब्सिडी दिया करते हैं । अमेरिका जहां 4 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं और वह अपने किसानों को यह 31 हजार डालर प्रतिवर्ष सब्सिडी देता है लेकिन उत्तर प्रदेश और देश अपने किसानों को सब्सिडी नहीं देता । एक बार यह अवसर आया था जब मा० मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तो उस समय यूरिया पर सब्सिडी दी गयी थी । केन्द्र में लोक मोर्चा की सरकार थी मोर्चा की सरकार ने सब्सिडी खत्म करने की बात कही थी तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बड़े ही मजबूत मन से कहा था कि हम सब्सिडी नहीं खत्म करेंगे चाहे हमें उत्तर प्रदेश के खजाने से पैसा क्यों न देना पड़े । यह सब चिन्तन करने की जरूरत है । आप मजबूत मन के हैं, किसान हैं आपको किसानों की हालत को देखना पड़ेगा जिन योजनाओं के माध्यम से कृषि का विकास और कृषि की पैदावार को बढ़ाने की बात करते हैं उसमें उन्नतिशील बीज पहले नम्बर पर आता है जिस बीज को किसान ले जाकर खेत में बोता है, आप व्यवहारिक रूप से पता करेंगे तो हमारे कृषि के उन्नयन के लिए जहां पर बीज किसानों को मिलता है वह समय से न मिलने के कारण उसे बाजारों से खरीदना पड़ता है । कृषि के गोदाम हैं जहां से खाद उपलब्ध होता है, कहने के लिए कह दिया जाता है कि खाद उपलब्ध रहता है लेकिन समय से खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण बुवाई बाजार से क्रय करके करते हैं । बीज डाला अंकुरण हुआ उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है सिंचाई के विषय में यहां मैं कुछ नहीं कहूंगा बिजली 8 घण्टे है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जब अकाल पड़ गया सूखा पड़ गया तो नहर में कहा से पानी आ जायेगा ? जल स्तर नीचे जा रहा है । आज एक महीने का सूखा पड़ा तो जो लोग रात में पम्पिंग सेट चला दिया करते थे तो पुलिस उनको रोकती थी । इन्द्र भगवान खुश हो गये, अब पानी कुछ बरस रहा है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी, फसल बीमा योजना चला रहे हैं आज तक व्यवहारिक रूप से जो छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, किसानों की संख्या 2 करोड़ है उसमें से 20 लाख बड़े किसान हैं तथा एक लाख अस्सी हजार छोटे किसान हैं उन किसानों को फसल बीमा योजना की कोई जानकारी ही नहीं है । कृषि गोदमों पर आपके अधिकारी ही नहीं हैं, ब्लाक पर आपने भारी भरकम अधिकारियों को रख रखा है लेकिन गांवों में कृषि के प्रचार-प्रसार के लिए, खेतों की सुरक्षा के लिए कोई भी अधिकारी यहां तक कि जो जिले में कृषि अधिकारी होते हैं वह भी गांवों में नहीं जाते ।

जो योजना कृषि के प्रचार-प्रसार के लिए बनायी गयी है कि वह छोटी है उससे खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। यदि आप खेती का विकास करने के लिए कुछ सोचते हैं तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपके अधिकारी कर्मचारी जो एयरकन्डीशनर कमरों में बैठकर योजनायें बनाते हैं और विकास की बात करते है उन पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि वह वास्तविकता के धरातल पर आकर कृषि की उन्नति संबंधी कार्य करें। आपने अभी खाद के संबंध में बताया और कहा कि हमने इतने छापे मारे और इतना चालान किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना सब करने के बावजूद घटिया खाद बिक रही है उसको रोका नहीं जा सका चाहे वह यूरिया हो या अन्य कोई खाद हो। आज भी किसान कमजोर और निरीह है। मान्यवर, चीन हमसे बाद में आजाद हुआ था लेकिन पैदावार के मामले में वो हमसे तीन गुनी अधिक पैदावार करता है। देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम करें और जो मेहनतकश किसान हैं उनको सहायता देकर प्रोत्साहित करने का काम करें ताकि पैदावार बढ़े। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कृषि के बजट पर कोई कटौती का प्रस्ताव नहीं होना चाहिए ताकि किसान की उन्नति हो। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि बजट को किसानों तक वास्तविक रुप में पहुंचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा० राम गोविन्द चौधरी के द्वारा रखे गये कटोती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कृषि मंत्री जी किसान परिवार से आते हैं इसलिए किसानों के दुःख दर्द से भली-भांति परिचित हैं। मान्यवर, कृषि उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक वस्तु बीज है और बीज के लिए कृषि मंत्री जी ने कहा है कि 14 प्रतिशत की जगह पर वह 24 प्रतिशत आधार बीजे अगले वर्ष तक किसानों को उपलब्ध करायेंगे। इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आधार बीज फाउन्डेशन बीज की जो व्यवस्था की है वह स्वागत योग्य है। आज भी गांवों में परम्परागत तरीके से जो बीज किसान उत्पन्न करता है उसको ही बो देता है जिससे उसकी पैदावार नहीं बढ़ती है। इसलिए किसानों को फाउण्डेशन सीड उपलब्ध कराया जाये। मा० मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 500 रुपये जो अनुदान के रूप में किसानों को बीज के लिए मिलता था उसका एक बड़ा हिस्सा बीज बिक्रेता अपनी जेब में डाल लेते थे और किसानों को पता नहीं चलता था कि उसको प्रति कुन्टल खरीद पर 500 रुपया अनुदान मिलता है। मान्यवर, मंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है जिससे कम से कम 375 रुपये सीधे किसान की जेब में जायेगा वह सराहनीय कदम है मैं इसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से इसमें तात्कालिक वृद्धि तो दिखाई देती है। लेकिन दूरदृष्टि से यह बहुत अनुपयोगी और हानिकारक चीज है क्योंकि किसानों की कृषि योग्य भूमि अन्धा-धुन्ध रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से बंजर और ऊसर होने की संभावना रहती है। मंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कि किसानों के लिए जैविक खाद बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराई जाएगी। मैं अपने क्षेत्र की दो समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह---

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्व-विद्यालय फैजाबाद में है मैं मांग करता हूं कि उसका एक शोध केन्द्र जौनपुर जिले में स्थापित किया जाये। कृषि विविधीकरण परियोजना है उसमें करजाकला और सिरकोनी ब्लाकों को भी शामिल किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, तथा इस बजट का समर्थन करता हूं।

डा० सुशील चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आभारी हूं। मैं कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। कृषि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण को शुरू करने से पहले मेरे लिए आदरणीय चौधरी चरण सिंह का नाम लिया मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। इस हिन्दुस्तान में हरित क्रान्ति लाने वाली किसानों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली इस देश की पूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी का नाम नहीं लिया। अच्छा होता इन्दिरा गांधी का नाम लेते तो मैं बधाई देता। इस दुनियां में दो ही तरह की कृषि होती है एक अमेरिका की तरह जहां बड़े-बड़े फार्म हैं दूसरी कृषि करने की तकनीकी जापान के किसान अपनाते हैं जहां छोटी–छोटी जोतों की तकनीकी हैं। मैं हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश की बात करता हूं जहां न अमेरिकी तकनीकी का इस्तेमाल होता है न जापान की तकनीकी का। मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं मैं आपकी आलोचना करने की धृष्टता नहीं कर सकता हूं लेकिन दो चार सुझाव देना चाहता हूं। एक बात अभी मंत्री जी बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास 6 हजार एकड़ के कृषि फार्म हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि फार्म घाटे में चल रहे हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं। सहारनपुर से लेकर आगरा तक तमाम मंडिया खाली पड़ी हैं। सारा व्यापार हरियाणा में जा रहा है। इसको रोकने के लिए मंडियों की खुशहाली के लिए आप कदम उठाएं। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में नाइट्रोजन और पेस्ट्रीसाइट के अधिकतम प्रयोग का जिक्र किया है आज प्रदेश में हालत यह है कि वैगन खाने व सब्जी खाने के बजाय समुराजन की एक चम्मच खा लें तो अच्छा होता। सोयल टेस्टिंग लैब प्रत्येक जिले में गठित की जानी चाहिए। ताकि किसान अपने खेत की मिट्टी की सोयल टेस्ट करा सकें। कृषि मंत्री इस सरकार के बारे में बढ़-चढ़ कर बात कर रहे थे। मैं आपको बधाई देता अगर आपने किसानों को पूरा पेमेंन्ट कर दिया होता। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ है, गेहूं का पेमेन्ट नहीं हुआ है। 6-6 महीने का बाकी है। धान की फसल के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं की है।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा० सुशील चौधरी–

किसानों की धान और गेहूं की फसल खरीदने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जिस समय आप अपना बजट भाषण का जवाब दें उस समय उस पालिसी के ऊपर भी बोलें ताकि किसान सुनिश्चित हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बजट के समर्थन पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, एक तरफ़ माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उत्तर प्रदेश के भविष्य की रूपरेखा, किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, वैज्ञानिक ढंग से कृषकों को कैसे आगे बढ़ाना है इन तमाम बातों पर अपने विचार दिए। इसके बावजूद भी भाई राम गोविन्द चौधरी ने कटौती प्रस्तुत की और कहा कि बजट को एक रुपए कर दिया जाय। पूर्व वक्ताओं ने अपनी वाणी से, मुखारविंद से कहा कि 35 करोड़ की आबादी थी और खाद्यान्न का हमको आयात करना पड़ता था। आज 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हो गयी और हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भर भी हैं। एक पुरानी कहावत है इतनी हम गरीबी से भी गुजरे कि कहीं एक कोस और दो कोस पर फुल्के की दावत मिलती थी तो हम छोड़ते नहीं थे। कहावत थी

"फुल्का पत्ते, कोस दो कोस।
पूरी शक्कर बारह ॥
जो पाऊं मैं माल पुआ।
तो धाऊं कोस बारह ॥"

इतनी गरीबी थी मान्यवर, आज इसके बावजूद भी प्रदेश एकदम आत्मनिर्भर बन गया है। इसके बावजूद भी इतनी आलोचना और टिप्पणी हो रही है। एक आलोचना टिप्पणी यहां तक कि माननीय मंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है और कटौती रखने वाले को बहुत जानकारी है। मंत्री जी को जानकारी इसलिए नहीं है कि उनका वास्ता अकल से है और कटौती रखने वालों का वास्ता नकल से है। हम नम्बर की चिन्ता क्यों करते हैं। अकल से पास होते हैं फर्स्ट आते हैं। आज सारी बातें कहते हुए ही प्रदेश के किसानों की सम्पन्नता के प्रतिबद्ध हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। ये सारी चीजें हैं। किस तरह से मण्डी के माध्यम से मण्डी के विकास से, मण्डी के निर्माण की योजना है। यह सब इसमें लिखा है। इसके बावजूद भी कहेंगे कि जो संकल्प हैं और जो सोच है जिसका हम खुशी से खुलकर समर्थन करने की बात कर रहे हैं उसका लक्ष्य बहुत अच्छा है। संकल्प बहुत अच्छा है। संकल्प ठीक उसी प्रकार है जब इलाहाबाद में हम जाते हैं तो एक गंगा की धारा है, इलाहाबाद जाते हैं, एक यमुना की धारा है और इलाहाबाद जाते हैं तो एक सरस्वती की धारा है। तीनों मिलाकर त्रिवेणी बन जाती है। त्रिवेणी के पास एक धारा है जो सिर्फ गंगा की धारा है। जो हमारी सोच है वैसी ही है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की बात है अगर हम इस पर चलेंगे तो दुनिया के मानचित्र पर होंगे। दुनिया के मानचित्र पर आगे बढ़ेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जितने आचार-विचार आये हैं, जितने अच्छे विचार आये हैं, उनको समायोजित कर लें। यह मेरा आग्रह है। एक भाई कह रहे थे भ्रष्टाचार का कई साल का बोझ माननीय मंत्री जी ओढ़े हैं। 6-6 डायरेक्टर, 6-6 निदेशक, विभिन्न सरकारों में हजारों, हजार करोड़ का घोटाला किया।

श्री किरन पाल सिंह–

" जफा के नाम पर, तुम तो संभल के बैठ गये।
बात तुम्हारी नहीं, बात है जमाने की ॥ "

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

"जाने को तो सभी जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं ।
अजमेर वही जाते हैं, जिनको ख्वाजा बुलाते हैं ॥"

(मेजें थपथपाई गयीं)

वर्तमान में मंत्री जी ने जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी गर्दन दबाने का काम किया है जनतंत्र और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हम सभी लोग हैं मण्डियों का चुनाव करा देंगे तो प्रदेश के किसान जो सरकार की तरफ देख रहे हैं उनको सुविधा हो जायेगी। मेरा आग्रह है आप मण्डियों के चुनाव करा दें ताकि किसानों को सम्पन्नता का रास्ता मिल सके। इसका मैं आग्रह करता हूं। किसान भगवान के रुप में होता है कृषि मंत्री जी अपने स्तर से पूरी व्यवस्था करायें।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी ने बड़ी चालाकी से प्रदेश को ठगने की भाषा अपने बजट भाषण में कही। मान्यवर, इनकी बहन जी ने इनको दूसरा विभाग दे दिया। वह संसदीय कार्य मंत्री के रूप में बहुत अच्छी तरह से असत्य बोल लेते थे। अब कृषि विभाग में अपने लोगों को ठगेंगे तो कैसे चलेगा ? कृषि उत्पादन बढ़ाने का वैज्ञानिकों ने अच्छा सुझाव दिया है। प्रेरणा दी। किसानों ने अपनी मेहनत से अपने उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। वह उत्पादन और बढ़ेगा लेकिन जो गुणवत्ता खेती की उपज में आनी चाहिए वह नहीं आ पा रही है। कृषि मामलों में हरियाणा और पंजाब हम लोगों से आगे हैं। हम लोगों के बगल में है। माननीय कृषि मंत्री जी को वहां के उपकरणों वहां के कृषि के तौर तरीकों को लेकर प्रयोग के तौर पर लेना चाहिए। हम जानते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी उस इलाके से जीते हैं जहां खेती प्रदेश में आगे हैं लेकिन वह खेती में कभी नहीं रहे। वह नौकरी करते रहे फिर ए०सी० बंगलों में रहे। यहां लखनऊ में ज्यादा रहते हैं। उन्होंने मूलभूत समस्याएं किसानों की जो हैं उन समस्याओं को सुनकर काफी कोशिश की है। आपके लिए विडम्बना सबसे बड़ी यह है कि आपके पास संस्थाएं हैं। आप चाहें तो कृषि उत्पादों को विपणन की दिशा में विभाग से ले सकते थे। आपकी कृषि मार्केटिंग या मंडी समितियां हैं उसके माध्यम से उत्पादकता को ले जा सकते थे लेकिन खाद्य विभाग आपके बने बनाये खेल को बिगाड़ने का काम करता है। कषि की

गोदामें बंद पड़ी हैं बहुत जगहों पर । आपके कर्मचारी नहीं रहते हैं उनकी समीक्षा नहीं होती है । पूरे जिले स्तर पर जो आपका विभाग काम करता है, एक कृषि प्रसार निरीक्षक ब्लाक पर होता है लेकिन वह जिले पर रिपोर्ट देने तक सीमित रखता है । उसे गांवों और किसानों तक जाना चाहिए, खेत खलिहानों तक जाना चाहिए ।

हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी को गांव खेत खलिहानों तक पहुंचाने का काम करें तब निश्चित रूप से कृषि विभाग की सार्थकता किसानों तक पहुंच जायेगी । मान्यवर, कृषि उत्पादन मंडी हैं । आपने एलान किया कि उसके माध्यम से सड़कों का निर्माण करायेंगे । पहले भी करते रहे हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचा है । यह सबसे पिछड़ा हुआ है । वहां पर सड़कों का अभाव है, नये संसाधनों का अभाव है वहां भी संसाधन दिये जाने चाहिए । एक दो प्रस्ताव हमनें दिये हैं । आप अपने विभाग को कहें कि उन प्रस्तावों पर विचार करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे । मान्यवर, कृषि उत्पादन मंडी समितियों का चुनाव होना चाहिए । अभी शर्मा जी ने भी कहा था कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक प्रबन्धन नहीं होगा एक कर्मचारी बैठाकर कई ब्लाकों का प्रबन्धन नहीं कर सकता है । वहां पर जो टैक्स वसूले जाते हैं वह अपनी जेबों में भर लेते हैं और रजिस्टर में नहीं चढ़ाया जाता । अगर सही प्रबन्धन चाहते हैं तो निश्चित रूप से मंडी समितियों के चुनाव करायें । जो मंडी समितियों का काम है वह ज्यों का त्यों पड़ा है । तो हमारी मांग हैं कि उसके चुनाव कराये और उसके माध्यम से विपणन की दिशा में काम करायेंगे क्योंकि उत्पाद करेंगे सही उपयोग नहीं होगा तो श्रेय नहीं जायेगा । मान्यवर, पानी की व्यवस्था करायी जाय ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए डीजल की व्यवस्था नहीं है । अगर डीजल की व्यवस्था नहीं होगी तो ट्यूबवेल कैसे चलेंगे ? मान्यवर, आज किसानों को खाद, बिजली पानी यह सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है । किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है । कीटनाशक दवाएं नहीं मिल रही हैं और जो मिल रही हैं वह नकली मिल रही हैं । इन सब चीजों पर माननीय मंत्री जी को निश्चत रूप से गम्भीरता से विचार करना चाहिए । जो दोषी अधिकारी हैं उनको दण्डित किया जाना चाहिए । किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए । मान्यवर, किसानों की स्थिति में सुधार करना जरूरी है । खाद के लाइसेंस देने में बेइमानी होती है ।

मैं मांग करता हूं कि अधिक से अधिक किसानों के लिए लाइसेन्स दिये जाने चाहिए ताकि उनको खाद सही मूल्य पर और आसानी से मिल सके । किसानों के लिए बीज, खाद और कीटनाशकों की दवाओं का इन्तजाम सुनिश्चित किया जाना चाहिए । कृषि विभाग के हर विभाग में उनके अधिकारियों की बैठक में जाना चाहिए तथा किसानों के हित से संबंधित हर विभाग की बैठक में आपको जाना चाहिए । मैं जो सुझाव दे रहा हूं माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

*श्री राम इकबाल

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, यह विभाग सीधे किसान से जुड़ा हुआ विभाग है । मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान की हालत बहुत खराब है । किसान लगातार प्रकृति से लड़ रहा है और वर्तमान व्यवस्था से भी लड़ रहा है मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो किसान तबाह होता है सूखा की मार से भी सबसे ज्यादा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आहत किसान ही होता है । अभी सूखे की मार से तबाही हो चुकी है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के लिए किसान बीमा योजना बहुत आवश्यक है । अगर आज फसल बीमा योजना लागू होती तो पिछले साल जो धान की फसल का नुकसान हुआ था उसके बीमे का भुगतान हो जाता । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर फसल बीमा योजना लागू नहीं हुयी तो आने वाले दिनों में किसान के लिए और मुश्किल होगी । मान्यवर, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि 1 लाख 40 हजार हेक्टेयर के आसपास है । महोदय, इसमें 42 हजार हेक्टेयर भूमि पर हम फसल ले पा रहे हैं । मान्यवर, नदियों का बहुत बड़ा किनारा है जहां पर फसल नही हो रही है । जैसे बलिया की समस्या लें । यह कोसी, घाघरा तथा गंगा से घिरा है । यहां पर परवल, तरबूज, खरबूजा और अन्य सब्जियां भारी मात्रा में होती है लेकिन रखने के लिए एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है । वहां पर 27 लाख की आबादी है और एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है । अगर इसकी व्यवस्था हो जाएगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी और किसानों का भी भला होगा । मान्यवर, आज जमीन की उर्वरा शक्ति घट रही है । पंजाब में 80 प्रतिशत जमीन का भूगर्भ जल सूख चुका है । मान्यवर, हमें जानवर पालने चाहिए । जानवरों से कृषि का काम लिया जाता है । अगले 50 साल तक ही हमें डीजल उपलब्ध होगा । मैं मांग करता हूं कि किसानों को डीजल में विशेष तौर पर सब्सिडी दी जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें । आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री राम इकबाल–

[x x x]

श्री वशीधर राज–

मान्यवर, मैं कृषि विभाग के बजट पर माननीय राम गोविन्द चौधरी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं बजट में दर्शाये गये तमाम आकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं । हमारे कृषि मंत्री जी बहुत ही सुयोग्य और पुराने मंत्री हैं आंकड़ों का जाल बुनना वह बहुत पहले से जानते हैं । मान्यवर, मंत्री जी ने खरीफ में चावल की बात कही कि वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2002-03 में चावल का लक्ष्य 1200 लाख मीट्रिक टन हुआ मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है जब ट्यूब वेल चल नहीं रहे है बिजली मिल नहीं रही है सरकारी ट्यूबवेल और वैयक्तिक ट्यूबवेल कोई नहीं चल रहे हैं खरीफ की फसलें सूख गई कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो राहत की ओर दिखायी पड़ रही हो तो ऐसे में आप चावल और खरीफ की फसलों का लक्ष्य आप कैसे पूरा करेंगे । आप ने अभी राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये हैं । मान्यवर, रबी की फसलों को जरूर स्वीकार किया है कि 15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का घाटा बताया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कम्पोनेन्ट प्लान एक ऐसी योजना थी जिसमें विशेष रूप से दलितों के उत्थान के लिये बात होती थी । मान्यवर, आज यह बीजेपी और बीएसपी की सरकार है जो दलितों की बात ज्यादा कह रही है कि हम उत्थान कर रहे हैं लेकिन वास्तव में स्थिति भिन्न है । मान्यवर, वर्ष 2001 2002 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान धान बीज

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मिनी किट वितरण के अन्तर्गत 1.68 लाख रुपया खर्च हुआ था जो 2002-2003 में घटाकर 1.20 लाख रुपया कर दिया गया है। यही नहीं अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मोटे अनाजों के मिनीकिट वितरण एवं प्रदर्शन करने की योजना पर वर्ष 2001-2002 में 1.80 लाख किये गये थे जो वर्ष 2002-2003 में घटाकर 0.01 लाख कर दिये गये। मान्यवर, मैं आपका ध्यान राज्य बीज प्रभावीकरण फर्जी टैगों के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह 1976 मे बनी थी संस्था यहां इसने अपना कार्य 1997 फसल सत्र से प्रारम्भ किया था। मान्यवर, इस संस्था में, बीज प्रमाणीकरण ने नकली टैगों का प्रयोग जोर शोर से प्रारम्भ हो गया है जिस से बीजों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसकी गोपनीय जांच बहुत आवश्यक है। मान्यवर, इसी तरह से मण्डी परिषद् में निर्माण खण्ड झांसी के 16 सम्पर्क मार्गों की जांच 6 वर्ष पूर्व की गयी थी परन्तु दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, मांग करता हूं कि उक्त जांच-कार्यवाही की जाए तथा अभियन्ता को निलम्बित किया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मोहम्मदी में जो मण्डी समिति है उसमें किसानों को 10 किमी० का रास्ता अधिक तय करना पड़ता है वहां 2 किमी की मोहम्मदी से पुवाया रोड से हरमोला होते हुए मण्डी तक सड़क बननी है इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी।

*श्री रियाज अहमद–

मान्यवर, आपने बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव पर जिन लोगों ने अपने विचार रखे उनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत रकबे के लिहाज से सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन करने वाला जिला है और पीलीभीत में भी मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे ज्यादा पैदा करने वाला विधान सभा क्षेत्र है। इसके अन्दर जो मंडी समिति है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेवन्यू देने वाली मंडी समिति है। मेरा आग्रह है कि पीलीभीत में अमरिया का इलाका पंजाब से अच्छी उन्नत खेती करता है। अमरिया क्षेत्र में एक मण्डी उप स्थल बनाने की कृपा करें। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में न्यूरिया हुसैनपुर 1905 का कस्बा है इसका चावल पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर है इस जगह पर एक मंडी उपस्थल की आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे यहां के लोगों को जाने आने के लिए सड़कों की अत्यन्त आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि किसानों के लिए सड़कों का विशेष ध्यान दें इसकी मैं गुजारिश करता हूं। मान्यवर, इसके साथ-साथ हमारे पीलीभीत में दो एग्रीकल्चर फार्म हैं एक टाट विदेशी में जो कस्बा न्यूरिया से मिला हुआ है जिसका रकबा 2 एकड़ से अधिक है। मेरा शिक्षा राज्य मंत्री से अनुरोध है कि इसमें राजकीय कृषि डिग्री कालेज की स्थापना कर दें तो इससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों के लिए, किसानों के लिए राहत का काम होगा। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप और शर्मा जी अभी बोल रहे थे, ये बेचारे मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश में जब तक गठबन्धन की सरकार है, उदार नीति कायम है तब कुछ नहीं होने वाला है। आज इस उदार नीति के चलते उत्तर प्रदेश का किसान पूरी तरह से खोखला हो गया है वह कर्ज में डूबा हुआ है। भारत सरकार की उदार नीति देश को तबाही की कगार पर ले जाने का काम कर रही है। जब तक गठबन्धन की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम नहीं किया जायेगा तब तक आप कोई भला नहीं कर सकते।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मदन गोपाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कटौती के प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं और श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं जिस क्षेत्र में मैं चुनकर आता हूं वह फतेहपुर में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र जड़ानाबाद क्षेत्र है। दक्षिण में गंगा बहती है (व्यवधान) मान्यवर, वह आधा हिस्सा हिल एरिया है। माननीय सिंचाई मंत्री जी घाटमपुर रजबहा टूट गया है थोड़ा धन दिलवा दें तो वह चालू हो जाए। मेरे क्षेत्र में जो हिल एरिया वहां राजकीय ट्यूबवेल लगे हैं वह बरबाद हो गये हैं। कुछ धन दे दें तो ट्यूबवेल चालू हो जाये। हमारे यहां नोन नदी बहती है वहां गर्मी में पानी चलवा दें। इसके साथ पवई फार्म खाली हुआ है जो फतेहपुर का सबसे बड़ा फार्म है उसमें कुछ व्यवस्था करा दें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

* श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने कृषि जैसे महत्वपूर्ण बजट पर और उसकी चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर दिया। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कटौती प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कृषि की महत्ता के संबंध में जितनी बातें चाहे उस पक्ष के अथवा चाहे इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने रखी हैं, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। प्रसन्नता की बात है कि श्री हुकुम सिंह जी सक्षम और योग्य मंत्री हैं और हम अपेक्षा करेंगे कि एक सक्षम और योग्य कृषि मंत्री, इस विभाग को जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा है, को भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त करेंगे। मुझे इसके लिये कोई उदाहरण नहीं देना है। इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि कृषि जैसे विभाग के कई विभागाध्यक्ष, हेड आफ दि डिपार्टमेंट आज जेल में हैं। निश्चित तौर पर सी०आई०डी० की जांचोपरांत सम्यक् रूप से उसने उनके विरुद्ध अभियोग दिये होंगे और तब जेल भेजा गया होगा। लेकिन क्या कभी इसके कारणों की समीक्षा होगी ? मान्यवर, आपके पहले पिछली सरकार में जो कृषि मंत्री थे, उनका ध्यान मैंने इस ओर आकृष्ट कराया था। इस कृषि विभाग में पिछले वर्ष 3 करोड़ का काम सोन और गोमती योजना के नाम से कराया गया और यह काम बिना बजट के करा लिया गया, इसके अन्तर्गत आज तक हजारों मजदूरों को भुगतान नहीं हुआ है और इस काम को कराने वाले अधिकारी आज भी जिम्मेदारी के पदों पर बने हुये हैं, उनके द्वारा परियोजना का सत्यापन होना चाहिये हर महीने लेकिन वह सत्यापन नहीं कर रहे हैं और वह अपने पदों पर जमें बैठे हैं। मैं अपेक्षा करुंगा, आपको सक्षम और योग्य मंत्री समझते हुये कि सोन और गोमती का 3 करोड़ का काम बिना बजट के जो कराया गया और जिसके मजदूरों का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ, जब आप उत्तर भाषण करेंगे तो इसको बताने की कृपा करेंगे। मान्यवर, 80 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार से खाद निर्माताओं को मिलती है, मात्र 20 प्रतिशत कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस 20 प्रतिशत के कारण 6-6 अधिकारी जेल चले जायें, इस दिशा में कृषि विभाग को सुधारने के लिये माननीय मंत्री जी आपको प्रयास करना होगा। कोई कार्य संस्कृति नहीं थी, पहले लोगों की आकांक्षाओं की मंडी समिति प्रतिपूर्ति करती थी सम्पर्क मार्गों की सड़कों को बनाने का काम करती थी। पिछले वर्ष

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

एक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया मंडी की सड़कों को दे दिया गया, आप इसकी जांच करा लीजिये, जाड़े में लेपन का काम हुआ, सब सड़कें उखड़ रही हैं। इसी तरह मंडी समिति के लिये जमीन खरीदी गयी वह बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा दाम पर खरीदी गई, इसको भी आप दिखवा लें। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के 403 विधान सभा क्षेत्रों में जितनी मंडियां हैं कहीं भी सड़कों का रिपेयर नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जब आप उत्तर भाषण करें तो आप यह जरूर बताने की कृपा करें कि जिन सभी सड़कों का ऊपर मैंने जिक्र किया, आप फिर से उसकी मरम्मत का काम शुरू करायेंगे, इससे कम से कम एक नई योजना शुरू होगी। मान्यवर, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटीज हैं, वह इसलिए हैं कि दुनिया में जो भी रिसर्च होगी उसको हम लेबोरेटरी से लैन्ड तक पहुंचायें। पहले कृषि मेले लगते थे, परम्परायें निभाई जाती थी, इन मेलों में ट्रेक्टर आदि बांटने का काम होता था, उन्नतिशील बीज बंटता था। लेकिन इस साल सूखा पड़ गया, खरीफ की धान की फसल पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरबाद हुई लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फिलीपीन्स और मनीला में भी बरसात होती है, 6-6 फीट पानी लगा रहता है लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा धान की उपज वहां हो रही है इसके बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में सबसे जयादा धान की पैदावार मनीला में होती है। आज जरूरत है प्रयोगशालाओं में शोधों की। मान्यवर, आपने बीज राहत के कार्यों में तीन करोड़ रुपया दिया है, चाहे वह धान के बीजों के लिए, अरहर के बीजों के लिए, दलहन के बीजों के लिए, तिलहन के बीजों के लिए, चाहे तरोई के लिए दिया हो। 17 अगस्त को शासनादेश आया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि तरोई को छोड़ करके बाकी किसी में किसानों को लाभ नहीं मिला उसका भी सर्वे कराके उन किसानों को जरूर दिलाऐंगे। आप एक नई योजना शुरू कराइये, धान का क्षेत्रफल घटा है सूखा के कारण, आप उन क्षेत्रों में जहां धान की खेती नहीं हुई है, मुआवजा दिलाइए। आज जो बीमा हो रहा है, उसका कोई मोबाइलेजेशन नहीं है, किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके जिन क्षेत्रों में उन्होंने बोवाई नहीं की है, उन क्षेत्रों में अगर आप घाटे की भरपाई कर सकते हैं तो करें। यह विभाग सीधे-सीधे प्रदेश के 17 करोड़ किसानों से जुड़ा हुआ है, आज उन अधिकारियों को हटाना पड़ेगा जो रिटायर्ड हो गए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये, बोलने के लिए)

(इस समय 6 बजकर 22 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री जगदम्बिका पाल–

आज वह रिटायर्ड अधिकारी पूरे प्रदेश को खुद बीज लाइसेंस बांट रहे हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा० अध्यक्ष महोदय मेरे कटौती के प्रस्ताव पर पक्ष व विपक्ष

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपका भाषण प्रारम्भ हो चुका है आप बोलना शुरु तो करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जो मा० सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, श्रीमन् अपने कक्ष में बैठकर आप सुनते होंगे तो कक्ष के लोगों ने भी परोक्ष रूप में मेरे कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन किया होगा । मैं केवल 2-3 सुझाव मा० मंत्री जी को देना चाहता हूं । एक तो मैंने कहा था कृषि में विद्युत और सिंचाई को जोड़ना चाहिए । वह तो दूर है श्रीमन् इसमें भी 3 लोगों की जिम्मेदारी है यह कृषि शिक्षा अनुसंधान राज्य मंत्री जी के पास है, भूमि विकास, परती भूमि संभवतः मा० मुख्य मंत्री जी के पास है । अब तीसरे में यह कृषि विभाग हो गया है । अब मा० मंत्री जी कृषि के विकास में कितना कार्य कर पायेंगे यह उनकी क्षमता पर निर्भर हैं । माननीय कृषि शिक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जी मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो विज्ञान केन्द्र हैं उन सबको एक एक एरिया बांट दीजिये और वह वहां पर खाद, बीज और अन्य चीजों की व्यवस्था करें और उस इलाके की जिम्मेदारी लें ताकि किसानों की पैदावार बढ़े और उनकी आमदनी बढ़े । दूसरी बात कृषि मंडी समितियों की कहना चाहता हूं इनका काम है किसान के उत्पादन का सही मूल्य दिलवाना । जब गेहूं या धान पैदा होता है और मार्केट में अच्छा पैसा नहीं मिलता है तो वह धान तथा गेहूं खरीदकर तब तक रखे रहें जब तक मार्केट में उनका उचित दाम न मिले । यदि ऐसा काम करें तो किसान को फायदा होगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहां कि जो सड़कें खराब हो गयीं हैं उनको ठीक किया जायगा मैं इसके लिये बधाई देता हूं । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसान को आगे बढ़ाना है तो कृषि विभाग को गांव के स्तर तक जाना होगा तभी किसान की उन्नति हो सकती है । आज चाहे जितना कहें कि किसान की हालत अच्छी हो गयी है लेकिन यह बात सही नहीं है । आज भी किसान की हालत वही है जो आज से 10-20 साल पहले थी । ऊसर का सुधार ए०सी० कमरों में बैठकर नहीं किया जा सकता है । अगर ऊसर का सुधार करना है तो आपके अधिकारियों/कर्मचारियों को गांव जाकर ऊसर तक पहुंचना होगा ।

मान्यवर, महात्मा गांधी ने जब देश को आजाद कराने का सोचा था तो देश की जनता का जो पहनावा था, जो रहन-सहन था उसी में उन्होंने अपने को ढाल लिया था तभी गांव की जनता ने समझा कि यह आदमी हमको सही रास्ते पर ले जाना चाहता है और यह हमारे समकक्ष है । कृषि विभाग के अधिकारी जब किसान की तरह रहेंगे तभी वह जाकर किसानों को सहारा दे सकेंगे और किसान मजबूत होंगे । आप जैसे मंत्री से मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से कृषि विभाग गांव के किसान के दरवाजे पर जाकर किसान को मजबूत बनाने का काम करेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम गोविन्द चौधरी, मानीय अजय कुमार, माननीय पाल साहब, माननीय भरत सिंह, माननीय विजेन्द्र सिंह, माननीय विश्राम सिंह यादव, माननीय धनंजय सिंह, माननीय गिरि जी, माननीय विजय बहादुर पाल, माननीय पारस नाथ यादव, माननीय सुरेन्द्र सिंह, माननीय सुशील चौधरी, माननीय श्याम सुन्दर शर्मा, माननीय शारदा नन्द अंचल और माननीय राम इकबाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने चर्चा में भाग लिया। माननीय राम गोविन्द चौधरी जी आपने दो चक्र में अपनी बात रखी। मैंने इसलिए संक्षेप में अपनी बात रखी थी। ताकि अन्य माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता अगर विस्तार से मैं अपनी बात रखता तो दो-ढ़ाई घण्टे लग जाते। उसमें माननीय सदस्यों को अपने सुझाव देने का समय नहीं मिलता। मण्डी के बारे में चिन्ता की गयी। श्याम सुन्दर जी ने आग्रह किया कि चुनाव करा देना चाहिए। मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों के सहयोग से जब अगली बार मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपको निर्वाचित मण्डियां ही मिलेंगी। हमारा प्रयास है कि पारदर्शिता के साथ काम हो। जब से मण्डी अधिनियम का निर्माण हुआ है आज तक चुनाव करा सम्भव नहीं हो सका है। लेकिन हमारा संकल्प है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को आसीन करें। मैं कुछ बिन्दुओं के बारे में संक्षेप में अपनी बात रखता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी ने शुरू में ही मेरे और मेरे सहयोगी राज्य मंत्री को लेकर कहा कि साफ कपड़े पहने हुए हैं। मैं जब सदन में आता हूं तो दूसरे कपड़े पहनता हूं और खेतों पर जाता हूं तो दूसरे कपड़े पहनता हूं। श्री चौधरी जी वही कपड़े यहां पहनते हैं वही कपड़े खेतों पर जाते समय पहनते हैं। हमारे लिए खेत और सदन में अन्तर है। मान्यवर, सूखे के लिए अभी पाल साहब ने कहा कि तीन करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, लेट किया है। समय से नहीं दे पाये। यह प्राविधान हमने किया जो साधन हमारे पास हैं उनमें से किया है। पैसा ब्लाक में पहुंच गया है। पैसा उपलब्ध है। यह बात सही है कि जब तक पैसा गया धान की फसल का समय निकल चुका था। लेकिन इसके अलावा बाकी फसलें हैं। उसमें पैसा इस्तेमाल हो सकेगा 96 करोड़ रुपये और इसी मद में दिया है। जैसा हमने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है अभी तक होता रहा है पैसे को बीज के रूप में दे दीजिये, खाद के रूप में दे दीजिये जो छोटे और मध्यम किसान हैं उन सबको चेक के माध्यम से एक हजार रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र के लिए और ढ़ाई हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिए सीधे खाते में जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं होगा। तेजपाल जी ने कई सुझाव दिये और स्व० चौधरी चरण सिंह की पुस्तक का भी हवाला दिया। फीगर हमारे सामने इस वक्त हैं। जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 2.1 प्रतिशत है व क्यूमलेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.46 प्रतिशत है। कृषि का ग्रोथ रेट ज्यादा है। बहुत ही सघन तरीके से खेती की गयी है। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि खेती तो उतनी ही रहेगी। इस सम्बन्ध में चिन्ता करनी चाहिए। कुछ बातें मण्डी के बारे में कही गयी। 40 करोड़ रुपये सड़कों के लिए रखे गये हैं। कुछ सदस्यों ने शिकायत की थी कि मण्डियों में उपज का उचित दाम नहीं मिलता है। दो-तीन तरह की छोटी-छोटी योजनाएं रखी हैं। जितने भी उत्पादक वहां जाएं विशेष कर फल और सब्जी है उत्पादक वहां जाएं अगर उनको दो तीन घण्टे वहां बैठना पड़े तो धूप के कारण सब्जियां मुरझा जाती हैं जिससे उनको दाम कम मिलते हैं इसलिए जो तमाम मंडियां हमारे प्रदेश में हैं उन सबमें कूल–हाउसेस को बना रहे हैं ताकि अगर सब्जी आज नहीं बिकी है तो वह उसमें रखी जा सकती है। वह उसको कल परसों जब चाहे बेच सकता है। इसके लिए नोमिनल चार्जेज होंगे।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सहारनपुर ऐसी जगह है जहां पर आम की पैदावार ज्यादा होती है। इसके लिए आम पैकिंग हाउसेस बनाने का विचार कर रहे हैं। इसी तरह बांकिंग कोल्ड स्टोरेज अमौसी एयरपोर्ट पर बनाने का विचार है ताकि जो आम का निर्यात होगा वह वहां पर जायेगा और उसकी पैकिंग अच्छी तरह हो जायेगी। उसमें निश्चित रूप से एक टेम्परेचर को दिया जायेगा ताकि आम का जीवन बढ़ जायेगा। वह कुछ काम किये हैं हमने। जहां तक यह शिकायत आई कई माननीय सदस्यों ने कहा जिला स्तर के कई अधिकारी। मैं मानता हूं और मैंने आरम्भ में कहा था कि 1900 कर्मचारी पंचायत में चले गये। यह वही थे जो प्रसार का काम वहां देखते थे। उनमें से बी०एस०सी०, एम०एस०सी०, ए०ई० 453 भूमि संरक्षण की 24 इकाइयों में बचे थे। 324 ग्राम योजना में लिए, 9 सितम्बर से इनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं ताकि ये प्रसार के काम में लगाये जा सकें। यह सारे काम हमने और हमारे सहयोगी राज्य मंत्री ने मिलकर किए हैं। मुझे विश्वास है कि जितना संभव है, हम कर रहे हैं। जो अपेक्षा आपकी है कि किसान की सही सेवा हो सकें। उसे करने का भरसक प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री दिनेश सिंह–

मान्यवर, आपने खेत-खलिहान के बारे में कोई चर्चा नहीं की। हमारे यहां धान की खेती में काला नमक की प्रजाति बहुत मशहूर है आप पूर्वांचल की उपेक्षा मत करिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं। आप भी उनके साथ 19 महीने जेल में रहे उसमें बी०जे०पी० के कई लोग और बी०एस०पी० के भी कुछ लोग शामिल हुए होंगे। 1977 में जब कल्याण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे और आप शायद न्याय मंत्री थे। जय प्रकाश जी के नाम पर बलिया में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की बात हुई थी। आज चूंकि कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री भी हैं। नेता सदन भी हैं, हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि जय प्रकाश नारायण जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस बात की घोषणा कर दें कि उनके नाम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। तो मैं बहुत आभारी नेता सदन का भी होऊंगा और कृषि राज्य मंत्री जी का भी होऊंगा। अगर यह जय प्रकाश जी के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर देते हैं तो मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा अन्यथा मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आज सूखे की स्थिति है और आप बीज पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। वह मंहगा होता चला जा रहा है। वह जो 10 परसेंट टैक्स लगाया है उसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,74,77,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–25(2) और 25(3) एक साथ प्रस्तुत कर दें।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) अनुदान–84, सामान्य प्रशासन विभाग

(मेजें थपथपाई गई)

*मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,97,86,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,50,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके समक्ष सामान्य प्रशासन और गृह विभाग का बजट प्रस्तुत कर रही हूं, यह दोनों बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं, जो एक प्रकार से हमारे शासन का आधार हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को दो चीजों की जरूरत है, डेवलपमेंट और ला एण्ड आर्डर, बढ़िया उनको मिलना चाहिए। इन्हीं दोनों मुख्य बातों की तरफ हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया है। मुझे याद है जब गठबन्धन की सरकार का गठन हुआ या मैंने मुख्य मंत्री के पद की शपथ ली तो शपथ लेने के बाद मैंने अपनी पहली प्रेस कान्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया था कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता डेवलपमेन्ट और ला एण्ड आर्डर होगी और उत्तर प्रदेश की जनता को इन दोनों की सख्त जरूरत है, इसके लिए जो गठबंधन में शामिल दल हैं, सरकार बनाने से पहले जब बातचीत चल रही थी तो इन्हीं दोनों मुख्य बातों पर ध्यान देकर गठबंधन सरकार का फैसला हुआ था। मान्यवर, जो गठबंधन की सरकार बनेगी उसका साझा न्यूनतम कार्यक्रम क्या होगा, तो यह साझा न्यूनतम कार्यक्रम तब किया गया। वह सही था कि विकास और कानून व्यवस्था। यह कहा गया कि इसकी तरफ सरकार का ज्यादा जोर होगा जिससे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गठबंधन की सरकार बढ़िया चल सके । इसके लिए जो कोआरडिनेशन कमेटी बनायी गयी थी तो कोआरडिनेशन कमेटी में यही मुख्य मसला था कि डेवलेपमेन्ट और ला एण्ड आर्डर । हमारी सरकार ने इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर काफी विशेष कदम उठाये हैं । लेकिन जब हम डेवलेपमेन्ट की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति की तरफ भी जाता है ।

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं, पूरा सदन भी इस बात से अवगत होगा कि कई वर्षों से वित्तीय खराब होने की वजह से राजकोषीय घाटा लगभग खाली हो गया था जब मैंने सत्ता संभाली थी । और, आप यह कहें कि मेरी सरकार से पहले बी०जे०पी० की सरकार थी उसने किया, तो ऐसा नहीं है । उससे पहले और भी सरकारें रही हैं । यह यकायक नहीं हुआ है । वर्षों से यह घाटा पर घाटा होता गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और इसका सीधा असर विकास कार्यों पर बड़ा है और लगातार वर्षों से यह घाटा पर घाटा होता गया मान्यवर, यह कोई 5 साल की बात नहीं है बल्कि पिछले 15-16 सालों से उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार घाटे की तरफ गिरती चली आयी है और एक समय तो ऐसा आ गया था कि कर्मचारियों को वेतन तक देने के लाले पड़ गये थे क्योंकि यह कोई एकाएक नहीं हुआ पिछले 4 सालों में नहीं हुआ बल्कि यह पिछले कई वर्षों से घाटे पर घाटा होता चला आ रहा था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की इस तरह की हालत है । मेरी सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यह सोचा कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, जो आर्थिक असंतुलन है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और सत्ता संभालने के बाद 4 महीने के अन्दर हमारी सरकार ने काफी हद तक कामयाबी पायी है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजें थपथापांई गयीं)

मुझे सदन को सूचित करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वसूली में दी गयी छूट के बावजूद भी विभिन्न करों और अन्य राजस्वों की वसूली में विगत वर्ष की तुलना में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है । आज हम 507 करोड़ रुपये के सरप्लस में हैं ।

(पुनः मेजें थपथापायी गयीं)

और इसके लिए हमें कुछ कड़े कदम उटाने पड़ेगे फिजूल खर्चों पर कठोर नियंत्रण के कारण हमारे व्यय में कमी आयी है । आय और व्यय के बीच संतुलन स्थापित हो गया है । यह प्रयास अभी हमारा जारी है । इतना प्रयास करने के बावजूद भी हम अभी वित्तीय संकट की स्थिति से पूरी तरह से नहीं उबर सके हैं । लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम प्रदेश की अव्यवस्था को काफी हद तक ठीक करेंगे और जब उत्तर प्रदेश को आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम विकास के कार्य में भी आगे बढ़ेंगे । आज लोगों की जो अपेक्षाएं हैं कि विकास के कार्य होने चाहिए तो विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थायी उपायों की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है । लेकिन जो 14-15 सालों से जो स्थिति है वह काफी बिगड़ चुकी है । माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद 4 महीने के अन्दर जो वित्तीय स्थिति में सुधार आया है इसके लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया है । मान्यवर, इसी प्रकार कानून व्यवस्था में जो सुधार आया है इसके लिए भी काफी प्रयास किये गये हैं । मा० अध्यक्ष जी प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर चाहे विकास का मामला हो या कानून व्यवस्था का मामला हो तो इसमें सुधार लाने के लिए सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है लेकिन सरकार यह कार्य उन महकमों से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनकी मदद के बिना नहीं कर सकती । लेकिन इसके लिए

अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना भी यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है । और इस ओर हमारी सरकार ने एक टाईम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर कुछ विशेष कदम उठाये हैं ।

मा० अध्यक्ष जी पूरा सदन इस बात से अवगत है कि उत्तर प्रदेश की जंनता अपनी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर पूर्व में लखनऊ यह सोचकर आती थी कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा । लेकिन जनता को इस बात का एहसास नहीं था, यह एहसास हमारी सरकार ने कराया जब उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से जनता अपनी समस्याओं को लेकर लखनऊ आती थी । तो उनकी जो समस्यायें थीं, हमने अध्ययन किया, उनकी समस्यायें लखनऊ स्तर की बहुत कम होती थीं । उनकी समस्यायें ज्यादातर मण्डल स्तर, जिला स्तर या तहसील स्तर की होती थीं । उनको लखनऊ आने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए । क्योंकि वह हमें समस्यायें देंगे तो हम उसें मण्डल में भेजेंगे, जिला में भेजेंगे या तहसील में भेजेंगे और उसमें पत्र व्यवहार में सरकार का खर्च भी होता था और जनता का भी खर्च होता था । क्योंकि उनको प्रदेश के कोने-कोने से जो भी अपनी समस्याओं का लेकर आते थे, आना पड़ता था, मान्यवर, उनमें ज्यादातर गरीब लोग आते थे और यह भी अक्सर सुनने को मिलता था कि उनके पास पैसा नहीं होता था लेकिन अपनी समस्याओं को यहां तक पहुंचाने के लिए इधर-उधर से उधार लेकर यह लखनऊ पहुंचते थे । मान्यवर, उनकी समस्याओं का समाधान पूरी तौर पर हो जाय यह कहा नहीं जा सकता था । इन सारी बातों को गम्भीरता से लेते हुए हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि उन लोगों को जिनकी समस्या, चाहे डेवलपमेंट से जुड़ी हो या ला एण्ड आर्डर से जुड़ी हुई हो उनको लखनऊ आने की जरूरत न पड़े । इसके लिए हमें व्यवस्था मण्डल स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर करनी चाहिए ।

सुश्री मायावती–

तो इसके लिए हमारी सरकार ने बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक जिम्मेंदारी सौंपी और समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमने यह व्यवस्था बनायी कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, विपक्ष को ठण्डा करने का प्रयास है उधर पंखे नहीं चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं ।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की कि हर जिला हेडक्वार्टर में तहसील हेडक्वार्टर में प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक डेवलपमेंट और ला एण्ड आर्डर की जो जनता की समस्यायें हैं उनको सुनने के लिए जिला हेडक्वार्टर में डी०एम० और एस०एस०पी० बैठेंगे और तहसील में एस०डी०एम० और सी०ओ० बैठेंगे और इतना ही नहीं एक हफ्ते में हमने मंगलवार के दिन तहसील दिवस के दिन भी यह व्यवस्था की कि हर मंगलवार को प्रत्येक तहसील हेडक्वार्टर में एस०डी०एम० और डिप्टी एस०पी० दोनों बैठेंगे और इतना ही नहीं पहले क्या व्यवस्था थी मुझे नहीं कहना लेकिन लोगों की शिकायत थी कि केवल एस०डी०एम० और डिप्टी एस०पी० बैठते थे और बाकी अधिकारी नहीं बैठते थे । हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की कि हर विभाग से जुड़े अधिकारी जिला स्तर के वहां पर उपस्थित रहेंगे और डिप्टी एस०पी० भी उधर रहेंगे तो जो समस्यायें होंगी उनका मौके पर निस्तारण किया जायेगा । तो यह व्यवस्था हमारी सरकार ने की, जिला हेड क्वार्टर पर भी की । लेकिन हमारी सरकार ने व्यवस्था ही नहीं की, व्यवस्था करने के साथ-साथ यह भी फैसला लिया कि अधिकारी बराबर

रहते हैं या नहीं बैठे रहते हैं, जनता की समस्यायें बराबर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण बराबर कर रहे हैं तो उसके लिए भी सरप्राइस विजिट की व्यवस्था की गयी और कुछ जगह सरप्राइस विजिट के दौरान जहां कुछ कमियां नजर आयी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की गयी। बड़े स्तर पर भी जो अधिकारी हैं उनको भी उनकी जिम्मेदारी की एहसास कराया गया। उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य चल रहे हैं वह बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राजस्व की वसूली बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। हर जिले में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है तो इसकी समीक्षा के लिए बड़े स्तर से लेकर जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए उनको भी विशेष निर्देश दिये गये। पूरे उत्तर प्रदेश में 17 मण्डल हैं, उनको 3 जोन में बांटकर हर महीने के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डी०जी०पी० सुबह से लेकर 3 बजे तक डेवलपमेंट के कार्यों की समीक्षा करेंगे, राजस्व वसूली की समीक्षा करेंगे और शाम के वक्त चीफ सेक्रेटरी और डी०जी०पी० दोनों मिलकर कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, मण्डल स्तर पर भी हमने डेवलपमेंट के कार्यों की और ला एण्ड आर्डर की समीक्षा करने के लिए भी व्यवस्था की है। मण्डल में कमिश्नर को इसके लिए जिम्मेदारी दी। कि उनके मण्डल में जितने जिले आते हैं, तो हर महीने की 5 तारीख को वह डेवलपमेंट के कार्यों की समीक्षा करेगा, डी०एम० की मीटिंग बुलाकर और सरकार को रिपोर्ट भेजेगा।

इसी प्रकार जो रेंज का डी०आई०जी० होता है, उसकी रेंज में जितने जिले आते हैं, वह एस०एस०पी० और एस०पी० की मीटिंग बुलाकर महीने में एक बार हर महीने की 5 तारीख को ला एण्ड आर्डर की, क्राइम की पूरी रिपोर्ट लेगा और सरकार को उसकी जानकारी देगा और हर विभाग में डेवलपमेंट की क्या स्थिति है, इसके लिए भी हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की, कि हर महीने की 3 तारीख को हर विभाग के प्रमुख सचिव या सचिव मण्डल स्तर के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर डेवलपमेंट के कार्यों की समीक्षा करेगा और सरकार को विभाग वाइज उसकी रिपोर्ट देगा। तो यह व्यवस्था हमने पूरे उत्तर प्रदेश में की ताकि डेवलपमेंट तेजी से आगे बढ़ सके। कानून व्यवस्था में सुधार आ सके। तो यह इस किस्म के स्पेशल स्टेप्स हमारी सरकार ने लिए हैं। कानून व्यवस्था की तरफ भी हमारी सरकार ने खास ध्यान दिया है। हमारी सरकार की यह नीति है कि कानून व्यवस्था के मामले में, कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, इसके लिए हम हर प्रकार के कदम उठाकर यह व्यवस्था करनी होगी। प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए हमा इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसमें हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए हमने कुछ जो प्राथमिकतायें रखी हैं उत्तर प्रदेश में अपराधमुक्त, अन्यायमुक्त तथा भयमुक्त वातावरण करना। यह हमारी सरकार की ला एण्ड आर्डर के मामले में यह पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए, हर प्रकार के अन्याय को खत्म करने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता अमन-चैन के साथ रह सके, प्रदेश में शान्ति का वातावरण रहे इसके लिए हमने कुछ विशेष कदम उठाये हैं और जो विशेष कदम उठाये हैं उनके तहत जो हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है तो वह कार्यवाही बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कर रही है। अपराधियों के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उसमें हम धैर्य, जाति और राजनीति के चक्कर में न पड़कर निष्पक्षता के आधार पर न्याय उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा।

अपराधियों को पकड़ने के मामले में केवल उत्तर प्रदेश में जब भी अपराध बढ़ता है या लोगों के साथ जुल्म-ज्यादती होती है, अन्याय होता है यह तभी होता है जब सरकार अपराधियों को पकड़ने में

विफल हो जाती है लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है चाहे छोटे अपराधी हों, चाहे बड़े अपराधी हों, चाहे माफिया हों, भू-माफिया हों, ठेकेदार माफिया हों, माफियाओं की बड़ी बैराइटियां होती हैं। चाहे माफिया हो या किसी प्रकार का अपराधी हो अब हमारी सरकार ने इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का फैसला लिया है और फैसला ही नहीं समीक्षा भी की जायेगी और जो आज क्रिमिनल हैं, माफिया हैं उनकी जगह मेरे शासन काल में जेल के अन्दर होगी, जेल के बाहर नहीं होगी। जहां तक जनता को न्याय देने का सवाल है हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यह सरकार जाति और धर्म को ध्यान में रखकर न्याय देती है और विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं उनको न्याय नहीं मिलता, उनसे जुड़े हुए लोगों को न्याय नहीं मिलता। इस तरह की बातें हमारी सरकार के बारे में की जाती हैं।

लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जो किसी भी व्यक्ति पर अन्याय करता है तो उसको हमारी सरकार अन्यायी मानकर चलती है और उसके खिलाफ कार्यवाही करती है क्योंकि अन्याय करने वाले जो लोग होते हैं उनका जाति और धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता है। न्याय देने के मामले में हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करती है। जाति के आधार पर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जाति को ध्यान में रखकर न्याय देंगे। हां इतना जरूर है कि जिन लोगों के साथ लम्बे अर्से से अन्याय होता आया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से सम्बद्ध रहने वाले लोग सिक्ख, मुसलमान, पारसी, ईसाई और बुद्धिस्ट, जिन पर लम्बे अरसे से अन्याय होता आया है। इन जातियों पर अन्याय होता रहा है तो वर्तमान में हमारी सरकार ने अन्याय न हो सके इसके लिए विशेष कदम उठाये हैं। अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि इन वर्ग के लोगों पर जब जुल्म ज्यादती होती है और थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं तो अक्सर थानों के इन्चार्ज उनके वर्ग के कम लोग होने के कारण उनकी एफ०आई०आर० भी नहीं लिखी जाती तो इससे उनको न्याय नहीं मिलता था लेकिन इस शिकायत को भी हमारी सरकार ने दूर किया। इसके लिए हमारी सरकार ने यह व्यवस्था कि उत्तर प्रदेश जितने टोटल थाने हैं उन थानों में आरक्षण की व्यवस्था की। यह व्यवस्था पहली बार मेरे नेतृत्व में बनने वाली सरकार ने की। 1995, 1997 और वर्तमान में यह व्यवस्था है। हर जिलों में जितने टोटल थाने हैं 20 प्रतिशत थानों के अध्यक्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बनाये जायेंगे, 25 प्रतिशत बैकवर्ड क्लास के, 5 प्रतिशत धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लिए और 50 प्रतिशत जनरल समाज के लोग होंगे। ताकि उन्हें ऐसा न लगे। अक्सर उनकी शिकायत थी कि उनके लोग थाने के अध्यक्ष बहुत कम बनाये जाते हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं इस बात को भी हमने गम्भीरता से लेकर थानों में आरक्षण की व्यवस्था की ताकि यह शिकायत भी उनकी दूर हो जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को ईमानदारी और निष्ठा से न्याय देना चाहती है और जाति के ऊपर उठकर न्याय देना चाहती है। हम जाति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, किसी भी जाति के लोग हों यदि उनके साथ अन्याय होता है तो अन्याय करने वालों को सजा मिलनी चाहिए इसकी तरफ सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ काम किया है और सबको न्याय मिलेगा। इसमें हमारी सरकार ईमानदारी के साथ लगी है। मान्यवर, 4 महीने के अन्दर हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अमन-चैन बनाने के लिए जो कोशिश की है उससे काफी सुधार आया है। अपराधों में कमी हुई है। मान्यवर, विपक्ष को तो कुछ न कुछ कहना ही है क्योंकि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। हम चाहे कितनी ही सही बात बोलें, वह विरोध में

बोलेंगे। मान्यवर, जब मैं आंकड़े रखती हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं यह आंकड़ा का मकड़ जाल है। मान्यवर, अब मैं बताना चाहती हूं कि जो हाई क्रिमिनल हैं, जो नामीगिरामी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन का वातावरण पैदा हो जायेगा और अपराध अपने आप बन्द हो जायेंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने जो नामी गिरामी अपराधी हैं उनके खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा हुआ है जिसके कारण लगभग 60 प्रतिशत वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं और 26 प्रतिशत अभियुक्तों ने सरकार के कठोर रवैये के कारण अपने आपको न्यायालय के समक्ष आत्म समर्पण किया है। विभिन्न प्रकार की विवेचना की समय सारिणी तय की गयी है जिसके परिणाम स्वरूप 75.6 प्रतिशत गम्भीर अपराध के मामलों में विवेचना पूरी कर ली गयी है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहती हूं कि मेरे 4 महीने के शासनकाल में हर प्रकार के अपराधों में कमी हुई है।

डकैती में लगभग 54 प्रतिशत की कमी हुई है, लूट में लगभग 19 प्रतिशत की कमी हुई है, बलवा के मामलों में लगभग 45 प्रतिशत की कमी हुई है, गृह भेदन में 37 प्रतिशत की कमी हुई है, बलात्कार के मामलों में 31 प्रतिशत की कमी हुई है। रोड होल्ड अप में 80 प्रतिशत की कमी हुई है, फिरौती के लिए अपहरण में लगभग 52 प्रतिशत की कमी हुई है, दहेज हत्याओं में 22 प्रतिशत की कमी हुई है और हत्याओं में भी काफी कमी हुई है तो इस प्रकार जो कुल अपराध हैं उनमें 18 प्रतिशत की कमी हुई है।

(विपक्ष के मा० सदस्यों द्वारा मेजें पीटने पर)

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग तो महसूस कर ही रहे हैं, लेकिन खुशी की बात है आप देख रहे हैं, आप मान्यवर, इससे सहमत होंगे कि विरोध पक्ष के लोग भी मेजों को थपथपा रहे हैं और अपनी सहमति जाहिर कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष जी, अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है पुलिस महकमे के द्वारा भी और जनता के द्वारा भी जो पुलिस कर्मी हैं वह जनता की सेवा के लिए होने चाहिए वह बहुत बड़ी संख्या में विशिष्ट महानुभावों के ऊपर लगा दिये जाते हैं जिसके कारण पुलिस विभाग को बड़ी दिक्कत हो जाती है। पुलिस कर्मियों के अभाव के कारण हमारी सरकार ने एक अलग विशेष सुरक्षा बल करने का फैसला लिया है। उसका लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। जो विशिष्ट महानुभावों व संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा करेगा। इसके लिए अलग से व्यवस्था की गयी है। ताकि बाकी पुलिस कर्मी अपराध नियंत्रण तथा कानून व्यवस्था पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। उनको बहाना न मिले इसके लिए हमारी सरकार ने यह स्टेप लिया है। उत्तर प्रदेश में बिहार से लगा हुआ कुछ पूर्वांचल का इलाका नक्सलवाद से धीरे-धीरे प्रभावित हो रहा है। और काफी समय से यह प्रभावित हो रहा है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की है कि नक्सलवादियों की गतिविधियाँ और आगे न बढ़े जो बढ़ चुकी हैं उनको खत्म कैसे करना होगा। तो इसकी तरफ भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है।

हमारी सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश ने नक्सली समस्या के समाधान के लिए दो तरफ रणनीति बनायी है। और हमने यह छानबीन की कि पूर्वांचल में ऐसे कौन से जिले हैं और कौन से ऐसे देहात हैं जहां पर नक्सली धीरे-धीरे प्रवेश कर रहे हैं या उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाया है। इसकी छानबीन की गयी और इसके अन्तर्गत 257 नक्सली प्रभावित गांव पाये गये। वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाती थी पुलिस विभाग के लोगों को वहां जाने में। क्योंकि न बिजली थी न सड़क थी सम्पर्क मार्ग नहीं थे नक्सलवादी इसका फायदा उठा रहे थे। इसलिए ऐसे 257 नक्सल प्रभावित गांवों को विकसित करने के

लिए हमने उन भागों को अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत घोषित किया है। ताकि विकास किया जा सके। सम्पर्क मार्ग बनाये जा सकें, बिजली की व्यवस्था की जा सके, रोजगार के साथ उपलब्ध कराये जा सकें। इन क्षेत्रों में दूसरी रणनीति को बनाया कि इनमें बेहतर पुलिस व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए भी हम स्पेशल पुलिस का प्रबन्ध कर रहे हैं। पहले से जो चौकियां बनी हैं उनको उच्चीकृत करके थाने में कन्वर्ट किया जायेगा। इस तरह की व्यवस्था करके हम नक्सलवाद को भी रोकने की कोशिश करेंगे ताकि नक्सलवाद जिस तरह से बिहार में बढ़ चुका है, हमारे प्रदेश में प्रवेश न कर सके। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है या उनका हर प्रकार से होने वाले उत्पीड़न को रोकने का सवाल है, इसके बारे में मैं यह बताना चाहती हूं कि महिला मुख्य मंत्री होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि प्रदेश की महिलायें सुरक्षित महसूस करें और सम्मान के साथ जीवन गुजारें।

श्री रेवती रमण सिंह–

लखनऊ विश्वविद्यालय में जो हुआ।

सुश्री मायावती–

वहां पर जो भी हुआ है। जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्यवाही भी की गयी है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ यदि कहीं भी किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है तो इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया है। पिछले चार महीने के अन्दर इसमें काफी सुधार आया है। मेरा कार्यकाल लगभग 4 महीने का है अभी तक उसमें महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध उसमें लगभग 26 प्रतिशत की कमी आयी है। बलात्कार के मामले में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आयी है और अन्य उत्पीड़न के जो मामले महिलाओं के साथ होते हैं उसमें 58 प्रतिशत की कमी आयी है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने लॉ एण्ड आर्डर के मामले में और डेवलपमेंट के मामले में जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी का ऐहसास कराया है। इतना ही नहीं अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी चाहे वे डेवलपमेंट के कार्य से जुड़े हों या लॉ एण्ड आर्डर के कार्य से जुड़े हों, जिन्होंने सराहनीय कार्य किया है उनको हमारी सरकार ने प्रोत्साहित भी किया है। इस तरह से हमने 4 महीने के कार्यकाल में डेवलपमेंट में भी काफी सुधार किया है। जो वित्तीय स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, उस हिसाब से उसमें काफी सुधार लाये हैं। लॉ एण्ड आर्डर में बढ़िया हो सके इसके लिए हमारी सरकार ने स्पेशल स्टेप्स लिए हैं उसके कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार आया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बातें मैंने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग के बजट को प्रस्तुत करते हुए रखी हैं। इस बजट पर प्रतिपक्ष नेता और विपक्ष में जो और पार्टी के नेता हैं और सत्ता पक्ष की ओर से और जो सदस्य हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़िया डेवलपमेंट के लिए कानून व्यवस्था के लिए जो यह सुझाव देना चाहते हैं, अपनी बात रखते हैं....

एक माननीय सदस्य–

आप सुनेंगी।

सुश्री मायावती–

मैं आज भी सुनूंगी और कल भी सुनूंगी। मेरी सरकार इसको गम्भीरता से लेगी। सुझाव पक्ष की ओर से आ रहे हैं या सुझाव विपक्ष से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हैं, आपके अच्छे सुझावों को हम एक्सेप्ट करेंगे।

इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त करूं, आपकी इजाजत से मैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हमारी सरकार का क्या स्टैण्ड है मैं इसको स्पष्ट करना चाहती हूं। राज्य मानवाधिकार आयोग गठन के बारे में कल मामला उठाया गया था सदन में जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था मान्यवर, यह ऐसा कोई विषय नहीं है, यह नियमावली के अन्दर नहीं आता है इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, यह नियम–300 में ग्राह्य नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज का समाचार-पत्र देखकर बड़ा कष्ट हुआ जिसमें लिखा है सरकार मानवाधिकार आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं समझती है, या इसका विरोध करती है, ऐसा कुछ अखबारों में छपा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। यह खेदजनक स्थिति है। जहां तक राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रश्न है मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि मैं स्वयं और मेरी सरकार आयोग के गठन के बारे में कटिबद्ध है उसके लिए हमने ठोस कार्यवाही की है। आयोग के कार्यालय के लिए इन्दिरा भवन में कक्ष आवंटित कर दिया गया है। दिनांक 31-8-02 को, विभिन्न श्रेणी के कुल 50 पद सृजित किये जा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों की नियमावली को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के लिए समिति की बैठक 20 सितम्बर, 2002 को निर्धारित कर दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, स्पष्ट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की कार्यवाही अन्तिम चरण में है इसलिए जो अखबार के माध्यम से भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी उसको मैंने स्पष्ट किया है।

(मेजें थपथपाई गई)

(नेता प्रतिपक्ष का नाम पुकारे जाने पर विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन ने अपने भाषण में बहुत सी बातें कही हैं.....

श्री अध्यक्ष–

कटौती का प्रस्ताव पहले रख दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं उन बातों के लिए जो नेता सदन ने रखी हैं आपके माध्यम से कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, नेता सदन ने अपने भाषण की शुरुआत में डेवलपमेंट लॉ एण्ड आर्डर यानि कानून व्यवस्था से की है। यह हमारी खुशनसीबी है यह खुशनसीबी है। इतिहास की विडम्बना है कि नेता सदन ने जब बजट भाषण किया था तो कानून व्यवस्था पर बोला था और आज जब कानून व्यवस्था पर

बोलना था तो प्रदेश के विकास की बातें कर रही हैं। विकास की बात पर बोलीं। मान्यवर, तहसील दिवस में तो मुख्य मंत्री जी और नेता सदन के आदेशों से जिलाधिकारी और तहसीलदार बैठने लगे लेकिन रास्ता दिखाने वाली हमारी नेता सदन, प्रदेश का यह जो सदन है, अगर तहसीलदार हैं या वह जिलाधिकारी हैं तो मात्र चार बार एक बार बजट भाषण करते हुए, दूसरी बार यह भाषण पर और तीसरी बार 6 मिनट के लिए जब मैं कार्यालय पर गया था। एक बार और पन्द्रह मिनट के लिए और एक बार केवल मेरी सूचना पर जब मैं नहीं था और एक बार और सही। चार बार इस सदन को नेता सदन से मिलने का मौका मिला है कि वे यहां की समस्यायें को सुन सकें। उत्तर प्रदेश के बदनसीब दिन जिनमें नेता सदन को इतना कम अवसर दिया। हमारे एक बार दबाव देने पर आना पड़ा। आपका सहयोग और निर्देश पर नेता सदन को आना पड़ा था और नेता सदन ने यह उजर पेश किया था कि मैं मुख्य मंत्री हूं, आलमपनाह हूं और 17 करोड़ की जनता की रखवाली हूं इसलिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन देश के प्रधान मंत्री जो बुजुर्ग और बीमार हैं, मैं कोई उनकी बीमारी को व्यंग्य में नहीं ले रहा हूं, जब-जब लोक सभा चली और राज्य सभा चली वह दिन में एक बार दो बार या तीन बार जाते थे। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब वह एक बार या दो बार या तीन बार लोक सभा या राज्य सभा में नहीं गये। हो सकता है कि हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री के पास समय न हो क्योंकि ट्रान्सफर और पोस्टिंग को चलाने में जितना भरोसा हमारे प्रदेश की नेता का है उतना किसी का नहीं है। इसलिए शुरूआत में यह जरूर कहूंगा कि जो बातें मैंने शुरू में कही थीं कि दो राजनीतिक दल, दो छोटे-छोटे राजनैतिक दल का नापाक गठबन्धन है और इसी का परिणाम है कि आज यह सत्ता में हैं। और इनके आपस में मिलने से यह सरकार बनी है। सच्चाई है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस तरह से नौ-नौ साल के बच्चों को एक जगह कर दिया जाय तो वह बालिग नजर नहीं आते हैं उसी तरह से यह नौ-नौ साल बसपा भी नौ साल की और भाजपा भी नौ साल की ये दोनों 18 साल के बालिग बनाकर सरकार चला रहे हैं लेकिन यह दोनों ही नाबालिग हैं मान्यवर, विकास पर बड़ा जोर दिया है नेता सदन ने ऐसे विकास पर की जिसकी पूरे बजट भाषण में कोई विकास की योजना नहीं है कोई फैक्ट्री लगाने की योजना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता सदन ने विकास पर ज्यादा बात की है। आज विकास का ख्याल आया है नेता सदन को जब एक दिन रह गया है बजट सत्र के उठने को हमने तो कहा था कि आप आया कीजिये।

सदन में आपके आने से आपको और हमें बहुत फायदा होगा लेकिन नेता सदन को ट्रान्सफर पोस्टिंग, से फुर्सत नहीं है। उन्हें अम्बेडकर उद्यान से फुर्सत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर एक हजार करोड़ रुपया भी देना पड़ा तो वह देंगी। 10-10 लाख का ग्रेनाइट का एक हाथी लागायेंगी। मैं कहना चाहता हूं कि किसी को अधिकार नहीं है कि जनता के धन से किसी पार्क पर कोई राजनीतिक दल अपनी पार्टी का निशान लगा सके। यह अधिकार किसी को नहीं है। इससे ज्यादा इस प्रदेश की जनता के साथ और धोखा क्या हो सकता है। आज प्रदेश अकालग्रस्त है लोग भूख से मर रहे हैं। और नेता सदन यही तय नहीं कर पायी है कि हाथियों का साइज क्या होगा। अम्बेडकर जी को हाथी बहुत पसन्द थे ऐसा हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा।

अम्बेडकर जी ने कभी अपने भाषण अपनी रिसर्च में हाथी को अपनी सर्वश्रेष्ठ पसन्द बताया हो ऐसा हमने नहीं पढ़ा। आज हम नेता सदन से जानना चाहेंगे आपके माध्यम से मान्यवर, कि अम्बेडकर जी और हाथी का रिश्ता क्या है ? इसलिए जानना चाहेंगे कि जनता का गाढ़ी कमाई को बर्बाद करना जिसे वह अपनी गाढ़ी कमाई से सरकार के खजाने में जमा करती हैं इस जनता के खजाने से 10-10

लाख के ग्रेनाइट के हाथी लगाने का काम करना उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। और जब प्रदेश की जनता जागेगी तो आपको माफ नहीं करेगी और वह जागी भी है। भारतीय जनता पार्टी को जो अंजाम हुआ है उस अंजाम से अगर कोई सबक नहीं लेगा तो इसमें इधर के लोगों की कोई गलती नहीं है। यह भी कोई विकास है कि आज 700 करोड़ के लगभग गन्ना किसानों का रुपया बाकी है। काश नेता सदन ने यह घोषणा यहां की होती कि गन्ना किसानों का जो यह 700 करोड़ रुपया बकाया है उसकी अदायगी की जायेगी। लेकिन आपने तो यह कहा कि अगर अम्बेडकर उद्यान को एक हजार करोड़ रुपये भी देना पड़े तो दिया जायेगा। हम आपकी इस सोच की निन्दा करते हैं और यह इसलिए करते हैं कि क्योंकि यह गरीबों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, मजदूरों का प्रदेश है, दलितों का प्रदेश है। कहां से देंगे यह रुपया और कैसे यह रुपया अम्बेडकर पार्क को ? कहां से यह अधिकार मिला है आपको ?

(तभी किसी माननीय सदस्य ने छींक दिया)

मान्यवर, मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य के मुंह से आवाज निकल रही है, कहीं और से निकल रही है तो कितना मजा होता !

श्री अध्यक्ष–

उसके सुनने वाले कोई और होते।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, विकास के लिए बहुत सी जरूरतें होती हैं, कितना धन है, क्या एक्शन प्लान है, सरकार में कार्य करने वालों की अपनी सलाहियतें और खूबी क्या हैं। प्रदेश की जनता की तरफ से सहयोग कितना है और प्रकृति का मूड क्या है ? उसकी सोच और मिजाज क्या है ? मान्यवर, प्रकृति की तरफ से सूखा है, बिजली हमारे पास है नहीं। ऐसे में प्रदेश के विकास का बयान, प्रदेश के विकास से भाषण का शुरू होना और भाषण का बड़ा हिस्सा प्रदेश के लिए वक्फ कर देना, मुख्य मंत्री और नेता सदन का आज बड़ा ही उपदेश का भाषण सुनने को मिला है लेकिन आज का दिन है लूट का। प्रदेश में होने वाली उन ना-इंसाफियों को बताने का, आज का दिन है मुंह नोचने का, आज का दिन है बलात्कार, डकैती, अपहरण की तफ्सील बताने का। आज का दिन है यह बताने का कि जिस तरह से ट्रान्सफर पोस्टिंग की इण्डस्ट्री चलायी गयी। 3-3 दिन पर आईए०एस०, आई०पी०एस० अधिकारियों को बदला गया, "कौन होता है राजनाथ आरक्षण का ठेकेदार ?" मान्यवर, एक सोते समाज को सभ्य समाज को यह बताने का...

* आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, अगर नेता विरोधी दल पुराने लखनऊ में इसी अंदाज में बोल दिये होते तो उनके ऊपर दौलत लुट जाती।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय, लखनऊ नवाबों का शहर रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, टण्डन जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ा होगा वह ऐसे ही बोलता होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय, लखनऊ नवाबों का शहर रहा है। टण्डन जी बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं, टण्डन जी को लखनऊ और पुराने लखनऊ के आदाब का भी इल्म है और उसकी तहजीब से भी वाकिफ हैं। टण्डन जी ने जो कुछ भी कहा है लखनऊ को टक्साल की तहजीब कहते हैं उसी तहजीब में टण्डन जी ने अच्छा-खासावक्त गुजारा है। मैं शायद समझा नहीं सका, टण्डन जी समझे होंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, यह रामपुर के हैं और यह लखनऊ के हैं ये ही लोग जाने, हम आप नहीं जान सकते।

श्री अध्यक्ष–

दिलवाले दौलत लुटाते हैं, और हौसले वाले दौलत बटोरते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अभी यह कहा नेता सदन ने कि हमने नियुक्तियां और स्थानान्तरण जाति के आधार पर नहीं किये। परन्तु कुछ सच्चाईयां ऐसी होती हैं जो चीखमार कर कहती हैं कि हम सच हैं और उसे कहने की जरूरत नहीं होती है। जाति के आधार पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इस पूरे सत्र में उसकी आवाजें इस सदन में गूंजी हैं। नियुक्तियों के मामले को लेकर ही नहीं, स्थानान्तरण के मामले को लेकर ही नहीं, बल्कि यहां तक की डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल अलीगढ़ का अगर यादव है तो तहसील दिवस से वह इसलिए अपमानित कर के निकाला जायेगा क्योंकि वह यादव है। गोरखपुर में इंसानियत का तांडव करने वाले आदमी, दहशत फैलाने वाला व्यक्ति और उसको रोकने वाला अगर कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी यादव है तो वह अपमानित करके निकाला जायेगा। बुलन्दशहर में ठाकुर और जाट अधिकारी को इसलिए अपमानित करके निकाला जायेगा क्योंकि नेता सदन के वालिदेमोहतरम के ड्राईवर की कहा-सुनी एक दरोगा से हो हो जायेगी। माननीय, आज का इस आधुनिक दौर में जब आज के जमाने में जब आदमी चांद-सितारों से आगे निकलकर, सूरज की गर्मी नापने निकला है तब लोकतंत्र में जाति और अपने ड्राईवर को लेकर वह किया जायेगा कि एक दरोगा को अपमानित करने का काम किया जायेगा। उस जिले में इसलिए किसी जाट या ठाकुर को रहने का हक नहीं होगा क्योंकि दरोगा जाट था और फिर उस पर यह कहा जायें सदन में कि हम जाति, बिरादरी के नाम पर काम नहीं करते। माननीय, अभी कल तक सदन है आप अधिकारियों की सूची मंगाइये। आप कल तक मंगवाइये अधिकारियों की सूची देखिये कि इस सरकार के सत्ता में आने से पहले किस तरह से अधिकारियों की पोस्टिंग थी और सरकार में आने के बाद नेता सदन से किस से चुन-चुन कर एक-एक जिले में बड़े से लेकर छोटे अधिकारी तक एक जाति के अलावा दूसरी जाति के नहीं है। माननीय, मेरा यह निश्चित आरोप है कि सिर्फ ट्रान्सफर-पोस्टिंग के नाम पर ही नहीं बल्कि ऊंची जाति और मुसलमानों के साथ

ज्यादती की कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है अभी नेता सदन ने प्रेस कान्फ्रेंस की है कि 28 तारीख को धिक्कार रैली होनी वाली है । वह कहा गया कि धिक्कार रैली इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया [× × ×] ने अम्बेदकर उद्यान को [× × ×] कहा है । हो हिम्मत तो बिठाइये जांच । हम देंगे वीडियो कैसेट वहां क्या हो रहा है मैं यह सदन में कह रहा हूं । हम सबूत पेश करेंगे वहां क्या हो रहा है ? क्या हुआ है वहां ? 29 तारीख को धिक्कार रैली मुलायम सिंह यादव के लिए नहीं होने वाली है । 28 तारीख को लालकृष्ण आडवाणी को बुलाकर इसलिए धिक्कार रैली करनी है क्योंकि नोटीफिकेशन खत्म करने की तारीख 28 तारीख है । वह सरकार लालकृष्ण आडवाणी को जेल के सीखचों में नहीं भेजना चाहती है । बाबरी मस्जिद की शहीद करने वालों को यह मैसेज देना है । यह 28 तारीख को इन मुस्लमानों को जिन 14 की ताकत पर यह सरकार टिकी हुई है इसलिए अध्यक्ष महोदय जाति के नाम पर कोई पोस्टिंग नहीं हुई है, जाति के नाम पर कोई नाइंसाफी नहीं हुई है यह ऐसा झूठ है जिसे झूठ कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है । गिरेबान में मुंह डालकर कहां ले जायें ये जहां देश की बर्बादी का सबूत दे सकें । देश की आजादी की जहां तक बात है धर्म के नाम 1947 में देश बटा और 1942 में उसकी तैयारी हुई थी केवल पांच वर्ष में यह अजीम मुल्क टूट कर दो टुकड़े हो गया । मुल्क कभी मजहब की बुनियाद पर नहीं टूटा है । अगर मजहब की बुनियाद पर टूटा है तो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों हुए, एक मजहब के जानने वाले ही लोग थे, एक मोहम्मद के मानने वाले लोग थे, दो सगे भाई थे, जिनका बाप एक था और मां भी एक थी लेकिन दिल में दीवार खड़ी हो गयी थी तो मुल्क में दीवार खड़ी हो गई । मुल्क के तकसीम की बुनियाद और शर्त कभी मजहब नहीं हुआ करती । आज जो बंटवारे की बुनियाद आपने डाली है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती । अब तो बिरादरियों में भी गोत्र तलाश किये जाने लगे हैं । जो बजट की किताब छपी है, उस बजट की किताब को देखे, किसका विकास करेंगे, सिर्फ अम्बेडकर का नाम लेने वालों का, बाकी प्रदेश में रिक्शा चलाने वाले लोग, पत्थर तोड़ने वाले लोग, खेती का काम करने वाले लोग, चमड़े का काम करने वाले लोग, बीड़ी बनाने वाले लोग, पत्थर से ताजमहल बनाने वाले लोग, चूड़ियां और सिन्दूर बनाने वाले लोग, क्या इन्हें ऊपर आने का कोई हक नहीं होगा ? इनके क्षेत्र में बिजली नहीं आयेगी, इनके खेत तक पानी नहीं पहुंच पायेगा, थाना नहीं बनेगा, इनका गुनाह यही है कि वह अम्बेडकर ग्राम में नहीं रहते हैं । सैकड़ों-हजारों गुनाहों की सजा आज उनको दी जायेगी । आप इतिहास महिला हो सकती हैं, जरूर होंगी, क्योंकि आपने इन्सानों को, जहनों को, समाज को बांटने में अहम रोल अदा किया है । सन् 1947 से लेकर आज तक किसी ने इतना बंटवारा नहीं किया । मैं तो अकेले [×××] को फासिस्ट मानता था कि यह जो कहते हैं, वह करते नहीं, वह [×××] हैं । लेकिन मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी के फासिज्म को बहुत पीछे छोड़ दिया है और इसलिये पीछे छोड़ दिया है कि कल तक "तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार" और आज दोनों साथ-साथ बैठे हैं ।

डबलरोटी पर मक्खन लगाकर खायेंगे । सादी डबलरोटी से पेट नहीं भरेगा । डबलरोटी में मलाई लगाकर खाने वालों याद रखो, मलाई खा लिया जायेगा लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा । आई०ए०एस० और आई०पी०एस० से भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, इसीलिए कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर देश और जनता की बड़ी जिम्मेदारी है । कभी-कभी लगता है कि वह ठीक कहते हैं, हम लोगों के लिए, कि क्या पता यह तो कल चला जायेगा, लेकिन हमारी कुर्सी तो परमानेन्ट है, हमें तो

[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

रहना है । मैं इन परमानेन्ट कुर्सी वालों से कहना चाहता हूं कि वह जिस तरह राजनेताओं का खुलेआम अपमान करते हैं तो उस तरह कोई आई०ए०एस० और आई०पी०एस० रहने के काबिल नहीं है । जिनका अपना सम्मान नहीं होगा, हमारे अन्दर अहसास कमतिरी का जज्बा जब उठता है तो हम किसी को तुलना करके भुला देते हैं तो इससे समाज का भला होने वाला नहीं है, उससे समाज का नुकसान होगा । दुनिया के जालिमों में हलाकू, चंगेज, हिटलर यह सब नाम आते हैं चन्गेज गुजर रहा है, मान्यवर, उसने देखा एक औरत रो रही है चन्गेज रुका, पूछा क्यों रोती है औरत ने कहा मेरा बेटा खड्ड में गिर गया है, चन्गेज ने भाला निकाला बच्चे को घोपा और मां को दे दिया । अगर यह चन्गेज इन्साफ प्रदेश की जनता के साथ होगा तो प्रदेश सरकार जनता के मासूमों को भाला घोपकर देगी तो आने वाले जमाने में चन्गेज कहलायेंगी । मान्यवर, अगर इजाजत हो तो आज यहीं तक सीमित रखें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है कल जारी रखियेगा ।

प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 52 में दी गयी सूचना पर चर्चा

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि 8 अगस्त से लम्बित सूखे की चर्चा पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया है । विधान सभा अपरिहार्य परिस्थिति और महत्वपूर्ण कार्यों के वजह से इस सूखे की चर्चा के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पायी थी । मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने इस चर्चा को आरम्भ करके, जारी रखने का अवसर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक हे ।

बी० आर० डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर डा० राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम 52 में दी गयी सूचना पर आधा घण्टे की चर्चा

*डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, आपने मुझे बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर की चर्चा के बारे में बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, यह मेडिकल कालेज अब बन्द होने की कगार पर है, मेडिकल कालेज के विभिन्न विभागों की इमरजेंसियां बन्द हो रही हैं मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया ने एम०डी०/एम०एस० की पढ़ाई बन्द करने का आदेश दे दिया है और एम०बी०बी०एस० की मान्यता समाप्त होने की नोटिस दी जा चुकी है और किसी भी दिन यह मान्यता रद्द हो सकती है । एक बार एम०बी०बी०एस० की मान्यता रद्द हुयी तो मेडिकल कालेज, कालेज नहीं बल्कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम बन कर रह जायेगा । अगर यह सब कुछ हो जाता है तो हम लोगों के चुनकर आने का और जनता का सेवक बनने का अर्थ ही क्या रह जायेगा । आखिर जनता हमें जनप्रतिनिधि चुनती, किस लिये है । मेडिकल कौन्सिल आफ इण्डिया लगातार नोटिस पर नोटिस देती चली आ रही । अक्टूबर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

1995 में उसने छः माह का समय दिया था कोई कार्यवाही नहीं हुई । मेडिकल कालेज में एम०बी०बी०एस० के छात्रों की संख्या 105 से घटाकर 50 कर दिया गया है । एम०डी० और एम०एस० की पढ़ाई बन्द होने की कगार पर पहुंच गयी है । और सरकार ने आवश्यक कदम उठाने को कहा बी०आर०डी० मेडिकल कालेज को एक राजकीय मेडिकल कालेज बनाने की जगह एक विनाशकारी सोसाइटी में बदल दिया है । बी०आर०डी० मेडिकल कालेज के प्राइवेट नर्सिंग होम बन गया है । माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, यह खेल था सारे मेडिकल कालेजों को मुफ्त में प्राइवेटाइज कर देने का सारे मेडिकल कालेज प्राइवेट सोसाइटी में बदल दिये गये । सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला और अरबों की सम्पत्ति सरकार के हाथ से सोसाइटी में चली गयी (इस समय 8 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए ।) इस सोसाइटी को एक गवर्निंग बाडी बना दी गयी जिसके 13 सदस्यों में प्रदेश के माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी एक अध्यक्ष सदस्य थे । इन्हें इन प्राइवेट सोसाइटियों की कोई प्रत्यक्ष निर्देश देने का अधिकार नहीं था बल्कि माननीय मंत्री 13 वोटरों में से एक वोट के मालिक बन कर रह गये । सोसाइटी के प्राविधानों में लिख दिया गया कि यदि किसी मसले पर माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री और बोर्ड आफ गवर्नर के बीच मतभिन्नता होगी तो सदस्य बन्धुओं ध्यान से सुनियेगा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात नहीं मानी जायेगी बल्कि बोर्ड आफ गवर्नर का निर्णय ही सही माना जायेगा । मान्यवर, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह एक पहेली है कि एक प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में तनख्वाह दे रही है । उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारी समझ में नहीं आता है कि सरकारी सम्पत्ति किस प्रकार से एक व्यक्तिगत संस्था को सौंप दी गयी है । यह एक प्रकार का फ्राड है । जिस प्रकार का प्राविधान किया गया है उसमें यह संस्था कल्याणकारी राज्य के निदेशक सिद्धान्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसको व्यापार करने की छूट दे दी गयी । उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस सोसाइटी को इतने अधिक अधिकार दे दिये गये हैं कि वह बाईलाज में परिवर्तन करके अपने को नर्सिंग होम में बदल लेगी । मान्यवर, यह सारा मामला सदन के संज्ञान में लाया गया है कि नहीं यह मैं नहीं जानता हूं । हमारे पुराने सदस्य जानते होंगे यह मामला सदन में लाया गया है और कोई कार्यवाही हुई है या नहीं । गोरखपुर की जनता और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मेरा यही आग्रह है कि अभी समय है इस गलती को सुधार लिया जाये । गोरखपुर तबाह हो रहा है ।

समाजवादी पार्टी के लोग अभी बैठे थे लेकिन वह उठ कर चले गये हैं । गोरखपुर में जो कुछ नहीं हुआ उसकी चर्चा करने में इनको रूचि थी लेकिन आज जो गोरखपुर में हो रहा है उनमें उनकी रूचि नहीं है । गोरखपुर में जो सर्वदलीय सभा हुई उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग भी थे । मान्यवर, गोरखपुर महराजगंज रोड जाम की गयी, लोगों ने सर्वदलीय सभा करके इस सदन को संदेश दिया है कि इस तरफ ध्यान देकर कार्यवाही की जाए । मान्यवर, गोरखपुर में फर्टीलाइजर का कारखाना बन्द हुआ उसको बरदास्त कर लिया गया । रेलवे को जोन में बांट दिया गया इसको भी बरदास्त कर लिया गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह मेडिकल कालेज बन्द हुआ तो कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वह किसी दल का हो गोरखपुर में घुस नहीं पायेगा । मेरे इस सदन के माध्यम से दो आग्रह हैं । एक इस सोसाइटी को भंग किया जाए और दूसरे इस सोसाइटी के संविधान में यह व्यवस्था है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक सदस्यीय समिति बना सकती है । इस समिति का जो निर्णय होगा वह सरकार पर बाध्यकारी होगा और जो सरकार निर्णय लेगी वह सोसाइटी के लिए बाध्यकारी होगा । मान्यवर, नौकरशाही लगातार गलत सूचनाएं दे रही है । उनका कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है लेकिन ऐसी बात नहीं है । सरकार ने हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन हुई है, उसके खिलाफ

एस०एल०पी० दायर की है । सरकार वह एस०एल०पी० वापस ले सकती है और उच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है उसको मानते हुए मेडिकल कालेज की पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित कर सकती है । मेरा आग्रह है कि इस मेडिकल कालेज को बचाया जाये नहीं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा होगा और आग लगेगी और उसकी गर्मी यहां तक पहुंचेगी । इसलिये बेहतर है कि उस गर्मी को यहां तक पहुंचने से रोका जाए ।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, गोरखपुर में पूर्वांचल में बाबा राघव दास मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में अभी मा० अग्रवाल साहब ने सदन में अपनी बात कही है । मा० नेता सदन, सदन में उपस्थित हैं । हमारे पूर्वांचल के तमाम साथी और अन्य दलों के लोग चाहते हैं कि दलों से ऊपर उठ कर मानवीय आधार पर इस मेडिकल कालेज को बचाया जाय । जब यह मेडिकल कालेज स्थापित हुआ उस समय यहां 50 छात्रों के पढ़ने की व्यवस्था थी पूर्वांचल में छात्रों की संख्या बढ़ती गयी और यहां 105 छात्र पढ़ने लगे आज स्थिति बहुत विपरीत हो गयी है । वहां की इमरजेन्सी बन्द है, मेडिसिन विभाग की इमरजेन्सी बन्द है, सर्जरी और आरथोपेडिक की इमरजेन्सी बन्द है और छात्रों की संख्या 105 से घटाकर 50 कर दी गयी है और पचास से घटाकर 35 कर दिया गया है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वांचल की आबादी बढ़ती जा रही है । एक मात्र मेडिकल कालेज पूर्वांचल की धरती पर बाबा राघव दास मेडिकल कालेज था उसे मेडिकल कौंसिल ने बन्द करने का अल्टीमेटम दे दिया है । माननीय नेता सदन एवं पूर्वांचल के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं बाबा राघव दास मेडिकल कालेज को बन्द होने से बचाया जाय । इसमें 105 छात्र पढ़ते रहे हैं उनके पढ़ाने की सुविधा दी जाय और शिक्षकों की नियुक्ति की जाय, इमरजेन्सी सुविधायें बन्द हो गयी हैं उन्हें पुनः स्थापित की जाय । मैं आपके संज्ञान में लाकर इस चर्चा के माध्यम से मांग करता हूं कि गोरखपुर मेडिकल कालेज को बचाया जाय । हमारे सभी पूर्वांचल के सम्मानित सदस्य दलों की भावनाओं से ऊपर उठकर इस पर सोचेंगे ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है कि हमारे पूर्वांचल के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, पड़रौना, सिद्धार्थनगर, बस्ती, एवं सन्त कबीर नगर के लोगों के लिए एक मात्र प्रतिष्ठान चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में गोरखपुर का बाबा राघव दास मेडिकल कालेज है । बल्कि पश्चिमी बिहार के और नैपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के मरीजों के लिए एक मात्र मेडिकल कालेज है । इसकी दुर्दशा के सम्बन्ध में माननीय अग्रवाल जी, गोरखपुर सदर के विधायक एवं हरिशंकर तिवारी जी ने जो कहा उन बिन्दुओं का उल्लेख नहीं करूंगा । किसी भी राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व होता है कि लोगों के जनजीवन के लिए चिकित्सा सुविधा व पेयजल उपलब्ध कराया जाय । स्वास्थ्य के लिए तो यह लक्ष्य निर्धारित हुआ था "हेल्थ फार आल, 2000" अब 2010 तक सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना की गयी है । कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है नीति निर्देशक तत्व में भी यह बात कही गयी है आज अगर इन परिस्थितियां में मेडिकल कालेज बन्द होगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की दशा बहुत खराब हो जायेगी । पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ बीमारियां है कि जिनका इलाज नहीं हो सकता । इन्सेफलाइटिस और मेनेन्जाइटिस अगर इन बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को कहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और ले जाना पड़ा तो रास्ते में ही वह दम तोड़ देगा । पूर्वांचल में जब बरसात होती है और उसके बाद गर्मी पड़ती है तो उसके बाद इन्सेफलाइटिस और मेनेन्जाइटिस की बीमारियां होती हैं । राज्य सरकार के द्वारा स्थापित मेडिकल कालेज हैं । उत्तर प्रदेश के जितने मेडिकल कालेज हैं उनमें गोरखपुर मेडिकल कालेज साथ ही क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उसे सोसाइटी के अन्तर्गत क्यों रखा गया है ? माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं । गोरखपुर मेडिकल कालेज में कोई इमरजेन्सी सेवा नहीं चल रही है किसी जाति बिरादरी का गरीब मरीज अगर मौत से जूझता हुआ वहां पहुंचता है तो उसकी भर्ती नहीं हो सकती है नर्सिंग होम में भी इलाज नहीं करवा सकता है । अगर वह नर्सिंग होम में इलाज कराता है तो उसे जेवर-गहने व खेती-बाड़ी बेचकर इलाज कराना होगा । यदि उसे अपनी जिन्दगी की हिफाजत करनी है तो मंहगें इलाज के लिए मजबूर होना पड़ेगा । गोरखपुर मेडिकल कालेज की तमाम इमरजेन्सी सेवाएं जैसे अथोपेडिक, मेडिसिन सर्जरी सब बन्द हैं छात्र संख्या भी घटती जा रही है । मेडिकल कालेज में राज्य सरकार का पैसा लगा है, सवाल कोई राजनीतिक दलों का नहीं है उस क्षेत्र के रहने वाले बस्ती, गोरखपुर मण्डल के, पश्चिमी बिहार, नैपाल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण संख्या है । मैं तो उसे आल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट का दर्जा देने का आग्रह करना चाहूंगा । चर्चा में भाग इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर दे देंगे । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में ला करके चाहूंगा कि मेडिकल कालेज जो सोसाईटी के अन्तर्गत है उसको भंग कराकर पूर्ववत स्थिति बहाल करें । उसे बहाल करके उस मेडिकल कालेज पर अपनी दृष्टिगत करें । उस मेडिकल कालेज की जो शैक्षणिक व्यवस्था है, एकैडमिक व्यवस्था है हास्पिटल की व्यवस्था है इन सब में इस सुधार की आवश्यकता है । उसे बचाकर पूर्वांचल की जनता पर एक उपकार कीजिए । पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गरीब है, भुखमरी का शिकार है, दिल्ली और लखनऊ आने के लिए पैसा नहीं हैं इसलिए बाबा रामदास मेडिकल कालेज का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार पर है । उसको उबारने का काम करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* डा० पी० के० राय–

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं नेता सदन जिनके ऊपर चिकित्सा शिक्षा का दायित्व है उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । चर्चा गोरखपुर मेडिकल कालेज की हो रही है । लेकिन प्रदेश के जितने भी स्टेट मेडिकल कालेज हैं वह सभी इस समय सरकारी उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं । मेडिकल आफ इण्डिया ने फैसला किया कि मानक के अनुसार शिक्षकों के न होने की वजह से मेरठ, झांसी, गोरखपुर तीन मेडिकल कालेज में स्नातक की सीटें घटा दी गई हैं । गोरखपुर मेडिकल कालेज की जहां तक बात है 45 शिक्षकों के पद रिक्त हैं केवल नाम बदल देने से इंतजाम नहीं बदल जाया करते हैं । यह स्थिति एक दिन में नहीं उत्पन्न हुई है । इसमें एक लम्बा वक्त लगा है । इसके उत्पन्न होने में वर्षों लगे हैं । किंग जार्ज मेडिकल कालेज ने टिक्कू समिति की संस्तुतियां लागू कर दीं । उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज के टीचर्सने मांग की कि टिक्कू समिति की संस्तुतियां सभी मेडिकल कालेजों में लागू की जाएं । क्योंकि शिक्षकों की गयी है । इस कमी की वजह से स्नातक और स्नातकोत्तर की सीटों में कमी आई हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि मेडिकल कालेज में जी हास्पिटल चलते हैं यह रेजीडेंट के ऊपर चलते हैं । जो पी०जी० मात्र हुआ करते हैं । गोरखपुर मेडिकल कालेज पूर्वांचल के कमजोर लाचार लोगों की इलाज का अन्तिम आशा है । यहां

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बिहार नेपाल तक के लोग आते हैं । यह दुर्दशा का शिकार है । आपको मालूम होना चाहिए कि एक साल में गोरखपुर मेडिकल कालेज में 1500 से लेकर 1800 तक हेड इंजरी के रोगी आते हैं । आज सबसे ज्यादा हेड इंजरी रोड एक्सीडेंट की वजह से होती हैं । जिसका इलाज न्यूरो सर्जन करते हैं । मेडिकल कालेज में एक पद है लेकिन रेजीडेंट न होने के कारण आर्थोपेडिक सर्जन न्यूरो सर्जन रोगी को लेने से मना कर देता है । हड्डी अगर टूट-फूट जाती है तो मरीज भर्ती नहीं किया जाता है । मैं नेता सदन से विशेष आग्रह करूंगा कि गोरखपुर मेडिकल कालेज की तरफ ध्यान दें व जो टिक्कू समिति की सिफारिशें हैं उनको सारे प्रदेश के मेडिकल कालेजों में लागू किया जाए । आज मेडिकल कालेज समिति और सरकार के बीच फंसा है दोनों के बीच मेडिकल कालेज दुर्दशा के शिकार हैं । टीचर्स 20-20 साल से लेक्चरार के पद पर तैनात हैं । बी०एम०एस० से न्यूरो सर्जन के सम्बन्ध में पिछले दिनों मैंने मामला उठाया था । पूरे प्रदेश में दो न्यूरो सर्जन के पद सृजित हैं । न्यूरो सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन की पद सृजित किया जाना चाहिए । मेडिकल कालेज में रेजीडेन्ट हेतु डिमान्ड की गई है प्रिंसिपल के द्वारा जैसे सीट्स नहीं बढ़ा सकते हैं, रेजीडेन्ट नहीं मिल सकते हैं, पी०जी० स्टूडेन्ट नहीं मिल रहे हैं और हास्पिटल को चलाने के लिए इनकी आवश्यकता है तो प्रोविन्शियल मेडिकल सर्विस से उनको अधिकार दे दिया जाय कि वहां से आन डेपोटेशन चिकित्सक भेज दिया जाय जिससे हास्पिटल की फंक्शनिंग पर प्रभाव न पड़े और वह हास्पिटल ठीक से चलते रहें । शिक्षकों के रिक्त पदों को भरकर उस मेडिकल कालेज को बंद होने से बचाने की कृपा करेंगे तो मैं नेता सदन को इसके लिए धन्यवाद दूंगा ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी पूर्वांचल के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखें हैं उससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वांचल में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गरीब और कमजोर लोगों के इलाज का केन्द्र है । आज वह बंदी की कगार पर है । गोरखपुर का मेडिकल कालेज अगर बंद हो जायेगा तो पूर्वांचल की जनता के साथ अन्याय होगा । वहां आपरेशन की कोई सुविधा नहीं है । वर्तमान समय में इमरजेंसी बंद है, शिक्षको के पद रिक्त हैं । गम्भीर बीमारियों के इलाज का केन्द्र गोरखपुर मेडिकल कालेज ही है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता इस समय गोरखपुर मेडिकल कालेज बंद होने की खबर सुनकर आन्दोलित है क्योंकि गोरखपुर के लगभग सभी उद्योग बंदी की कगार पर हैं । फर्टीलाइजर बंद हैं, रेल जोन बंटने की स्थिति में है । यह मेडिकल कालेज बंद हुआ तो गोरखपुर की धरती से एक बड़े आन्दोलन की रूपरेखा तैयार होगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बंद होने से बचाया जाय जिससे वहां की जो दुर्व्यवस्था है उसको ठीक किया जाय ।

* श्री सदल प्रसाद–

मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज की समस्या के बारे में आपने मुझे बोलने दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं भी गोरखपुर जिले से विलोंग करता हूं । मूल बिंदु पर आने से पहले मैं अभी तक जितने माननीय सदस्यों ने बी०आर०डी० मेडिकल कालेज की समस्या के बारे में विचारों को रखा, इससे मैं अपने को सम्बद्ध करते हुए पहले मेडिकल कालेज की कुछ विसंगतियों को बताना चाहता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हूं। इस सोच के तहत बी०आर०डी० मेडिकल कालेज की बुनियाद पूर्वांचल के पिछड़े क्षेत्र में और वह भी खास तौर से गोरखपुर जैसे जनपद में यह उपलब्धि मिली थी। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पूरे पूर्वांचल के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहीं हमारे साथी डा० पी० के० राय जी बता रहे थे कि बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर मण्डल की ही सेवा नहीं करता था बल्कि बिहार का काफी हिस्सा उसके ऊपर आश्रित था। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन को वहां की विसंगतियों से अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे मेडिकल सर्जन हो एम०डी० हों, रोगियों को सेवा से जुड़े हुए इन लोगों ने एक प्रकार से नये ढंग से कारोबार की शुरुआत की है। आज जितने डाक्टर है किसी न किसी नर्सिंग होम से अपने आप को सम्बद्ध किए हुए हैं। यह सही बात है पूरे गोरखपुर जनपद के लिए फर्टिलाइजर तो बन्द हो गया है, लेकिन मेडिकल कालेज बन्द नहीं होना चाहिए मान्यवर, जब से सत्र चल रहा है मैं देख रहा हूं कितने रोगी मेडिकल कालेज के लिए रिफर किए जा रहे हैं, यह बताया जा रहा है कि इमरजेन्सी में दवा की कोई व्यवस्था नहीं है कि मरीजों का इलाज हो सके। निश्चित रूप से यह समस्या खड़ी है .....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री सदल प्रसाद–

मैं अपनी पीड़ा इस भावना के साथ व्यक्त करना चाहता हूं– हाकिम हुकुम, हुकुम दिन हाकिम, बिन हाकिम के हुकुम कहां, तो मान्यवर, नेता सदन बैठी हैं, वह इसके लिए आदेश करें क्योंकि–''आलिम इलिम इलिम बिन आलिम, बिन आलिम के इलिम कहां, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, यह गौरवपूर्ण मेडिकल कालेज .....

* श्री रामनरेश यादव–

एक मिनट मुझे सुन लें। माननीय अधिष्ठाता महोदय सम्मानित सदस्यों ने पूर्वांचल ने पूर्वांचल के एक मात्र मेडिकल कालेज के बारे में अपनी बातों को कहा है मैं उनके अपने को सम्बद्ध करता हूं। नेता सदन वही मौजूद हैं, मुझे विश्वास है कि सदन को जो पूर्वांचल के समस्त विधायक हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, मान्यवर, मुझे कई बार मेडिकल कालेज में जाने के अवसर मिला है। मुख्य मंत्री जी आप भी गई होंगी, वहां मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित रोगी तथा और भी रोगी होते हैं। दूसरा कोई कालेज पूर्वांचल क्षेत्र में नहीं है, इसलिए सम्मानित सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, गरीब लोग जो नौकरी की तलाश में जगह जगह भटकते हैं घुट-घुटकर मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है वह परेशान है इसलिए मेरी विनती है कि मेडिकल कालेज के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए वह समाप्त नहीं होना चाहिए। बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। जनता से सम्बन्धित विषय है आपके नेतृत्व में मामला ठीक हो जाएगा यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, पूर्वांचल के गोरखपुर में स्थापित जो मेडिकल कालेज है उसकी कुछ समस्याओं को लेकर आज यह मामला सदन में उठा है उसके बारे में सरकार क्या कुछ करना चाहती है क्या स्टेप उठाना चाहती है, उसके बारे में बताने से पहले विपक्ष में कुछ कांग्रेस के लोग बैठे हैं, थोड़ा विपक्ष की उपस्थिति के बारे में दो बातें कहना चाहूंगी । अभी मेरे बोलने के बाद नेता प्रतिपक्ष अपनी उपस्थिति के प्रशंसा के पुल बांध रहे थे तो मैं यह देख रही हूं कि नेता प्रतिपक्ष गायब हैं और उनके सदस्य भी गायब हैं । सिर्फ दो तीन ही सदस्य बैठे दिखायी दे रहे हैं । खैर इसके बारे में उलझना नहीं चाहती लेकिन जो खाली बेन्चेस मैंने देखीं तो मैंने मुनासिब समझा कि सदन का ध्यान आकृष्ट करा दूं । मैं इस बारे में जवाब कल दूंगी जब नेता प्रतिपक्ष वहां होंगे और इतना बढ़िया जवाब दूंगी कि उन्हें तसल्ली हो जायेगी । उनकी गैर हाजिरी में जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझती हूं । मान्यवर, गोरखपुर मेडिकल कालेज के गम्भीर मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ समस्याओं को वहां पर उठाया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को वह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उन समस्याओं को मैं गम्भीरता से लेती हूं और सीनियर अधिकारी से दिखवाकर, पूरे मामले की छानबीन कराकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा और इसके साथ ही साथ जहां यह कहा जा रहा है कि यह मेडिकल कालेज बन्द किया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि गोरखपुर का जो मेडिकल कालेज है वह किसी भी कीमत पर बन्द नहीं किया जायेगा ।

(मेजों की थपथापाहट)

वह सुचारु रूप से चले इसकी तरफ सरकार पूरा ध्यान देगी । जो भ्रांतियां हैं मैं उन्हें दूर करना चाहती हूं कि यह किसी भी कीमत पर बन्द नहीं किया जायेगा ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, कल आपने एक निर्देश दिया था अगर वह ले लेते तो अच्छा होता ।

लखनऊ गोमती नगर में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम आवंटित भूमि को अम्बेडकर पार्क में शामिल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर श्री राम नरेश यादव आदि द्वारा नियम 56 में दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–56 के अन्तर्गत सर्वश्री राम नरेश यादव व प्रमोद कुमार मा० सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 5-9-2002 को दी गयी सूचना पर दिनांक 6-9-2002 के लिए निर्धारित वक्तव्य कल यह मामला सदन में आया था जब पीठ द्वारा निर्देश दिया गया था कि इस सम्बन्ध में नगर विकास मंत्री वस्तु स्थिति से सदन को अवगत करायेंगे तो आज नगर विकास मंत्री जी अपना वक्तव्य दे दें ।

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, कल पीठ की ओर से आदेश हुआ था कि आज के लिए वक्तव्य दिया जाय और यह कहा गया था कि तब तक यथास्थिति बनी रहे । तो मैं आज वक्तव्य दे रहा हूं ।

सर्वश्री राम नरेश यादव व प्रमोद कुमार, माननीय सदस्यगण, विधान सभा द्वारा .....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(संलग्न वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया)

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री राम नरेश यादव व प्रमोद कुमार मा० सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 05-09-2002 को दी गयी सूचना पर दिनांक 06-09-2002 के लिए निर्धारित मा० आवास एवं नगर विकास मंत्री जी का वक्तव्य

आवास, नगर विकास, पर्यटन, श्रम, संस्थागत वित्त, दुग्ध विकास, पशुधन, वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

सर्वश्री राम नरेश यादव व प्रमोद कुमार मा० सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग की गयी है :–

"उत्तर प्रदेश की राजधानी–लखनऊ शहर के गोमती नगर में 25 एकड़ जमीन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम आवंटित है । इस जमीन पर शिलान्यास हो चुका है जिसका पत्थर भी मौजूद है । किन्तु खेद का विषय है कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की यह भूमि को कुछ लोगों द्वारा षडयन्त्र करके अम्बेडकर पार्क में शामिल किया जा रहा है । "

मामले में मा० अध्यक्ष विधान सभा द्वारा वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त के क्रम में वस्तुस्थिति यह है कि :–

गोमती नगर के विपिन खण्ड में इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के निर्माण की परिकल्पना वर्ष 1984-85 में की गयी थी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी 25 एकड़ भूमि में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर, 1989 को इस प्रतिष्ठान का शिलान्यास किया गया था । प्रारम्भिक परियोजना के अनुसार इस योजना की अनुमानित लागत रु० 46.04 करोड़ रुपये आंकलित की गयी थी । इस परियोजन में मिट्टी की भराई एवं बाउन्ड्रीवाल के अतिरिक्त कोई अग्रेतर निर्माण सम्बन्धी कार्य नहीं हुआ है ।

इस सम्बन्ध में 31 जुलाई, 1996 को शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिष्ठान में अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन सेण्टर का निर्माण निजी पूंजी निवेश आमन्त्रित करके किया जायेगा । इस हेतु पर्यटन विभाग को तकनीकी सहयोग देने हेतु तथा आवास विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया ।

इसके पश्चात पुनः शासन द्वारा 7 फरवरी, 1997 को, अब तक केवल बाउण्ड्रीवाल के निर्माण होने एवं परियोजना की लागत बढ़ते-बढ़ते रु० 80.00 करोड़ हो जाने के दृष्टिगत परियोजना के मूल स्वरूप में परिवर्तन करते हुए इस परियोजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के सहयोग से एक होटल अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक कान्फ्रेन्स सेण्टर तथा प्रर्दशनी स्थल स्थापित करने का निर्णय लिया गया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासन द्वारा उपर्युक्त निर्णय के बावजूद भी कोई प्रगति न होने के कारण शासन स्तर पर दिनांक 08-03-2001 को एक उच्च स्तरीय बैठक करके नई दिल्ली से निर्मित इण्डिया हैबिटेट सेण्टर के समरूप हडको के साथ संयुक्त उपक्रम में "इन्दिरा गांधी हैबिटेट सेण्टर" स्थापित करने का निर्णय लिया गया। परियोजना के परिवर्तित स्वरूप से 10 एकड़ भूमि पार्किंग एवं ग्रीन बेल्ट में रखते हुये 150 कक्ष का एक फाईव स्टार होटल, प्रदर्शनी कक्ष कान्फ्रेन्स कक्ष एवं बड़े कन्वेशन सेन्टर की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

परन्तु जून, 2002 तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति न होने तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित शोषित एवं दलित वर्ग के उन्नयन में योगदान देने वाले विश्व के अनेक राष्ट्रों के महापुरूषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से सम्बन्धित साहित्य एवं अन्य सामग्रियों के संकलन एवं संग्रयन हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के **"बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय"** की योजना पर केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृति प्रदान कर देने के दृष्टिगत डा० अम्बेडकर स्मारक के साथ लगी हुई एवं रिक्त उपरोक्त भूमि को उपयोग करने का निर्णय लिया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं हुडको के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में इन्दिरा गांधी हैबिटेट सेन्टर को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हडको के स्थल भ्रमण के पश्चात् दी गयी सहमति के आधार पर गोमती नगर में ही विभूति खण्ड में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।]

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं सबसे पहले कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मान्यवर, किसी महापुरुष के नाम पर स्मारक बनाया जाय कांग्रेस उसका स्वागत करती है सम्मान करती है। बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बना रहे हैं तो आप बनायें हमें कोई एतराज नहीं है। मान्यवर, हम तो यह मानते हैं कि जिसने कोई रास्ता दिखाया हो, या समाज सुधारक हो अगर उसके बारे में आप कोई पार्क बनवायें या मूर्ति लगवायें हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे जितना खर्चा आए उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, कल टण्डन जी कह रहे थे कि वहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम पर कुछ नहीं है और आज उन्होंने अपना जो जवाब दिया है उसमें उत्तर बिल्कुल उल्टा आया हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर नगर विकास मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं और मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि आप अम्बेडकर पार्क बनाएं और ज्यादा से ज्यादा खर्च करें उसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना दें हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि इसमें हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर कोई इसका विरोध करता है तो मैं और मेरा दल उनके इस विरोध से संबद्ध नहीं है। परन्तु यह कहां का न्याय होगा कि उसके बगल में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की 25 एकड़ की जो जमीन है जिसका शिलान्यास श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था उसमें 7-8 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। उसको आप ले लें। 1989 के बाद एक दिन भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। उसके बाद यहां भाजपा या समाजवादी पार्टी या भाजपा बसपा की मिलीजुली सरकारें आयीं। तब से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है। मैं समझता हूं कि इस समय भी यहां स्व० इन्दिरा जी को मानने वाले लोग हैं चाहे वो किसी भी दल के हों सकते हैं। जो वर्तमान प्रधान मंत्री हैं उन्होंने 1971 में इन्दिरा जी को दुर्गा देवी के नाम से विभूषित किया था। हम दोनों ही महापुरुषों का आदर करते हैं। मेरे पास भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1998 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन है। इसमें लिखा है कि पृष्ठ संख्या 10 में–"वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण 7.85 करोड़ रुपये व्यय के उपरान्त शासन ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान परियोजना बंद कर दी। जबकि सटी

हुयी भूमि पर राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि का विवर्तन कर कहीं अधिक लागत में अम्बेडकर उद्यान योजना प्रारम्भ ।"

मान्यवर, इसका उल्लेख इसलिए किया कि आपकी अपनी विचार धारा है । आप पैसा लगाइए और लगाइए इसमें मेरी शुभकामनायें लेकिन वहीं एक सीमा के उस पार 8 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बन रहा था । एकाउन्टेंट जनरल और महालेखा परीक्षक दोनों ने आपत्ति लगायी थी । आपने वहां निर्माण क्यों नहीं कराया ?

मान्यवर, आज भी मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारे लिए भावना का प्रश्न हो सकता है प्रतिष्ठा का प्रश्न हो सकता है लेकिन आप के लिए जिस कुर्सी पर मा० मुख्यमंत्री जी बैठी हैं इसकी प्रतिष्ठा और गरिमा का भी प्रश्न नहीं उठता । क्या यह उचित समझा गया कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान इन्दिरा गांधी जी के नाम पर जिस पर सरकार ने 8 करोड़ रुपये का खर्चा उठाया, वहां से इन्दिरा गांधी जी का नामोनिशान मिटाया जाये । जो 8 करोड़ रुपया खर्च करके इन्दिरा गांधी जी के नाम पर प्रतिष्ठान बनाने की बात हुई अगर इन्दिरा गांधी जी का नामोनिशान वहां से मिटा कर बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर के नाम से संस्था बनाने का काम किया जायेगा ? क्या आने वाले दिनों के लिए यह मिसाल गलत नहीं डाल दी जायेगी । आज आप सत्ता में हैं । यह भी दिन आयेगा कि आप सत्ता में न रहे कोई दूसरा आ जाये आप बाबा भीम राव अम्बदेकर जी को आदर्श मान रही हैं, आप दीन दयाल उपाध्याय जी को आदर्श मानते हैं । एक काम पर 8 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है आप की सरकार उसे बदलना चाहती है और कोई दूसरा आ कर किसी नाम से स्थापित कर देता है तो आपके दिल पर क्या बीतेगी ? आप कह रही हैं कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान वहां हटा दिया जाये । आप जो बनाना चाहती हैं आप चाहें तो अलग से बना लें । हम लोगों का कहना है 8 करोड़ रुपये की लागत लग जाने के बाद इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान वहां से न हटाया जाये । मान्यवर, मुख्यमंत्री किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है । आप मुखिया जरूर हैं बी०एस०पी० की लेकिन आप प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं यह आने वाले दिनों में नजीर भी बनेगा ।

मान्यवर, वे भारत रत्न इन्दिरा गांधी जी थीं जिन्होंने 1972 में सिर्फ हिन्दुस्तान का इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदला है । जिसमें हरित क्रान्ति देश को दी है जिसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है । कुछ लोग सहमत हो, असहमत हों तो क्या नहीं हो सकता है उस जमीन पर जहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान बन रहा है ? आप पुस्तकालय बनाये कुछ भी बनाये लेकिन इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान का नाम बना रहने दें । इस विषय पर माननीय मुख्य मंत्री जी आप जवाब दें क्योंकि टंडन जी कहते है कि यह मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हैं मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूं । डरते होंगे आप मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं और कांग्रेस के लोगों की भावनाओं को आपके सामने रखता हूं । कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपसे कुछ मांग रहा हूं पर याद रखिये किसी महापुरुष के नाम के प्रतिष्ठान को आप बन्द करेंगी तो एक फ्लडवोट खुल जायेगा, एक नई परम्परा बन जायेगी । कायदे से मैं समझता हूं अगर आप समझने की कोशिश कर रही हैं कि अगर यह सारी बातें आपको बताई गयी होती तो यह नहीं होता । कुछ मुट्ठी भर लोग जो असलियत नहीं बताते हैं जाने अनजाने में लोग ऐसा काम कराते हैं । यह ए०जी० की रिपोर्ट रख दी है, यह आडीटर जनरल की रिपोर्ट रख दी है और इन सबसे बढ़कर परम्पराएं रख दी है और भविष्य की नजीर बनाने के लिए अनुरोध भी कर लिया है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इसको बनाइयें बहुत ही खूबसूरत बनाइये, अगल बगल की और जमीन लेकर बनाये, 25 एकड़ की जमीन है आप 100 एकड़ में

उनका नाम हमेशा के लिये रहे । इससे फर्क क्या पड़ता है । हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं कि कोई योजना ही खत्म कर दी । अब तो योजना के लिये प्रथम चरण का काम शुरू कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं । आप जो कह रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि इनका इरादा क्या है, जिस जमीन पर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान था, उसे अन्यत्र ले जा रहे हैं । मेरा अनुरोध है कि 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । उस स्थान से हमारे जैसे कांग्रेस जनों की भावनायें जुड़ी हैं । आप जो कुछ बनावें, उनके प्रतिष्ठान के अन्तर्गत ही बनावें । कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया था, इसे तो सरकार को बनाना था । आडीटर जनरल की रिपोर्ट है, आखिर क्यों नहीं बनवाया गया, तो कमी तो आपकी है, हम तो विपक्ष में थे । आज आपका बनाने का इरादा है तो वह जमीन जो 25 एकड़ है, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से, वहां जो कुछ बनावे उनके ही नाम से बनावें । वैसे आपको जो करना था, वह आप कर रहे हैं, संख्या बल के आधार पर कर सकते हैं । लेकिन सच पूछिये तो जो जमीन स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के नाम से आवंटित थी, अगर उसका परिवर्तन करेंगे तो इतिहास में कालिख लगाने जा रहे हैं, आपमें ताकत है, इसलिये करना चाहते हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा पर होगी स्थान परिवर्तन की बात तो दूर हमने वहां एक ईंट भी नहीं लगाई यह झूठा आरोप हम पर लगा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

जिस जगह का परिवर्तन पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा ने किया है उसका इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान को कुछ लेना देना नहीं है । आप सत्ता के मद में चूर होकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुईः–

पहली सूचना श्री राकेश सचान की कानपुर नगर एवं देहात में लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की बोरिंग की लागत से कम लगत पर प्राइवेट एजेन्सी द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

दूसरी सूचना श्री बंशीधर राज की जनपद लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक स्थल तहसील मोहम्मदी की नगर पालिका द्वारा नजूल की भूमि एवं उद्यान को नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

तीसरी सूचना श्री मोहम्मद शमीमुल हक की विधान सभा क्षेत्र सिरसवां दोराहा से टांडा जाने वाली मुख्य मार्ग पर हड्डी की मिल से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

उनका नाम हमेशा के लिये रहे। इससे फर्क क्या पड़ता है। हम कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं कि कोई योजना ही खत्म कर दी। अब तो योजना के लिये प्रथम चरण का काम शुरू कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि इनका इरादा क्या है, जिस जमीन पर इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान था, उसे अन्यत्र ले जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि 8 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। उस स्थान से हमारे जैसे कांग्रेस जनों की भावनायें जुड़ी हैं। आप जो कुछ बनावें, उनके प्रतिष्ठान के अन्तर्गत ही बनावें। कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया था, इसे तो सरकार को बनाना था। आडीटर जनरल की रिपोर्ट है, आखिर क्यों नहीं बनवाया गया, तो कमी तो आपकी है, हम तो विपक्ष में थे। आज आपका बनाने का इरादा है तो वह जमीन जो 25 एकड़ है, इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान के नाम से, वहां जो कुछ बनावे उनके ही नाम से बनावें। वैसे आपको जो करना था, वह आप कर रहे हैं, संख्या बल के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन सच पूछिये तो जो जमीन स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी के नाम से आवंटित थी, अगर उसका परिवर्तन करेंगे तो इतिहास में कालिख लगाने जा रहे हैं, आपमें ताकत है, इसलिये करना चाहते हैं।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा पर होगी स्थान परिवर्तन की बात तो दूर हमने वहां एक ईंट भी नहीं लगाई यह झूठा आरोप हम पर लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

जिस जगह का परिवर्तन पूर्व राज्यपाल श्री मोती लाल बोरा ने किया है उसका इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान को कुछ लेना देना नहीं है। आप सत्ता के मद में चूर होकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाऐं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 6 सितम्बर, 2002 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 62 सूचनायें प्राप्त हुईं:–

पहली सूचना श्री राकेश सचान की कानपुर नगर एवं देहात में लघु सिंचाई विभाग द्वारा किसानों की बोरिंग की लागत से कम लगत पर प्राइवेट एजेन्सी द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री बंशीधर राज की जनपद लखीमपुर खीरी की ऐतिहासिक स्थल तहसील मोहम्मदी की नगर पालिका द्वारा नजूल की भूमि एवं उद्यान को नीलाम करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री मोहम्मद शमीमुल हक की विधान सभा क्षेत्र सिरसवां दोराहा से टांडा जाने वाली मुख्य मार्ग पर हड्डी की मिल से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर में रामगढ़ टिकरी रेंज के अन्तर्गत बनटांगिया में बसे मजदूरों का वन विभाग द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

पांचवी सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं में बसही नदी के तेजगढ़ घाट पर अधूरे पक्के पुल का कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

छठीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर के ग्राम पंचायत पुर में लम्बित चकबंदी का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ महानगर की जर्जर विद्युत व्यवस्था के सुधार के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

आठवीं सूचना श्री चौधरी बाबू लाल की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, आगरा एवं विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा सिंचित तथा बेशकीमती जमीन का अधिग्रहण न कराये जाने के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

नवीं सूचना श्री (डा०) नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की शासन द्वारा अनुमानित संचालित इन्जीनियरिंग कालेजों में फ्री सीट्स में 50 प्रतिशत पेड सीट्स करने से मेधावी एवं सामान्य/निर्धन परिवारों के छात्रों में व्याप्त घोर असन्तोष को दूर करने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

दसवीं सूचना श्री कालीचरण राजभर की जनपद गाजीपुर के भरदह बाजार में इन्जीनियरिंग कालेज खोलने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

ग्यारहवीं सूचना श्री आर०एस० कुशवाहा की जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में बेलरायां शुगर मिल पर किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान न करने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

बारहवीं सूचना श्री शाकिर अली की उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि० के महाप्रबन्धक (का०ए०प्र०) द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

तेरहवीं सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की जनपद फतेहपुर की तहसील बिन्दकी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर एवं दवा की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

चौदहवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की जनपद गोण्डा के कटरा बाजार अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम जगतापुर में स्वीकृत सड़क के लेपन का कार्य न कराकर फर्जी भुगतान करा लेने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

पन्द्रहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद गाजीपुर के जंगीपुर में दलित उत्पीड़न एवं उनके जमीनों का फर्जी पट्टा करा लेने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

सोलहवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की जनपद बांदा में वन विभाग द्वारा स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे के भुगतान के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध मै हैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

सत्रहवीं सूचना श्री ओंकार सिंह की जनपद बदायूं के ब्लाक सहसवान के ग्राम मुजरिया में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कार्य भू-माफियाओं द्वारा रुकवा दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

अट्ठारहवीं सूचना श्री शिव कुमार बेरिया की जनपद कानपुर की तहसील बिल्हौर में मौजमपुर तथा उटठा से न्योरखेड़ा तक बनी सड़क का लेपन कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

उन्नीसवीं सूचना श्री सिद्धगोपाल साहू की चित्रकूट मण्डल के चारों जिलों को शासन द्वारा एक समान विशेष पैकेज दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

बीसवीं सूचना श्रीमती सुखदेवी वर्मा की जनपद हमीरपुर के ब्लाक बोहोड के मौजा सिंगरावन में भैरा नाले में एक चेक डैम बनाने में सिंचाई विभाग द्वारा की गयी लापरवाही के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

इक्कीसवीं सूचना श्री दिनेश सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर के थाना शोहरतगढ़ के ग्राम गुल्हरा में चार व्यक्तियों की हुई हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

बाइसवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद बस्ती एवं जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर परियोजना के विभिन्न खण्डों द्वारा जल भराव एवं निकासी के नाम पर हुये लूट खसोट एवं भ्रष्टाचार तथा फर्जी भुगतान किये जाने के सम्बन्ध मे है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

तेइसवीं सूचना श्री किरनपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर की अस्त व्यस्त विद्युत व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

चौबीसवीं सूचना श्री बैजनाथ पासवान की जनपद आजमगढ़ के मोहम्मदाबाद गोहना एवं जखनिया की सीमाओं से होकर निकलने वाली नदी भैसही पर मझूसरी गांव के पास नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

पच्चीसवीं सूचना श्री छेदीराम की जनपद गाजीपुर के रामसिंहपुर गांव में मगही नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

छब्बीसवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा शहर में विभिन्न स्थानों एवं सड़कों पर हो रहे अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

सत्ताइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में स्वीकृत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र आमापुर द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

अट्ठाइसवीं सूचना श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल की प्रदेश के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन पर बिजली विभाग द्वारा प्रति हार्सपावर किराया बढ़ाकर पिछले वर्षों से वसूल किये जाने के सम्बन्ध में हैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

उन्तीसवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की खण्डपीठ की स्थापना के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

तीसवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की प्रदेश की महिला पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत ।

इक्तीसवीं सूचना श्री उदयराज की लखनऊ स्थित ग्राम बरावनकलां के घरेलू बिजली लाइन के ऊपर से निकलने वाली पावर लाइन को हटाने के सम्बन्ध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत ।

32वीं सूचना डा० विनोद तिवारी की वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद के अपकृत्य तथा लगभग 85 लाख शासकीय धन की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

33वीं सूचना श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ कार्यालय से एस्टीमेट बनाकर लखनऊ मुख्य अभियन्ता को भेजे गये निर्माण कार्यों को जनता के हित में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

34वीं सूचना श्री आर०के० चौधरी की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज अंतर्गत अमेठी से दौरहरा तथा निगोहां से राती के बीच नाले पर पुल निर्माण के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

35वीं सूचना श्री रामजीत राजभर की कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लिपिकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण में स्थानान्तरण नीति का पालन न किये जाने के संबंध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत ।

36वीं सूचना श्री कोविदि कुमार सिंह, श्री शरदवीर सिंह श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, की जनपद मैनपुरी में पल्स पोलियो विशेष अभियान 2001-2002 हेतु आवंटित लाखों रुपये का दुरुपयोग/गबन किये जाने के संबंध में है ध्यानकर्षण हेतु स्वीकृत ।

37वीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेदकरनगर के जलालपुर अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों का बिना निर्माण कार्य कराये धन निकाल लेने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

38वीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की जनपद गाजीपुर में छावनी लाइन एन०जेड०ए० की फ्रीहोल्ड कराने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

39वी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जनपद सुल्तानपुर की नगर महापालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

40वीं सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम बसफरा के गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

41वीं सूचना डा० वकार अहमद शाह की जनपद बहराइच में यू०पी० प्रोजेक्ट सिविल लाइन द्वारा पशु सेवा केन्द्र बनाये जाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल किये जाने की जांच के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

42वीं सूचना श्री घूरा राम की जनपद बलिया की तहसील रसड़ा में बालिका इण्टर कालेज व बालिका डिग्री कालेज बनाये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

43वीं सूचना श्री देवेन्द्र नागपाल की जनपद बांदा के थाना तिंदवारी के सब इंस्पेक्टर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 67/2002 में रिश्वत लेने तथा मुल्जिमों को न पकड़ने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

44वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की जनपद गाजियाबाद के रजबहा देहरा के ग्रामों में पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

45वीं सूचना श्री संजय गर्ग की उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० द्वारा औद्योगिक भार का कनेक्शन सेंक्शन करने के उपरान्त विद्युत आपूर्ति 24 घण्टा न किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

46वीं सूचना डा० राम बाबू हरित की प्रदेश के नगर निगमों में नगर प्रमुख व उप नगर प्रमुखों द्वारा किराये की गाड़ियां लेने से हो रहे धन के अपव्यय के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

47वीं सूचना श्री ओम प्रकाश की पुलिस विभाग द्वारा दण्डित उप पुलिस निरीक्षकों/निरीक्षकों को थाना प्रभारी बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

48वीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत घाघरा नदी के कटान से हो रहे गांवों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

49वीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच में भगवान शंकर के मंदिर को तुड़वाने से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त आक्रोश के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

50वीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर नगर में विद्युत दुर्व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

51वीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की सहकारी चीनी मिल सठियांव, आजमगढ़ में मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

52वीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ में नवनिर्मित तहसील मेंहनगर के भवन निर्माण हेतु धन दिये जाने के संबंध में है ध्यनाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

53वीं सूचना श्री रामपाल यादव की जनपद लखनऊ के ग्राम काकराबाद के स्वर्गीय बचान पुत्र स्वo बुद्धा की जमीन को तहसील के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी से दूसरे के नाम स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

54वीं सूचना श्री मुन्शी लाल गौतम की दी कोआपरेटिव टेक्सटाइल मिल सहकारी नगर बुलन्दशहर के कर्मचारियों को वी०आर०एस० योजना के अन्तर्गत भुगतान न करने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :– श्री दीनानाथ भास्कर, श्री कौंशल किशोर, श्री तेजपाल सिंह, श्री राकेश सचान तथा श्री शमीमुल हक ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–28 से मद संख्या 38 तक के वक्तव्य पढ़े हुए माने जायं ।

(मद संख्या 28 से 38 तक संलग्न वक्तव्य सदन की सहमति से पढ़े हुए माने गये) ·

प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नियमों की अनदेखी कर विद्यालयों में छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षकों की तैनाती किए जाने के संबंध में श्री सिद्ध गोपाल साहू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दी गई सूचना में तथ्य संज्ञान में लाये गये हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सरकारी आदेशों को अनदेखी करके नियुक्तियां की गयी हैं । प्रदेश में हजारों प्राथमिक और जूनियर विद्यालय ऐसे हैं जहां पर छात्रों की संख्या से अधिक शिक्षक तैनात हैं । विद्यालयों में 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति का प्राविधान है लेकिन प्रदेश में हजारों विद्यालय ऐसे भी हैं जहां पर आवश्यकता से कम शिक्षक तैनात हैं । विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, निरंकुशता इससे स्वतः स्पष्ट हो जाती है । इसके साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा विद्यालय बनवाने की जिम्मेदारी देने से भी प्रदेश के हजारों शिक्षक शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं । शिक्षकों से मतदाता सूचियां बनवाने जनगणना कराने आदि कार्यों से बेसिक शिक्षा का कार्य विशेष रूप से प्रभावित होता है । जनपद महोबा में सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जहां मानक से कम शिक्षक तैनात हैं और सैकड़ों में मानक से अधिक शिक्षक तैनात हैं । जनपद महोबा में कौन-कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर निर्धारित मानक के विपरीत शिक्षकों की तैनाती की गयी है । प्रकरण की जांच कराकर शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य कराये जाने के आदेश दिए जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के समायोजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या–4672/15-5-99-87/95, दिनांक 28 अक्टूबर, 1999 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बिन्दु संख्या–5 में स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि किसी भी विद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक तैनात न हो । यदि स्वीकृत संख्या से अधिक शिक्षक तैनात होते हैं तो उसका उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा तथा उस अध्यापक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा । इसी प्रकार बिन्दु संख्या–6 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो अध्याक तैनात किये जायेंगे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन अध्यापक तैनात किए जायेंगे । प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 40 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक की तैनाती का मानक निर्धारित है किन्तु प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए यह व्यवस्था संभव नहीं हो पा रही है । उल्लेखनीय है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2001 में 20,000 बी०एड० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बी०टी०सी० के समकक्ष किए जाने एवं संक्षिप्त प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ चयन हेतु विज्ञापन प्रसारित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये थे और श्रेष्ठता के आधार पर चयन की कार्यवाही भी पूर्ण कर ली गयी थी परन्तु इसी मध्य कतिपय अभ्यर्थियों की याचिका पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर देने के फलस्वरूप प्रशिक्षण की कार्यवाही रोक दी गयी । तत्पश्चात् उसमें सुनवाई करते हुए मा० उच्च न्यायालय द्वारा चयन संबंधी शासनादेशों एवं चयन की सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर दिया

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गया । मा० एकल खण्डपीठ द्वारा दिए गये आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विशेष अपील दायर की गई है जो अभी विचाराधीन है । मा० न्यायालय के निर्णयोपरान्त अध्यापकों के चयन का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा । जहां तक शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य के अतिरिक्त भवन निर्माण संबंधी कार्य मतदाता सूची तैयार करना, जनगणना संबंधी कार्य, साक्षरता अभियान पल्स पोलियो एवं निर्वाचन संबंधी कार्य लिए जाने का प्रश्न है । इस संबंध में सूच्य है कि निर्वाचन के अतिरिक्त सभी कार्य अंशकालिक हैं । निर्वाचन संबंधी कार्य राष्ट्रीय महत्व का कार्य है उसे निर्धारित समय में पूर्ण किए जाने हेतु सभी की सहभागिता अपेक्षित होती है ।

3–जहां तक जनपद महोबा में छात्रों की संख्या से कम अथवा अधिक शिक्षक तैनात होने का प्रश्न है । इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वी०आई०पी० 324/15-5-2002-10(95)/2002 दिनांक 29अगस्त,2002 द्वारा जांच कराकर मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दे दिए गये हैं ।]

जनपद बलिया के रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में कतिपय सड़कों पर लेपन कार्य तथा पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री बूरा राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत नगपुरा कोटवारी मार्ग नगपुरा कोटवारी से बस्तौरा हरिजन बस्ती तक, पकवा इनार से खड़सरा गांव तक सड़कों के लेपन एवं पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है ।

2–मा० सदस्य द्वारा इंगित मार्गों के सम्बन्ध में विभागीय स्थिति निम्नवत् है :–

(1) नगपुरा कोटवारी पी०डब्लू०डी० मार्ग गुरवा होते हुए बंशीनगर के पोखरे पुलिया एवं लेपन कार्य का कराया जाना जरूरी है जो 2 कि०मी० है ।

यह मार्ग कोटवारी नगपुरा ग्रामीण मार्ग के कि०मी० 4 से निकलकर गुरवा ग्राम पंथीबाबा के पोखरे तक जाता है । विषयगत मार्ग के प्रारम्भ का 1 कि०मी० भाग गुरुवा ग्राम तक पूर्व से ही लेपित है । गुरुवा ग्राम के आगे पंथीबाबा के पोखरे तक की कुल लम्बाई 1.60 कि०मी० है जिसमें से 1.35 कि०मी० मिट्टी स्तर तथा शेष 0.25 कि०मी० ईंट खड़ंजा स्तर तक है । पंथीबाबा का मठ धार्मिक महत्व का है जहां पर प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है । इस मार्ग के लेपन स्तर तक निर्माण की लागत रु० 19.065 लाख आयेगी । यह मार्ग विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है और न ही प्रस्तावित है ।

(2) नगपुरा कोटवारी पी०डब्लू०डी० मार्ग से बस्तौरा हरिजन बस्ती तक लेपन पुलिया निर्माण कार्य 2 कि०मी० जिसका निर्माण आवश्यक है ।

यह मार्ग कोटवारी-नगपुरा मार्ग के कि०मी० 3 से निकलकर दायीं तरफ बस्तौरा हरिजन बस्ती तक जाता है । बस्तौरा वर्ष 2002-2003 में चयनित अम्बेडकर ग्राम है जिसकी आबादी 1303 है ।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस मार्ग की कुल लम्बाई 1.30 कि०मी० है । जो मिट्टी स्तर तक निर्मित है । मार्ग पर 2 ह्यूम पाइप पुलिया का निर्माण कर लेपित करने में अनुमानित लागत लगभग रु० 16.09 लाख आयेगी । यह मार्ग अभी स्वीकृत नहीं है ।

(3) पकवा इनार सिधार घाट पी०डब्लू०डी० मार्ग से खड़सरा गांव तक लेपन व पुलियां निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है ।

यह मार्ग पकवा इनार सिधागर घाट मार्ग के कि०मी० 2 से निकलकर दायीं तरफ खड़सरा ग्राम तक जाता है । खड़सरा ग्राम की कुल आबादी 1013 है । यह वर्ष 201-2002 में चयनित अम्बेडकर ग्राम है तथा लेपित सम्पर्क मार्ग द्वारा पकवा इनार सिधागर घाट पी०डब्लू०डी० मार्ग से जुड़ा है ।]

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजूकेशन प्रशिक्षित अध्यापकों को समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रभु नारायण द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, मा० विधायक ने श्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स एजूकेशन में प्रशिक्षित अध्यापकों को परिषदीय विद्यालयों में समायोजित न कराये जाने के कारण लगभग 2800 अध्यापकों के परिवार के भुखमरी के कगार पर होने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन की सूचना देते हुए उक्त प्रशिक्षित अध्यापकों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति देने का अनुरोध किया है ।

उक्त सम्बन्ध में स्थिति यह है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी एजूकेशन के पाठ्यक्रम वर्ष 1993 से 1997 तक 16 महाविद्यालयों में संचालित किये जाने की अनुमति दी गई । विश्वविद्यालय द्वारा तद्समय उक्त पाठ्यक्रम को चलाने हेतु न तो शासन से अनुमति मांगी गयी तथा न ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से । फलस्वरूप, उक्त 16 महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 1993 से 1997 तक 2604 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया गया । डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक विद्यालयों में डिप्लोमा के आधार पर सेवायोजित नहीं किये जाने पर डिप्लोमा धारकों द्वारा विश्वविद्यालय से अनुरोध किया कि चूंकि विश्वविद्यालय के प्रास्पेक्टस में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि डिप्लोमा धारक नर्सरी, प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के अर्ह होंगे । अतः विश्वविद्यालय उनके डिप्लोमा को बी०टी०सी० समतुल्य पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करें । विश्वविद्यालय द्वारा इस पाठ्यक्रम को वर्ष 1997 के बाद नहीं चलाया गया । विधान मण्डल में प्रश्न होने पर एक समिति गठित कर प्रकरण शासन को इस आशय से संदर्भित कर दिया कि डिप्लोमा इन नर्सरी एजूकेशन धारकों को विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर बी०टी०सी० के समकक्ष माना जाय ।

उक्त प्रस्ताव पर विचार करने हेतु प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में 24-9-2001 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सचिव, बेसिक शिक्षा, विशेष

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सचिव एवं अपर विधि परामर्शी न्याय एवम् निदेशक, एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा भाग लिया गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये अभिमत के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि चूंकि वर्तमान में किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बी०टी०सी० के समतुल्य माने जाने की नीति नहीं है। अतः उक्त डिप्लोमा धारक बी०टी०सी० विशेष प्रशिक्षण हेतु अर्ह नहीं हैं। उक्त निर्णय की पुष्टि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा लिखित रूप से भी की गई है।

अतः पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पूर्व में डिप्लोमा धारकों को परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्त करना सम्भव नहीं हो सका है।]

तत्कालीन उप निदेशक, पशुपालन विभाग, आजमगढ़ द्वारा आरक्षित पदों पर सामान्य अभ्यर्थी की नियुक्ति किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पशुधन एवं मत्स्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[वर्ष 1998-99 में आजमगढ़ मण्डल में हुए वेटरनरी फार्मासिस्टों के चयन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण कोटे में अनियमितता का प्रकरण वर्ष 2001 में प्रकाश में आया। इस प्रकरण पर निदेशक, पशुपालन से आख्या प्राप्त की गई। निदेशक, पशुपालन से प्राप्त आख्या से विदित हुआ कि उपरोक्त अनियमितता/कार्यवाही दो उप निदेशकों डा० आर० पी० सिंह एवं डा० यू० पी० सिंह के कार्यकाल में की गई थी। आख्या में प्रथम दृष्टया डा० आर०पी० सिंह को दोषी पाये जाने की दशा में इनको निलम्बित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त आजमगढ़ की भी एक आख्या डा० यू० पी० सिंह के विरुद्ध उक्त विभागीय जांच आरम्भ होने के उपरान्त प्राप्त हुई, जिस पर निर्णय लिए जाने हेतु विभागीय जांच आख्या की प्रतीक्षा की जा रही है।

2–डा० यू० पी० सिंह एवं अन्य दो अधिकारियों का अपर निदेशक, पशुपालन के पद पर चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। डा० पी०सी० दिवाकर भी पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित थे, किन्तु श्रेष्ठता के आधर पर इनका चयन नहीं हो पाया। जहां तक दोनों अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रश्न है। उ०प्र० पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 की अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार डा० यू०पी० सिंह का वरिष्ठता क्रमांक-400 तथा डा०पी०सी० दिवाकर का वरिष्ठता क्रमांक–662 हैं।

अपर निदेशक के पद पर प्रोन्नति के आदेश रिट याचिका संख्या 1034/95-डा० वी०पी०सिंह व डा० पी०सी० दिवाकर बनाम उ०प्र० शासन व अन्य के अन्तिम निर्णय के अधीन जारी किए गये हैं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समाज कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा दो उप निदेशकों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर निलम्बित किये जाने की संस्तुति के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदयराज आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य-मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 27-12-2000 द्वारा श्री रमाकान्त उप निदेशक के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं के आधार पर उन्हें निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसका सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त शासन द्वारा सम्बन्धित पत्रावली एवं सम्बन्धित उप निदेशक के स्पष्टीकरण की मांग की गई। निदेशक से उक्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार आख्या प्राप्त की जा रही है। पुनः निदेशक, समाज कल्याण के अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 23-7-2002 में सम्परीक्षा के आधार पर कतिपय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए श्री रमाकान्त उप निदेशक को निलम्बित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

तत्कालीन निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 21-8-2000 में जिला समाज कल्याण कार्यालय गोरखपुर की वर्ष 1996-97 की सम्परीक्षा में प्रकाश में आयी अनियमितताओं तथा जनपद वाराणसी में तैनाती की अवधि में सरकारी वाहन की आवास से हुई चोरी के आधार पर श्री योगेश राय, उप निदेशक को निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। उक्त प्रस्ताव का शासन स्तर पर परीक्षण किया गया और श्री राय का स्पष्टीकरण मांगा गया। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर शासन द्वारा निदेशक, समाज कल्याण की आख्या प्राप्त की गई, जिस पर विचारोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर निदेशक से सूचना मांगी गई है। नियम–51 की सूचना में पूर्व निदेशक के पत्र दिनांक 17-12-02 का उल्लेख त्रुटिवश किया गया ज्ञात होता है क्योंकि उक्त तिथि अभी नहीं आई है।

उप निदेशक (श्री योगेश राय) के विरुद्ध अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग की एक जांच रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के पत्र दिनांक 30-01-2002 द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो गृह विभाग के पत्र दिनांक 07-08-2002 द्वारा प्राप्त हुई है। इसका परीक्षण किया जा रहा है।

उक्त दोनों उप निदेशकों (श्री रमाकान्त एवं श्री योगेश राय) को उनके पूर्व तैनाती के स्थानों से स्थानान्तरित कर निदेशालय, समाज कल्याण में तैनात किया गया है।]

गोरखपुर बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में विवाद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० राधा मोहन दास अग्रवाल आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया है कि बी०आर०डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट न होने के कारण वहां की इमरजेंसी सेवायें बन्द हो रही हैं। पिछले तीन दिनों से कई विभागों की इमरजेंसी बन्द हो गयी है। इसको लेकर मेडिकल कालेज के छात्रों, महानगर के नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा सभी राजनीतिक दलों में बहुत आक्रोश है। दिनांक 31 अगस्त, 2002 को सर्वदलीय सभा नागरिकों के सहयोग से मेडिकल के छात्रों ने दिन भर गोरखपुर–महराजगंज रोड जाम रखा। स्थिति तनावपूर्ण तथा विस्फोटक है।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में आर्थोपेडिक्स विभाग की इमरजेंसी रेजीडेंट्स की कमी के कारण बन्द हो गयी है । मेडिसिन एवं सर्जरी की आकस्मिक सेवाएं किसी तरह संचालित की जा रही हैं । सर्जरी विभाग की आकस्मिक सेवाएं सप्ताह में तीन दिन क्रमशः बुधवार, शनिवार तथा रविवार को बन्द चल रही हैं । न्यूरो सर्जरी के केसेज देखे जा रहे हैं । ये आकस्मिक सेवाएं बन्द होने का कारण एम०डी०/एम०एस० के छात्रों के सीटों की संख्या 54 से घटाकर 34 होने के कारण तथा आर्थोपेडिक्स विभाग में शिक्षकों के कार्यरत न होने के कारण यह स्थिति गत तीन दिन से चल रही है । इस समस्या के समाधान हेतु प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर ने कतिपय विभागों में क्रमशः आर्थोपेडिक्स में 6, एस०पी०एम० में 2, फिजियोलोजी में 1, मेडिसिन में 4, सर्जरी में 4 तथा न्यूरो सर्जरी विभाग में तीन नान पी० जी० रेजीडेन्ट के पद सृजित किये जाने का अनुरोध किया गया है । इस आशय का प्रस्ताव प्रधानाचार्य व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त होने के उपरान्त वित्त विभाग को सहमति हेतु संदर्भित किया गया था । वित्त विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव पर कतिपय पृच्छायें की गयी हैं जिनका निराकरण अतिशीघ्र कराते हुए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करके अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।]

उत्तर प्रदेश आयुर्वेद/यूनानी फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 03-09-2002 को दी गयी सूचना में मुख्य रूप से आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर अर्ह अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने और नियुक्ति के सन्दर्भ में भ्रामक सूचना दिये जाने का उल्लेख करते हुए फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग की गयी है ।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा भ्रामक सूचना दिये जाने का आधार दो विभिन्न रिट याचिकाओं में दाखिल किये गये प्रतिशपथ, पत्रों में तदर्थ रूप से एवं दैनिक वेतन भोगी फार्मेसिस्ट दर्शायी गयी फार्मेसिस्टों की संख्या में भिन्नता होना है इस सन्बन्ध में उल्लेख करना है कि प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में वर्ष 1989 से डा० शिव राज सिंह निदेशक के पद पर कार्यरत रहे । डा० सिंह के कार्यकाल ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न संवर्गों के साथ फार्मेसिस्ट के पदों पर भी एक बड़ी संख्या में बिना चयन नियम का पालन किये अथवा कोई अन्य औपचारिकता पूर्ण किये बिना नियुक्तियां कर दी गयीं । इनके नियुक्त आदेशों में कुछ में तदर्थ अस्थायी, कार्य करने की अनुमति समायोजित और कुछ में दैनिक वेतन भोगी पर कार्य करने का उल्लेख किया गया । इस मामले में सबसे बड़ी कठिनाई तब प्रकाश में आई जब उक्त डा० सिंह के कार्यकाल के उपरान्त यह अनियमित नियुक्तियां संज्ञान में आईं और यह पाया गया कि इनके नियुक्त आदेश निदेशालय में उपलब्ध पत्रावलियों से जारी नहीं किये गये हैं और न ही निदेशालय में उपलब्ध डिस्पैच रजिस्टर से डिस्पैच किये गये हैं ऐसी दशा में प्रदेश के सभी अधीनस्थ अधिकारियों से विवरण/सूचना एकत्र करके सूची तैयार की गयी एवं इन नियुक्तियों की समीक्षा का कार्य प्रारम्भ किया गया । समीक्षा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के उपरान्त आ रही स्थिति एवं पूर्व में प्राप्त सूचना के आधार पर तैयार की गई सूची में भिन्नता आने का मुख्य कारण है पूर्व में तैयार की गयी संवर्ग वार सूची में कुछ नाम एक दूसरे संवर्ग में आ जाने कुछ तदर्थ कर्मियों के नाम दैनिक वेतन भोगी की सूची में आ जाने अथवा अधीनस्थ कार्यालयों से दी गई सूचना में कुछ नाम छूट जाने आदि कारणों से संख्या में भिन्नता आई है और जिस समय जो स्थिति संज्ञान में आयी उसी के अनुसार उस समय मा० न्यायालय में लम्बित वादों में दाखिल किये गये प्रतिशपथ-पत्र में संख्या का उल्लेख किया गया है । यहां यह भी उल्लेख करना है कि निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय से प्राप्त अद्यावधिक सूचना के अनुसार 234 तदर्थ फार्मासिस्ट कार्यरत हैं तथा 41 तदर्थ फार्मासिस्टों की सेवायें समाप्त की गयीं थीं इस प्रकार 275 तदर्थ फार्मासिस्टों की नियुक्ति तत्कालीन निदेशक के द्वारा किये जाने की सूचना प्राप्त है । पूर्व में 79 दैनिक वेतन भोगी फार्मासिस्टों की नियुक्ति तत्कालीन निदेशक द्वारा की जानी दर्शायी गयी थी किन्तु समीक्षा में यह पाया गया कि 10 तदर्थ फार्मासिस्टों को दैनिक वेतन भोगी सूची में दर्शाया जा रहा है अतः बाद में दायर प्रतिशपथ-पत्र में 69 दैनिक वेतन भोगी फार्मासिस्टों की संख्या दर्शाया गया है ।

वर्ष 1996 में कार्मिक विभाग द्वारा जारी समूह 'ग' की चयन प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2000 में तत्समय रिक्त 550 पदों पर विज्ञापन किया गया था जिसके विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें दाखिल की गयीं जिनमें से लगभग 50 रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के फलस्वरूप फार्मेसिस्टों की चयन प्रक्रिया अवरुद्ध हो गयी । इनमें से 10 रिट याचिकाओं में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति मा० उच्च न्यायालय द्वारा इस शर्त के साथ दी गयी है कि तदर्थ रूप से कार्यरत फार्मेसिस्टों को छोड़ कर चयन की कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु शेष रिट याचिकाओं पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम आदेश वर्तमान में भी प्रभावी हैं, जिनको समाप्त किये जाने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता से प्रभावी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है । यहां यह भी उल्लेख करना है कि वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा समूह ग के पदों की चयन प्रक्रिया नियमावली 2002 निर्गत की जा चुकी है । इस नियमावली के प्राख्यापित हो जाने के पश्चात् रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही हेतु उक्त परिपेक्ष्य में न्याय एवं कार्मिक विभाग से परामर्श प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

फार्मासिस्टों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2203 है जिसके सापेक्ष तदर्थ फार्मासिस्टों को सम्मिलित करते हुए 1771 फार्मासिस्ट वर्तमान में कार्यरत हैं इस प्रकार 432 पद वर्तमान में रिक्त हैं । विभाग में वर्तमान में कोई भी दैनिक वेतन भोगी फार्मासिस्ट कार्यरत नहीं हैं ।]

जनपद आगरा की भीषण पेयजल समस्या को देखते हुए पूर्व घोषित पोइया घाट बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० विधायक द्वारा जनपद आगरा की भीषण पेयजल समस्या को दूर करने के लिये 4 वर्ष पूर्व पोइया घाट पर बैराज बनाने के सम्बन्ध में की गयी घोषणा के बारे में सूचना दी गयी है । यह भी सूचित

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

किया गया है कि उक्त घोषणा के क्रम में समस्या के निदान हेतु कार्य प्रारम्भ न्हो कर दिया गया जिसमें लगभग 15 करोड़ रु० खर्च हो चुके हैं । परन्तु विगत एक वर्ष से कार्य होना बन्द हो गया है जिससे उक्त योजना के पूर्ण निर्माण पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । विधायक जी के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान समय में जल स्तर डेढ़ सौ से दो सौ फुट नीचे हो गया है । जल संस्थान से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जो पानी मिल रहा है वह शुद्ध नहीं है । जनहित में उपरोक्त बैराज के शीघ्र बनाये जाने हेतु सदन में नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है । इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :--

"आगरा बैराज यमुना नदी पर ताजमहल के 9.6 कि०मी० अप-स्ट्रीम में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है । इसका मुख्य उद्देश्य आगरा शहर को पेयजल आपूर्ति करना है । परियोजना के निर्माण हेतु धनराशि पर्यावरण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है । परियोजा की प्रशासकीय स्वीकृति वर्ष 1993 में प्रदान की जा चुकी है । यह परियोजना वर्ष 1997 में 114.08 करोड़ रु० की स्वीकृति है परियोजना का निर्माण ताज ट्रेपेजियम जोन निधि के अन्तर्गत प्रस्तावित है तथा मिशन मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति 31 जुलाई, 2001 को प्रदान की गयी है । वित्त व्यय समिति द्वारा भी 120.4 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की स्वीकृति 20-9-1999 में दी है । परियोजना पर माडल स्टडी एवं अन्य सर्वे कार्य के द्वारा निर्माण स्थल के चयन को अंतिम रूप दिया जा चुका है । बैराज के निर्माण हेतु निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रकार के मृदा परीक्षण एवं अन्य टेस्ट भी जून,2002 में पूर्ण हो चुके हैं । बैराज निर्माण पर उपरोक्त कार्यवाही प्रगति में थी तभी केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24 अगस्त, 2001 को निलम्बित कर दी गयी एवं उनके द्वारा निर्माण से पूर्व कुछ अन्य परीक्षण कराने का सुझाव दिया गया । पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जो स्वीकृति निलम्बित की गयी थी उसके समस्त बिन्दु को सम्मिलित करते हुए सिंचाई विभाग द्वारा विस्तृत नोट केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली को 20 दिसम्बर, 2001 को प्रेषित किया जा चुका है तथा पर्यावरण की स्वीकृति हेतु विभाग के अधिकारी पर्यावरण मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग से व्यक्तिगत रूप से निरन्तर सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं ।

पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् बैराज के निर्माण कार्य को पुनः प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जायेगी ।]

प्रदेश में औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण निदेशालय द्वारा न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

[मा० सदस्य विधान सभा श्री संजय गर्ग तथा श्री महबूब अली द्वारा उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 03-9-2002 को यह सूचना दी गयी थी कि प्रदेश में अधोमानक एवं नकली औषधियों का कारोबार अपनी चरमसीमा पर है

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा शासन औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गम्भीर नहीं है । शासन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के नियम 49''ए'' में निर्धारित योग्यता न रखने वाले सरकारी अस्पतालों में कार्यरत मात्र 16 पैथालाजिस्ट को पूरे प्रदेश में औषधि बिक्री के लाइसेंस निर्गत करने के लिये औषधि अनुज्ञापन अधिकारी (विक्रय) नियुक्त किया गया है जबकि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत औषधि नियंत्रण संगठन में कार्यरत अधिकारी औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 49''ए'' के अन्तर्गत अर्ह है । अतएव उन्हीं में से ही औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों की नियुक्ति कर दी जाय । औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पृथक निदेशालय की स्थापना की आवश्यकता है ।

2–उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य महानिदेशालय के अन्तर्गत एक औषधि नियंत्रक संगठन स्थापित हैं, जिसके अन्तर्गत मण्डल स्तर पर सहायक औषधि नियंत्रक एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक तथा जनपद स्तर पर औषधि निरीक्षक तैनात होते हैं, इसके अतिरिक्त छापामार कार्यवाही हेतु मुख्यालय पर एक इण्टेलीजेंस सेल भी गठित हैं, जिसमें सहायक औषधि नियंत्रक तथा औषधि निरीक्षक तैनात हैं । अधोमानक तथा नकली औषधियों की रोकथाम हेतु संगठन द्वारा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । इस सम्बन्ध में इण्टेलीजेंस सेल के अधिकारियों द्वारा औषधि निर्माणशालाओं एवं विक्रय प्रतिष्ठानों के विरुद्ध निरीक्षण/छापों के समय संदिग्ध गुणवत्ता की औषधियों के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु राजकीय विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं तथा परीक्षणोपरान्त नकली/अधोमानक पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में अभियोजन की कार्यवाही तथा नियमानुसार अन्य कार्यवाही की जाती है । विगत तथा वर्तमान वर्ष में संग्रहीत औषधि नमूनों तथा नकली अधोमानक पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :–

क्र०सं०	विवरण	2001-2002	2002-2003 (जून तक)
1	विश्लेषित नमूनों की संख्या	544	288
2	अधोमानक पाये गये नमूनों की संख्या, जिनकी रिपोर्ट विभाग को प्राप्त है ।	79	38
3	नकली पाये गये नमूनों की संख्या	03	04
4	नमूनों की संख्या, जिनमें दोषी फर्मों/व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की गयी ।	51	09
5	नमूनों की संख्या, जिनमें निर्माण लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की गयी ।	03	00
6	नमूनों की संख्या, जिनमें निर्माण लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।	05	00

अतः यह कहना सही नहीं है कि सरकार औषधियों की गुणवत्ता एवं अधोमानक स्तर की औषधियों की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण हेतु गम्भीर नहीं है । इस सम्बन्ध में उपलब्ध संसाधनों के

आधार पर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश में निर्माण/विक्रय की जा रही औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रहे ।

3–जनहित याचिका संख्या–13620/1993 डी०के० जोशी बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20-12-2000 के अनुपालन में शासन की विज्ञप्ति संख्या-डब्लू–42/पांच–8-2001-95. रिट/93, दिनांक 16-3-01 द्वारा ऐसे मुख्य चिकित्साधिकारियों जो औषधि एवं प्रशासन नियमावली, 1945 के नियम 49''ए'' में विहित अर्हताएं नहीं रखते हैं, को अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने से प्रतिबन्धित कर दिया गया । तदनन्तर शासन द्वारा उक्त नियमावली के नियम 49''ए'' में विहित अर्हताओं को दृष्टिगत करते हुए एम०डी० फैथालॉजी की उपाधि रखने वाले 14 चिकित्साधिकारियों को विज्ञप्ति दिनांक 27-7-2001 द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त किया गया, जिनके मध्य समस्त जनपदों को आवंटित किया गया है । पर्याप्त संख्या में अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

4–सूचना में मा० सदस्य द्वारा यह कहा गया है कि उ०प्र० फार्मेसी काउंसिल में दिनांक 31 मार्च, 2002 तक मात्र 26851 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं जबकि प्रदेश में लगभग 75.000 औषधि विक्रेता लाइसेंसी हैं तथा प्रत्येक औषधि विक्रेता के पास एक फार्मासिस्ट होना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंजीकृत फार्मासिस्टों की अनिवार्यता केवल फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस के लिये है और वर्तमान में प्रदेश में फुटकर औषधि विक्रय लाइसेंस धारकों की संख्या लगभग 24,000 है । समय-समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि समस्त फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान नियमानुसार पंजीकृत फार्मासिस्ट की देख-रेख में ही संचालित हैं ।]

जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज में लोन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में जनपद रायबरेली की तहसील लालगंज के अन्तर्गत लोन नदी पर सेतु निर्माण का अनुरोध किया गया है ।

2–इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित सेतु बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद राज्य मार्ग संख्या-38 के कि०मी०-167 से निकले कान्हा-खजूरगांव मार्ग (ग्रामीण मार्ग), जिसकी लम्बाई 12 कि०मी० है, के कि०मी०–11 में लोन नदी पर स्थित है यह मार्ग वर्ष 1988-89 में आर०एल०ई०जी०पी० (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी प्रोग्राम) योजना के अन्तर्गत 12 कि०मी० लम्बाई में सोलिंग स्तर (पत्थर की सोलिंग) तक निर्मित हुआ था, जिसके कि०मी० एक से 6 तक के भाग को पैक्सफैड संस्था द्वारा लेपन स्तर तक पूर्ण किया जा चुका है, शेष 6 कि०मी० (प्रस्तावित सेतु के एक ओर 5 कि०मी० व दूसरी ओर एक कि०मी०) अभी भी पत्थर सोलिंग स्तर का ही है । प्रश्नगत स्थल पर लोन नदी पर लगभग 30 मीटर लम्बाई के सेतु की आवश्यकता है, जिसकी लागत रु० 55.30 लाख होगी । सेतु का पूर्ण उपयोग तभी संभव हो सकेगा जब इसके दोनों ओर सम्पर्क मार्ग का भी लेपन स्तर तक निर्माण कराया

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जायेगा । इस सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित किये जाने में रु० 45.00 लाख की लागत आयेगी । प्रस्तावित सेतु के निर्मित हो जाने से डलमऊ, कान्हा, चक, मलिक-भीटी इत्यादि गांव के लगभग 20 हजार की जनसंख्या लाभान्वित होगी । प्रस्तावित सेतु एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण की कुल लागत रु० 100.30 लाख आयेगी । प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति विषयगत कार्य की स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव न होगा ।]

जनपद बाराबंकी के बदोसराय चौराहे पर दलित महिला व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का उत्पीड़न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य की नोटिस में उल्लिखित है कि जनपद–बाराबंकी के बदोसराय चौराहे के किन्तूर जाने वाले रोड के किनारे बलराम का होटल है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है । तहसील सिरौली गौसपुर के एस०डी०एम० उसकी जमीन से उसे अनुचित तरीके से बेदखल करने की चेष्टा कर रहे हैं जबकि मा० उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त है । मा० सदस्य की नोटिस में यह भी उल्लिखित है, कि दलित महिला गुड़िया के पति की भूमिधरी आराजी नं०–530, 536, 545 ग्राम परगना बदोसराय तहसील सिरौली गौसपुर स्थित है जिसमें मकान एवं दुकान बनी है, उसे भी बेदखल करने की साजिश हो रही है ।

मा० सदस्य की नोटिस के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, बाराबंकी से प्राप्त सूचना अनुसार बाराबंकी जनपद की तहसील सिरौली गौसपुर स्थित बदोसराय चौराहा से किन्तूर जाने वाली सड़क पर बलराम का होटल स्थित नहीं है बल्कि इनका होटल बदोसराय से टिकैतनगर जाने वाली सड़क पर उत्तर तरफ स्थित है । होटल की स्थिति गाटा संख्या–546 एवं 542 तथा मार्ग संख्या–547 पर अवस्थित था । सड़कों के किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान के अन्तर्गत बदोसराय चौराहे पर जो अतिक्रमण सार्वजनिक मार्ग पर था वह हटाया गया । श्री बलराम के होटल का आंशिक भाग सड़क सीमा में था, जिसे हटाया गया । शेष किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया गया । माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12-8-99 (रिट संख्या–2152/99) (एस०एस०) वर्ष 1999 बावत गाटा संख्या–542 पर वर्ग–4 के इन्द्राज के सम्बन्ध में था तथा उक्त आदेश के द्वारा 122(बी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं थी, इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न तो श्री बलराम यादव को होटल चलाने को मना किया गया है ।

जहां तक गाटा संख्या–530, 536, 545 का प्रश्न है यह भूमि श्रीमती गुड़िया देवी के पति श्री मैकू पुत्र बेचू व सास श्रीमती शिवराज पत्नी स्व० बेचू के नाम दर्ज कागजात है जिसमें से गाटा संख्या–545 विवादित है । जिसके सम्बन्ध में गुड़िया के ससुर श्री बेचू पुत्र मतई व नूरन हसन नोमानी के मध्य दीवानी न्यायालय में वाद संख्या–375/86 चला था । जिसमें रामझौते के आधार पर सिविल जज जूनियर डिवीजन बाराबंकी ने अपने आदेश दिनांक 8-4-96 के द्वारा श्री नूरन हसन नोमानी का माना है ।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या 39 से 58 तक के वक्तव्य पढ़े हुये माने जायं ।

(सदन की सहमति से मद संख्या 39 से 58 तक के संलग्न वक्तव्य पढ़े हुये माने गये)

जनपद उन्नाव के हिलौली करदहा व चन्दाखेड़ा मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री उदय राज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जनपद उन्नाव में हिलौली-करदहा व चन्दाखेड़ा स्वीकृत मार्ग का निर्माण न कराये जाने एवं फर्जी भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत मार्ग राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 में चार किलोमीटर लम्बाई हेतु रुपये 22.00 लाख की लागत पर स्वीकृत हुआ था । मार्ग का निर्माण 3.85 किलोमीटर लम्बाई में केवल मिट्टी स्तर का कार्य कराया गया । वर्ष 1993-94 से 1998-99 तक कुल रुपये 15.00 लाख के आवंटन के सापेक्ष रुपये 15.00 लाख का व्यय किया गया । उक्त मार्ग पर हुए व्यय की जांच कराने पर वास्तविक व्यय रुपये 2.65 लाख पाया गया तथा शेष रुपये 12.35 लाख का व्यय अन्य योजनाओं/कार्यों पर समायोजन सीधे ही इस कार्य पर कर डाला गया ।

2–प्रश्नगत कार्य पर किए गए गलत व्यय रुपये 12.35 लाख के लिए प्रथम दृष्टया उत्तारदायी श्री जय प्रकाश जैन व श्री वी०पी० सिंह, तत्कालीन अधिशासी अभियन्तागण के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर दी गई है, जो प्रगति पर है । इस सम्बन्ध में जांच के परिणाम प्राप्त होने पर तद्नुसार अन्तिम निर्णय लिया जयेगा ।]

जनपद महामायानगर (हाथरस) में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी न रुकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा डा० विनोद तिवारी मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि जनपद महामायानगर (हाथरस) एवं सीमावर्ती जनपदों में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी करने वाली फर्मों मेसर्स कमलकान्त आटोमोबाइल्स सलेमपुर (हाथरस) डीलर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं मेसर्स गोण्डा फिलिंग स्टेशन अलीगढ़

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डीलर भारत पेट्रोलियम के विरुद्ध विभिन्न साक्ष्यों एवं सरकारी अधिकारियों की संस्तुतियों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस उप महानिरीक्षक एवं अपर आयुक्त खाद्य प्रकोष्ठ तथा नियंत्रक विधिक माप विज्ञान द्वारा जांच कराई गई । खाद्य प्रकोष्ठ द्वारा दी गई जांच के आधार पर जनपद में कार्यरत 08 पेटी डीजल डीलरों के यहां अन्डर ग्राउन्ड टैंक व डिस्पेंसिंग यूनिट लगाकर डीजल बेंचने के संबंध में अनियमितता पायी गई । पाई गई अनियमितता के विरुद्ध जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा आदेश दिनांक 22-6-2002 द्वारा उक्त 08 पेटी डीजल डीलरों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया । जिलाधिकारी, हाथरस के उक्त आदेश दिनांक 22-6-2002 के विरुद्ध संयुक्त रूप से 08 पेटी डीजल डीलरों ने दिनांक 9-7-2002 को मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । जिसके विरुद्ध दिनांक 12-7-2002 को स्टे आर्डर वेकेट कराने हेतु काउन्टर एफिडेविड मा० उच्च न्यायालय में लगाया गया । दिनांक 26-7-2002 को जिलाधिकारी, महामायानगर (हाथरस) द्वारा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 22-6-2002 को इस आधार पर रिकॉल कर लिया गया कि निरस्तीकरण आदेश पारित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन नहीं किया गया था । जिलाधिकारी द्वारा इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त ही की जायेगी रिकॉल आदेश के संबंध में मा० उच्च न्यायालय में दिनांक 7-8-2002 को सप्लीमेण्टरी एफिडेविट दाखिल किया गया है ।

मेसर्स कमलकान्त आटोमोबाइल्स सलेमपुर एवं मेसर्स गोण्डा फिलिंग स्टेशन गोण्डा अलीगढ़ द्वारा कथित कालाबाजारी तथा भ्रष्टाचार की गतिविधियों में लिप्त होने के प्रकरण में समुचित कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय समन्वयक, भारतीय तेल निगम, लखनऊ को दिनांक 20-5-2002 को आदेश निर्गत किये गये हैं । मेसर्स कमलकान्त आटोमोबाइल्स सलेमपुर हाथरस द्वारा कथित अनियमितता के प्रकरण में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तेल कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जांच कराई गई । जांच के दौरान उक्त पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी प्रकार का अप मिश्रण अथवा घटतौली जैसे कार्य में लिप्त होना नहीं पाया गया तथा पेट्रोल पम्प का संचालन निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है । इस संबंध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 30-5-2002 को भेज दी है । गोण्डा फिलिंग स्टेशन गोण्डा अलीगढ़ के संबंध में भारत पेट्रोलियम तेल कम्पनी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

जनपद हाथरस एवं सीमावर्ती जनपदों में पेट्रोलियम उत्पादों की कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार के आधार पर कथित फर्मों द्वारा अत्यन्त अल्प समय में करोड़ों रुपये की अवैध एवं अकूत धन सम्पदा इकट्ठी करने के प्रकरण में उप जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा की गई जांच आख्या दिनांक 30-5-2002 के आधार पर जिलाधिकारी, हाथरस द्वारा समुचित कार्यवाही करने हेतु आयकर आयुक्त, अलीगढ़ को लिखा गया है ।

जिला हाथरस के तत्कालीन जिलाधिकारी श्री अनिल कुमार एवं तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारी श्री मानिक लाल एवं श्री आई०एम०हाशमी को खाद्य प्रकोष्ठ की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया । श्री अनिल कुमार तत्कालीन जिलाधिकारी, हाथरस के विरुद्ध कार्यवाही नियुक्ति विभाग द्वारा की

जा रही है । तत्कालीन जिलापूर्ति अधिकारियों के विरुद्ध उ०प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इस हेतु सहायक आयुक्त, खाद्य, आगरा संभाग आगरा को जांच अधिकारी नामित किया गया है ।]

जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया अन्तर्गत ग्राम पटखनिया में सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर दबंगों द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद गाजीपुर की तहसील जमानिया के ग्राम पटखनिया में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर दबंगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर के माध्यम से तहसीलदार, जमानिया एवं थानाध्यक्ष, सुहवल से सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार ग्राम पटखनिया, थाना सुहवल, तहसील जमानिया के गाटा संख्या–620 रकबा 0.320 हेक्टेयर जो खाते में नवीन परती के नाम से अंकित है, के संबंध में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) गाजीपुर के न्यायालय में मूल वाद संख्या–73/2002 में मा० न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-1-2002 में "पत्रावली वास्ते आपत्ति व निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6 (ग) दिनांक 31-1-2002 पेश हो, तब तक उभय पक्ष विवादित भूमि खण्ड आराजी नं०–620 (क) के बावत यथास्थिति कायम रखें" के आदेश दिये हैं ।

उक्त आदेश के बावत स्पष्ट करना है कि आराजी नं०–620 का रकबा 0.558 हेक्टेयर है, जिसमें आराजी नं० 620 का रकबा 0.41 हेक्टेयर श्रीपति मिश्र पुत्र रामसुभग मिश्र आदि के नाम से संक्रमणीय भूमि पर अंकित है । आराजी नं० 620 ख का रकबा 0.320 हे० नवीन परती के नाम से अंकित है एवं आराजी नं० 620 ग का रकबा 0.096 हे० एहसनंद आदि के नाम से संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । आराजी नं० 620 (क) के काश्तकार ने उक्त स्थगनादेश अपने पक्ष में प्राप्त किया है जिसमें वाद पत्र में शामिल नजरी नक्शा में जो विवादित भूखण्ड दिखाया गया है, वह 620(क), 620 (ख) एवं 620 (ग) को सम्मिलित करते हुए स्थगनादेश प्राप्त किया गया है । इस वाद पत्र में गांव सभा या राजस्व विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है । ए०डी०जी०सी० ने दिनांक 8-8-2002 को अभिलेख व न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन कर ग्राम प्रधान पटखनिया के माध्यम से 10 सी०पी०सी० की दरख्वास्त प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जिसके तहत दिनांक 2-9-2002 को ग्राम प्रधान पटखनिया व लेखपाल हल्का द्वारा 10 सी०पी०सी० की दरख्वास्त प्रस्तुत कराई गई है । स्थगनादेश के निरस्त होते ही आराजी नं०–620 ख के अतिक्रमण को हटा लिया जायेगा ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में रुनकता में 33/11 के०वी० सब स्टेशन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चौधरी बाबू लाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में रुनकता में 33/11 के०वी० [illegible] एम०डी०ए० उप-केन्द्र ताज ट्रेपीजियम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है । इसके लिए बन रही 33 के०वी० लाइन के निर्माण में वन विभाग द्वारा देर से वृक्षों को काटने की अनुमति के कारण देरी हुई है । वन विभाग द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति जून 2002 में मिली । इस उप-केन्द्र का कार्य 75 प्रतिशत पूरा हो गया है । 33 के०वी० लाइन का निर्माण पूर्ण करा कर उप-केन्द्र शीघ्र ऊर्जीकृत किया जायेगा ।]

जनपद आगरा की खैरागढ़ नगर पंचायत व जगनैर में बिजली आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रमेश कान्त लवानिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग. रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अबाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है परन्तु खैरागढ़ विधान सभा का अधिकतर क्षेत्र ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र में नहीं आता है, जिसके कारण खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत क्षेत्र खैरागढ़ व जगनेर के वे हिस्से जो ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र में नहीं आते हैं, में ग्रामीण शिड्यूल के अनुसार वर्तमान समय में लगभग 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

खैरागढ़ को विद्युत आपूर्ति 33/11 के०वी० उप संस्थान कागारौल से की जाती है । उपभोक्ताओं के बिलों की धनराशि सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के आगरा स्थित कार्यालय में प्राप्त की जाती है । इसके अतिरिक्त जनता की सुविधा हेतु माह में एक-एक शिविर खैरागढ़ व जगनेर में भी लगाया जाता है जिसमें अन्य कार्यों के अतिरिक्त विद्युत बिलों का भुगतान भी लिया जाता है । इन शिविरों की तिथि की सूचना का व्यापक प्रचार क्षेत्र में पहले से ही करा दिया जाता है ।

कागारौल क्षेत्र में कुल तीन कर्मचारी हैं तथा जगनेर में कुल तीन टी०जी०–2 (एस०एस०ओ०) कर्मचारी हैं । जगनेर, कागारौल तथा सैंया इन तीन विद्युत उप संस्थानों की देखभाल एक अवर अभियन्ता द्वारा की जाती है । विद्युत दोष आने पर विद्युत आपूर्ति को यथाशीघ्र सामान्य करने के भरसक प्रयास किये जाते हैं ।

11 के०वी० पोषकों की लम्बाई अधिक होने के कारण अधिकतम मांग के समय कभी-कभी पोषकों के अन्तिम छोर पर वोल्टेज की समस्या का आ जाना स्वाभाविक है ।

जगनेर नगर पंचायत में अनुबन्धित भार के अनुसार पर्याप्त क्षमता के ट्रान्सफार्मर पहले से ही स्थापित हैं ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक, फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शारदा नन्द अंचल, द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री शारदा नन्द अंचल, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 3-9-2002 में यह बिन्दु उठाया गया है कि बलिया जनपद की तहसील बिल्थरा रोड के कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की हालत खराब है। खराब हालत को ठीक करने की जिम्मेदारी जिन्हें दी गयी है, उनमें से नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पशुहारी में वर्षों से डाक्टर नहीं है और एक महिला फार्मासिस्ट के आतंक से डाक्टर ने त्याग-पत्र देकर नौकरी ही छोड़कर गायब है, फिर भी फार्मासिस्ट को तत्काल न हटाकर एक वर्ष बाद हटाया गया, जो पद रिक्त है एक वार्ड ब्वाय निरन्तर कार्य करता है, उसे हटाने की साजिश हो रही है यही हालत अन्य अस्पतालों की है। दवाओं की बेहद कमी है। सरकार द्वारा भेजी जाने वाली दवाओं को डाक्टर व फार्मासिस्ट अपने तयशुदा मेडिकल स्टोर पर बेंच देते हैं और उन्हीं मेडिकल स्टोरों के लिये दवाओं का पर्चा बनाकर मरीजों के अभिभावकों को संकेत देते हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिश्वत देकर उनकी बिरादरी के मेडिकल स्टोर संचालक, फार्मासिस्ट का स्थानान्तरण कराते और रुकवाते हैं। दबाव बनाकर उनके ही मेडिकल स्टोर से दवा खरीदने पर मजबूर करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करने में मशगूल हैं। उनकी जांच एवं कार्यवाही के बिना सुधार सम्भव नहीं है।

उपर्युक्त सूचना के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि जनपद बलिया की तहसील बिल्थरा रोड के उल्लिखित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की खराब हालत के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं पर समुचित जांच कराकर चिकित्सालयों की स्थिति ठीक कराने के निर्देश शासन के पत्र दिनांक 5-9-2002 में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिये गये हैं। प्रकरण में उक्त अधिकारियों से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक आख्या भी मांगी गयी है जिसे प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद कानपुर के घाटमपुर नगर पालिका में प्रस्तावित "ओवर हेड टैंक" के निर्माण के संबंध में श्री राकेश सचान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य श्री राकेश सचान ने नियम–51 के अन्तर्गत निम्न सूचना प्रस्तुत की है :–

"विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के अन्तर्गत नगर पालिका घाटमपुर में वर्ष 89-90 व 90-91 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री जी द्वारा पाइप पेयजल योजना हेतु रु० 1.33 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें 5 नलकूप व 2 ओवर हैड टैंक बनाया जाना प्रस्तावित था। जिसमें अभी तक मात्र 02 नलकूपों का ही निर्माण कराया गया है अभी भी 03 नलकूप व 02 ओवर हैड टैंकों का निर्माण शेष है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में घाटमपुर नगर पालिका की आबादी लगभग 45 हजार है तथा यहां का पानी अधिकतर खारा है । उक्त नलकूपों एवं ओवर हेड का निर्माण न होने के कारण बढ़ती जनसंख्या को देखते हुये पेयजल की भीषण समस्या है । अतः अवशेष कार्य को तत्काल धन अवमुक्त करते हुए पूर्ण कराने हेतु लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने हेतु वक्तव्य के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।''

उपरोक्त के संदर्भ में यह अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद् घाटमपुर की पेयजल समस्या के दृष्टिगत एक प्राक्कलन अनुमानित लागत रु० 42.33 लाख का विरचित किया गया था, जिसमें 2 नलकूपों के निर्माण एवं तत्संबंधी कार्य सम्मिलित थे, जिसके सापेक्ष समस्त धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है । इस योजना में सम्मिलित कार्यों को पूर्ण कराकर नगर पालिका परिषद् घाटमपुर को वर्ष 2001-2002 में हस्तान्तारित कर दिया गया है एवं इसका लाभ जनता को मिल रहा है । वर्तमान में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार (35496 की जनसंख्या पर) जल की मांग (70 ली० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन + 15% के हिसाब से) 2.84 एम०एल०डी० है जिसके सापेक्ष 4 नग नलकूपों से जल की उपलब्धता 2.88 एम०एल०डी० है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि घाटमपुर कस्बे में वर्तमान मांग के अनुरूप पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता है । उसके अतिरिक्त उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–7 के अनुसार जलापूर्ति उपलब्ध कराना नगर पालिका एवं नगर पंचायत का कर्तव्य है ।]

जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित माधव सेवा आश्रम के पास दुकानदारों को पुनः बसाये जाने हेतु श्री कौशल किशोर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री कौशल किशोर सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना दिनांक 03-09-02 में मुख्य बिन्दु यह उठाये गये हैं कि विगत 28 जून, 2002 को भारत के प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी के द्वारा लखनऊ जनपद के रायबरेली रोड पर माधव सेवा आश्रम के उद्घाटन के कार्यक्रम के कारण विगत 20 जून, को पी०जी०आई० के पास के 15 दुकानदारों को यह कहकर जिला प्रशासन ने हटवा दिया कि प्रधान मंत्री का कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद 29 जून, को अपनी दुकानें रख लेना जबकि 7 दुकानदारों का न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) लखनऊ मुकदमा संख्या–861/99 से 864/99 द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश है । उक्त कार्यक्रम के बाद एक भू-माफिया हरिनारायण दुबे जिसने नहर विभाग की खसरा संख्या 1992 का व 1993 ख व 2020 से 2025 खसरा संख्या तक पौने तीन एकड़ भूमि बेच डाला है, जिला प्रशासन से मिलकर दुकानदारों को दुकान रखने नहीं दिया । दुकानदार 01 जुलाई, 2002 से जिलाधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं परन्तु जिला प्रशासन द्वारा उनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया गया है ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों पर अतिक्रमण हटाये जाने की सतत प्रक्रिया है । विशेषकर राज मार्गों, मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों जिनकी स्थायी भूमि पर दुकानदारों या अन्य किसी के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण कर लिये जाते हैं, उसके हटाने के लिये पुलिस एवं प्रशासन की मदद ली जाती है । दिनांक 20-06-2002 को रायबरेली मार्ग के 12 से 16 कि०मी० तक के समस्त अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया, जिसके अन्तर्गत एस०जी०पी०जी०आई० के पास जो 15 कि०मी० में पड़ता है, का अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया । स्पष्ट है कि अतिक्रमणकर्ताओं को लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया गया था । पुनः सड़क भूमि के अतिक्रमणकर्ताओं को पुनर्स्थापित किया जाना औचित्यपूर्ण न होने के कारण सम्भव नहीं है ।]

विधान सभा सदस्यों को आवास विकास विभाग द्वारा एक-एक लाख रुपया जमा कराने के बाद भी भवन निर्माण हेतु जमीन न उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री इकबाल महमूद द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[श्री इकबाल महमूद मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा 13वीं विधान सभा में मा० नगर विकास मंत्री जी के द्वारा मा० सदस्यों को ऐशबाग रोड, लखनऊ में भवन देने अथवा जो मा० सदस्य भवन न लेना चाहें उन्हें 300 वर्गमीटर का प्लाट प्राथमिकता के आधार पर रियायती दर पर उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि कई मा० सदस्यों के द्वारा मा० मंत्री जी के सदन में कथनानुसार भूखण्ड लेने के लिए एक-एक लाख रुपये आवास विकास विभाग में जमा कर दिए थे किन्तु बाद में मा० सदस्यों को सूचित किया गया कि विभाग भूमि देने में असमर्थ है अतः जिन विधायकों ने एक-एक लाख रुपया जमा किया है वे वापस ले लें ।

इस विषय में विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक 3-9-2002 को दी गयी सूचना के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय विधायकों की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु उत्तर प्रदेश विधायक एवं सांसद सहकारी आवास समिति के नाम से, एक समिति का निबंधन उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् से कराया गया । जिसका निबंधन संख्या–2512, दिनांक 21-1-1999 है । उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के द्वारा दिनांक 23-2-2000 से 9-3-2000 तक पंजीकरण खोला गया था, जिसमें निम्न विकल्प दिए गए थे :–

(1) स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत विधायकगण यू०पी०आई०एल० कैम्पस में प्रस्तावित बहुमंजिले भवन निर्माण में अपना फ्लैट बुक करा सकते हैं जिसका पंजीकरण शुल्क रु० 2.00 लाख निर्धारित था ।

(2) माननीय विधायकों एवं सांसदों के द्वारा बनाई गयी "उत्तर प्रदेश विधायक एवं सांसद सहकारी आवास समिति " के माननीय सदस्यों को यह विकल्प होगा कि यदि वे चाहें, तो

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वृन्दावन योजना रायबरेली मार्ग पर भूखण्ड प्राप्त कर सकते हैं जिसका पंजीकरण शुल्क रुपये 1.00 लाख निर्धारित था । इसके लिए निम्न मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे :–

(क) प्लाट का साइज 200 से 280 वर्गमीटर होगा ।

(ख) योजना में सामान्य भूमि दर रु० 1750/– प्रति वर्गमीटर है, परन्तु समिति द्वारा उक्त योजना में अविकसित भूमि ली जा सकती है, जिसे रु० 1250/- प्रतिवर्ग मीटर पर दिया जा सकता है, प्रतिबन्ध यह था कि उक्त क्षेत्र का विकास समिति द्वारा स्वयं किया जायेगा ।

(ग) भूखण्ड हेतु पंजीकरण धनराशि रु० 1.00 लाख दिनांक 9-3-2000 तक उत्तर प्रदेश विधायक एवं सांसद सहकारी आवास समिति के पास जमा करनी थी ।

(घ) आवंटन के पश्चात् अवशेष धनराशि 3 माह के अन्दर जमा करनी होगी, आवंटन पत्र के अनुसार पूर्ण धनराशि जमा होने एवं आवश्यक विलेख निष्पादन के उपरान्त भूखण्ड का कब्जा आवंटी को दिया जायेगा ।

(च) समिति द्वारा इच्छुक प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गए भूखण्ड के क्षेत्रफल का विवरण परिषद् को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके अनुसार योजना के ले-आउट/भू-विन्यास मानचित्र में इन भूखण्डों को चिन्हित किया जायेगा ।

माननीय विधायकों एवं सांसदों की आवासीय समस्याओं के समाधान के लिए माननीय विधायकों के द्वारा बनाई गई आवासीय समिति के सदस्यों को भू-खण्ड आवंटित किए जाने के संबंध में अवगत कराना है कि इस समिति के 18 माननीय सदस्यों के द्वारा रुपये 1.00 लाख प्रति सदस्य समिति के माध्यम से अथवा आवास विकास परिषद् में सीधे जमा किए गए थे, जिनमें से 2 माननीय सदस्यों के द्वारा अपनी पंजीकरण धनराशि वापस ले ली गयी है । उत्तर प्रदेश विधायक एवं सांसद सहकारी आवास समिति से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् के पत्र दिनांक 4-2-2002, 12-4-2002 तथा 12-6-2002 के द्वारा अपने सदस्यों को विकसित/अविकसित भूखण्ड प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध कमेटी से प्रस्ताव/सहमति चाही थी, परन्तु प्रबंध समिति द्वारा अपेक्षित प्रस्ताव/सहमति उपलब्ध नहीं कराई गई है तत्पश्चात् इस हेतु माननीय सदस्यों से पत्र दिनांक 29-6-2002 के द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि वे अपनी सहमति दे दें, ताकि उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किए जा सकें, अन्यथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् विनियमों में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अपनी पंजीकरण धनराशि वापस ले सकते हैं । 16 पंजीकृत माननीय विधायकों एवं सांसदों में से 3 माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर उन्हें वृन्दावन आवासीय योजना लखनऊ में रु० 1750/- प्रति वर्ग मीटर की दर से भूखण्ड आवंटित कर दिया गया है । उक्त के अतिरिक्त शेष माननीय सदस्यों से योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्राप्त न होने के कारण भूखण्ड का आवंटन नहीं किया गया है, उनकी सहमति प्राप्त होते ही नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन कर दिया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त स्थिति से माननीय सदन अवगत होने का कष्ट करें ।]

जनपद आजमगढ़ की बीसवीं वाहिनी पी०ए०सी० द्वारा किसानों की जमीन पर कब्जा करने एवं उसका मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अंतर्गत सूचना दी गयी थी कि 20वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, आजमगढ़ द्वारा किसानों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है और उन्हें न तो बदले में जमीन दी गयी है न ही भूमि का मुआवजा दिया गया है। ग्राम हाफिजपुर, तहसील सदर आजमगढ़ निवासी मदन मोहन पुत्र वीरा है अराजी नम्बर 736 रकबा 3 एकड़ भूमि पर पी०ए०सी० द्वारा जबरन अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। सरकार एवं अधिकारियों से प्रार्थना करने के बाद आज तक न तो बदले की भूमि दी गयी न ही भूमि का मुआवजा दिया गया है।

उक्त सूचना पर सेनानायक, 20वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार अवगत कराना है कि 20वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, आजमगढ़ द्वारा किसानों की कोई जमीन जबरन कब्जा नहीं की गयी है। इस वाहिनी के आवास आदि के निर्माण हेतु किसानों की 20.358 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर वाहिनी को प्रदान करायी गयी थी। अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर हेतु धनराशि 14,70,000.00 वर्ष 1988-89 में ही वितरित कर दी गयी है। ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर जनपद आजमगढ़ के अराजी नम्बर 736 रकबा 3 एकड़ भूमि पर श्री मदनमोहन पुत्र वीरा का नाम राजस्व अभिलेखों में गलत दर्ज हो गया था। जिसके सम्बन्ध में चकबन्दी अधिकारी सदर प्रथम के न्यायालय में वाद संख्या 606 धारा 9(क)–2 चकबन्दी अधिनियम पी०ए०सी० बनाम मदनमोहन योजित किया गया था। चकबन्दी अधिकारी प्रथम द्वारा दिनांक 3-7-2002 को प्रश्नगत भू-खण्ड 736/क रकबा 3 एकड़ पर 20वीं वाहिनी, पी०ए०सी०, आजमगढ़ का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है और इस आदेश के अनुपालन में उक्त अराजी पर 20वीं वाहिनी आजमगढ़ का नाम दर्ज है। मौके पर भी पी०ए०सी० का कब्जा वर्ष 1976 से अनवरत चला आ रहा है। इस प्रकार मदनमोहन की किसी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया गया है। अतः मदनमोहन को भूमि के बदले भूमि देने अथवा मुआवजा देने का औचित्य नहीं है।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर में विधायक निधि द्वारा स्वीकृत कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विशुन आजाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य विधान सभा ने जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में विधायक निधि से वर्ष 2001-2002 में योजनाओं पर कार्य करने हेतु दिये गये अपने प्रस्तावों पर कार्य न होने तथा कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने का बिन्दु उठाया है तथा प्रस्तावित कार्य दूसरी कार्यदायी संस्था से कराने की मांग की है। इस सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

मा० सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा को उनके द्वारा वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित कार्यों को प्राथमिकता के

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आधार पर पूर्ण कराने के निर्देश दिनांक 4-9-2002 को निर्गत कर दिये गये है तथा विषयगत मामले की जांच कराकर 15 दिनों के भीतर जांच आख्या मांगी गयी है, ताकि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कई ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया तथा रु० 50 लाख से अधिक की धनराशि की गड़बड़ी होने की आशंका जताई है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचित करना है कि संदर्भित ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण के कार्य को नियमानुसार संसाधनों की उपलब्धता पर कराये जाने तथा जांचोपरान्त दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु महाप्रबन्धक (वितरण) इलाहाबाद को निर्देशित किया जा चुका है ।]

सांसद निधि एवं विधायक निधि द्वारा स्वीकृत जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र का कार्य जिला ग्राम विकास अधिकारी द्वारा न कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री नें दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा उठाये गये नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में यह कहना है कि जिलाधिकारी गाजियाबाद ने अपने पत्रांक–965/अधि०/विधान सभा प्रश्न/2002 दिनांक 03-09-2002 द्वारा जो सूचना उपलब्ध कराई है उसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नलिखित है :–

मा० सांसद (राज्यसभा) श्री अमर सिंह द्वारा अकन–10.00 लाख की धनराशि जनपद–आजमगढ़ से जिला ग्राम विकास अभिकरण, गाजियाबाद में दिनांक 08-10-2001 को बैंक ड्राफ्ट सं०–575699 दिनांक 01-10-2001 प्राप्त हुआ उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में तत्कालीन परियोजना निदेशक द्वारा अपने पत्र सं०–1674 दिनांक 24 अक्टूबर, 2001 द्वारा माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री अमर सिंह जी को जनपद–आजमगढ़ से धनराशि प्राप्त होने की सूचना दी गई तथा धनराशि से कराये जाने वाले कार्य की संस्तुति यथाशीघ्र जिला ग्राम विकास अभिकरण गाजियाबाद को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में दिनांक 27-10-2001 को माननीय सांसद जी के निजी सचिव, श्री प्रदीप कपूर द्वारा श्री धर्मेश सिंह तोमर को राजपूत इण्टर कालेज पिलखुआ गाजियाबाद इण्डोर हाल के निर्माण

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के सम्बन्ध में 10.00 लाख रुपये की धनराशि की संस्तुति के क्रम में जानकारी देते हुए तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण, गाजियाबाद को पत्र प्रेषित किया गया तथा उनके परियोजना निदेशक से मिलकर इस कार्य के सम्बन्ध में सभी कागजात अभिकरण कार्यालय में दाखिल करने का अनुरोध किया गया । इस सम्बन्ध में श्री धर्मेश सिंह तोमर ने अपने पत्र दिनांक 23-11-2001 (जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सम्बोधित है) को इन्डोर हाल की आन्तरिक साज-सज्जा का प्राक्कलन तैयार कराके जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजियाबाद में प्रस्तुत करने हेतु कहा । क्योंकि इन्डोर हाल का निर्माण पूर्व से किया हुआ था अतः हाल की आन्तरिक साज-सज्जा का प्राक्कलन अपर मुख्य अधिकारी, जिल पंचायत, गाजियाबाद ने अपने पत्र संख्या-3483 दिनांक 15-12-2001 के द्वारा अंकन 999600/- का प्रस्तुत किया गया । प्राक्कलन में मुख्य रूप से निम्न कार्यों का प्राविधान किया गया, 1–टीकगुड स्ट्रीपर्स वाल पेंटिंग हेतु, 2–वैलवुड स्ट्रीपर्स सिलिंग एवं पेंटिंग, 3–चौखट निर्माण, 4–बुलवुड इन्सुलेशन टाईल्स, 5–एप्रूव्ड परिजरवेटिव दो कोट पेन्टिंग, 6–परफोरेटिड टाईल्स, 7–मोल्डिंग, सीलिंग व पेन्लिंग हेतु 8–फाईवर ग्लास वूल इन्सुलेशन हेतु आदि अन्य कार्य ।

संदर्भित कार्य के संबंध में माननीय सांसद जी ने अपने पत्र दिनांक 18–12–2001 द्वारा श्री धर्मेश सिंह तोमर, पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजियाबाद को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया ।

जिला पंचायत, गाजियाबाद द्वारा निर्माण कार्य का प्राक्कलन 999600/- का तैयार किया गया, जिसको तकनीकी परीक्षणोपरान्त अंकन 975380/- रु० की स्वीकृति दिनांक 24-12-2001 को प्रदान की गई । उक्त स्वीकृति के क्रम में दिनांक 26-12-2001 को प्राक्कलन लागत का 75 प्रतिशत रु० अंकन 731535/, चेक संख्या–633505 के द्वारा कार्यदायी संस्था (जिला पंचायत गाजियाबाद) को अवमुक्त की गई । जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गाजियाबाद द्वारा अपने स्तर से कार्य का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तथा मा० सांसद जी द्वारा अधिकृत श्री धर्मेश सिंह तोमर पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजियाबाद के सुझावों के आधार पर ही कार्य कराया जा रहा है ।

कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किस्त के रूप में दी गई धनराशि से कराये गये कार्यों का व्यय विवरण अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध नही कराया गया है ।]

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं की ग्राम समाज ताजुद्दीन में पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री(श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद-जौनपुर की तहसील-मडियाहूं की ग्राम सभा-ताजुद्दीनपुर में चकबन्दी पुनः शुरु किये जाने के सम्बन्ध में श्री पारसनाथ यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 3-9-2002 पर स्थिति स्पष्ट किये जाने की अपेक्षा की गयी है । मा० सदस्य द्वारा अपनी दी गयी सूचना में यह भी उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम में भूमि की पैमाइश तथा काश्तकारों की आकार-पत्र भी वितरित हो गया था । जिसमें कर्मचारियों की लापरवाही और धन दोहन के कारण भारी अनियमितता की गई है । यहां

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कुछ दबंगों एवं दलालों के माध्यम से भूखण्ड का रकबा कम करना साथ ही गलत ढंग से भूमि की मालियत कहीं कम कहीं अधिक किये जाने की शिकायतें करते हुए उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रिया रोककर पुनः शुरु किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

प्रश्नगत सन्दर्भ में चकबन्दी आयुक्त से प्राप्त आख्या दिनांक 6-9-2002 में उल्लिखित आख्या के अनुसार स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर, तहसील–मड़ियाहूं, जनपद–जौनपुर में चकबन्दी प्रक्रियायें रोक दी गयी थीं । इस ग्राम में 654 एकड़ क्षेत्रफल 1268 गाँटे हैं का धारा–4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 5-8-88 को हुआ है ग्राम–ताजुद्दीनपुर में वर्ष 1998 में सहायक चकबन्दी अधिकारी स्तर पर कृषकों द्वारा समझौता कार्य का विरोध के कारण, समझौते का कार्य रोक दिया गया था जिसे अब पुनः सहायक चकबन्दी अधिकारी के स्तर से समझौते का कार्य किया जा रहा है । बंदोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा इस ग्राम का कार्य पूरा करने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की है । इस कार्य योजना के अनुसार इस गांव का धारा–52 के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 5-1-2005 तक पूरा कर लिया जाना सम्भावित है ।

मा० सदस्य द्वारा अपनी सूचना दिनांक 3-9-2002 में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त ग्राम में चकबन्दी के दौरान कर्मचारियों द्वारा लापरवाही एवं धन उगाही के कारण भारी अनियमिततायें हुई हैं तथा दबंगों एवं दलालों के माध्यम से भूखण्डों का रकबा कम अथवा अधिक, साथ ही गलत ढंग से भूमि की मालियत कहीं कम कही अधिक कर दिये जाने की शिकायतें की गयी हैं इस सम्बन्ध में जांच कराकर तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराने हेतु बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/उप संचालक चकबन्दी, जौनपुर को निदेशालय के पत्र दिनांक 5-9-2002 द्वारा निर्देश दिये जा चुके हैं ।

कृपया वर्णित स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें ।]

जनपद उन्नाव की नगरपालिका शुक्लागंज में विद्युत आपूर्ति नियमित न होने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में सीमित संसाधनों के कारण शासन के निर्णयानुसार दिनांक 01-04-2002 से सेन्ट्रल सेक्टर के विद्युत गृहों से भुगतान क्षमता के अनुसार ही विद्युत आयात किया जा रहा है जिसके कारण विद्युत की उपलब्धता में कमी के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों/तहसील स्तरीय नगरों में प्रतिदिन 08 घंटे विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है ।

चूंकि नगरपालिका शुक्लागंज जनपद उन्नाव की आबादी 10,000 से अधिक है अतः विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गयी दरें अर्थात् शहरी क्षेत्र के हिसाब से विद्युत बिलों का निर्धारण किया गया है ज्ञातव्य है कि विद्युत दरों के निर्धारण के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्युत नियामक आयोग के रूप में एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया है ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र पंचायत कोयलसा के बूढ़नपुर में स्वीकृत 132 के०वी० विद्युत सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[जनपद आजमगढ़ क्षेत्र पंचायत कोयलसा के अन्तर्गत बूढ़नपुर में 132 के०वी० उपकेन्द्र पर 20 एम०वी०ए० ट्रान्सफारमर की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी 132 के०वी० एस०सी० आजमगढ़–कोयलसा लाइन (29.2 कि०मी०) के निर्माण का कार्य सप्तम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया था। उपकेन्द्र एवं लाइन पर 6/8.0 में कार्य प्रारम्भ कर समग्र रूप से उपकेन्द्र एवं लाइन पर क्रमशः 20 एवं 625 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त भी कर ली गयी थी परन्तु आन्तरिक संसाधनों की कमी एवं किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण पोषित न होने के कारण निर्माण कार्य को स्थगित करना पड़ा। इस बीच इस कार्य के लिए ऋण हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रेषित किया परन्तु वहां से कोई स्वीकृति नहीं मिली। अन्ततः दिनांक 16-05-2000 को रु० 626 लाख की योजना मै० पावर कारपोरेशन नई दिल्ली को ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी। इसके सापेक्ष पावर फाइनेन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा रु० 502 लाख का ऋण दिनांक 22-02-2001 को स्वीकृत किया गया। इस योजना के अन्तर्गत अब तक रु० 75 लाख प्राप्त हो चुकी है। ऋण प्राप्त होने पर अब परिकल्पना एवं सामग्री क्रय आदि की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। उपकेन्द्र एवं लाइन पर अब तक की प्रगति इस प्रकार है :–

<u>उपकेन्द्र</u>

1–50 प्रतिशत स्ट्रक्चर प्राप्त हो गये हैं।

2–बाउण्ड्रीवाल कण्ट्रोल रूम बिल्डिंग 132 के०वी० मेन स्ट्रक्चर्स की फाउण्डेशन एवं ट्रान्सफारमर एवं ट्रैक बन चुके हैं।

3–समग्र रूप से 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

<u>लाइन</u>

1–सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है।

2–100 फाउण्डेशन में से 98 फाउण्डेशन बन चुकी है एवं 65 टावर खड़े किये जा चुके हैं।

3–समग्र रूप से अब तक 62.5 प्रतिशत कार्य पूर्ण है।

लाइन एवं उपकेन्द्र पर अब तक रु० 117.50 लाख का व्यय हो चुका है।

इस बीच कतिपय कास्तकारों द्वारा लाइन के रास्ते में भवन निर्माण के कारण दूसरा रास्ता बदलना पड़ गया। अब इस नये रास्ते के अनुसार परिकल्पना करके टावर नट एवं बोल्ट का आवंटन कर दिया गया है तथा इरेक्शन कान्ट्रेक्टर भी तय कर दिया गया है।

उक्त उपकेन्द्र के दिसम्बर 2003 तक ऊर्जीकृत होने की सम्भावना है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभु दयाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सी०टी० संवर्ग एक मृत संवर्ग घोषित होने के कारण पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को लागू करते समय सी०टी० संवर्ग के वेतनमान पुनरीक्षण पर त्रुटि-वश विचार नहीं किया जा सका । सी०टी० संवर्ग के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।]

परिवार कल्याण विभाग द्वारा नसबन्दी आपरेशन कैम्प ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित करने से पूर्व आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी तथा अस्थाई गर्भ निरोधकों की सेवायें उपलब्ध कराना एक मुख्य कार्य है । नगरीय क्षेत्र में यह सेवायें जिला स्तरीय अस्पताल में लगभग प्रतिदिन उपलब्ध हैं । ग्रामीण क्षेत्र में विशेषज्ञ कार्मिकों के अभाव में यह सेवा प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है, अतः ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के लिये एक समय सारिणी के अनुसार शिविरों का आयोजन करके नसबन्दी की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है । यह जनसंख्या नियंत्रण की रणनीति का एक हिस्सा है । यह भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अधीन ही किया जाता है ।

सभी जनपदों द्वारा हर माह में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आयोज्ञित किये जाने वाले शिविरों का एक अग्रिम मासिक कैलेण्डर बनाकर इसकी सूचना सभी संबंधित को क्षेत्र में प्रचार-प्रसार एवं आवश्यक तैयारी हेतु पहले से दे दी जाती है । शिविर आयोजन से पहले लाभार्थियों की संख्या निश्चित किया जा पाना प्रायः सम्भव नहीं होता है ।

नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिविरों के माध्यम से किये गये नसबन्दी आपरेशनों की संख्या नगरीय क्षेत्र में किये गये नसबन्दी आपरेशनों की संख्या से लगभग पांच गुना अधिक है :–

वर्ष	नगरीय नसबन्दी	ग्रामीण नसबन्दी
2000-01	58915	3,06,285
2001-02	67221	3,50,400

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नसबन्दी सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाया जाना बहुत उपयोगी है तथा उनकी समुदाय में काफी ग्राह्यता है ।

मुख्यालय स्तर से जब कोई शल्यक अथवा महिला चिकित्सक तथा अन्य स्टाफ टीम के साथ शिविर में भेजे जाते हैं तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जाती है ताकि मुख्यालय पर आने वाले रोगियों को कोई असुविधा न हो ।]

उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर नियुक्ति हेतु परीक्षा लिये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री(श्री सुखदेव राजभर)–

[उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर परीक्षा लिये जाने एवं उनकी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में मा० सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 1999 में प्रशिक्षण प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था, बल्कि दिनांक 09 अप्रैल, 2000 को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के प्रशिक्षण हेतु परीक्षा का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा कराया गया था । इस परीक्षा के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या 672 (एम/एस)2001–आशीष शुक्ला व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 27-03-2001 के अनुपालन में दिनांक 09 अप्रैल, 2000 को आयोजित उक्त परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनः नये सिरे से परीक्षा आयोजित कराने के आदेश शासनादेश संख्या 1957/पांच–6–2002–डब्लू०–3/2001 दिनांक 07 अगस्त, 2002 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र० को दिये गये हैं ।

2–उक्त शासनादेश में चयन की कार्यवाही शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करने के आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को दिये गये हैं । अभी शासनादेश निर्गत हुए मात्र एक माह का समय व्यतीत होने को है, फिर भी इस निमित्त महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पुनः निर्देशित कर दिया गया है ।]

जनपद आगरा के थाना चन्दवा के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आवास एवं नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

[मा० सदस्य द्वारा दिनांक 3-9-2002 को मा० विधान सभा में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि सी०बी०सी०आई०डी० सेक्टर आगरा द्वारा सी०बी०नं०–439/93 धारा–302 आई०पी०सी०

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

क्रास केस में विवेचना के बाद वर्ष 1996 में आरोप पत्र प्रेषित किये गये । जो न्यायालय में विचाराधीन हैं । इस सी०बी० विवेचना के दौरान स्थानीय पुलिस थाना-चन्दवा के विरुद्ध फर्जी अभिलेख तैयार करके निर्दोषों को फंसाने पर सी०बी०सी०आई०डी०, आगरा द्वारा धारा 342/218/120बी आई०पी०सी० का केस सी०बी०नं०–540/96 पंजीकृत कराया, शासन द्वारा सी०बी०नं०–540/96 की डी०एफ०आर० स्वीकृति हो चुकी है लेकिन दोषी पुलिस के खिलाफ अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी जिसके कारण स्थानीय पुलिस द्वारा की गयी असंवैधानिक कार्यवाही से नाबालिग/निर्दोषों को सजा भी हो सकती है । उक्त के साथ मा० सदस्य द्वारा उक्त सूचना को मा० सदन के संज्ञान में लाकर वक्तव्य एवं कार्यवाही की मांग की गयी है ।

2–इस संबंध में परीक्षण करने पर तथ्य प्रकाश में आया कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सी०बी०नं०–439/93 में प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर शासन के पत्र सं०–27 एमएम/6–12–1(74) /93, दिनांक 10-7-93 में दिये गये निर्देश के अनुसार सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा श्री प्रमोद शंकर शुक्ला, सत्य प्रकाश उपनिरीक्षक गण एवं मुख्य आरक्षी अतर सिंह, आरक्षीगण बाबूलाल व इन्द्रजीत के विरुद्ध थाना–चन्दवा, जनपद–हाथरस में मु०अ०सं०–81डी/93 धारा 342/218/120 भा०द०वि० पंजीकृत कराकर इसकी विवेचना अपराध शाखा द्वारा की गयी विवेचना उपरान्त अपराध शाखा द्वारा रिपोर्ट सी०बी०नं०–540/96 दिनांक 31-12-2001 द्वारा प्रेषित की गयी जो शासन में 17-1-2002 को प्राप्त हुई ।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण प्रमोद शंकर शुक्ला, उप निरीक्षक, सत्यप्रकाश, उपनिरीक्षक एवं आरक्षी बाबू लाल तथा इन्द्रजीत सिंह के विरुद्ध धारा–342/218/120बी भा०द०वि० का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया । इनके विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव न्याय विभाग को प्रेषित किया गया जिस पर न्याय विभाग द्वारा अपनी टिप्पणी दि० 15-6-2002 में विवेचक को अभिलेखों सहित वार्ता के लिए आहूत करने के लिए निर्देश दिये गये तथा इसके लिए दिनांक 26-10-2002 तिथि नियत की गयी है । इस संबंध में विवेचक को अभिलेखों सहित संयुक्त विधि परामर्शी के कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पत्र दिनांक 27-6-2002 को प्रेषित कर दिया गया । न्याय विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त अभिमत उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त अभियोजन की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जायेगी ।]

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम करन आर्य, श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री जय प्रताप सिंह कृपया टाण्डा थर्मल पावर के पास महरीपुर में घाघरा नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा प्रारम्भ करें ।

(श्री राम करन आर्य, श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री जय प्रताप सिंह के अनुपस्थित होने पर)

चूंकि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस चर्चा को निरस्त करता हूं ।

प्रदेश में स्व० चौ० चरण सिंह की स्मृति में ''चरण सिंह ग्राम विकास योजना'' चलाये जाने विषयक दिनांक सितम्बर, 02 को तारांकित प्रश्न सं० 6 नत्थी (ग) के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार आदि द्वारा नियम–49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–58 (ख) कल दिनांक 7-9-2002 तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अब हम उठते हैं । कल दिनांक 7-9-2002 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 9 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 6 सितम्बर, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 124 विधान सभा (209)–2003–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।